खण्ड-265, अंक-1
शुक्रवार, 27 फाल्गुन, शक संवत् 1887
(18 मार्च, 1966 ई0)

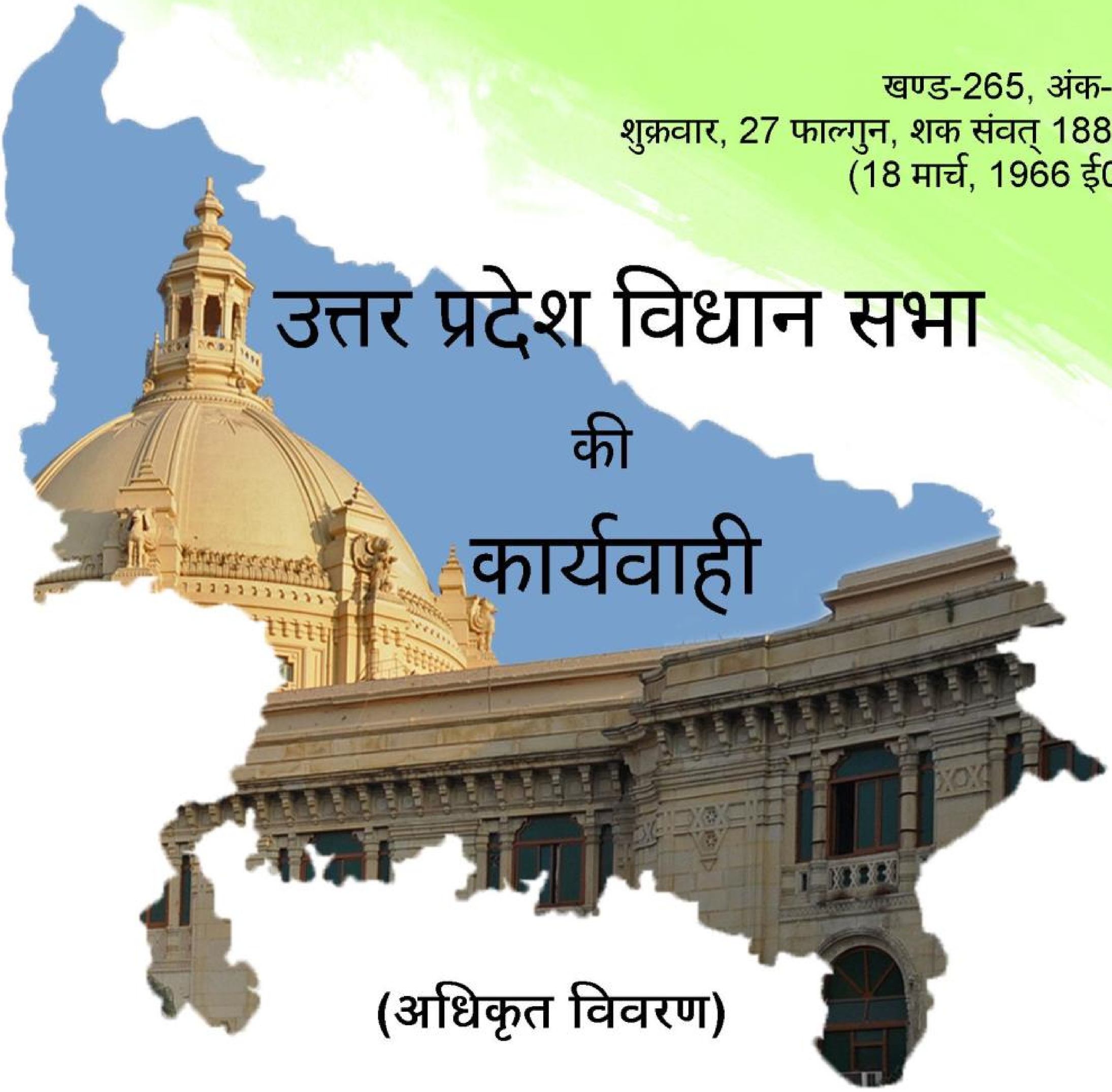

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 265 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९६६

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

शुक्रवार, १८ मार्च, १९६६

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	१–५
प्रश्नोत्तर	५–४७
प्रश्नों का गलत उत्तर दिये जाने के संबंध में आपत्ति	४७
उत्तर प्रदेश वेतन अभिनवीकरण समिति का प्रतिवेदन (१९६४–६५) एवं शासकीय संकल्प (मेज पर रखा गया)	४७
प्रश्नों का उत्तर न मिलने के सम्बन्ध में आपत्ति	४७
उत्तर प्रदेश वेतन अभिनवीकरण समिति का प्रतिवेदन (१९६४–६५) पर विवाद के सम्बन्ध में जानकारी	४८
उत्तर प्रदेश विधान सभा की आश्वासन समिति का उन्नीसवां प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया)	४८–४९
भदोही तथा मिर्जापुर क्षेत्र के कालीन बुनकरों आदि की मांगों के संबंध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना (प्रस्तुत करने की अनुज्ञा नहीं दी गयी) ..	४९
इलाहाबाद, वाराणसी तथा मिर्जापुर जिलों में अभाव की स्थिति के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव एवं नियम ५३ के अन्तर्गत सूचनायें (जारी) ..	५०–५१
श्री चन्द्रबली सिंह द्वारा अभिसूचित कार्य-स्थगन प्रस्ताव (प्रस्तुत करने की अनुज्ञा नहीं दी गयी)	५१
इलाहाबाद, वाराणसी तथा मिर्जापुर जिलों में अभाव की स्थिति के संबंध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव एवं नियम ५३ के अन्तर्गत सूचनायें (नियम ५३ के अन्तर्गत स्वीकृत)	५१–५२
नगीना, जिला बिजनौर में होली पर साम्प्रदायिक दंगा होने के संबंध में नियम ५२ के अन्तर्गत मंत्री का वक्तव्य	५२–५८
जिला अलीगढ़ में सिंचाई अधिकारियों के विरुद्ध श्री सुखराम सिंह पतरौल द्वारा अनशन के सम्बन्ध में वक्तव्य	५८–५९
१९६६–६७ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या १७—शिक्षा) स्वीकृत)	५९–१०९
नत्थियां	११०–१२१

शनिवार, १९ मार्च, १९६६

उपस्थित सदस्य	१२३ १२६
गृह मंत्री द्वारा कथित गलत बयानी करने के संबंध में विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना (अनुज्ञा नहीं दी गई) ..	१२७–१३४
श्री उपाध्यक्ष के प्रति आपत्तिजनक शब्दों के प्रयोग के संबंध में श्री चन्द्रसिंह रावत के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना (विशेषाधिकार समिति को निर्दिष्ट)	१३४–१३७

विषय	पृष्ठ-संख्या
१९६६-६७ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या ४२—राजनीतिक पेंशनें तथा भत्ते (स्वीकृत) ..	१३७
अनुदान संख्या ३९—परिवहन तथा अनुदान संख्या ५२—सड़क परिवहन और अन्य योजनाओं पर पूंजी परिव्यय (स्वीकृत)	१३७-१९१

सोमवार, २१ मार्च, १९६६

उपस्थित सदस्य	१९३-१९६
प्रश्नोत्तर	१९७-२३०
अलीगढ़ जिले में बत्रादेवी थाने के नजदीक बम विस्फोट के संबंध में नियम ५२ के अन्तर्गत सूचना	२३१
जिला परिषद्, सीतापुर में संघर्ष के संबंध में नियम ५२ के अन्तर्गत सूचना ..	२३२
नियम ५२ के अन्तर्गत ध्यान आकर्षणार्थ अन्य सूचनाएं	२३२-२३४
आगरा के जूता मजदूरों द्वारा हड़ताल के संबंध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य..	२३४
कतिपय विषय	२३४-२३५
१९६६-६७ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या २५—नियोजन और समन्वय (स्वीकृत) ..	२३५-२८३
इलाहाबाद, वाराणसी, मिर्जापुर, जौनपुर और गाजीपुर जिलों के कतिपय क्षेत्रों में सूखे की स्थिति के विषय में नियम ५३ के अन्तर्गत चर्चा ..	२८४-३११
नत्थियां	३१२-३२१

मगलवार, २२ मार्च, १९६६

उपस्थित सदस्य	३२३-३२७
प्रश्नोत्तर	३२७-३५९
राष्ट्रीय नववर्ष शक संवत् १८८८ के उपलक्ष में शुभ कामना संदेश ..	३५९-३६०
जिला पिथौरागढ़ की सेटिलमेंट रिपोर्ट, १९६६ (सदन की मेज पर रखी गयी) ..	३६०
नियम ५२ के अन्तर्गत ध्यान आकर्षणार्थ सूचनायें	३६१
१९६६-६७ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या २४—उद्योग, अनुदान संख्या ४८—औद्योगिक और आर्थिक विकास पर पूंजी परिव्यय तथा अनुदान संख्या ४३—लेखन-सामग्री और मुद्रण (स्वीकृत)	३६१-४१०
नत्थियां	४११-४२०

बुधवार, २३ मार्च, १९६६

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	४२१–४२५
प्रश्नोत्तर	४२५–४५४
मिर्जापुर, वाराणसी तथा जौनपुर जिलों में बुनकरी की हड़ताल के संबंध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव एवं नियम ५२ के अन्तर्गत सूचनायें ..	४५४–४५५
१९६६–६७ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या २७—सूचना निदेशालय (स्वीकृत)	४५६–४८५
अनुदान संख्या २०—कृषि सम्बन्धी विकास, अनुदान संख्या २१—उपनिवेशन, अनुदान संख्या २२—पशु पालन और मत्स्यपालन तथा अनुदान संख्या ४७—कृषि योजनाओं और उपभोक्ता सहकारी समितियों पर पूंजी परिव्यय (जारी)	४८६–५०८
देवरिया जिले में गन्ना समितियों के माध्यम से सुरक्षा कोष के लिये वसूली के सम्बन्ध में नियम ५० के अन्तर्गत चर्चा	५०९–५१५
नत्थियां	५१६–५३०

बृहस्पतिवार, २४ मार्च, १९६६

उपस्थित सदस्य	५३१–५३५
प्रश्नोत्तर	५३५–५७१
उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड, कानपुर के कार्य-करण पर वर्ष १९६४–६५ की रिपोर्ट (मेज पर रखी गयी)	५७१
वित्त (लेखा परीक्षा तथा बिक्री-कर) विभाग की विज्ञप्ति (मेज पर रखी गयी)	५७१
उत्तर प्रदेश स्टेट वेयरहाउसिंग कारपोरेशन, लखनऊ के लाभ और हानि के लेखों पर लेखा परीक्षकों के प्रतिवेदन (मेज पर रखे गये) ..	५७१
डाक्टरी मुआयने की रिपोर्ट को अंग्रेजी में भेजने पर आपत्ति	५७१
उत्तर प्रदेश विधान सभा की आश्वासन समिति का तीसरा विशेष प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया)	५७२
गृह मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न उठाने के संबंध में सूचना	५७३
फिरोजाबाद नगर में कांच उद्योग पर नये बिक्री कर लगाने के विरोध में हुई हड़ताल के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना (नियम ५२ के अन्तर्गत स्वीकृत)	५७३
देवरिया और बहराइच जिलों के चीनी मिल क्षेत्र तथा गोंडा जिले में खेतों में खड़े गन्ने को पेरे जाने की व्यवस्था न होने के संबंध में नियम ५२ के अन्तर्गत सूचनाएं (केवल वक्तव्य के लिए स्वीकृत)	५७३–५७४
नियम ५२ के अन्तर्गत ध्यान आकर्षणार्थ अन्य सूचनाएं	५७४–५७५
कतिपय विषय	५७५–५७६

विषय	पृष्ठ-संख्या
१९६६–६७ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान––अनुदान संख्या २०––कृषि संबंधी विकास, अनुदान संख्या २१––उपनिवेशन, अनुदान संख्या २२– पशुपालन और मत्स्यपालन तथा अनुदान संख्या ४७–कृषि योजनाओं और उपभोक्ता सहकारी समितियों पर पूंजी परिव्यय (स्वीकृत) ..	५७६–६२९
नत्थियां	६३०–६४४

शुक्रवार, २५ मार्च, १९६६

उपस्थित सदस्य	६४५–६४९
प्रश्नोत्तर	६४९–६७७
बुलन्दशहर, एटा तथा बिजनौर जिलों की कुछ शुगर मिल्स द्वारा सुरक्षित स्थानों का गन्ना न क्रय करने के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत सूचनायें	६७७
अलीगढ़ जिले के वन्ना देवी थाने के नजदीक बम विस्फोट के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य	६७८–६८१
१९६६–६७ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान––अनुदान संख्या ३०––राजस्व से किये जाने वाले सिंचाई के निर्माण कार्य, अनुदान संख्या ३१––सिंचाई अधिष्ठान तथा अनुदान संख्या ४९ ––सिंचाई निर्माण-कार्यों पर पूंजी परिव्यय (जारी) ..	६८२
लोक लेखा, प्राक्कलन तथा विभिन्न स्थायी समितियों के लिये निर्वाचन का कार्य-क्रम	६८२–६८३
जनसंघ विधायक दल से कुछ सदस्यों के अलग होने के सम्बन्ध में सूचना ..	६८३
१९६६–६७ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान––अनुदान संख्या ३०––राजस्व से किये जाने वाले सिंचाई के निर्माण कार्य, अनुदान संख्या ३१––सिंचाई अधिष्ठान तथा अनुदान संख्या ४९–– सिंचाई निर्माण कार्यों पर पूंजी परिव्यय (स्वीकृत) ..	६८४–७४४
नत्थियां	७४५–७५४

शनिवार, २६ मार्च, १९६६

उपस्थित सदस्य	७५५–५७८
कटौती के प्रस्तावक को बोलने का अवसर न मिलने के सम्बन्ध में श्री चन्द्रबली सिंह की आपत्ति (जारी)	७५९
प्रश्नों के सम्बन्ध में आपत्ति	७५९–७६१
कतिपय विषय	७६१–७६२
नियम ५२ के अन्तर्गत ध्यान आकर्षणार्थ सूचनायें	७६२
जिला परिषद् सीतापुर में संघर्ष के सम्बन्ध में वक्तव्य	७६२–७६३
कटौती के प्रस्तावक को बोलने का अवसर न मिलने के संबंध में श्री चन्द्रबली सिंह की आपत्ति	७६३–७६४

विषय	पृष्ठ-संख्या
१९६६–६७ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या ५५—ब्याज वाले ऋण और अग्रिम (विवाद जारी) ..	७६४–८०७
सदन के कार्य-क्रम में संशोधन के संबंध में सूचना	८०७
१९६६–६७ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या ५५—ब्याज वाले ऋण और अग्रिम (स्वीकृत) ..	८०७–८११

सोमवार, २८ मार्च, १९६६

उपस्थित सदस्य	८१३–८१८
व्यवस्था का प्रश्न	८१८
प्रश्नोत्तर	८१९–८४१
प्राविंशियल स्माल काज कोर्ट्स (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९६६ (मेज पर रखा गया)	८४१
म्योर मिल, कानपुर, की लगातार बन्दी के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव एवं नियम ५२ के अन्तर्गत सूचनाएं (नियम ५२ के अन्तर्गत स्वीकृत) ..	८४१–८४४
सदन का साप्ताहिक कार्यक्रम	८४४
म्योर मिल, कानपुर, की लगातार बन्दी के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव एवं नियम ५ के अन्तर्गत सूचनाएं (जारी)	८४५
१९६६–६७ के आय-व्ययक में केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रदेश को दी गई धनराशि का विवरण ठीक प्रकार से न दिये जाने के संबंध में श्री टम्बेश्वर प्रसाद की आपत्ति (जारी)	८४५
म्योर मिल, कानपुर, की लगातार बन्दी के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव एवं नियम ५२ के अन्तर्गत सूचनाएं	८४५–८४६
१९६६–६७ के आय-व्ययक में केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रदेश को दी गयी धनराशि का विवरण ठीक प्रकार से न दिये जाने के सम्बन्ध में श्री टम्बेश्वर प्रसाद की आपत्ति	८४६–८४८
१९६६–६७ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या ५—अन्य कर और शुल्क (स्वीकृत)	८४९
अनुदान संख्या ६—स्टाम्प (स्वीकृत)	८४९
अनुदान संख्या ७—निबन्धन (रजिस्ट्रेशन) (स्वीकृत)	८४९
अनुदान संख्या ४१—अधिवर्ष भत्ते और पेंशनें (स्वीकृत)	८४९
अनुदान संख्या ५३—पेंशनों का राशि मूल्य (स्वीकृत)	८४९–८५०
अनुदान संख्या ४—बिक्री-कर (स्वीकृत)	८५०–८७५
उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, १९६६ (विचारोपरान्त पारित) ..	८७६–८९९
सदन के परिवर्तित कार्यक्रम के सम्बन्ध में सूचना	९००
नत्थियां	९०१–९०६

मंगलवार, २९ मार्च, १९६६

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	९०७–९११
प्रश्नोत्तर	९११–९४१
प्रश्नों के स्थगन पर आपत्ति	९४१–९४२
उत्तर प्रदेश की द्वितीय विधान सभा की प्राक्कलन समिति का तेरहवां तथा चौदहवां प्रतिवेदन (प्रस्तुत किये गये)	९४२
उत्तर प्रदेश विधान सभा की नियम समिति (१९६५–६६) का प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया)	९४२–९४४
स्थानीय निकायों से विधान परिषद् की सदस्यता के लिये होने वाले चुनावों में राजकीय संपत्ति एवं प्रभाव का उपयोग करने के संबंध में कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचना (प्रस्तुत करने की अनुज्ञा नहीं दी गयी) ..	९४४–९६४
पंचनगर महापालिकाओं के कर्मचारियों द्वारा अनशन किये जाने के संबंध में कार्य-स्थगन-प्रस्ताव एवं नियम ५२ के अन्तर्गत सूचनाएं (जारी) ..	९४६
प्रदेश की उत्तरी पर्वतीय पट्टी में फैले हुये विदेशी गुप्तचर भेदियों के संबंध में नियम ५२ के अन्तर्गत सूचना (जारी)	९४६–९४७
बस्ती शुगर मिल के श्रमिकों द्वारा अनशन के संबंध में नियम ५२ के अन्तर्गत सूचना	९४७
पंचनगर महापालिकाओं के कर्मचारियों द्वारा अनशन किये जाने के संबंध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव एवं नियम ५२ के अन्तर्गत सूचनायें (केवल वक्तव्य के लिये स्वीकृत)	९४७
बस्ती शुगर मिल के श्रमिकों द्वारा अनशन के संबंध में नियम ५२ के अन्तर्गत सूचना (केवल वक्तव्य के लिये स्वीकृत)	९४७–९४८
प्रदेश के उत्तरी पर्वतीय पट्टी में फैले हुये विदेशी गुप्तचर भेदियों के संबंध में नियम ५२ के अन्तर्गत सूचना (केवल वक्तव्य के लिये स्वीकृत) ..	९४८
कतिपय विषयों के संबंध में जानकारी (स्वीकृत)	९४८
मिर्जापुर, वाराणसी तथा जौनपुर जिलों में कालीन उद्योग के श्रमिकों द्वारा की गई हड़ताल के संबंध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य	९४८–९५३
फिरोजाबाद में कांच कुटीर उद्योग पर नये बिक्री कर लगने के विरोध में हुई हड़ताल के संबंध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य	९५२–९५६
प्रदेश की कुछ चीनी मिल क्षेत्र के खेतों में खड़े गन्ने को पेरे जाने की व्यवस्था न होने एवं सुरक्षित स्थानों का गन्ना न क्रय करने के सम्बन्ध में वक्तव्य ..	९५६–५९
उत्तर प्रदेश वेतन अभिनवीकरण समिति के प्रतिवेदन (१९६४–६५) पर चर्चा (स्थगित)	९५९–९६०
नत्थियां	९६१–९६२

o—

शासन

राज्यपाल

श्री विश्वनाथदास

मन्त्रि-परिषद्

१—श्रीमती सुचेता कृपालानी, एम० ए०, विधान सभा सदस्य, मुख्य मंत्री।

२—श्री हुकुमसिंह विसेन, बी० ए०, एल-एल० बी०, विधान सभा सदस्य, माल मंत्री।

३—श्री गिरधारी लाल, एम० ए०, विधान सभा सदस्य, सिंचाई मंत्री।

४—श्री चरण सिंह, एम० ए०, बी० एस-सी० एल-एल० बी०, विधान सभा सदस्य, स्वायत्त शासन मंत्री।

५—श्री सैयद अली जहीर, बार ऐट-ला, विधान सभा सदस्य, न्याय मंत्री।

६—श्री हरगोविन्द सिंह, बी० एस-सी० एल-एल० बी०, विधान परिषद् सदस्य, गृह मंत्री।

७—श्री मुजफ्फर हसन, विधान सभा सदस्य, परिवहन मंत्री।

८—श्री राममूर्ति, एम० ए०, एल-एल० बी०, विधान सभा सदस्य, सामुदायिक विकास मंत्री।

९—श्री जगमोहनसिंह नेगी, बी० ए०, एल-एल० बी०, विधान सभा सदस्य, खाद्य मंत्री।

१०—डाक्टर सीताराम, एम० एस-सी०, (विस) पी-एच० डी०, विधान सभा सदस्य, समाज कल्याण मंत्री।

११—श्री दाऊदयाल खन्ना, विधान सभा सदस्य, चिकित्सा मंत्री।

१२—श्री बनारसीदास, विधान सभा सदस्य, सहकारिता मंत्री।

१३—श्री कैलाश प्रकाश, विधान परिषद् सदस्य, वित्त तथा शिक्षा मंत्री।

१४—श्री जगनप्रसाद रावत, बी० एस-सी०, एल-एल० बी०, विधान सभा सदस्य, सार्वजनिक निर्माण मंत्री।

१५—श्री गेंदासिंह, विधान सभा, सदस्य, कृषि मंत्री।

उप-मन्त्री

१—श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा, विधान सभा सदस्य, विद्युत् उप मंत्री।

२—श्री बलदेवसिंह आर्य, विधान सभा सदस्य, कृषि उप मंत्री।

३—श्री जयराम वर्मा, विधानसभा सदस्य, वित्त उप मंत्री।

४—डाक्टर रामनारायण पांडेय, विधान परिषद् सदस्य, शिक्षा उप मंत्री।

५—श्री शिवप्रसाद गुप्त, विधान परिषद् सदस्य, गृह उप मंत्री।

अवैतनिक सभा सचिव

स्वायत्त शासन मन्त्री तथा समाज कल्याण मन्त्री के सभा सचिव

१—श्रीमती तारा अग्रवाल, विधान सभा सदस्या, समाज कल्याण तथा स्वायत्त शासन ।

खाद्य तथा रसद मन्त्री के सभा सचिव

२—श्री हरीदत्त कांडपाल, विधान सभा सदस्य, खाद्य तथा रसद ।

सिंचाई मन्त्री तथा सार्वजनिक निर्माण मन्त्री के सभा सचिव

३—श्री अजयकुमार वसु, विधान परिषद् सदस्य, सिंचाई तथा सार्वजनिक निर्माण ।

मुख्य मन्त्री तथा सामुदायिक विकास मन्त्री के सभा सचिव

४—श्री बंशीधर पांडेय, विधान सभा सदस्य, नियोजन तथा सामुदायिक विकास तथा पंचायत राज ।

सामुदायिक विकास मन्त्री तथा सहकारिता मन्त्री के सभा सचिव

५—श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह, विधान परिषद् सदस्य, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता ।

माल मन्त्री के सभा सचिव

६—श्री रामकुमार शास्त्री, विधान सभा सदस्य, माल ।

उत्तर प्रदेश सभा

सदस्यों की वर्णात्मक सूची तथा उनके निर्वाचन क्षेत्र

131792

क्रम-संख्या	सदस्य का नाम	निर्वाचन क्षेत्र
१	२	३
१	अक्षयवर सिंह, श्री	पिपराइच
२	अखण्डप्रताप सिंह, श्री	बोकापुर
३	अजीज इमाम, श्री	कंतित (उत्तर)
४	अनीसुर्रहमान, श्री	टनकपुर
५	अब्दुल बशार खां, चौधरी	अलीगढ़
६	अब्दुल समी, श्री	सुल्तानपुर
७	अब्दुल हसीब खां, श्री	फखरपुर
८	अमजद अली, श्री	निजामाबाद
९	अयोध्याप्रसाद, श्री	ललितपुर (अनुसूचित)
१०	अली जहीर, श्री सैयद	लखनऊ नगर (पश्चिम)
११	अवधनारायण प्रताप सिंह, श्री	सधुल्लानगर
१२	अवधेश कुमार सिनहा, श्री	मिश्रिख
१३	अवधेश प्रताप, श्री राजा	सलेमपुर (दक्षिण)
१४	अवेद्यनाथ, श्री	मानोराम
१५	अशरफ अली खां, श्री	सादाबाद
१६	अहमद बख्श, श्री	जानसठ
१७	आनन्दसिंह, कुंवर	मनकापुर
१८	इन्द्रपाल, श्री	जगदीशपुर (अनुसूचित)
१९	इन्द्रासनसिंह, श्री	सगरी
२०	इतिजा हुसैन, श्री	बुलन्दशहर
२१	ईश्वरशरण, श्री	गोंडा (पूर्व)
२२	उग्रसेन, श्री	सलेमपुर (पश्चिम)
२३	उमादत्त, श्री	लंभवा
२४	उमाशंकर, श्री	गोपालपुर
२५	उमाशंकर तिवारी, श्री	मुगलसराय
२६	उल्फतसिंह यादव, श्री	सहसवान
२७	ऊदल, श्री	कोलाशाह
२८	ऋषिनारायण शास्त्री, श्री	गंगापुर
२९	एस० जी० दत्त, श्री	कानपुर नगर (४)
३०	ए० सी० ग्राइस, श्री	नामनिर्देशित, आंग्ल-भारतीय
३१	ओंकारनाथ द्विवेदी, श्री	कोंहडौर
३२	कंधई लाल, श्री	खुटर (अनुसूचित)
३३	कन्हैयालाल, श्री	गोकुल (अनुसूचित)
३४	कमलापति त्रिपाठी, श्री	चन्दौली
३५	कमलासिंह यादव, श्री	सैदपुर
३६	कलारानी मिश्रा, श्रीमती	बिलग्राम
३७	कल्पनाथ सिंह, श्री	चिल्लूपार

क्रम-संख्या	सदस्य का नाम	निर्वाचन क्षेत्र
१	२	३
३८	कल्याणचन्द मोहिले, श्री (उपनाम छुन्नन गुरु)	इलाहाबाद नगर (दक्षिण)
३९	कल्याणराय, श्री	रामपुर ग्रामीण
४०	काशीनाथ बहादुर पाल, श्री	महुली (पूर्व)
४१	काशीनाथ मिश्र, श्री	बांसडीह (पूर्व)
४२	काशीप्रसाद द्विवेदी, श्री	गरौठा
४३	किशोरी लाल अग्रवाल, श्री	लखनऊ नगर (पूर्व)
४४	किश्वर आरा, बेगम	रामपुर नगर
४५	कुमार करुण कृष्णा नायर, श्री	बांसी उत्तर
४६	कृष्णचन्द, श्री	मेहरौनी
४७	कृष्णपाल सिंह, श्री	रायबरेली (उत्तर)
४८	कृष्णसिंह, श्री	उत्तरकाशी
४९	कृष्णा, श्री	देवरिया (दक्षिण)
५०	कृष्णानन्द राय, श्री	गाजीपुर
५१	केदारनाथ भार्गव, श्री	मथुरा
५२	केशभान, श्री	मगहर
५३	केशरीप्रसाद पांडेय, श्री	मछलीशहर
५४	केशव गुप्त, श्री	मुजफ्फरनगर
५५	केशवराम, श्री	कोट (अनुसूचित)
५६	केशवसिंह, श्री	जलालाबाद
५७	कैलाश, श्री	सलेमपुर (पूर्व)
५८	कोतवाल सिंह भदौरिया, श्री	छिबरामऊ
५९	खयालीराम, श्री	मोहनलालगंज
६०	खुशीराम, श्री	चम्पावत (अनुसूचित)
६१	खूबसिंह श्री	धामपुर
६२	खेमचन्द, श्री	आगरा नगर (२)
६३	गंगाधर मैठाणी, श्री	केदारनाथ
६४	गंगाप्रसाद, श्री	गोंडा (पश्चिम) (अनुसूचित)
६५	गंगाप्रसाद वर्मा, श्री	एटा
६६	गंगाप्रसादसिंह, श्री	सियार
६७	गंगासिंह बिष्ट, श्री	अल्मोड़ा
६८	गणेशचन्द्र काछी, श्री	किशनी
६९	गणेशप्रसाद, श्री	बांसगांव
७०	गनेशीलाल चौधरी, श्री	तम्बौर (अनुसूचित)
७१	गयाप्रसाद, श्री	कस्वर
७२	गयाप्रसाद मेहरोत्रा, श्री	बिसवां
७३	गिरजा प्रसाद, श्री	सरजू
७४	गिरधारी लाल, श्री (बिजनौर)	बुदपुर (अनुसूचित)
७५	गिरधारी लाल, श्री (वाराणसी)	वाराणसी नगर (दक्षिण)
७६	गिरवर प्रसाद, श्री	कासगंज

क्रम-संख्या	सदस्य का नाम	निर्वाचन क्षेत्र
१	२	३
७७	गुप्तारसिंह, श्री	सरेनी
७८	गुलाब सिंह, श्री	मुसौरी
७९	गेंदादेवी, श्रीमती	खलीलाबाद (अनुसूचित)
८०	गेंदासिंह, श्री	पडरौना (पूर्व)
८१	गोकुल प्रसाद, श्री	भरवारी (अनुसूचित)
८२	गोपीनाथ दीक्षित, श्री	सफापुर
८३	गोविन्दसहाय, श्री	नगीना
८४	घनश्यामदास, श्री	सिद्धौर (अनुसूचित)
८५	घासीराम जाटव, श्री	लखना (अनुसूचित)
८६	चतुर्भुज शर्मा, श्री	कालीन
८७	चन्दनसिंह, श्री	कैराना
८८	चन्द्रजीत यादव, श्री	मुहम्मदाबाद गोहना
८९	चन्द्रदेव, श्री	पडरौना (उत्तर)
९०	चन्द्रपाल, श्री	बानगंगा (पूर्व)
९१	चन्द्रबलीसिंह, श्री	रुद्रपुर
९२	चन्द्रभानु गुप्त, श्री	रानीखेत (दक्षिण)
९३	चन्द्रसिंह रावत, श्री	पौड़ी
९४	चम्पावती, श्रीमती	फतेहपुर सीकरी
९५	चरण सिंह, श्री	कोटाना
९६	चिरंजीलाल जाटव, श्री	जलेसर (अनुसूचित)
९७	चुन्नीलाल, श्री	अनूपशहर
९८	चैतन्यराजसिंह, श्री	खैर
९९	छत्रपति अम्बेश, श्री	आगरा देहात (अनुसूचित)
१००	छांगुर, श्री	बाला दौलताबाद (अनुसूचित)
१०१	छेदालाल चौधरी, श्री	पलिया (अनुसूचित)
१०२	जगदम्बा प्रसाद, श्री	सुरहुरपुर
१०३	जगदीशनारायण सिनहा, श्री	रुड़की
१०४	जगदीशप्रसाद, श्री (बहराइच)	बहराइच (उत्तर)
१०५	जगदीशप्रसाद, श्री (मुरादाबाद)	हसनपुर (उत्तर)
१०६	जगदीशप्रसाद पाण्डेय, श्री	नौगढ़
१०७	जगदीशशरण अग्रवाल, एडवोकेट, श्री ..	बरेली नगर
१०८	जगदीशशरण रस्तोगी, श्री	मेरठ नगर
१०९	जगन प्रसाद रावत, श्री	खेरागढ़
११०	जगन्नाथ चौधरी, श्री	सिकन्दरपुर
१११	जगन्नाथ राव, श्री	मड़ियाहूं
११२	जगन्नाथ सिंह, श्री	बिंदकी
११३	जगमोहनसिंह नेगी, श्री	गंगासलान
११४	जगवीरसिंह, श्री	अमोटा

क्रम-संख्या	सदस्य का नाम	निर्वाचन क्षेत्र
१	२	३
११५	जमादारसिंह, श्री ..	.. बरनवा
११६	जमीलुर्रहमान, किदवई, श्री ..	.. नवाबगंज
११७	जयगोपाल, श्री ..	.. हरोरा
११८	जयराम शर्मा, श्री ..	.. टांडा
११९	जलील अब्बासी, काजी ..	.. डुमरियागंज (दक्षिण)
१२०	जसरामसिंह, श्री ..	.. जवार (अनुसूचित)
१२१	जियाउर्रहमान, श्री (उपनाम बक्कन) ..	.. उन्नाव
१२२	जुगलकिशोर, आचार्य ..	.. गोबर्धन
१२३	जुगलकिशोर, श्री ..	.. गुन्नौर
१२४	जुल्फिकार अली खां नवाबजादा, सैयद	.. सुआर टांडा
१२५	जेड० ए० अहमद, श्री ..	.. कोपागंज
१२६	जे० पी० मिश्र, श्री ..	.. भल्लावां
१२७	ज्वालाप्रसाद, श्री ..	.. घाटमपुर (पश्चिम) (अनुसूचित)
१२८	झारखण्डे राय, श्री ..	.. घोसी
१२९	झिलमिट राम, श्री ..	.. चोतर (आनुसूचित)
१३०	टम्बेश्वर प्रसाद, श्री ..	.. खेराबाद
१३१	डल्लाराम, श्री ..	.. मच्छेहटा (सीतापुर) (अनुसूचित)
१३२	डूंगरसिंह, श्री	.. राठ
१३३	तारा अग्रवाल, श्रीमती ..	.. कानपुर नगर (१)
१३४	तेजनारायण त्रिवेदी, श्री ..	.. धौरेहरा
१३५	तेजभानसिंह, कुंवर ..	.. अठेहा
१३६	तेजसिंह श्री	.. गाजियाबाद
१३७	त्रेपनसिंह, श्री	.. टेहरी
१३८	दयाराम शाक्य, श्री ..	.. फर्रुखाबाद
१३९	बलजीत सिंह, श्री ..	.. बहराइच (दक्षिण)
१४०	दशरथप्रसाद, श्री	.. सिधवा जोबना
१४१	दाऊदयाल खन्ना, श्री ..	.. कांठ
१४२	दीनदयाल करवरिया, श्री ..	.. करबी
१४३	दीपनारायणसिंह, श्री ..	.. किशनपुर
१४४	दुर्गाप्रसाद, श्री	.. ६० बीसलपुर (अनुसूचित)
१४५	दुर्योधन, श्री	.. महराजगंज (अनुसूचित)
१४६	देवदत्त मिश्र श्री ..	.. भगवंतनगर
१४७	देवीदत्त, श्री	.. काशीपुर
१४८	देवेन्द्रसिंह, श्री	.. नैनीताल
१४९	देशराज सिंह, श्री ..	.. बबेरू
१५०	दौलतलाल, श्री	.. महुल
१५१	द्वारकाप्रसाद पांडेय, श्री ..	.. फरेंदा (पूर्व)
१५२	द्विजेन्द्रनारायण, श्री ..	.. दरियाबाद
१५३	धर्मदत्त वैद्य, श्री ..	.. सिरोली
१५४	धर्म सिंह, श्री	.. छतारी (अनुसूचित)
१५५	धूम प्रसाद, श्री	.. मंगलसी (अनुसूचित)

क्रम-संख्या	सदस्य का नाम	निर्वाचन क्षेत्र
१	२	३
१५६	नत्थाराम रावत, श्री ..	.. कुरसी
१५७	नत्थूसिंह, श्री	.. जसवन्तनगर
१५८	नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री ..	.. हाथरस
१५९	नरदेवसिंह, श्री	.. चान्दपुर
१६०	नरसिंहनारायण पांडेय, श्री ..	.. फरेंदा (पश्चिम)
१६१	नरेन्द्रसिंह, श्री	.. चन्दौसी
१६२	नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री ..	.. पिठौरागढ़
१६३	नरोत्तमसिंह, श्री ..	.. उसेहत
१६४	नवरंगसिंह, श्री	.. गोंडा (उत्तर)]
१६५	नवलकिशोर, श्री	.. आंवला
१६६	नाथूराम शिक्षक, श्री ..	.. करारी (अनुसूचित)
१६७	नारायणसिंह, श्री	.. दातागंज
१६८	नित्यानन्द पांडेय, श्री ..	.. डेरापुर
१६९	नियाज हसन खान, श्री ..	.. कुण्डा
१७०	नियामतुल्ला अन्सारी, श्री ..	.. गोरखपुर
१७१	नेकराम शर्मा, श्री	.. सिकन्दराराव
१७२	नैनसिंह, श्री ..	.. बधरा (अनुसूचित)
१७३	नौनिहालसिंह चौधरी, श्री ..	.. चाइल
१७४	नौरंगलाल, श्री	.. नवाबगंज
१७५	पंचमदास, श्री	.. संडीला (अनुसूचित)
१७६	परमाईलाल, श्री	.. गोपामऊ (अनुसूचित)
१७७	पशुपतिनाथ सरन सिंह, श्री ..	.. इनहौना
१७८	पातीराम अहरवार, श्री ..	.. कन्नौज (अनुसूचित)
१७९	पितईराम, श्री	.. सालौ (अनुसूचित)
१८०	पीतमसिंह प्रधान, श्री ..	.. हस्तिनापुर
१८१	पुरुषोत्तमलाल बधवार (राजा जी), श्री	.. उझानी
१८२	पूरनलाल, श्री	.. शिरोमन नगर (अनुसूचित)
१८३	प्यारेलाल मिश्र, श्री	.. शाहबाद
१८४	प्रकाशवती सूद, श्रीमती ..	.. मेरठ छावनी
१८५	प्रेमसिंह, श्री ..	.. चरदा
१८६	प्रेमसुन्दर, श्री	.. हापुड़
१८७	फूलसिंह, श्री	.. देवबन्द
१८८	बंकटासिंह, श्री (टुन्नूसिंह) ..	.. खीरी
१८९	बंशीधर पांडेय, श्री ..	.. भदोही
१९०	बंशीधर मिश्र, श्री	.. श्रीनगर
१९१	बंशीलाल, श्री	.. झूसी (अनुसूचित)
१९२	बद्रीप्रसाद, श्री	.. फतेहपुर (अनुसूचित)
१९३	बद्रीप्रसाद पालीवाल, श्री ..	.. औरैया

क्रम-संख्या	सदस्य का नाम	निर्वाचन क्षेत्र
१	२	३
१९४	बनवारीलाल विप्र, श्री	.. फतेहाबाद
१९५	बनारसीदास, श्री	.. सिकन्दराबाद
१९६	बब्बनसिंह, श्री	.. बलरामपुर (दक्षिण)
१९७	बलदेवसिंह, सरदार ..	.. तुलसीपुर
१९८	बलदेवसिंह आर्य, श्री ..	.. शाहाबाद (अनुसूचित)
१९९	बलवानसिंह, श्री	.. अकबरपुर
२००	बलवीरसिंह, श्री	.. जसराना
२०१	बसतलाल, श्री	.. उमरी (अनुसूचित)
२०२	बसन्तलाल शर्मा, श्री ..	.. नानपारा
२०३	बसन्तसिंह, श्री	.. अफजलगढ़
२०४	बांकेलाल, श्री	.. हाटा
२०५	बाबूलाल श्रीवास्तव, श्री ..	.. ११८, प्रतापगढ़ (दक्षिणी)
२०६	बाबूसिंह, श्री	.. अतरौली
२०७	बालक राम वैश्य, श्री ..	.. लखनऊ छावनी
२०८	बालेन्दु भूषण प्रताप सिंह, श्री ..	.. प्रतापगढ़ (उत्तर)
२०९	बालोजी अग्रवाल, श्री ..	.. आगरा नगर १
२१०	बिपिन बिहारी तिवारी, श्री ..	.. लहरपुर
२११	बिशनलाल यादव, श्री ..	.. बहजोई
२१२	बृज बिहारी, श्री	.. अतरौलिया
२१३	बृजभूषण शरण, श्री ..	.. देहरादून
२१४	बृजमोहन लाल गुप्त, श्री ..	.. बांदा
२१५	बृजराजसिंह, श्री	.. मौदहा
२१६	बृजरानी, श्रीमती	.. बिठूर
२१७	बृजेश्वर सहाय, श्री ..	.. मैनपुरी
२१८	बेचनराम, श्री	.. कंतित (दक्षिण) (अनुसूचित)
२१९	बेदराम, श्री	.. सहसवार
२२०	बेनीबाई, श्रीमती ..	.. मऊ (अनुसूचित)
२२१	बैजनाथ सिंह वैद्य, श्री ..	.. अमेठी
२२२	बैजूराम, श्री	.. बारी (अनुसूचित)
२२३	ब्रह्मदत्त मायर, श्री ..	.. सहारनपुर
२२४	भगवतीदीन तिवारी, श्री ..	.. गरवारा
२२५	भगवान दास बरनवाल, श्री ..	.. मिर्जापुर
२२६	भगवानदास यादवेन्दु, श्री ..	.. फिरोजाबाद
२२७	भगवानदीन, श्री	.. बछरावां (अनुसूचित)
२२८	भगवान सहाय, श्री ..	.. तिलहर
२२९	भानुप्रताप सिंह, श्री ..	.. डुमरियागंज (उत्तर)

क्रम-संख्या	सदस्य का नाम	निर्वाचन क्षेत्र
१	२	३
२३०	भोखालाल, श्री	हसनगंज (अनुसूचित)
२३१	भोमा प्रसाद, श्री	आजमगढ़
२३२	भूपसिंह, श्री	कोइल (अनुसूचित)
२३३	मंगल, श्री	पडरौना (पश्चिमतम)
२३४	मंगलदेव, श्री	सरायमीर (अनुसूचित)
२३५	मंगल प्रसाद आर्य, श्री	इकौना (अनुसूचित)
२३६	मतोलासिंह, श्री	नरैनी
२३७	मदनपाल सिंह श्री	महोबा
२३८	मनसाराम, श्री	शिकोहाबाद
२३९	मन्ना लाल, श्री	मुहमदी (अनुसूचित)
२४०	महमूद हसन खां श्री	सम्भल
२४१	महराम सिंह, श्री	भोजपुर
२४२	महादेव, श्री	मिनझौरा
२४३	महावीर प्रसाद, श्री	डलमऊ
२४४	महावीर प्रसाद श्रीवास्तव, श्री	लखनऊ (केन्द्र)
२४५	महावीर सिंह, श्री	खुर्जा
२४६	महेन्द्र सिंह, श्री	तप्पल
२४७	महेश सिंह, श्री	हरदोई
२४८	माता प्रसाद, श्री	चांदा (अनुसूचित)
२४९	माधोनारायण मुद्गल, श्री	घिरोर
२५०	माधोप्रसाद त्रिपाठी, श्री	बानगंगा (पश्चिम)
२५१	मान्धाता सिंह, श्री	कोपाचित
२५२	मुकन्दी लाल बैरिस्टर श्री	लैन्सडाउन
२५३	मुकुट बिहारी लाल, श्री	रुदौली
२५४	मुजफ्फर हसन, श्री	फूलपुर
२५५	मुन्नूसिंह, श्री	भिंगा
२५६	मुमताज मुहम्मद खां, श्री	सियाना
२५७	मुरलीधर कुरील, श्री	बिल्हौर (अनुसूचित)
२५८	मुलतान सिंह, श्री	एतमादपुर (दक्षिण)
२५९	मुहम्मद रफी खां, श्री	शाजहांपुर
२६०	मुहम्मद हुसैन, श्री	बरेली छावनी
२६१	मूल चन्द शास्त्री, श्री	बरौत
२६२	मेघनाथ सिंह शिशौदिया, श्री	दसना
२६३	मेवालाल जायसवाल, श्री	सोरांव (पश्चिम)
२६४	मेड़ीलाल, श्री	सत्रिख (अनुसूचित)
२६५	मैनेजर सिंह, श्री	दोआवा
२६६	मोहनलाल, आचार्य	५९ पूरनपुर
२६७	मोहनलाल अहिरवार, श्री	चरखारी (अनुसूचित)
२६८	मोहनलाल वर्मा, श्री	गोंडवा
२६९	मोहन सिंह, श्री	दानपुर

क्रम-संख्या	सदस्य का नाम	निर्वाचन क्षेत्र
१	२	३
२७०	यशपालसिंह वर्मा, श्री ..	.. नकुड़
२७१	यशोदादेवी, श्रीमती ..	.. घुरियापार (अनुसूचित)
२७२	यादवेन्द्र दत्त, श्री	.. जौनपुर
२७३	यादवेन्द्र सिंह, श्री .. (लल्लन जी) ..	.. तिलपूर
२७४	योगेश्वर प्रसाद खंडूड़ी, श्री ...	.. बद्रीनाथ
२७५	रक्षपाल सिंह, श्री	.. खागा
२७६	रघुनाथ, श्री	.. रसरा (अनुसूचित)
२७७	रघुनाथ प्रसाद, श्री ..	.. बारा (अनुसूचित)
२७८	रघुनाथ सिंह, डाक्टर ..	.. कटेहर
२७९	रघुवीर, श्री	.. जहूराबाद (अनुसूचित)
२८०	रघुवीर सहाय कैथवार, श्री ..	.. हसवा (अनुसूचित)
२८१	रघुवीर सिंह, श्री	.. मारहरा
२८२	रणबहादुर सिंह, श्री ..	.. हरैया (पश्चिम)
२८३	रतीपाल, श्री	.. रायबरेली (दक्षिण)
२८४	रमाकान्त सिंह, श्री ..	.. बरौंसा
२८५	रमेश चन्द्र शर्मा, श्री ..	.. बरसठी
२८६	राजदेव, श्री	.. रामकोला
२८७	राज नाथ सिंह, श्री ..	.. शदियाबाद
२८८	राजनारायण, श्री ..	.. चुनार
२८९	राजनारायण मिश्र, श्री ..	.. भोगनीपुर
२९०	राजनारायण सिंह, श्री ..	.. महैच
२९१	राजाराम, श्री	.. अमसिन
२९२	राजेन्द्र किशोरी, श्रीमती ..	.. बस्ती
२९३	राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी, डाक्टर ..	.. इलाहाबाद (उत्तर)
२९४	राजेन्द्रसिंह, श्री ..	.. निधपुर
२९५	राजेन्द्र सिंह यादव, श्री ..	.. शमसाबाद
२९६	राधेश्याम शर्मा, श्री ..	.. मांठ
२९७	राम अधार कन्नौजिया, श्री ..	.. महसी (अनुसूचित)
२९८	रामअधीन सिंह, श्री ..	.. पुरवा
२९९	रामअनन्त पांडेय, श्री ..	.. बलिया
३००	राम अवध, श्री	.. विनायकपुर
३०१	राम आसरे, श्री	.. मिटौली
३०२	रामकिंकर, श्री	.. पट्टी (अनुसूचित)
३०३	रामकिशोर त्रिपाठी, श्री ..	.. हैदरगढ़
३०४	रामकिशोर वर्मा, श्री ..	.. टप्पाजार
३०५	रामकुमार शास्त्री, श्री ..	.. बांसी (पश्चिम)
३०६	रामचन्द्र विकल, श्री ..	.. दादरी

क्रम-संख्या	सदस्य का नाम	निर्वाचन क्षेत्र
१	२	३
३०७	रामचन्द्र सिंह, श्री ..	.. भवां
३०८	रामचरण शाह, श्री, ..	.. निघासन
३०९	रामजी लाल सहायक, श्री ..	.. सरधना (अनुसूचित)
३१०	रामनाथ पाठक, श्री ..	.. राबर्ट्सगंज
३११	रामपाल त्रिवेदी, श्री ..	.. मलिहाबाद
३१२	रामपाल सिंह, श्री ..	.. ठाकुरद्वारा
३१३	रामप्यारे, श्री	.. दूधी (अनुसूचित)
३१४	रामप्रसाद देशमुख, श्री ..	.. सासनी (अनुसूचित)
३१५	रामबली मिश्र, श्री ..	.. इसौली
३१६	रामभजन, श्री	.. हैदराबाद
३१७	राममूर्ति, श्री	.. बहेड़ी
३१८	राममूर्ति 'अंचल', श्री ..	.. जमौर
३१९	रामरती, श्रीमती	.. अकबरपुर (अनुसूचित)
३२०	रामरूप सिंह, श्री ..	.. पीलीभीत
३२१	रामलखन वकील, श्री ..	.. चकिया (अनुसूचित)
३२२	रामलखन शुक्ल, श्री ..	.. भावापार
३२३	राम लखन सिंह, श्री ..	.. हरैया (पूर्व)
३२४	राम लाल, श्री	.. देवरिया (उत्तर)
३२५	राम समझावन, श्री ..	.. केराकत (अनुसूचित)
३२६	रामसिंह, श्री (मैनपुरी) ..	.. करहल (अनुसूचित)
३२७	राम सिंह, श्री (सहारनपुर)	.. नागर (अनुसूचित)
३२८	रामसिंह शाक्य, श्री ..	.. सिड़पुरा
३२९	रामसुन्दर पांडेय, श्री ..	.. नत्थूपुर
३३०	रामसुन्दर शास्त्री, श्री ..	.. करंडा
३३१	राम सूरत प्रसाद, श्री ..	.. झंगहा (अनुसूचित)
३३२	रामस्वरूप भारतीय, श्री ..	.. ढिगवास (अनुसूचित)
३३३	रामायण राय, श्री	.. पडरौना (दक्षिण)
३३४	रामेश्वर नाथ, श्री (उपनाम चौबे) ..	.. सनहा
३३५	रियासत हुसैन, श्री	.. मुरादाबाद (देहात)
३३६	रुकुमसिंह राठौर, कुंवर ..	.. बदायूं
३३७	रुद्र प्रताप सिंह, कुंवर ..	.. गौराजमो
३३८	लक्ष्मीशंकर यादव, श्री ..	.. शाहगंज
३३९	लखपतराम शर्मा, श्री ..	.. झाँसी
३४०	लखी सिंह, श्री	.. छाता
३४१	लाल बहादुर सिंह, श्री (जौनपुर) ..	.. बेयालसी
३४२	लाल बहादुर सिंह, श्री (वाराणसी)	.. शिवपुर
३४३	लोकपाल सिंह, श्री ..	.. अलीगंज

क्रम-संख्या	सदस्य का नाम	निर्वाचन क्षेत्र
१	२	३
३४४	वशिष्ठ नारायण शर्मा, श्री	जमानिया
३४५	वसी नकवी, श्री	रोखा
३४६	विक्रमशाह, राजा	पोवायां
३४७	विचित्रनारायण शर्मा, श्री	मोदीनगर
३४८	विजय कुमार, श्री	निगोहां
३४९	विजयपाल सिंह, श्री	बुधना
३५०	विजयशंकर, श्री	विधूना
३५१	विजय शंकर सिंह, श्री	मुहम्मदाबाद
३५२	विजयसिंह, श्री	कौंच
३५३	विद्यावती राठौर, श्रीमती	बाह
३५४	विनयलक्ष्मी सुमन', श्रीमती	देवप्रयाग
३५५	विश्वनाथ पांडेय, 'प्रणव', श्री	अहरौरा
६५६	विश्वनाथ प्रसाद, श्री	वाराणसी नगर (उत्तर)
३५७	विष्णुप्रताप सिंह, श्री	महादेवा
३५८	वीरसेन, श्री	गढ़मुक्तेश्वर (अनुसूचित)
३५९	बैजनाथ पांडेय, श्री	कैंवई
३६०	शंकरलाल, श्री	अल्देमऊ (अनुसूचित)
३६१	शकुन्तलादेवी, श्रीमती	सरसवा (अनुसूचित)
३६२	शकुन्तला नायर, श्रीमती	बस्ती नगर
३६३	शराफत हुसैन रिजवी, श्री	अमरोहा
३६४	शशिभूषण सिंह, श्री	कानपुर (देहात)
३६५	शान्तिचन्द्र शुक्ल, श्री	पहाड़पुर
३६६	शान्तिप्रपन्न शर्मा, श्री	हरद्वार
३६७	शारदानन्द, श्री	सीतापुर
३६८	शारदाभक्त सिंह, श्री	पाली
३६९	शिब्बनलाल, श्री	श्याम देवरवा
३७०	शिवचरण, श्री	इतमादपुर (उत्तर) (अनुसूचित)
३७१	शिवदान सिंह, श्री	इग्लास
३७२	शिवनाथ सिंह, श्री	घाटमपुर (पूर्व)
३७३	शिवमंगल, श्री	बांसडीह (पश्चिम)
३७४	शिवमूर्ति, श्री	सोरों (पूर्व)
३७५	शिवराज सिंह, श्री	बिसोली
३७६	शिवसम्पत्ति शर्मा, श्री	कालपी
३७७	शिवेन्द्र प्रताप, श्री	महमूदाबाद
३७८	शीतलप्रसाद, श्री	तरबगंज
३७९	शुकदेव प्रसाद, श्री	बलरामपुर (उत्तरी) (अनुसूचित)
३८०	शुगनचन्द मजदूर, श्री	मोकेरहेरी (अनुसूचित)

विधान सभा प्रदेश

क्रम-संख्या	सदस्य का नाम	निर्वाचन क्षेत्र
१	२	३
३८१	शुगनचन्द शर्मा, श्री	शिकारपुर
३८२	शौकत हमीद खाँ, श्री	बागपत
३८३	श्यामलाल, श्री	महुली (पश्चिम) (अनुसूचित)
३८४	श्यामसुन्दर शुक्ल, श्री	बीरापुर
३८५	श्रद्धादेवी, कुमारी	किठोर
३८६	श्रीनिवास, श्री	मंगौरी
३८७	श्रीपत मिश्र, श्री	कादीपुर
३८८	श्रीपाल सिंह, कुंवर	रारी
३८९	श्रीराम, श्री	नजीबाबाद
३९०	श्रीराम तिवारी, श्री	झालोतर अजगैन
३९१	सईद अहमद, श्री	ज्वालापुर
३९२	सत्यदेव, श्री	देवगांव
३९३	सत्यनारायण पांडेय, श्री	करछना
३९४	सत्यवीर कुंवर, श्री	बिजनौर
३९५	सन्तसिंह यूसुफ, श्री	कानपुर नगर (२)
३९६	सरदार सिंह, श्री	मुजफ्फराबाद
३९७	सहदेव सिंह, श्री	भर्थना
३९८	सालिग्राम जैसवाल, श्री	मेजा
३९९	सियादुलारी, श्रीमती	मानिकपुर (अनुसूचित)
४००	सियाराम गंगवार, डाक्टर	कायमगंज
४०१	सीताराम, डाक्टर	गोरीबाजार (अनुसूचित)
४०२	सुक्खनलाल, श्री	हसनपुर (दक्षिण)
४०३	सुखराम दास, श्री	बिरहर (अनुसूचित)
४०४	सुखलाल, श्री (इटावा)	अजीतमल (अनुसूचित)
४०५	सुखलाल, श्री (लखनऊ)	मोहाना (अनुसूचित)
४०६	सुचेता कृपालानी, श्रीमती	मंडवाल
४०७	सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री	मोठ
४०८	सुरजनराम विशारद, श्री	मुबारकपुर (अनुसूचित)
४०९	सुरेन्द्रदत्त बाजपेयी, श्री	हमीरपुर
४१०	सुरेन्द्र विक्रम, श्री	खेराबझेरा
४११	सुशीला रोहतगी, श्रीमती	कानपुर नगर (५)
४१२	सूबेदार सिंह, श्री	भोगांव
४१३	सूरजपाल सिंह यादव, श्री	इस्लामनगर
४१४	सूरजलाल गुप्त वकील, श्री	उतरौला
४१५	सेवाराम, श्री	बांगरमऊ (अनुसूचित)
४१६	सोहनलाल धुसिया, श्री	बांसी (दक्षिण) (अनुसूचित)

क्रम-संख्या	सदस्य का नाम	निर्वाचन क्षेत्र
१	२	३
४१७	हमीद खाँ, श्री	कानपुर नगर (३)
४१८	हरिगैन राम, श्री	ज्ञानपुर (अनुसूचित)
४१९	हरिनाथ तिवारी एडवोकेट, श्री	पश्चिम राठ
४२०	हरीदत्त काण्डपाल, श्री	रानीखेत (उत्तर)
४२१	हरीश कुमार गंगवार, श्री	भोजीपुरा
४२२	हरीसिंह, श्री	मेरठ देहात (अनुसूचित)
४२३	हलीमुद्दीन, श्री	मुरादाबाद नगर
४२४	हिम्मत सिंह, श्री	देवई
४२५	हुकुम सिंह विसेन, श्री	कैसरगंज
४२६	हेतराम सिंह, श्री	बिलारा (अनुसूचित)
४२७	हेमराज, श्री	फरीदपुर (अनुसूचित)
४२८	हेमवती नन्दन बहुगुणा, श्री	सिराथू
४२९	होरीलाल अग्रवाल, श्री	इटावा शहर
४३०	होतीलाल यादव, श्री	सौरीख

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश विधान सभा

के

पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्री मदनमोहन वर्मा, बी० ए०, एल-एल० बी०

उपाध्यक्ष

श्री होतीलाल अग्रवाल, एम० ए०, एल-एल० बी०

सचिव, विधान मण्डल

श्री कौशलपाल गुप्त, एच० जे० एस०

सचिव, विधान सभा

श्री देवकीनन्दन मित्थल, एम० ए०, एल-एल० बी०

सहायक सचिव

श्री रामप्रकाश बी० काम०, एल-एल० बी०

समिति अधिकारी

श्री श्रीपति सहाय, बी० ए०, एल-एल० बी०

अधीक्षक

श्री गिरधारी लाल, बी० ए०

श्री श्रीनाथ दीक्षित, बी० ए०, एल-एल० बी०

श्री उमाशंकर, बी० ए०

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

131792

शुक्रवार, १८ मार्च, १९६६

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री मदन मोहन वर्मा की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य—३६६

अक्षयवरसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनीसुर्रहमान, श्री
अब्दुल समी, श्री
अब्दुल हसीब खां, चौधरी
अमजद अली, श्री
अयोध्याप्रसाद, श्री
अवधेशकुमार सिनहा, श्री
अवधेशप्रताप, राजा
अशरफ अली खां, श्री
अहमद बख्श, श्री
इन्द्रपाल, श्री
इन्द्रासनसिंह, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
ईश्वरशरण, श्री
उग्रसेन, श्री
उमादत्त, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उल्फतसिंह यादव, श्री
ऊदल, श्री
ऋषिनारायण शास्त्री, श्री
एस० जी० दत्त, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
ओंकारनाथ द्विवेदी, श्री
कंधईलाल, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलासिंह यादव, श्री
कलारानी मिश्रा, श्रीमती
कल्पनाथसिंह, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री
(उपनाम छुन्नन गुरु)
कल्याणराय, श्री
काशीनाथ मिश्र, श्री
काशीप्रसाद द्विवेदी, श्री
किशोरीलाल अग्रवाल, श्री
किश्वर आरा बेगम, श्रीमती
कुमार करुणा कृष्ण नायर, श्री
कृष्णपालसिंह, श्री
कृष्णसिंह, श्री
कृष्णा, श्री
कृष्णानन्दराय, श्री
केदारनाथ भार्गव, श्री
केशभान, श्री
केशरीप्रसाद पांडेय, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशवराम, श्री
केशवसिंह, श्री
कैलाश, श्री
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
खेमचन्द, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गंगासिंह विष्ट, श्री
गणेशप्रसाद, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री

गयाप्रसाद, श्री
गयाप्रसाद मेहरोत्रा, श्री
गिरजाप्रसाद, श्री
गिरधारीलाल, श्री (बिजनौर)
गिरधारीलाल, श्री (वाराणसी)
गिरवरप्रसाद, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुलाबसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गोकुल प्रसाद, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोविन्दसहाय, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्दनसिंह, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रपाल, श्री
चन्द्रबलीसिंह, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चुन्नीलाल, श्री
छत्रपति अम्बेश, श्री
छांगुर, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगदम्बाप्रसाद, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री (बहराइच)
जगदीशप्रसाद, श्री (मुरादाबाद)
जगदीशप्रसाद पांडेय, श्री
जगदीशशरण अग्रवाल, एडवोकेट, श्री
जगदीशशरण रस्तोगी, श्री
जगनप्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथ राव, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जमीलुर्रहमान किदवई, श्री
जयगोपाल, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जसरामसिंह, श्री
जियाउर्रहमान, श्री उपनाम वक्कन
जुगलकिशोर, आचार्य
जुगलकिशोर, श्री
जेड० ए० अहमद, श्री
जे० पी० मिश्र, श्री
ज्वालाप्रसाद, श्री
झारखंडेराय, श्री
झिलमिटराम, श्री
टम्बेश्वरप्रसाद, श्री
डल्लाराम, श्री
डूंगरसिंह, श्री
तेजभानसिंह, कुंवर
तेजसिंह, श्री
त्रेपनसिंह, श्री
दयाराम शाक्य, श्री
दशरथप्रसाद, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दीपनारायणसिंह, श्री
दुर्गाप्रसाद, श्री
दुर्योधन, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवीदत्त, श्री
देवेन्द्रसिंह, श्री
देशराजसिंह, श्री
दौलतलाल, श्री
द्वारकाप्रसाद पांडेय, श्री
द्विजेन्द्रनारायण, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मसिंह, श्री
धूमप्रसाद, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नरदेवसिंह, श्री
नरसिंहनारायण पांडेय, श्री
नरेन्द्रसिंह, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नवलकिशोर, श्री
नाथूराम शिक्षक, श्री
नारायणसिंह, श्री
नित्यानन्द पांडेय, श्री
नियाज हसन खान, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नैनसिंह, श्री
नौनिहालसिंह चौधरी, श्री
नौरंगलाल, श्री
पंचमदास, श्री
परमाईलाल, श्री
पातीराम अहरवार, श्री

उत्तर प्रदेश संसदीय अध्ययन

पितईराम, श्री
पूरनलाल, श्री
प्रेमसिंह, श्री
फूलसिंह, श्री
बंकटासिंह, श्री (टुन्नूसिंह)
बंशीधर पांडेय, श्री
बंशीधर मिश्र, श्री
बंशीलाल, श्री
बद्रीप्रसाद, श्री
बद्रीप्रसाद पालीवाल, श्री
बनारसीदास, श्री
बब्बनसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलवानसिंह, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बसन्तसिंह, श्री
बांकेलाल, श्री
बाबूलाल, श्री
बालकराम वैश्य, श्री
बालेन्दुभूषणप्रतापसिंह, श्री
बालोजी अग्रवाल, श्री
बिपिनबिहारी तिवारी, श्री
बिशनलाल यादव, श्री
बृजभूषणशरण, श्री
बृजमोहनलाल गुप्त, श्री
बृजराजसिंह, श्री
बृजरानी, श्रीमती
बेचनराम, श्री
बेदराम, श्री
बैजनाथसिंह 'वैद्य', श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त मायर, श्री
भगवानदास बरनवाल, श्री
भगवानदास यादवेन्दु, श्री
भगवानदीन, श्री
भगवानसहाय, श्री
भगौतीदीन, श्री
भानुप्रतापसिंह, श्री
भीखालाल, श्री
भीमाप्रसाद, श्री
भूपसिंह, श्री
मंगल, श्री
मंगलदेव, श्री
मंगलप्रसाद आर्य, श्री
मतोलासिंह, श्री
मदनपालसिंह, श्री
मन्नालाल, श्री
महमूद हसन खां, श्री
महरामसिंह, श्री
महादेव, श्री
महावीरप्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महावीरसिंह, श्री
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
माधवप्रसाद त्रिपाठी, श्री
माधोनारायण मुद्गल, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मुकन्दीलाल बैरिस्टर, श्री
मुकुटबिहारीलाल, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुमताज मुहम्मद खां, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुलतानसिंह, श्री
मुहम्मद रफी खां, श्री
मुहम्मद हुसैन, श्री
मूलचन्द्र शास्त्री, श्री
मेघनाथसिंह शिशोदिया, श्री
मेवालाल जायसवाल, श्री
मेड़ीलाल, श्री
मैनेजरसिंह, श्री
मोहनलाल, आचार्य
मोहनलाल अहिरवार, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रदत्त, श्री
यादवेन्द्रसिंह, श्री, (लल्लन जी)
योगेश्वरप्रसाद खंडूड़ी, श्री
रक्षपालसिंह, श्री
रघुनाथ, श्री
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुनाथसिंह, श्री
रघुवीरराम, श्री
रघुवीरसहाय कैथवार, श्री
रघुवीरसिंह, श्री
रतीपाल, श्री
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकान्तसिंह, श्री

राजदेव, श्री,
राजनाथसिंह, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण मिश्र, श्री
राजनारायण सिंह, श्री
राजाराम, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
राधेश्याम शर्मा, श्री
रामअधार कनौजिया, श्री
रामअधीनसिंह, श्री
रामअनन्त पांडेय, श्री
रामअवध, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकिशोर त्रिपाठी, श्री
रामकिशोर वर्मा, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपालसिंह, श्री
रामप्यारे, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
राममूर्ति 'अंचल', श्री
रामरती, श्रीमती
रामलखन वकील, श्री
रामलखन शुक्ल, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह, श्री (एटा)
रामसिंह, श्री (मैनपुरी)
रामसिंह, श्री (सहारनपुर)
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुन्दर शास्त्री, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामायणराय, श्री
रामेश्वरनाथ, श्री (उपनाम चौबे)
रियासत हुसैन, श्री
रुकुमसिंह राठौर, कुंवर
रुद्रप्रतापसिंह, कुंवर
लखपतराम शर्मा, श्री
लखीसिंह, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री (जौनपुर)
लालबहादुरसिंह, श्री (वाराणसी)
लोकपालसिंह श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
विक्रमशाह, राजा
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयशंकर, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विजयसिंह, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विश्वनाथ पांडेय 'प्रणव', श्री
विश्वनाथप्रसाद, श्री
विष्णुप्रतापसिंह, श्री
वैजनाथ पांडेय, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुन्तलादेवी, श्रीमती
शकुन्तला बायर, श्रीमती
शराफत हुसैन रिजवी, श्री
शशिभूषणसिंह, श्री
शान्तिचन्द्र शुक्ल, श्री
शान्तिप्रपन्न शर्मा, श्री
शारदानन्द, श्री
शिवनलाल सक्सेना, श्री
शिवनाथसिंह, श्री
शिवमंगल, श्री
शिवराजसिंह, श्री
शिवसम्पत्ति शर्मा, श्री
शिवेन्द्रप्रताप, श्री
शीतलप्रसाद, श्री
शुगनचन्द मजदूर, श्री
शुगन चन्द शर्मा, श्री
शौकत हमीद खां, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामसुन्दर शुक्ल, श्री
श्रद्धादेवी, कुमारी
श्रीपत मिश्र, श्री
श्रीपालसिंह, कुंवर
श्रीराम, श्री
श्रीराम तिवारी, श्री
सईद अहमद, श्री

प्रदेश सभा

सत्यदेव, श्री
सत्यनारायण पांडेय, श्री
सत्यवीर कुंवर, श्री
सन्तसिंह यूसुफ, श्री
सहदेवसिंह, श्री
सालिग्राम जैसवाल, श्री
सियादुलारी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, डाक्टर
सुक्खनलाल, श्री
सुखदेवप्रसाद, श्री
सुखरामदास, श्री
सुखराम, श्री (इटावा)
सुखलाल, श्री (लखनऊ)
सुचेता कृपालानी, श्रीमती
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरजनराम विशारद, श्री
सुरेन्द्रदत्त बाजपेयी, श्री
सुरेन्द्रविक्रम, श्री
सुशीला रोहतगी, श्रीमती
सूबेदारसिंह, श्री
सूरजपालसिंह यादव, श्री
सेवाराम, श्री
सोहनलाल बुसिया, श्री
हमीद खां, श्री
हरिगैनराम, श्री
हरिनाथ तिवारी एडवोकेट, श्री
हरिदत्त काण्डपाल, श्री
हरीसिंह, श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
हेतरामसिंह, श्री
हेमराज, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री
होतीलाल अग्रवाल, श्री
होरीलाल यादव, श्री

गृह मंत्री, श्री हरगोविन्द सिंह, वित्त मंत्री, श्री कैलाश प्रकाश. शिक्षा उप मंत्री डाक्टर रामनारायण पाण्डेय तथा गृह उपमंत्री, श्री शिवप्रसाद गुप्त भी उपस्थित थे।

प्रश्नोत्तर

शुक्रवार, १८ मार्च, १९६६

तारांकित प्रश्न

[राजस्व मंत्री की प्रार्थना पर ५ वें शुक्रवार (११-३-६६) के स्थगित प्रश्न]

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३० (४) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न]

* * * *

दुद्धी के अध्यापकों का अवशेष वेतन

*२—श्री रामप्यारे (जिला मिर्जापुर)—

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि दुद्धी (मिर्जापुर) के राजकीय प्राथमिक पाठशालाओं में अध्यापन-कार्य कर रहे अध्यापकों को इस भीषण महंगाई में पिछले ८ माह से वेतन प्राप्त न होने से घोर असन्तोष व्याप्त है ? यदि हां, तो इसके कौन-कौन कारण हैं ?

माल मंत्री के सभा सचिव (श्री राम कुमार शास्त्री)—

इन अध्यापकों को जनवरी, १९६६ तक का वेतन दिया जा चुका है।

श्री रामप्यारे—

उनको यह तनख्वाह किस तिथि को दी गई ?

श्री रामकुमार शास्त्री—

उनको विभिन्न तारीखें हैं। मार्च, ६५, अप्रैल—मई, ६५ की तनख्वाह १८-६-६५ को दी गयी है, जून, जुलाई, अगस्त, सितम्बर, अक्तूबर, नवम्बर, दिसम्बर, १९६५ और जनवरी तथा फरवरी, १९६६ तक की तनख्वाह उनको दी जा चुकी है

श्री रामप्यारे—

यह देखते हुये कि रेवेन्यू डिपार्टमेन्ट से शिक्षा की व्यवस्था उतनी सुन्दर नहीं हो सकती जितनी कि शिक्षा विभाग करता है कुछ को छोड़कर बाकी सब स्कूलों की हालत बहुत खराब है, तो क्या मंत्री जी इस पर विचार करेंगे कि जल्दी ही उन स्कूलों को शिक्षा विभाग को या जिला परिषद् को खर्चा सहित स्थानान्तरित कर दें ?

माल मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)—

कोई भी आकर ले जाय, हम उन स्कूलों को देने के लिये तैयार हैं ।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)—

जिनको महंगाई भत्ता या तनख्वाह नहीं मिली थी, उनकी कुल संख्या कितनी है ?

श्री रामकुमार शास्त्री—

अध्यक्ष महोदय, बीस तो कुल स्कूल्स हैं और उसमें ४४ अध्यापक हैं । इनमें से २९ टेम्पोरेरी हैं और उनके स्केल्स भी अलग अलग बने बनाये हैं ।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय (जिला जौनपुर)—

क्या कारण था कि इनको ८ महीने तक वेतन नहीं दिया जा सका ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

बिल में कुछ गड़बड़ थी जिसकी दुरुस्ती में वक्त लगा ।

श्री लखीसिंह (जिला मथुरा)—

क्या इन अध्यापकों के अलावा आपके विभाग के और भी कर्मचारी हैं जिनको इस तरह से तनख्वाह नहीं मिली ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

अगर कोई स्पेसिफिक केस दें तो दिखला लूंगा ।

श्री रामप्यारे—

क्या माननीय मंत्री जी जब स्कूलों के ट्रान्सफर्स के बारे में सोच रहे हैं तो इसकी भी व्यवस्था करेंगे कि इन अध्यापकों को जो गवर्नमेंट सरवेंट भी हैं और जिन्हें पेंशन आदि मिलने की व्यवस्था है, वह सारी सुविधायें उनको उस वक्त भी रहें जब वे जिला परिषद् के अधीन हो जायं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

यह बात तो कब्ल अज वक्त है ।

राजस्व मंत्री की प्रार्थना पर ५वें शुक्रवार (११ मार्च, १९६६) के स्थगित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३९ (२) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न]

चकबन्दी अधिकारी, श्री कुवरसिंह की पत्नी द्वारा बीमा का कार्य

*१—श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल (जिला इटावा)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि श्री कुंवर सिंह, सी० ओ०, चकबन्दी, विधूना, इटावा की धर्मपत्नी बीमा की एजेंट हैं और उन्होंने अब तक किन-किन व्यक्तियों के कितने-कितने मूल्य के बीमें किये हैं और कब से बीमे का कार्य कर रही हैं ?

श्री रामकुमार शास्त्री--

(१) श्री कुंवर सिंह, चकबन्दी अधिकारी की धर्मपत्नी ने बीमा ऐजेन्ट के रूप में ४-११-६३ से ३०-४-६५ तक कार्य किया था । किन-किन व्यक्तियों का कितने मूल्य का बीमा किया, इसकी सूचना प्राप्त करने के लिये जिलाधीश बीमा निगम से पत्र-व्यवहार कर रहे हैं ।

*२--श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल--

क्या यह भी सच है कि जिन व्यक्तियों के उन्होंने बीमे किये हैं उनके मुकदमें उनके पति के न्यायालय में चल रहे थे ? यदि हां, तो कौन-कौन थे ?

श्री रामकुमार शास्त्री--

(२) जब तक सम्बन्धित व्यक्तियों के नाम इत्यादि की सूचना बीमा निगम नहीं देता तब तक इस प्रश्न का उत्तर देना सम्भव नहीं है ।

*३--श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल--

क्या उपरोक्त पृष्ठ-भूमि को दृष्टिगत रखते हुये सरकार पद के प्रभाव का दुरुपयोग करन की जांच के लिये इस प्रश्न को सतर्कता आयोग को देने के प्रश्न पर विचार करेगी ?

श्री रामकुमार शास्त्री--

मामले की परिस्थिति को देखते हुये शासन यह मामला सतर्कता आयोग को जांच के लिये भेज रहा है ।

प्रधान, गांव सभा ऐती के विरुद्ध कार्यवाही

*११--श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़) (अनुपस्थित)--

क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि गांव सभा, ऐती, परगना व जिला कानपुर के प्रधान ने स्वयं तथा अपने भाई व चाचा के द्वारा गांव सभा, ऐती की आराजी संख्या ८६ व २७५ के लगभग १० बीघे क्षेत्रफल पर दोषपूर्ण अध्यासन कर के यू० पी० पंचायतराज ऐक्ट की धारा २८-सी का उल्लंघन किया तथा सरकारी लगान की आय को क्षति पहुंचाई है ? यदि हां, तो क्या सरकार ऐसे अवैधानिक कार्य करने वाले प्रधान को पदच्युत करने की कृपा करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--

१० बीघा ८ बिस्वां भूमि पर प्रधान तथा उसके सम्बन्धियों का कब्जा चकबन्दी की पड़ताल के समय अंकित किया गया था । यह इन्द्राज चकबन्दी अधिकारी द्वारा खारिज कर दिये गये हैं और प्रधान के विरुद्ध कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई हैं ।

*१२--श्री चन्द्रजीतयादव (अनुपस्थित)--

क्या सरकार की जानकारी में यह बात है कि प्रधान, गांव सभा, ऐती स्वयं तथा अपने भाई व चाचा, को उक्त गांव सभा की भूमि का भ्रष्टाचार के बल पर सीरदार बनाने का प्रयत्न कर रहा है, तो सरकार यह देखते हुये कि गांव सभा, ऐती के अन्तर्गत गांव सभा की भूमि दस प्रतिशत से कम है तो इस गांव सभा की सम्पत्ति की रक्षा का प्रयत्न करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--

गांव सभा सम्पत्ति की रक्षा नियमानुसार की जाती है ।

प्रधान, गांव सभा, सेमरुआ के विरुद्ध आरोप

*१३—श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)—

क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि गांव सभा, सेमरुआ, परगना व जिला कानपुर के प्रधान ने स्वयं तथा अपने पिता के द्वारा गांव सभा, सेमरुआ की आराजी संख्या २८३, २८६, २८७, ८०७ पर दोषपूर्ण अध्यासन करके यू० पी० पंचायत राज ऐक्ट की धारा २८-सी का उल्लंघन किया तथा सरकारी लगान की आय को क्षति पहुंचाई है ? यदि हां, तो क्या सरकार ऐसे अवैधानिक ढंग के कार्य करने वाले प्रधान को पदच्युत करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामकुमार शास्त्री—

जी नहीं । प्रश्न का शेष भाग नहीं उठता ।

*१४—श्री कमलासिंह यादव—

क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि उक्त गांव सभा, सेमरुआ की आराजी संख्या ३०७, ३०८, ३०९, ३३८ पर दोषपूर्ण अध्यासन करने वाले व्यक्ति न्यायालय के द्वारा बेदखल हो चुके हैं, फिर भी प्रधान भ्रष्टाचार के बल पर उन्हीं व्यक्तियों का उक्त गांव सभा की भूमि पर अब भी दोषपूर्ण अध्यासन करा कर सरकारी लगान की आय को क्षति पहुंचा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार ऐसे भ्रष्ट प्रधान को पदच्युत करने की कृपा करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामकुमार शास्त्री—

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

श्री कमलासिंह यादव—

क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि यह जांच किस अधिकारी से कराई और उसने जो रिपोर्ट दी है वह क्या है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

वह जांच लोकल आफिसर के जरिये से कराई थी । उसका नाम इस समय मालूम नहीं है ।

श्री कमलासिंह यादव—

क्या माननीय मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इस मामले में जांच किस अधिकारी के द्वारा कराई गई और उसकी रिपोर्ट क्या है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

यह तो मैंने कहा कि उस रिपोर्ट के मुताबिक जवाब है लेकिन किसने जांच की, उसका नाम मालूम नहीं है ।

श्री कमलासिंह यादव—

क्या माननीय मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जो सूचना वह इस वक्त दे रहे हैं वह कौन सी सूचना है ? क्या उसके बारे में ही यह प्रश्न का उत्तर दिया जा रहा है ।

श्री हुकुमसिंह विसेन—

जो सूचना मांगी गई थी उसका ही जवाब दिया जा रहा है ।

* * * *

तराई भावर में जमींदारी उन्मूलन

*१७—श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़) (अनुपस्थित)—

क्या सरकार को ज्ञात है कि तराई भावर गवर्नमेंट इस्टेट, हल्द्वानी, जिला नैनीताल के लिये जमींदारी उन्मूलन कानून बने हुये दो वर्ष से अधिक हो चुके, किन्तु अभी तक वहां पर जमींदारी उन्मूलन नहीं हुआ ? देरी का क्या कारण है और उन्मूलन कार्य की वर्तमान परिस्थिति क्या है ? क्या सरकार कोई ऐसी निश्चित तारीख बताने की कृपा करेगी कि जिस तारीख तक इस्टेट में जमींदारी उन्मूलन कार्य पूर्ण रूप से समाप्त हो जायेगा ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

तराई भाबर गवर्नमेंट इस्टेट में ५३ ग्रामों में मुस्ताजिर थे और ८५ ग्रामों में हिस्सेदार थे। ५३ मुस्ताजिरी ग्रामों में मुस्ताजिरों के अधिकार १-७-१९६५ से समाप्त किये जा चुके हैं।

८५ Settled villages में भी हिस्सेदारों के अधिकार शीघ्र ही समाप्त करने का विचार है।

अन्य ग्रामों में जमींदार हिस्सेदार नहीं हैं, अतः जमींदारी उन्मूलन का प्रश्न ही नहीं उठता।

*१८—श्री नेकराम शर्मा (अनुपस्थित)—

क्या सरकार को ज्ञात है कि इस इस्टेट में जमीन के लगान तथा सिंचाई के कर की धनराशि जो केवल प्रशासनिक सुविधा हेतु एक साथ वसूल की जाती है उसमें प्रत्येक रुपये में ९ आने लगान तथा ७ आने सिंचाई होती है, किन्तु यू० पी० लैण्ड रेंट सरचार्ज सम्पूर्ण धनराशि पर वसूल किया जा रहा है जबकि नियमानुसार यह सरचार्ज केवल लगान की ही धनराशि पर लगाना चाहिये ? क्या सरकार ऐसे आदेश देने की कृपा करेगी कि उपरोक्त सरचार्ज का असेसमेंट करते समय केवल लगान को ही हिसाब में लिया जाय तथा सिंचाई की धनराशि पर कोई सरकारी अथवा स्थानीय निकायों का सरचार्ज या कर न लगाया जाय ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

जी नहीं। तराई भाबर में रेंट रेट नियत है और पट्टेदारों से जो भी बसूली भूमि के सम्बन्ध में की जाती है वह लगान के ही रूप में की जाती है।

लगान का कोई भी भाग सिंचाई की मद में नहीं आता। अतः सरचार्ज के प्रयोजन के लिये देय लगान के किसी भाग को अलग करने का प्रश्न नहीं उठता।

*१९—श्री नेकराम शर्मा (अनुपस्थित)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जमींदारी उन्मूलन के उपरान्त किसानों को भूमिधरी अधिकार देने के लिये वह किसानों से उनकी अध्यासित भूमि के वार्षिक लगान का कै गुना रुपया जमा करायेगी ? क्या सरकार ऐसे आदेश देने की कृपा करेगी कि किसानों से जमा कराई जाने वाली रकम को निर्धारित करते समय केवल लगान की रकम पर ही हिसाब लगाया जाय और सिंचाई की रकम पर नहीं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

इस विषय में सरकार ने अभी कोई निर्णय नहीं लिया है।

* * * *

बांसगांव तहसील में कटाव पीड़ितों का पुनर्वासिन

*२३—श्री कल्पनाथसिंह (जिला गोरखपुर)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गोरखपुर जिले की बांसगांव तहसील में सेंमरा बुजुर्ग गांव के हरिजनों को कटाव पीड़ित होने के कारण कहीं बसाने की क्या व्यवस्था हुई है ?

श्री रामकुमार शास्त्री—

इस वर्ष ग्राम सेमरा बुजुर्ग में कटाव नहीं हुआ। अतः किसी सहायता कार्यों का प्रश्न ही नहीं उठता।

*२४—श्री कल्पनाथसिंह—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि ग्राम खड़ेसरी के कटाव पीड़ित परिवार, जो तहसील बासगांव, जिला गोरखपुर के हैं, उनके बसाने की क्या व्यवस्था हुई है ?

श्री रामकुमार शास्त्री—

इस वर्ष ग्राम खड़ेसरी में जो कटाव हुआ था उसके पीड़ितों को ग्राम समाज की भूमि में बसाया गया है। कुछ कटाव पीड़ित परिवार अपनी ही सीरदारी या भूमिधरी भूमि पर बस गये हैं।

श्री कल्पनाथ सिंह—

क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि उसने इस बात की जानकारी कर ली है कि ये हरिजन कटाव पीड़ित हैं या नहीं और इससे पूर्व वर्षों में भी इस बात को देखने की कोशिश सरकार द्वारा की गई या नहीं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

इस सवाल में पहले के बारे में कोई साल नियत नहीं किया गया था। इसी साल की बाबत पूछा गया था तो इसी साल का बतला दिया।

श्री कल्पनाथसिंह—

क्या सरकार इस बात के लिये जांच करायेगी कि यह कटाव पीड़ित जो हरिजन हैं उनको किसी दूसरी जगह बसाने की आवश्यकता है, अगर आवश्यकता है तो उनके बसाने के लिये कोई योजना बनेगी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

अगर आप चिट्ठी लिख देंगे तो हम करा लेंगे।

श्री कल्पनाथसिंह—

मैं यह जानना चाहता हूं कि कुल कितने परिवार कटान हो जाने के बाद बसे हैं और उनमें से कितने ग्राम समाज में बसे और कितने अपनी सीरदारी और भूमिधरी में बसे ?

श्री रामकुमार शास्त्री—

२ परिवार अपनी सीरदारी में बसे हैं। इसके अलावा उनको अहेतुक सहायता भी दी गई है। और कोई सूचना हमारे पास नहीं है।

श्री कल्पनाथसिंह—

मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि सरकार इस बात की जानकारी करने की कृपा करेगी कि कुल कितने परिवार कटाव पीड़ित हैं ? अगर इन दो परिवारों से उनकी संख्या ज्यादा है तो उनको भी सरकार बसाने के लिये कोई व्यवस्था करने जा रही है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---

इसके बारे में भी सूचना दे दीजिए तो हम जरूर मालूम करा लेंगे।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय---

क्या माननीय मंत्री जी इस बात की जांच कराने की कृपा करेंगे कि ये दो परिवार जो अपनी सीरदारी में बसे हैं क्या इन्होंने भी कोई आवेदन-पत्र दिया था अपने बसाने के सम्बन्ध में और अहेतुक सहायता या अपना घर बनाने के लिये कुछ मांगा था ? यदि नहीं, तो सरकार ने दूसरों को बसाने के लिये प्रयत्न क्यों नहीं किया ?

श्री रामकुमार शास्त्री---

जहां तक सहायता का प्रश्न है २००, २२०, ३७०, १५० रुपया उनको निर्माण सहायता के लिये सरकार ने दिया। प्रार्थना-पत्र उन्होंने दिया था या नहीं यह पता नहीं है लेकिन यह सरकार को मालूम था कि वे लोग गृह विहीन हो गये हैं।

दो परिवारों की व्यवस्था कर दी गई है और माननीय सदस्य अगर कुछ ब्योरा देंगे तो उस पर जरूर विचार किया जायगा।

बस्ती जिले में मढ़वानगर बालिका विद्यालय

*२५---श्री सोहनलाल धुसिया (जिला बस्ती) (अनुपस्थित)---

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि ग्राम मढ़वानगर, थाना कोतवाली, जिला बस्ती के (बालिका) प्राइमरी स्कूल की इमारत को हल्के के सी० ओ० कन्सालिडेशन आफिसर ने किसी चक में शामिल कर दिया है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---

जी नहीं।

*२६---श्री सोहनलाल धुसिया (अनुपस्थित)---

उस स्कूल की इमारत जिला परिषद् की थी या किराये की ? और इस इमारत में कितने दिनों से यह स्कूल चला आ रहा है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---

छप्पर में स्थित यह प्राइमरी स्कूल न तो जिला परिषद् का था और न किराये पर ही था। यह स्कूल गांव वालों के सहयोग से तैयार हुआ था और लगभग ८-९ साल से चला आ रहा था।

*२७---श्री सोहनलाल धुसिया (अनुपस्थित)---

क्या यह सही है कि स्कूल की यह इमारत आधी गिरा दी गई है और इस समय उसमें पढ़ाई नहीं हो रही है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---

छप्पर स्वयं गिर गया फलस्वरूप पढ़ाई बन्द है।

सगड़ी तहसील में बन्दोबस्त

*२८---श्री इन्द्रासनसिंह (जिला आजमगढ़)---

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि तहसील सगड़ी, जिला आजमगढ़ में कितने ग्रामों का पंचसाला बन्दोबस्त सन् १३६९ व ७० फसली में प्रारम्भ हुआ और अब तक किन कारणों से पूर्ण नहीं हो पाया है ?

श्री रामकुमार शास्त्री—

१५६ ग्रामों में कार्य प्रारम्भ किया गया था जिसमें से ३९ ग्रामों में कार्य पूरा हो चुका है। ११७ ग्रामों में अभी काम चालू है।

बिलम्ब का कारण यह है कि ११७ ग्रामों के मूलेखों में भी बहुत अशुद्धियां पाई गईं जिनको दूर करने के लिये धारा ४८–४९ लैंड रेवेन्यू ऐक्ट के अन्तर्गत पुनः सर्वेक्षण तथा अभिलेख कार्यवाही आवश्यक समझी गई जिसके लिये विज्ञप्ति १९ नवम्बर, सन् १९६५ को जारी की गई थी।

*२९—श्री इन्द्रासनसिंह—

क्या राजस्व मन्त्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि उक्त ग्रामों के कागजात सम्बन्धित लेखपालों को जिन्स का परताल करने के लिये कब तक दे दिये जायेंगे ?

श्री रामकुमार शास्त्री—

३९ ग्रामों के कागजात तुरन्त ही लेखपालों को दे दिये जावेंगे और अगली फसल में नियमानुसार परताल होगी।

११७ ग्रामों में अभिलेखों को अन्तिम रूप देने के बाद कागजात लेखपालों को दिये जावेंगे।

श्री इन्द्रासनसिंह—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि वह जो ३९ गांवों के कागजात दुरुस्त हो गये हैं इनके नाम क्या हैं ? कोई सूची आप के पास है ?

श्री हुकुमसिंह बिसेन—

लिस्ट नहीं है।

श्री इन्द्रासनसिंह—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि यह कार्यवाही जो शुरू हुई थी पंचसाला बन्दोबस्त की फसली १३६९–७० से शुरू हुई थी, तीन, चार साल तक जो कागजात लेखपालों या रेकार्ड के गलत होने के कारण रुके रहे तो जिन अधिकारियों या कर्मचारियों ने ये रेकार्ड गलत तैयार किये उनके खिलाफ कोई कार्यवाही करने की कृपा करेंगे ?

श्री हुकुमसिंह बिसेन—

यह मालूम होना बहुत मुश्किल है कि किनकी गलती थी।

श्री इन्द्रासनसिंह—

मैं आपकी आज्ञा से निवेदन करना चाहता हूं कि १५६ गांव पंचसाला बन्दोबस्त में आये १३६९ फसली में और अब १३७३ फसली चल रही है। चार साल हो गये और चार साल तक उन गांवों का कोई रेकार्ड नहीं हुआ, न कोई पड़ताल हुई। कागजात जैसे के तैसे पड़े हुये हैं। इसमें जबाब यह मिलता है कि उन लोगों ने गलत रेकार्ड लिखा था इसलिये वह रुक गया। तो इस तरह से चार-चार साल तक पड़ताल न हो, जिन्स न लिखे जायं और वैसे ही कागज पड़े रहें, तो जो लोग इसके लिये जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ कोई कार्यवाही होगी ?

श्री हुकुमसिंह बिसेन—

मैं जवाब दे चुका हूं।

[राजस्व मंत्री की प्रार्थना पर ५वें शुक्रवार (११-३-६६) के स्थगित तारांकित प्रश्न]

* * * *

सगड़ी तहसील में मालगुजारी की वसूली

*१३—श्री उमाशंकर (जिला आजमगढ़) (अनुपस्थित)—

क्या राजस्व मंत्री कृपा करके यह बतायेंगे कि आजमगढ़ जिले की सगड़ी तहसील के तहसीलदार को कोई आदेश सरकार के हैं कि वे (लाउड स्पीकर) ध्वनि विस्तारक यन्त्र से तहसील के किसानों को सूचित कर दें कि अगर दो दिन के अन्दर वे मालगुजारी व तकावी अदा नहीं करेंगे तो उनके मवेशियों तथा दूसरे सामान कुर्क करके नीलाम किये जायेंगे ? यदि नहीं, तो जो लाउड स्पीकर से वे जीप पर बैठ कर प्रचार करा रहे हैं उसका व्यय कौन बरदाश्त कर रहा है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

जी नहीं। तहसीलदार ने ऐसा एलान नहीं किया है कि जो लोग दो दिन के अन्दर अदायगी नहीं करेंगे उनके मवेशी तथा दूसरे सामान कुर्क करके नीलाम किये जायंगे। जीप गाड़ी के इस्तेमाल और व्यय की स्वीकृत जिलाधिकारी ने दी है। लाउड स्पीकर तहसील ने स्वयं रक्खा था। तहसीलदार ने अपने दौरे के समय यह प्रचार किया है कि काश्तकार बकाया सरकारी देयों की अदायगी जल्दी कर दे।

*१४—श्री उमाशंकर (अनुपस्थित)—

क्या राजस्व मन्त्री यह बता सकते हैं कि तहसीलदार सगड़ी ने जनवरी, १९६५ से सितम्बर, १९६५ तक सरकार से अपने दौरे के लिये कितना पेट्रोल तथा टी० ए०, डी० ए० लिया है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

तहसीलदार ने कोई पेट्रोल नहीं लिया। जीप के पेट्रोल इत्यादि पर खर्चा जिलाधिकारी ने किया है। जनवरी से सितम्बर, १९६५ तक तहसीलदार के टी० ए०, डी० ए० का खर्चा रु० ११४६ ४० पैसा है।

*१५—श्री उमाशंकर (अनुपस्थित)—

क्या राजस्व मन्त्री एक सूची सदन की मेज पर रखेंगे कि जिनको तकावी तथा मालगुजारी वसूली के सिलसिले में तहसीलदार, सगड़ी ने जनवरी, सन् १९६५ से १६ जनवरी, १९६६ तक गिरफ्तार किया या उसकी चल-अचल सम्पत्ति कुर्क किया था ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

सूचना सदन की मेज पर रख दी गई है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ११०-११२ पर)

* * * *

नैनीताल जिले में लेखपालों को मासिक वृद्धि

*३५—श्री इन्द्रासनसिंह—

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जी० ओ० नं० १-३७२/१०२-६४, दिनांक ३० मार्च, १९६४ तथा जी० ओ० नं० जी० आई०, ३०७/११५-६५, दिनांक २४ फरवरी, १९६५ के अनुसार लेखपालों को क्रमशः वित्तीय वर्ष, १९६४-६५ से पांच-पांच रुपये मासिक वृद्धि दी जा रही है परन्तु नैनीताल जिला अन्तर्गत तहसील किछा, सितारगंज और खटीमा के लेखपालों को नहीं दी जा रही है, उनको देने की व्यवस्था कब तक हो जायगी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--

व्यवस्था अब कर दी गई है।

खागा तहसील में अवर्षण

*३६--श्री रक्षपालसिंह (जिला फतेहपुर) (अनुपस्थित)--

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि जिला फतेहपुर की खागा तहसील में न्याय पंचायत कटोधन, बुदवन, सेमौरी, फतेहपुर टकारी और कस्बा सोहन, न्याय पंचायत क्षेत्रों में पानी न बरसने के कारण अधिकतर भाग में धान की फसल नहीं बोई जा सकी तथा रबी की फसल भी बरबाद हो गई है ? यदि हां, तो सरकार ने सम्बन्धित क्षेत्रों में छूट देने, तकावी बांटने तथा सस्ता गल्ला उपलब्ध कराने की क्या कार्यवाही की?

श्री हुकुमसिंह विसेन--

यह सही है कि जिला फतेहपुर की खागा तहसील में न्याय पंचायत कटोधन, बुदवन तथा सेमौरी के क्षेत्रों के अधिकतर भाग में इस वर्ष वर्षा की कमी के कारण धान की फसल पूरी तरह नहीं बोई जा सकी। जहां तक रबी की फसल का सम्बन्ध है शीतकाल में वर्षा न होने तथा इधर सूखी हवा चलने के कारण खड़ी फसल को क्षति पहुंचने की संभावना अवश्य है।

उपरोक्त प्रभावित क्षेत्रों में मालगुजारी में छूट या स्थगन देने का प्रस्ताव विचाराधीन है। बुदवन तथा कटोधन में एक-एक सस्ते गल्ले की दुकानें खोली गई थीं। उपरोक्त न्याय पंचायत क्षेत्रों में इस वर्ष १,९५० रु० की तकावी भी दी गई है।

* * * *

विधायक निवास में आवास सम्बन्धी अनियमिततायें

*४५--श्री रघुबीरराम, (जिला गाजीपुर) श्री सुरजनराम विशारद (जिला आजमगढ) तथा श्री ऊदल (जिला वाराणसी)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि विधायक निवास, ए० ब्लाक में कमरा नं० १२९ व १३० व बी० ब्लाक में नं० ४१ व ४२ तथा रायल होटल में नं० ६८, ६९ व ७० तथा पुराना विधायक निवास में नं० ३० व ३१ सन १९५६ से लेकर आज तक किन-किन लोगों के नाम रहा है और उसमें कौन-कौन लोग रह रहे हैं क्या उसमें विधायक शुरू से रह रहे हैं या सरकारी कर्मचारी रह रहे हैं ?

श्री रामकुमार शास्त्री--

वांछित सूचना संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ११३ पर)

श्री रघुबीरराम--

क्या मंत्री जी जो सूचना संलग्न है उसको पढ़ने की कृपा करेंगे ?

श्री अध्यक्ष--

जी नहीं, आप पढ़ चुके हैं, आप को पूछना हो तो पूछिये।

श्री ऊदल--

क्या मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि विभिन्न ब्लाकों में विधायकों को तो एक-एक कमरा दिया गया है लेकिन इन अधिकारियों को दो-दो और तीन-तीन कमरे दिये गये हैं मय बिजली और पानी की सुविधा के, तो इसका क्या कारण है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

उनका वहां रहना जरूरी है, हर समय आप लोगों की आवाइश के लिये उनको फिक रखनी पड़ती है। इसी वजह से उनको जगह दी गयी है।

श्री ऊदल—

क्या मंत्री जी इस प्रश्न पर विचार करेंगे कि विधायकों के कमरे छोटे हैं और सरकारी कर्मचारियों को नियमतः विधायक निवास में रहने का अधिकार नहीं है लेकिन फिर भी उनको तीन-तीन कमरे की फैसिलिटी क्यों दी गयी है ?

श्री रामकुमार शास्त्री—

यह जो केयर-टेकर रहते हैं वह सदस्यों की सुविधा के लिये रहते हैं और उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये वे अपने परिवार सहित वहां रहते हैं—इसलिये उनके लिये आवश्यक आवास का प्रबन्ध वहां किया गया है, लेकिन वह बहुत ज्यादा नहीं है।

श्री ब्रह्मदत्त मायर (जिला सहारनपुर)—

केयर-टेकर हम लोगों की सुविधा के लिये रखे गये हैं। क्या कभी केयर टेकर ने सरकार से यह शिकायत की है कि बहुत से कमरों में सरकारी अधिकारी परमानेंट तौर पर रह रहे हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

आप लोगों के खिलाफ बात बतलाने की उसकी हिम्मत नहीं पड़ती।

श्री गंगाप्रसाद वर्मा (जिला एटा)—

पहले भी यह सवाल आया था और अब भी चल रहा है। विधायक अपने निकट संबंधियों को रख सकते हैं, लेकिन इन कमरों में बहुत से ऐसे लोग रह रहे हैं कि जो उनके निकट संबंधी नहीं हैं और इनमें लडकियां भी रह रही हैं, तो इसकी क्या व्यवस्था हुई है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

इसका जवाब मुझसे न पूछिये। आप लोग खुद ही तय कर लीजिये।

श्री लखपतराम शर्मा (जिल झांसी)—

क्या मंत्री जी के समक्ष इस प्रकार की शिकायतें आयी हैं कि विधायकों के नाम पर जो कमरे दिये गये हैं उनमें बहुत से किराये पर हैं और मोटर गैराज जो ५० रुपये साल पर लोगों ने ले रखा है वह ३० रुपये मासिक पर किराये पर उठाया हुआ है ? यदि हां, तो ऐसे लोगों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

अगर आप लोग मेरी मदद करें तो मैं सब कुछ कर सकता हूं। अगर मदद न करेंगे तो कुछ नहीं कर सकता।

श्री लखपतराम शर्मा—

बड़ा कमजोर जवाब है।

श्री अध्यक्ष—

अगर हम कोई गलती कर रहे हैं तो आपस में बैठ कर तय कर लें यह उन्होंने कहा है।

श्री हुकुमसिंह विसेन—

उनका वहां रहना जरूरी है, हर समय आप लोगों की आसाइश के लिये उनको फिक रखनी पड़ती है। इसी वजह से उनको जगह दी गयी है।

श्री ऊदल—

क्या मंत्री जी इस प्रश्न पर विचार करेंगे कि विधायकों के कमरे छोटे हैं और सरकारी कर्मचारियों को नियमतः विधायक निवास में रहने का अधिकार नहीं है लेकिन फिर भी उनको तीन-तीन कमरे की फैसिलिटी क्यों दी गयी है ?

श्री रामकुमार शास्त्री—

यह जो केयर-टेकर रहते हैं वह सदस्यों की सुविधा के लिये रहते हैं और उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये वे अपने परिवार सहित वहां रहते हैं इसलिये उनके लिये आवश्यक आवास का प्रबन्ध वहां किया गया है, लेकिन वह बहुत ज्यादा नहीं है।

श्री ब्रह्मदत्त मायर (जिला सहारनपुर)—

केयर-टेकर हम लोगों की सुविधा के लिये रखे गये हैं। क्या कभी केयर टेकर ने सरकार से यह शिकायत की है कि बहुत से कमरों में सरकारी अधिकारी परमानेन्ट तौर पर रह रहे हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

आप लोगों के खिलाफ बात बतलाने की उसकी हिम्मत नहीं पड़ती।

श्री गंगाप्रसाद वर्मा (जिला एटा)—

पहले भी यह सवाल आया था और अब भी चल रहा है। विधायक अपने निकट संबंधियों को रख सकते हैं, लेकिन इन कमरों में बहुत से ऐसे लोग रह रहे हैं कि जो उनके निकट संबंधी नहीं हैं और इनमें लड़कियां भी रह रही हैं, तो इसकी क्या व्यवस्था हुई है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

इसका जवाब मुझसे न पूछिये। आप लोग खुद ही तय कर लीजिये।

श्री लखपतराम शर्मा (जिल झांसी)—

क्या मंत्री जी के समक्ष इस प्रकार की शिकायतें आयी हैं कि विधायकों के नाम पर जो कमरे दिये गये हैं उनमें बहुत से किराये पर हैं और मोटर गैराज जो ५० रुपये साल पर लोगों ने ले रखा है वह ३० रुपये मासिक पर किराये पर उठाया हुआ है ? यदि हां, तो ऐसे लोगों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

अगर आप लोग मेरी मदद करें तो मैं सब कुछ कर सकता हूं। अगर मदद न करेंगे तो कुछ नहीं कर सकता।

श्री लखपतराम शर्मा—

बड़ा कमजोर जवाब है।

श्री अध्यक्ष—

अगर हम कोई गलती कर रहे हैं तो आपस में बैठ कर तय कर लें, यह उन्होंने कहा है।

नेवादा ग्राम की चकबन्दी में हरिजनों को बसाने की व्यवस्था

*५०—श्री सुरजनराम विशारद तथा श्री ऊदल (अनुपस्थित)—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम नेवादा ए० सी० ओ०, सर्किल, फतेहपुर (रानीपुर), सी० ओ० मऊ, तहसील मुहम्मदाबाद, गोहना, जिला आजमगढ़ के क्रमशः अ० नं० १५३, ५०, १४८, १४९ जिसमें सकलदीप, छांगुर, सरूप, विदेशी इत्यादि हरिजनों का मकान, पेड़ कुआं, सहन इत्यादि पड़ता है, से ए० सी० ओ० ने उसी गांव के भूतपूर्व जमींदार, मुसाफिर सिंह, भोला सिंह इत्यादि के नाम पर चेक आउट कर दिया है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी उक्त आराजी को हरिजनों को बसाने के लिये आबादी दर्ज कराने की कृपा करेंगे ?

श्री रामकुमार शास्त्री—

(१) ग्राम नेवादा की उक्त आराजी से ग्राम के भूतपूर्व जमींदार मुसाफिर सिंह, भोलासिंह के नाम चक नहीं बना है।

(२) इस ग्राम में चकों के स्वत्वों का परिवर्तन हो चुका है अतः उक्त आराजी हरिजनों के बसने के लिये आबादी दर्ज करना संभव नहीं है।

श्री ऊदल—

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि चकबन्दी के नियमों में गरीब हरिजनों को बसाने के लिये जमीन छोड़ने की व्यवस्था है ? यदि वह है तो क्या इन हरिजनों को आबादी की व्यवस्था चकबन्दी होते वक्त की गयी थी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

यह कह देना कि उसी जगह दी गयी है या दूर दी गयी है जमीन, इसकी सूचना नहीं है, लेकिन व्यवस्था की गयी है।

श्री ऊदल—

मेरी जानकारी में है कि व्यवस्था नहीं की गयी, तो क्या इसकी जांच की जायगी और आबादी के लिये सरकार व्यवस्था करने की कृपा करेगी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

हमारी इत्तला है कि की गयी है।

श्री भीखालाल (जिला उन्नाव)—

उत्तर स्पष्ट नहीं है, सवाल में पूछा गया कि क्या यह फिर किसी जमींदार को दे दी गयी है, तो जवाब दिया गया कि जमींदारी के चक में नहीं दी गयी है, लकिन वहां चक अलाट हो चुका है, तो अगर जमींदार को नहीं दी गयी तो क्या किसी चक में अलाट कर दी गयी है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

जैसा आप कहते हैं वह न्यायिक है, हम कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकते।

श्री कमलासिंह यादव—

क्या मंत्री जी को जानकारी है कि चकबन्दी विभाग आबादी के संबंध में कोई छेड़खानी नहीं कर सकता और न आबादी का अलाटमेंट किसी चक में किया गया है ? अगर कानून के खिलाफ कोई अलाटमेंट हुआ है तो उसको कैंसिल करा कर हरिजनों की जो आबादी है उसको सुरक्षित रखने की कृपा करेंगे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---

उसके लिये जो नियम बने हुये हैं उसी के अनुसार काम होगा।

* * * *

ग्राम समाज की भूमि का पट्टा

*५६---श्री माताप्रसाद (जिला जौनपुर) (अनुपस्थित)---

राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि जनवरी, सन् १९६६ ई० के प्रारम्भ में जिलों में ऐसे आदेश भेजे गये हैं कि ग्राम समाज की भूमि का पट्टा किसी व्यक्ति को न दिया जाय ? यदि हां, तो वह क्या है ?

श्री हुकुम सिंह विसेन---

जी नहीं।

* * * *

मुरादाबाद जिले में सूखा पीड़ितों को सहायता

*७२---श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)---

क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला मुरादाबाद में खरीफ १३७३ फसली में हर तहसील में सूखा पड़ जाने के कारण कितनी-कितनी छूट काश्तकारों को दी गई ?

श्री रामकुमार शास्त्री---

जिला मुरादाबाद की केवल सदर, हसनपुर एवं ठाकुरद्वारा तहसीलों में खरीफ १३७३ फसली को सूखे से जहां ५० पैसे या अधिक क्षति पहुंची है उसके लिये सहायता का प्रस्ताव विचाराधीन है।

श्री रियासत हुसैन---

जिन क्षेत्रों में ५० फीसदी छूट दी गयी है, कलेक्टर ने वहां पर उस छूट को काट कर बाकी लगान वसूल करना शुरू कर दिया है, तो सरकार उस छूट के आदेश तुरन्त जारी करने की कृपा करेगी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---

कलेक्टर उसके लिये बोर्ड को लिखता है, बोर्ड फिर हमको लिखता है। इसमें कुछ समय लग जाता है। सीधे हम आदेश नहीं कर सकते।

* * *

अकबरपुर गांव में चकबन्दी न होना

*७५---श्री देवदत्त मिश्र (जिला उन्नाव) (अनुपस्थित)---

क्या सरकार को यह ज्ञात है कि उन्नाव जिलान्तर्गत बीघापुर ब्लाक के गांव अकबरपुर को चकबन्दी से मुक्त कर दिया गया है, जिससे गांव में बड़ा असन्तोष है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---

इस ग्राम को शुरू से ही चकबन्दी में नहीं लिया गया था। गांव में कोई असंतोष नहीं है।

*७६---श्री देवदत्त मिश्र (अनुपस्थित)---

क्या राजस्व मंत्री इस बात की जांच कराने का आदेश देने की कृपा करेंगे कि जब अकबरपुर के चारों ओर के गांव चकबन्दी के अन्तर्गत लिये गये हैं तो किस अधिकारी ने कब और क्यों अकबरपुर को चकबन्दी से बाहर कर दिया ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---

गांव को चकबन्दी के बाहर विस्तृत जांच के बाद ही किया गया था। इस गांव की भूमि चकबन्दी के लिये अनुपयुक्त है। अन्य किसी जांच की आवश्यकता नहीं है।

* * *

जिला टेहरी-गढ़वाल का मुख्यालय

*८४---श्रीमती विनयलक्ष्मी सुमन (जिला टेहरी-गढ़वाल) (अनुपस्थित)---

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला टेहरी-गढ़वाल में मुख्यालय को नरेन्द्रनगर से टेहरी-हस्तान्तरित करने के संबंध में प्रदेशीय सरकार ने क्या निर्णय लिया है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---

निकट भविष्य में जिला मुख्यालय को नरेन्द्रनगर से टेहरी ले जाना संभव नहीं है।

*८५---श्रीमती विनयलक्ष्मी सुमन (अनुपस्थित)---

क्या मुख्य मंत्री कृपया यह भी बतायेंगे कि उक्त मुख्यालय को नरेन्द्रनगर से टेहरी हस्तान्तरित हो जाने पर मुख्यालय के वर्तमान भवनों का किस प्रकार उपयोग करने का निश्चय शासन ने किया है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---

प्रश्न नहीं उठता।

*८६---श्रीमती विनयलक्ष्मी सुमन (अनुपस्थित)---

क्या मुख्य मंत्री कृपया उक्त भवनों का उपयोग प्रस्तावित कुमायूं विश्वविद्यालय के लिये करने के प्रस्ताव पर विचार करेंगे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---

प्रश्न नहीं उठता।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३०(४) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न]।

दादराघाट पुल का ठेका

*१---श्री सुरजपालसिंह यादव (जिला बदायूं) (अनुपस्थित)---

क्या बदायूं जिले की तहसील बदायूं--बबराला मार्ग की महावा नदी पर बने दादराघाट पुल नीलाम के लिये जो टेन्डर १६ अगस्त, १९६५ को भरे गये उनके संबंध में क्या माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे :

(क) गत वर्ष घाट कितने रुपये का नीलाम किया गया था ?

(ख) इस वर्ष कितने का दिया गया ?

(ग) जब कि पिछले वर्षों में घाट बोली पर नीलाम किया जाता था तो इस वर्ष टेन्डर लिये जाने का कारण क्या था ?

(घ) टेन्डर किस की उपस्थिति में खोले गये ?

(ङ) ठेका किसको दिया गया ?

(च) सब से अधिक तथा सब से कम कीमत के टेन्डर किस व्यक्ति के थे ?

(छ) क्या सरकार इस बात को ध्यान में रखकर कि सरकार को आय कम हुई है जब कि लोग अधिक पैसा देने के लिये तैयार हैं वह पुनः खुली बोली द्वारा नीलाम कराने की कृपा करेगी ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री जगनप्रसाद रावत)---

(क) पिछली बार इस घाट का ठेका १-१०-१९६२ से ३०-९-१९६५ तक की तीन वर्षों की अवधि के लिये कुल ५५,२०० रु० पर दिया गया था।

(ख) इस बार १-१०-१९६५ से ३०-९-१९६८ तक की तीन वर्षों की अवधि के लिये यह ठेका कुल ४५,००० रु० पर दिया गया है।

(ग) साधारणतया घाटों के ठेके, विभाग टेन्डर मांगकर ही देता है। पिछली बार भी इस घाट का ठेका टेन्डर मांग कर दे दिया गया था।

(घ) २५ सितम्बर, १९६५ को टेन्डर खोले जाने के समय निम्नलिखित टेन्डर उपस्थित थे :

१---श्री कुंवर बहादुर सक्सेना,

२---श्री नरेश बहादुर सक्सेना,

३---श्री हरि बाब,

४---श्री ज्ञान चन्द,

५---श्री संकटा सिंह,

६---श्री गनेशीलाल,

(ङ) ठेका उच्चतम टेन्डरर श्री गनेशीलाल को दिया गया।

(च) सब से अधिक धनराशि का वैध टेन्डर श्री गनेशी लाल का ४५,००० रु० का था और न्यूनतम वैध टेन्डर श्री नरेश बहादुर का ४४,००० रु० का था।

(छ) जी नहीं। घाट का ठेका उच्चतम टेन्डरर को दिया जा चुका है और उसमें परिवर्तन करने का अब प्रश्न नहीं उठता।

जिला जौनपुर में बादशाहपुर बाई पास

*२---श्री केशरीप्रसाद पांडेय---

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला जौनपुर के अन्तर्गत बादशाहपुर बाई-पास निकालने के सिलसिले में सितम्बर, १९६५ में कोई नक्शा तैयार किया गया था और तदनुसार जमीन की नाप की गई थी ? यदि हां, तो उस नाप और नक्शे के विपरीत इस समय पत्थर क्यों गाड़ा जा रहा है और किसानों की हरी फसल उखाड़ी जा रही है ?

श्री जगनप्रसाद रावत---

जिला जौनपुर में बादशाहपुर बाईपास निकालने के लिये नक्शा मई, १९६५ में तैयार किया गया था। सितम्बर-अक्तूबर, १९६५ में अमीन द्वारा जमीन की नाप की गई थी। बाई पास के संरेखण में संशोधन का प्रश्न विभाग के विचाराधीन है। प्रस्तावित संशोधित संरेखण को देखने के लिये पत्थर गाड़े गये हैं। फसल को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है।

*३—श्री केशरीप्रसाद पांडेय—

क्या मंत्री जी कृपया यह बतायेंगे कि किन-किन किसानों की कितनी-कितनी जमीन बाई-पास में पड़ रही है और उक्त जमीन-प्राप्ति हेतु क्या उन किसानों को कोई नोटिस दी गई है ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

भूमि अध्याप्ति के कागज अभी तैयार नहीं हुये हैं। इसलिये यह बताना सम्भव नहीं है कि किस-किस किसान की कितनी जमीन बाईपास में पड़ेगी, किसानों को कोई नोटिस नहीं दी गई है।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय—

जो नक्शा सन् ६५ में तैयार किया गया था और उसके अनुसार जो भूमि ली गयी थी इस काम के लिये वह टैक्नीकली बहुत साउन्ड थी, तो क्या कारण है कि अब उसमें परिवर्तन किया जा रहा है ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

विभाग ने ही पहले इसको तैयार किया था और उस जगह को छांटा था, अब उसी ने उसमें कुछ परिवर्तन किया है, अभी उसमें कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय—

क्या सरकार इस की फिर से जांच कराने की कृपा करेगी कि जो भूमि पहले सेलेक्ट की गयी थी वह ज्यादा अच्छी है इस काम के लिये या अब जो भूमि ली जा रही है वही ठीक है, क्योंकि श्रीमन्, जो जमीन अब ली जा रही है वह काफी नीची है और उसमें अगर पुल बनता है तो उसमें ज्यादा खर्चा करना पड़ेगा और उसमें ज्यादा परेशानी होगी ? क्या पहले वाली जमीन टैक्निकली ज्यादा साउन्ड थी ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

टैक्निकली जो जमीन ज्यादा साउन्ड होगी उसी पर बनवाया जायगा।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली १९५८ के नियम ३९ (२) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न]

फैजाबाद व आजमगढ़ जिले में नवीन मार्ग

*१—श्री उमाशंकर (जिला आजमगढ़) (अनुपस्थित)—

क्या सरकार फैजाबाद जिले के यातायात के संकटों को देखते हुये बसखारी बाया जहांगीरगंज से राजे-सुल्तानपुर होते हुये आजमगढ़ जिले को मिलाने वाले मार्ग को सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा निर्मित कराने की किसी योजना पर विचार करने की कृपा करेगी ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

इस समय ऐसी किसी योजना पर विचार करना संभव नहीं है।

*२—श्री उमाशंकर (अनुपस्थित)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि पटेल आयोग के अन्तर्गत आजमगढ़ के महराजगंज स्थान से फैजाबाद की सरहद तक कोई सड़क बनने वाली है ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

जी नहीं।

*३—श्री उमाशंकर (अनुपस्थित)—

क्या सरकार यातायात के साधनों से विहीन फैजाबाद के जहांगीरगंज ब्लाक को अन्य भागों से जोड़ने हेतु आजमगढ़ स्थित बूढ़नपुर स्थान से कम्हरिया घाट जाने वाली सड़क को निर्मित कराने की कृपा करेगी ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

प्रश्नगत सड़क का निर्माण इस समय धनाभाव के कारण सम्भव नहीं है ।

*४-५—श्री भीखालाल—

[विस्तृत होने के कारण पुनर्विचार पर हटा दिये गये]

गाजीपुर जिले में सड़कों का निर्माण

*६—श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि गाजीपुर में तृतीय योजना में स्वीकृत २१ मील तथा पटेल आयोग द्वारा संस्तुति ९२ मील स्वीकृत सड़कों में केवल ८ मील सड़क का निर्माण हुआ है ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

तृतीय योजना के अन्तर्गत इस जिले में २२ मील २ फ० नई सड़क का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया था उसमें से ५ मील की सड़क पूर्णरूप से तैयार हो चुकी है तथा ५ मील २ फ० में मिट्टी का कार्य, ४ मील ४ फ० में पुलियों का कार्य, १ मील ४ फ० soling collection, ४ फ० में सोलिंग की कुटाई तथा १ मील इन्टर कोट collection हुआ है । आवश्यक भूमि पूर्णतया न प्राप्त होने के कारण शेष सड़क का निर्माण सम्भव न हो सका ।

पटेल आयोग योजना में इस जिले के लिये ९१ मील नई सड़कों के निर्माण का प्राविधान है इसमें से लगभग २५ मील सड़कों के निर्माण की वित्तीय स्वीकृति अभी तक प्रदान की गई है । भूमि प्राप्ति में कठिनाई के कारण सड़क निर्माण की प्रगति शिथिल रही ।

श्री कृष्णानन्द राय—

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि पटेल जांच समिति ने गाजीपुर आदि जिलों की गरीबी को देखते हुए ९२ मील लम्बी सड़क बनाने की सिफारिश की थी और इसके लिये केंद्रीय सरकार ने धन भी दिया था ? कितना रुपया सड़कों के निर्माण के लिये मिला था जो कि उपयोग नहीं किया गया ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

यह ९१ मील जो सड़क है यह तो योजना के अन्तर्गत है । उसमें एक बारह साल की योजना है । उसमें जितना-जितना रुपया देते हैं उतना ही करीब-करीब हम खर्च करते चले जाते हैं । अब तक जितना रुपया पटेल आयोग में खर्च हुआ है उसमें जितना रुपया दिया वह करीब-करीब हम खर्च करते चले गये हर साल ।

श्री कृष्णानन्द राय—

श्रीमन्, ९१ मील सड़क में एक मील सड़क नहीं बनाई गई है । मैं जानना चाहता हूं कि इन्होंने कितना रुपया प्राप्त किया है जिसका कि आप उपयोग नहीं कर पाये हैं ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

जब हमको स्वीकृति मिलती है तब उसके बाद ही काम शुरू होता है । माननीय सदस्य यदि तफसील में चाहेंगे तो उनको बतला दिया जायेगा ।

श्री कृष्णानन्द राय--

९१ मील सड़क पर कह रहे हैं....

श्री अध्यक्ष--

आपका प्रश्न यह है कि कितना रुपया मिला और उस रुपये में कितना इस्तेमाल हुआ ?

श्री कृष्णानन्द राय--

केंद्रीय सरकार ने पटेल आयोग की सिफारिश को लागू करने के लिये २ करोड़ रुपया दिया परन्तु राज्य सरकार ने विश्वासघात किया है। सरकार ने कितना रुपया प्राप्त किया है जो खर्च नहीं किया ?

श्री जगनप्रसाद रावत--

मैं यह निवेदन कर दूं कि कुछ माननीय सदस्यों को इस संबंध में भ्रांति है। ऐसी बात नहीं है कि हमको रुपया दिया गया है और हमने खर्च नहीं किया है। उन्होंने करीब १३ करोड़ के स्वीकृति दी है। यह बारह साल का उनका प्लान है। जैसे ही वे रुपया देते चले जाते हैं वैसे ही हम खर्च करते चले जाते हैं।

श्री कृष्णानन्द राय--

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि केंद्रीय सरकार ने जो रुपया इनको दिया पटेल आयोग के कार्यों को करने के लिये उस रुपये का इन्होंने दुरुपयोग किया है, एक डिवीजन को खोल करके एक्सीलरेटेड प्रोगाम चलाने के सिलसिले में। जिसमें एक एक्जीक्यूटिव इंजीनियर, पांच असिस्टेंट इंजीनियर, उनके क्वार्टर बनाये, उनके बंगले बनाये और गाजीपुर जिले में बैठाकर उनको तनख्वाह दे रही है। क्योंकि उनको सड़क नहीं बनानी है तो क्या उन इंजीनियर्स को वापस बुला लेंगे ?

श्री जगनप्रसाद रावत--

माननीय सदस्य को ये सारी सूचनायें भ्रांतिवश हैं। इसमें सही कोई बात नहीं है।

श्री कृष्णानन्द राय--

श्रीमन्, क्या डिवीजन नहीं बनाया है ? यह पूछ लीजिये।

(उत्तर के लिये मंत्री को नहीं पुकारा गया।)

श्री कमलासिंह यादव--

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि पटेल आयोग से ४ जिलों के लिये मिले हुये रुपये में से गाजीपुर का सारा रुपया आजमगढ़ में खर्च किया गया ?

श्री जगनप्रसाद रावत--

यह प्रश्न पहले आया था और मैं उत्तर दे चुका हूं।

श्री बैजनाथसिंह वैद्य (जिला सुल्तानपुर)--

क्या मंत्री जी पटेल आयोग के रुपये को आगरे में खर्च करेंगे ?

श्री जगनप्रसाद रावत--

जैसा सदन आदेश देता है वैसा हम करते हैं।

श्री झारखण्डेराय---

पटेल आयोग का पैसा जो सड़कों के लिये था उसे अलग से डिवीजन बनाकर और उनके मकान बनाकर क्यों खर्च किया गया है और सड़कों पर क्यों नहीं खर्च किया गया ?

श्री जगनप्रसाद रावत---

सड़कों के साथ और कामों का रुपया भी जो उससे संबंधित होते हैं सड़कों के रुपये में ही होता है ।

श्री झारखण्डेराय---

जब वहां पहले ही से पी०डब्ल्यू०डी० का स्टाफ है तो उनके जरिये काम न कराके नयी नियुक्तियां करके उनके वेतन और मकानों में क्यों खर्च किया गया ?

श्री जगनप्रसाद रावत---

अगर आप पूरी तफसील बतादें तो मैं पता लगा लूंगा ।

श्री रामसुन्दर पांडेय---

९१ मील के लिये कितना रुपया मिला और आपने कितना मांगा था और कितने वर्ष के लिये ?

श्री जगनप्रसाद रावत---

९१ मील की १२, १४ साल की योजना है ।

श्री यादवेन्द्रदत्त---

गाजीपुर में नये डिवीजन के इस्टेब्लिश करने और आफिशियल्स के लिये मकान बनाने तथा कार्यालय की साज-सज्जा में कितना रुपया खर्च हुआ ?

श्री जगनप्रसाद रावत---

सूचना चाहिये ।

श्री कृष्णानन्द राय---

क्या माननीया मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगी कि चूंकि प्रदेशीय सरकार रुपये का इस्तेमाल नहीं कर पायी तो केंद्रीय सरकार ने प्रस्ताव किया है कि हम अलग से रुपये नहीं देंगे ?

श्री जगनप्रसाद रावत---

ऐसी बात नहीं है ।

श्री रामसुन्दर पांडेय---

मुख्य मंत्री को उत्तर देना चाहिये ।

मुख्य मंत्री (श्रीमती सुचेता कृपालानी)---

ऐसी बात नहीं है कि रुपया खर्च नहीं किया गया इसलिये वे पैसा रोक रहे हैं । आप लोगों को मालूम है कि सारे प्लान का पैसा कम हुआ है । इस साल का प्लान केवल १३४ करोड़ का है । वे सोच रहे हैं कि कितना ज्यादा रुपया दे सकते हैं । वे आनाकानी कर रहे हैं और हम लोग प्रेस कर रहे हैं कि पैसा मिले ।

श्री यादवेन्द्रदत्त---

मुख्य मंत्री के सवाल से एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पैदा होता है । मैं उनसे पूछना चाहता हूं....

श्री अध्यक्ष—

कायदा यह है कि जिस मंत्री का प्रश्न हो, वह उत्तर दे ।

श्री कमलासिंह यादव—

मंत्री जी बतावेंगे कि गाजीपुर के लिये दिये रुपये का ठीक से इस्तेमाल न करने की जिम्मेदारी किसकी है और भविष्य के लिये क्या प्रबन्ध कर रहे हैं ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

हमको १३ करोड़ के लगभग खर्चा ६३–६४ से ७३–७४ तक फेंजिग करने को दिया गया है । ६३–६४ में शुरू का काम होने के कारण केवल २५ लाख खर्च कर पाये । ६५–६६ में हमने मांगा ७० लाख, लेकिन मिला ६० लाख । लेकिन हमने ७८ लाख मार्च तक खर्च कर लिया है । ६६–६७ के लिये हमने १ करोड़ मांगा था, लेकिन केवल ४० लाख में काम चलाने के लिये हमसे कहा गया ।

एटा-अलीगंज-कायमगंज सड़क

*७—श्री राजेंद्रसिंह (जिला एटा) (अनुपस्थित)—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपया बतावेंगे कि एटा–अलीगंज–कायमगंज सड़क पर अत्यधिक यातायात एवं निर्माण उसकी अत्यधिक ही खराब दशा को देखते हुए उसे कब तक डामर करा दिया जायेगा ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

एटा जिले में कायमगंज-अलीगंज सड़क के ५ मील ६ फर्लांग सड़क का पुनर्निर्माण लगभग पूरा हो गया है । फर्रुखाबाद जिले में इस सड़क के पुनर्निर्माण का कार्य प्रगति में है । एटा-अलीगंज सड़क के प्रथम ६ मील का आधुनीकरण किया जा रहा है । सड़क के शेष भाग का सुधार करना धनाभाव के कारण इस समय सम्भव नहीं है ।

जोगिया ब्लाक में बञ्जर भूमि

*८—श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती) (अनुपस्थित)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि ग्राम भुतहिया, ब्लाक जोगिया, तहसील नौगढ़, जिला बस्ती में तथा ग्राम गुनहागोसाई, ब्लाक बांसी, तहसील बांसी, जिला बस्ती में सन्, १९५२, १९५७, १९६२ व १९६४ में कितनी बंजर भूमि व जंगल की भूमि थी और इस समय कितनी है ? यदि अब कम भूमि है, तो क्यों ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

वांछित सूचना सदन की मेज पर रखी है ।

भुतहिया ग्राम में बंजर तथा जंगल की भूमि में कमी न्यायालय के आदेश द्वारा अधिकार दिये जाने तथा नदी की क्रिया से हुई है ।

(देखिये नत्थी "ग" आगे पृष्ठ ११४ पर)

बस्ती जिले में प्राथमिक पाठशालाओं के लिए सीमेंट

*९—श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी (अनुपस्थित)—

क्या सरकार कृपया यह भी बतायेगी कि ब्लाक जोगिया तथा ब्लाक बांसी, जिला बस्ती, में प्राथमिक स्कूल बनाने के लिये ब्लाक द्वारा किन-किन ग्राम सभाओं को कितना-कितना रुपया

अथवा सीमेंट अनुदान के रूप में सन् १९६४–६५ में दिया गया और वह स्कूल बन कर तैयार हुये या नहीं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सामुदायिक विकास मंत्री (श्री राममूर्ति)––

विवरण संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ११५–११७ पर)

सैदपुर नार्मल स्कूल के लिए अधिगृहीत भूमि का मुआवजा।

*१०––श्री कमला सिंह यादव तथा श्री मैनेजरसिंह (जिला बलिया)––

क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि सैदपुर नार्मल स्कूल, जिला गाजीपुर के लिये कितनी जमीन तहसील के पूरब तरफ एक्वायर की गई है उसमें जब से यह भूमि ली गई है उसमें प्रत्येक वर्ष कितनी पैदावार तथा आमदनी हुई है ?

शिक्षा उपमंत्री (डाक्टर रामनारायण पांडेय)––

१० एकड़ भूमि शासन द्वारा एक्वायर की गई है जिसकी वार्षिक पैदावार एवं आय संलग्न तालिका में अंकित है।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ११८–११९ पर)

*११––श्री कमलासिंह यादव तथा श्री मैनेजरसिंह––

क्या सरकार यह देखते हुये कि जिन लोगों की यह जमीन ली गई है उनको पुनः यह जमीन वापस दी जायगी या उनको रिहैबिलिटेट करने की कोई व्यवस्था करेगी ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय––

भूमि मालिकों को मुआवजा का भुगतान किया जा चुका है, ऐसी स्थिति में उनको रीहैबिलेट करने का प्रश्न नहीं उठता।

श्री कमलासिंह यादव––

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि यह दस एकड़ जमीन जो एक्वायर की गई है उसके एवज में काश्तकारों को कितना प्रतिकर दिया गया है ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय––

४६१२ रुपये ४९ पैसे।

श्री कमलासिंह यादव––

इस बात को देखते हुये कि जो मुआवजा दिया गया है वह मारकेट वैल्यू से बहुत कम है क्योंकि बगल में ही ३ बीघे की दूरी पर ४० हजार रुपया प्रति एकड़ के हिसाब से नलकूप के लिये टाउन एरिया की जमीन ली गई है और वहां पर किसानों के साथ बहुत अन्याय हुआ है और उन को बहुत कम रुपया दिया गया है, क्या मंत्री जी इस पर पुनः विचार करने की कृपा करेंगे ताकि उनको उचित मुआवजा मिल सके ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय––

इसके नियम बने हुये हैं उनके अन्तर्गत ही दिया गया है।

श्री कमलासिंह यादव--

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जब इस जमीन के बिलकुल पड़ोस में तीन चार बीघे की दूरी पर ४० हजार रुपया प्रति एकड़ के हिसाब से वाटर सप्लाई स्कीम के लिये इस सरकार ने मुआवजा दिया है तो इस जमीन का मुआवजा मारकेट वैल्यू से कम क्यों दिया गया है ? क्या वह इस पर पुनः विचार करेंगे ताकि किसानों को उचित मुआवजा मिल सके ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय--

यह जमीन तो सन् ६१-६२ में एक्वायर हुई थी, अब नहीं हुई है।

श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)--

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जिन नियमों के अनुसार यह मुआवजा दिया गया है वह नियम कब के बने हैं ?

श्री अध्यक्ष--

वह तो १८९० के बने हैं, आप और सवाल करें।

श्री रामचन्द्र विकल--

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जब यह नियम इतने पुराने हैं और अब जमीनों की कीमत बहुत बढ़ गई है तो क्या वह इन नियमों में परिवर्तन करने की कृपा करेंगे ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय--

आगे के लिये तो शायद बन ही गये हैं।

श्री ऊदल--

यह जमीन भी सन् ६१-६२ में ली थी और गाजियाबाद में भी सरकार ने ६१-६२ में ही जमीन ली थी जिसके बारे में यहां भी प्रश्न हुये थे और प्रधान मंत्री नेहरू जी के सामने भी वहां के किसान डेपुटेशन में गये थे जिसमें हमारे यह विकल जी भी गये थे जिस पर प्रधान मंत्री जी ने कहा था कि बाजार भाव के हिसाब से मुआवजा दिया जाय और उस पर सरकार ने पुनः विचार कर बाजार रेट पर गाजियाबाद में मुआवजा दिया था। तो मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि जब सन् ६१-६२ में गाजियाबाद के किसानों को बाजार रेट पर मुआवजा दिया गया है तो इन सदपुर के किसानों को मारकेट वैल्यू के अनुसार क्यों नहीं दिया जा रहा है ?

श्री राममूर्ति--

यह सवाल गाजीपुर का है, गाजियाबाद का नहीं है।

श्री उग्रसेन--

क्या कोई मंत्री इस तरह से जवाब दे सकता है कि यह प्रश्न गाजीपुर का है गाजियाबाद का नहीं है ?

श्री अध्यक्ष--

गाजियाबाद में विशेष परिस्थिति हो सकती है, वहां औद्योगीकरण हो रहा है, गाजीपुर में नहीं हो रहा है, अलग अलग परिस्थितियों के कारण वह कहते हैं कि अलग अलग तरह से विचार हुआ है।

श्री रामसुन्दर पांडेय--

क्या मंत्री जी को ज्ञात है कि यह जमीन एक्वायर तो सन् ६१-६२ में ही हुई है लेकिन इस का मुआवजा ६४-६५ में ही दिया गया है और जब ऐसा है तो जो नये मुआवजे के नियम सरकार ने प्रसारित किये हैं तो उन के अनुसार मुआवजा देने में सरकार को क्या दिक्कत है ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय--

श्रीमन्, हम जब से जमीन पाये हैं तब से देंगे।

श्री यादवेन्द्रदत्त--

माननीय मंत्री जी ने कहा कि जब से हमने जमीन ली है तब से देंगे। इसमें मुआवजा जमा हो गया है लेकिन कन्ट्रैक्ट १९६४-६५ में पूरा हुआ तो जो अब रूपए हैं, उनके हिसाब से रुपया क्यों नहीं दिया जाता है ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय--

उनका मुआवजा तो जमा कर दिया गया है। अगर कोई न ले, तो क्या किया जा सकता है।

श्री कमलासिंह यादव--

यह जमीन १९६१-६२ में ली गयी और इस १० एकड़ जमीन में १९६१-६२ में १६९ रुपये की पैदावार हुई, १९६२-६३ में १३७ रुपये की पैदावार हुई, और १९६३-६४ में ११९ रुपये की पैदावार हुई। तो यह सब देखते हुए जमीन का दुरुपयोग हो रहा है और जिन किसानों से यह जमीन ली गयी है, वे आज भूखों मर रहे हैं उनके पास कोई बीघा भी जमीन नहीं है तो क्या माननीय मंत्री जी उन किसानों को उनकी भूमि वापस देने की कृपा करेंगे ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय--

यह तो पढ़ाने सिखाने के लिये जमीन ली गयी है। उससे कितना लाभ होता है यह तो नहीं देखा जा सकता है।

श्री रामसुन्दर पांडेय--

१९६१-६२ में यह जमीन नार्मल स्कूल के लिये ली गयी, लेकिन ५ साल के बाद भी वहां पर नार्मल स्कूल नहीं बन सका और अब वह जमीन इनके विभाग द्वारा उपयोग की जा रही है और उसमें जो आमदनी हुई है, उसका ब्योरा माननीय कमला सिंह जी ने किया है। तो क्या उस जमीन को जो परती पड़ी है, अन्न उत्पादन करने के लिए उन किसानों को देने की कृपा करेंगे ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय--

श्रीमन्, इसमें कानूनी दिक्कतें होंगी। ऐसा नहीं हो सकता है।

सिटी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, गाजीपुर के अध्यपकों का वेतन

*१२-श्री शिलमिट राम (जिला गाजीपुर)--

क्या यह सही है कि जिला गाजीपुर के राजकीय सिटी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के अनेक अध्यापक पहली मार्च, १९६५ से पहले की अपेक्षा कम वेतन पा रहे हैं और इसी तारीख से उनकी वार्षिक वेतन बढ़ोत्तरी बन्द कर दी गई है ? यदि हां, तो क्यों ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय--

जी हां। इन अध्यापकों को इस विद्यालय के प्रांतीयकृत होने की तिथि १ मार्च, १९६५ से पहले की अपेक्षा मूल वेतन कम मिल रहा है, परन्तु भत्ते आदि मिलाकर इन्हें कुल वेतन पहले की अपेक्षा कम नहीं मिल रहा है। इन अध्यापकों का वेतन वित्त नियमावली के अनुसार राजकीय वेतन क्रम में निर्धारण करने के लिये आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। इस प्रकार के वेतन निर्धारित होने के साथ ही इन लोगों का वार्षिक वेतन बढ़ोत्तरी का मामला भी तय हो जायेगा।

श्री झिलमिट राम--

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इन अध्यापकों को बढ़ा हुआ वेतन कब तक मिल जायगा ?

डाक्टर राम नारायण पांडेय--

श्रीमन्, इसमें थोड़ा समय लग जायगा ।

श्री झिलमिट राम--

कितना समय लग जायगा ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय--

यह कई विभागों में जायगा तब स्वीकृत होगा । इसलिये इसमें कुछ समय लगेगा ।

श्री कमलासिंह यादव--

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उनको बढ़ोत्तरी देने में क्या-क्या बाधायें हैं, जिनके कारण बिलम्ब हो रहा है ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय--

किसी को बढ़ोत्तरी किसी तरीके से दी जाती है और किसी को किसी तरीके से । हमने जब से लिया है अगर उस हिसाब से होती तो देर न लगती लेकिन उन्हें तिथियों के हिसाब से देनी है इसलिये कुछ समय लगना जरूरी है ।

चोलापुर विकास खण्ड में लेखपाल के विरुद्ध जांच

*१३--श्री रघुनाथसिंह (जिला वाराणसी) श्री रामसुन्दर पांडेय, श्री केशरीप्रसाद पांडेय, श्री उमाशंकर तथा श्री ऊदल --

क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी के चोलापुर खंड विकास के अन्तर्गत रौनाखुर्द, हंड़ियाडीह भूभियार और डेगरुपुर गांव सभाओं से सम्बन्धित लेखपाल के विरुद्ध अपने कागज-पत्र में कई प्रकार से भयंकर धांधली करने के संबंध में जिले के संबंधित अधिकारियों के पास जो निम्नलिखित शिकायती-पत्र भेजे गये, उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ।

(क) ३० सितम्बर, १९६५ को रौनाखुर्द के ७ प्रार्थियों का प्रार्थना-पत्र परगनाधीश वाराणसी उत्तरी के नाम,

(ख) ३ अक्तूबर, १९६५ को रौनाखुर्द के गांव तथा सभा प्रधान का प्रार्थना-पत्र श्री प्रभुनारायण सिंह, एम०एल०सी० के माध्यम से जिलाधीश के नाम,

(ग) ६ नवम्बर, १९६५ और ११ नवम्बर, १९६५ को रौनाखुर्द गांव सभा प्रधान का प्रार्थना-पत्र परगनाधीश, वाराणसी उत्तरी के नाम,

(घ) २७ दिसम्बर, १९६५ को जिला कांग्रेस कमेटी वाराणसी के अध्यक्ष और मंत्री की संस्तुति के साथ श्री बलदेव सिंह, भूतपूर्व एम०एल०ए० की ६१ किसानों के बयान पर आधारित रिपोर्ट अतिरिक्त जिलाधीश श्री कक्कड़ के नाम,

(ङ) १९ जनवरी, १९६६ को लेखपाल से संबंधित गांव सभाओं के ३१६ प्रार्थियों का प्रार्थना-पत्र वाराणसी के कमिश्नर के नाम लेखपाल के अविलम्ब स्थानान्तरण के संबंध में ?

श्री रामकुमार शास्त्री---

इसके लिये सूचना की आवश्यकता है। इतना मालूम है कि प्रशासनिक दृष्टि से उनको वहां से हटा दिया गया लेकिन कहां ट्रान्सफर किया गया यह नहीं मालूम।

श्री गयाप्रसाद---

आपको यह सब सूचना है कि मिट्टी के तेल का लाइसेन्स सभापति चाहते थे, अपने भाई के नाम बाग कोइन्दराज कराना चाहते थे लेकिन यह पता नहीं कि कहां ट्रान्सफर किया गया ?

श्री अध्यक्ष---

यह दूसरी चीज है। उनका कहना है कि जिस स्थान पर वह गये है उसकी सूचना उनको नहीं है। लेकिन वहां से हटा दिये गये हैं।

श्री रामअधार कनौजिया---

प्रश्न कर्त्ता ने साफ लफ्जों में पूछा है कि लेखपाल के विरुद्ध कागजात में धांधली करने की शिकायत की गयी तो मैं जानना चाहता हूं कि कागजात संबंधी त्रुटियां पाई गयीं अथवा नही ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---

उनको बेगुनाह पाया गया।

श्री रघुनाथसिंह---

श्रीमन्, १४ वें प्रश्न के उत्तर में यह बताया गया है कि लेखपाल का तबादला कर दिया गया है और प्रश्न १३ के उत्तर में बताया गया कि वहां दलबंदी थी और लेखपाल की प्रशंसा की गई तो मैं जानना चाहता हूं कि ऐसे आदमी का तबादला क्यों किया गया ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---

श्रीमन्, वहां यह बहुत अनपापुलर हो गया था।

श्री रघुनाथसिंह---

श्रीमन्, मैं विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम ३९ के मातहत यह जानना चाहता हूं कि क्या प्रश्न के विषय के अनुरूप उत्तर न देकर इस तरह का प्रवंचनात्मक उत्तर मंत्री जी दे सकते हैं ?

श्री अध्यक्ष---

हम समझे नहीं कि आपका क्या मंशा है ? आप क्या जानना चाहते हैं ?

श्री रघुनाथसिंह---

श्रीमन्, मैं जानना चाहता हूं कि प्रश्न के विषय के अनुरूप उत्तर देना चाहिये और जैसा कि सभा सचिव ने कहा कि मुझे ऐसा क्यास होता है कि दलबंदी के कारण शायद उसकी शिकायत हुई। फिर पता नहीं कहां से उनको इलहाम हो गया कि उन्होंने कहा कि लेखपाल की प्रशंसा की गई तो क्या ऐसा प्रवंचनात्मक उत्तर दिया जा सकता है ?

श्री अध्यक्ष---

माननीय रघुनाथसिंह जी, आप ठीक कहते हैं कि वंचनात्मक उत्तर नहीं देना चाहिये। यह हमारे नियमों में निश्चित रूप से उपबन्धित है। अगर मेरा यह विश्वास हो कि वंचनात्मक उत्तर दिया जा रहा है तो मैं आपको प्रश्न करने का मौका दूं कि आप और प्रश्न करें। मेरी यह कोशिश भी रहती है कि जब ऐसा उत्तर आता है तो ४/५ मर्तबा एक ही महानुभाव से प्रश्न करा देता हूं। यही मेरा अधिकार है।

श्री रघुनाथसिंह--

श्रीमन्, प्रस्तुत प्रश्न का उत्तर वंचनात्मक था या नहीं यह आप अपने अनुभव के आधार पर बताइये ?

श्री अध्यक्ष--

मैं कोई मास्टर नहीं हूं ।

फैजाबाद-रायबरेली सड़क

*१५--श्री धूम प्रसाद (जिला फैजाबाद)--

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि फैजाबाद जिले की फैजाबाद-रायबरेली रोड पर जो सड़क बनाने की व्यवस्था थी तो अभी सड़क पक्की न होने का क्या कारण है ?

श्री जगनप्रसाद रावत--

वह सड़क कंकड़ की पहिले ही से बनी हुई है । इसके आधुनिकीकरण की कोई योजना इस समय नहीं है ।

एटा कलेक्ट्रेट के क्लर्क के विरुद्ध जांच

*१६--श्री रामसिंह शाक्य--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि एटा कलक्ट्रेट के कितने क्लर्क ऐसे हैं जिनके विरुद्ध डिपार्टमेन्टल इक्वायरी चल रही है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--

एक क्लर्क ।

*१७--श्री राम सिंह शाक्य--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि किन-किन क्लर्कस की इक्वायरी पूरी हो जाने के पश्चात् जिलाधीश महोदय, एटा के पास उचित आदेश हेतु कागजात पड़े हुये हैं और कब से ? तथा उनमें उचित आदेश अब तक न हो सकने के क्या कारण हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--

ऐसे कोई भी कागजात जिला अधिकारी, एटा के पास आदेशार्थ नहीं पड़े हैं ।

महिला दीक्षा विद्यालय, बड़ागांव में छात्रवृत्ति न मिलना

*१८--श्री ऊदल--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि महिला दीक्षा विद्यालय, बड़ागांव, वाराणसी में कई माह से उन महिलाओं को छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है जो दूसरे वर्ष की ट्रेनिंग ले रही हैं ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ?

श्री राममूर्ति--

कतिपय छात्राध्यापिकाओं को समय से छात्रवृत्ति का भुगतान नहीं किया जा सका था । अब भुगतान किया जा रहा है । विलम्ब के कारणों की जांच की जा रही है ।

नोट--तारांकित प्रश्न १४ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया ।

131792

वाराणसी जौनपुर सड़क पर मरम्मत की आवश्यकता

*१९—श्री ऊदल—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी जिले की वाराणसी-जौनपुर रोड की चौमुहानी बावतपुर से बड़ागांव तक ३ मील सड़क बड़े-बड़े गड्ढों व धूल से भर गई है ? इस तीन मील हिस्से को अब तक क्यों नहीं बनाया गया जिस पर सिटी बसें भी चलती हैं ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

प्रश्नगत सड़क सार्वजनिक निर्माण विभाग के अन्तर्गत नहीं है। इसलिये इस सड़क के निर्माण का उत्तरदायित्व इस विभाग पर नहीं है।

टेहरी-गढ़वाल जिले से माध्यमिक विद्यालयों के लिए मांग

*२०—श्रीमती विनयलक्ष्मी सुमन—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि टेहरी-गढ़वाल के कितने विकास क्षेत्र अभी ऐसे रह गये हैं जिनमें उच्चतर माध्यमिक विद्यालय अभी तक नहीं हैं ?

श्री राममूर्ति—

केवल ५।

*२१—श्रीमती विनयलक्ष्मी सुमन—

क्या शिक्षा मंत्री को मालूम है कि जिला टेहरी-गढ़वाल के कीर्तिनगर और जखोली विकास क्षेत्रों की ओर से एक लम्बी अवधि से मांग की जा रही है कि इनके केन्द्रीय स्थानों क्रमशः डांग, चौरा और जखोली में शासन की ओर से उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खुलें ?

श्री राममूर्ति—

जी हां।

*२२—श्रीमती विनयलक्ष्मी सुमन—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतलायेंगे कि उक्त जनता की मांग और आवश्यकता की पूर्ति के लिये डांग, चौरा और जखोली में उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कब खुलेंगे ?

श्री राममूर्ति—

ऐसी कोई योजना नहीं है जिसके अन्तर्गत शासन की ओर से ऐसे स्कूल खोले जा सकें।

कुम्भ मेले से अतिरिक्त पीपे के पुलों का हटाया जाना

*२३—श्री कल्पनाथ सिंह—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रयाग मेले में लगे हुये पीपे के पुल जो इस प्रकार के बने हुये हैं जिन पर लदी हुई ट्रकें आ-जा सकती हैं अब काम खत्म होने के कारण वहां से हटाई जायेंगी ? यदि हां, तो क्या उनमें से एक को गोरखपुर-इलाहाबाद राजमार्ग पर घाघरा नदी पर बड़हलगंज में लगाने का प्रस्ताव है ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

जी हां। कुम्भ मेले के लिये प्रयाग में जो अतिरिक्त पीपे के पुल बनवाये गये थे वह अब हटा लिये जायेंगे। इन पीपों को बड़हलगंज में घाघरा नदी पर पुल के निर्माण के लिये हस्तान्तरित करना सम्भव नहीं है क्योंकि वहां पर पुल निर्माण का उत्तरदायित्व केन्द्रीय सरकार का है और यह पीपे प्रदेशीय सरकार की सम्पत्ति हैं।

अयोध्या घाट के पीपों से दोहरीघाट पुल बनाने की योजना

*२४—श्री कल्पनाथ सिंह—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि घाघरा नदी पर बड़हलगंज में गोरखपुर–इलाहाबाद राजमार्ग पर पीपे का पुल लग जाने में अब क्या दिक्कत है जब कि अयोध्या में भी पीपे खाली हैं और इलाहाबाद में भी तथा इस पर कब तक कार्यवाही हो जायगी ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

अयोध्या घाट के पीपों को दोहरीघाट के पीपों के पुल के लिये स्थानान्तरण की भारत सरकार की स्वीकृति अभी हाल ही में प्राप्त हुई है। पीपों के हस्तान्तरण के लिये आगणन शीघ्र तैयार करने के आदेश मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग को दे दिये गये हैं।

इलाहाबाद–झूंसी मार्ग पर पुल

*२५—श्री कल्याणचन्द मोहिले (जिला इलाहाबाद)—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि इलाहाबाद से दारागंज व झूंसी जाने हेतु यातायात के लिये जो पुल सरकार ने बनाने की घोषणा एक वर्ष हुये आदरणीय सदन में की थी वह पुल कब तक बनना आरम्भ होगा तथा उसको बनाने में कितने का इस्टीमेट बना है ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

इस पुल का निर्माण कार्य फरवरी, १९६६ में शुरू हो गया है। पुल के निर्माण के लिये २२५.४७ लाख रुपये का आगणन स्वीकृत किया गया है।

मुहब्बतपुर ग्राम में चकबन्दी

*२६—श्री सुरजनराम विशारद (जिला आजमगढ़)—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला आजमगढ़, तहसील मुहम्मदाबाद के अन्तर्गत ग्राम रघुनाथपुर, खुझिया, मुहब्बतपुर, नीबी, बहाउर, गजहड़ा, दामोदरपुर इत्यादि गांवों के अन्दर चकबन्दी द्वारा छोड़ी गई भूमि (चकरोड सहन–आबादी, घूर कब्रिस्तान इत्यादि) को उन्हीं गांवों या अन्य गांवों के लोगों ने बलात् अधिकार कर लिया है ? यदि हां, तो क्या राजस्व मंत्री इसकी जांच करा कर उचित कार्यवाही करने की कृपा करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

ग्राम मुहब्बतपुर में चकबन्दी योजना के अन्तर्गत सार्वजनिक कार्यों के लिये छोड़ी गई भूमि पर किसी व्यक्ति ने अवैधानिक कब्जा नहीं किया है। प्रश्न में उल्लिखित शेष अन्य ग्रामों में सार्वजनिक कार्यों के लिये छोड़ी गई भूमि पर कुछ व्यक्तियों ने अवैधानिक कब्जा किया है उनके विरुद्ध नियमानुसार बेदखली की कार्यवाही की जा रही है।

फीरोजाबाद–मैनपुरी सड़क की खराब हालत

*२७—श्री भगवान दास यादवेन्दु—

क्या यह बात सही है कि कानपुर–आगरा रोड पर फीरोजाबाद शहर के जैन नगर में बिना परमिशन वहां के किसी व्यक्ति ने काफी दूर तक सड़क पर बढ़कर दीवार लगभग ६ माह हुये बना लिया है ? यदि हां, तो सरकार बनाने वाले के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने जा रही है ?

श्री जगन प्रसाद रावत—

जी नहीं।

*२८—श्री भगवानदास यादवेन्दु—

क्या यह बात सही है कि आगरा जिले के फीरोजाबाद मैनपुरी गेट से जो सरकारी सड़क डाक बंगले तक जाती हैं उस पर इतने बड़े-बड़े गढ़े है जिससे कई बड़ी बड़ी दुर्घटनाए हो चुकी हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इस सड़क के महत्व को देखते हुये उस मार्ग का शीघ्र जीर्णोद्धार कराने की कृपा करेगी ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

इस सड़क की हालत ठीक नहीं है, परन्तु दुर्घटना की कोई सूचना सरकार के पास नहीं हैं। सड़क नगरपालिका, फीरोजाबाद के अधीन है और इसके जीर्णोद्धार का उत्तरदायित्व उसी निकाय पर है।

राप्ती नदी के पुल का ठेका

*२९—श्री कल्पनाथ सिंह—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गोरखपुर में राप्ती नदी के पुल पर आने-जाने के लिये मार्ग बनाने का ठेका फरवरी, १९५९ में किसी ठेकेदार को दिया गया था ? यदि हां, तो वह ठेका कुल कितने-कितने रुपये का दिया गया था और किन-किन शर्तों के साथ ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

राप्ती नदी के पुल की एप्रोच सड़कों के निर्माण के लिये मिट्टी के कार्य के लिये १,८३,३४६,२० रुपये का ठेका श्री एन० पी० मिश्रा को फरवरी, १९५९ में दिया गया था। ठेके की शर्तें विभाग के सामान्य फार्म नं० ९ में दी हुई शर्तों के अनुसार थीं।

*३०—श्री कल्पनाथ सिंह—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इनमें से कितने ठेकेदारों ने समय के अन्दर अपना काम प्राक्कलन के अन्दर पूरा किया और कितने ठेकेदारों ने समय के बादपूरा किया और मूल प्राक्कलन से कुल कितना अधिक व्यय हुआ ? और क्यों ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

केवल एक ही ठेका फरवरी, १९५९ में दिया गया था, उस ठेकेदार ने अपने ठेके के कार्य को समय के अन्दर पूर्ण नहीं किया। मिट्टी के कार्य में मूल प्राक्कलन से कुल १७,८७० रु० अधिक व्यय हुआ, वृद्धि के निम्नांकित कारण हैं :

१—सड़क के संरेखण में कुछ परिवर्तन ।

२—सड़कों के क्रासिंग पर उपयुक्त ढाल बनाना और पी०आर० ब्रेकर्स बनाना।

खीरी जिले में क्वार्टरों के लिए अध्याप्त भूमि का मुआवजा

*३१—श्री मन्नालाल (जिला खीरी)—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि खीरी जिले के परगना हैदराबाद के ग्राम जहांनपुर मुसौरिया आदि में जो भूमि क्वार्टर बनाने के लिये अधिगृहीत की गई है उसका मुआवजा अब तक न दिये जाने का क्या कारण है ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

इस भूमि के मुआवजे से संबंधित अभिलेख तहसीलदार, मोहमदी द्वारा तैयार किया जा रहा है। इस अभिलेख के अभी तक तैयार न होने के कारण मुआवजा अभी तक नहीं दिया जा सका है।

*३२—श्री मन्नालाल—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उक्त प्रश्न में उल्लिखित भूमि के लिये जो मुआवजा सरकार देती है उसकी दर क्या है ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

उस भूमि का मुआवजा भारतीय सुरक्षा अधिनियम, १९६२ की धारा ३० के अनुसार दिया जायगा।

अमेठी डिग्री कालेज में श्री रामकिशोर शास्त्री की नियुक्ति

*३३—श्री बैजनाथ सिंह—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी जिला सुल्तानपुर के अमठी डिग्री कालेज के संस्कृत लेक्चरर, श्री राम किशोर शास्त्री की नियुक्ति इस कालेज में कब हुई थी और क्या इनकी नियुक्ति गोरखपुर विश्वविद्यालय की अनुमति से प्राविजनल तौर पर केवल थोड़े समय के लिये हुई थी ? यदि हां, तो प्राविजनल तौर पर की गई नियुक्ति का क्या कारण था और अब उनकी नियुक्ति को स्थायी करने का क्या कारण है और क्या इसके लिये विश्वविद्यालय से सहमति प्राप्त की गई है ?

श्री राम मूर्ति—

गोरखपुर विश्वविद्यालय से सूचना एकत्र की जा रही है।

*३४—श्री बैजनाथसिंह वैद्य—

क्या यह बात सही है कि छात्रों की संख्या को देखते हुये उक्त कालेज के संस्कृत विभाग में नियमानुसार इस पद की न कभी आवश्यकता थी और न है, और संस्कृत विभाग के अध्यक्ष ने भी कभी इस पद पर किसी नियुक्ति की मांग नहीं की ? यदि हां, तो सरकार ने इस अनियमित नियुक्ति को रद्द करने की क्या कार्यवाही की ? और आगे क्या करने जा रही है ?

श्री राममूर्ति—

गोरखपुर विश्वविद्यालय से सूचना एकत्र की जा रही है।

*३५—श्री बैजनाथसिंह—

क्या यह बात सही है कि उक्त लेक्चरर के पास अपने वर्तमान पद की नियुक्ति के लिये आवश्यक न्यूनतम शिक्षा संबंधी योग्यता नहीं है ? यदि हां, तो वह किस प्रकार की है ? क्या सरकार उक्त लेक्चरर की शिक्षा संबंधी योग्यता प्रमाण-पत्रों व डिग्रियों की प्रतिलिप सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी और इस नियुक्ति की नियमितताओं की निष्पक्ष जांच करने का कष्ट करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राममूर्ति—

गोरखपुर विश्वविद्यालय से सूचना एकत्र की जा रही है।

ग्राम सभा, बड़ागांव की तहबाजारी का बकाया

*३६—श्री लखपत राम शर्मा (जिला झांसी)—

सरकार कृपया यह बतायेगी कि क्या यह सत्य है कि ग्राम सभा बड़ागांव झांसी का तहबाजारी का रुपया निम्नलिखित ठेकेदारों पर बकाया निकल रहा है ? यदि हां, तो उसके वसूल न किये जाने के क्या कारण हैं ?

श्री धनीराम ठेकेदार पर १९५२–५३ का १,६०० रुपये, १९५४–५५ का ५५५ रुपये, १९६४–६५ का १,८२६ रुपये व १९६३–६४ का श्री हरीदत्त, पुत्र श्री धनीराम ठेकेदार पर ५२४ रु० २५ पैसे हैं ?

*३७––क्या यह भी सत्य है कि उक्त रुपये की वसूली के लिये ग्राम समाज बड़ा गांव (झांसी) द्वारा अनेक प्रार्थना–पत्र तहसीलदार झांसी व जिलाधीश झांसी को दिये गये व अन्तिम प्रार्थना-पत्र तहसीलदार झांसी को दिनांक १८ दिसम्बर, १९६४, १७ फरवरी, १९६५ व ३० जुलाई, १९६५ को रिमाइन्डर की शक्ल में दिये गये ? यदि हां, तो उक्त रकम वसूल न किये जाने के क्या कारण हैं ?

*३८––क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या यह सत्य है कि उक्त रुपये की वसूली जो ४,४०५ रु० २५ पैसे हैं न किये जाने की जिम्मेदारी किस पर है? व तहसीलदार के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन––

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

[१८ मार्च, १९६६ के लिए तारांकित प्रश्न]

माध्यमिक विद्यालयों को अनावर्तक अनुदान

*१––श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)––

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रादेशिक सरकार ने प्रदेश के समस्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों को ५ हजार और १० हजार रुपये के अनावर्तक अनुदान (भवन) को चालू वर्ष में न देने का निर्णय किया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री राममूर्ति––

दोनों अनुदान दिये जा रहे हैं ।

*२––श्री रामसुन्दर पांडेय––

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों को दिये जाने वाले आवर्त्तक अनुदानों के फार्मूले में चाल वर्ष में कोई परिवर्तन किये जाने का आदेश उनके द्वारा शिक्षा निदेशक कार्यालय को दिया गया है ? यदि हां, तो प्रति वर्ष का फार्मूला बदलने का कारण क्या है ?

श्री राम मूर्ति––

जी नहीं ।

दूसरे भाग का प्रश्न नहीं उठता ।

भेलवल–हसवापुर–गूढ़ा सड़क

*३––श्री रामकिशोर त्रिपाठी (जिला बाराबंकी)––

क्या यह बात सही है कि ओवरसियर, हैदरगढ़ ने भेलवल से हसवापुर–गूढ़ा रोड (बाराबंकी) का सर्वे किया है जिसकी रिपोर्ट दिनांक १९ जनवरी, १९६५ को अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, बाराबंकी को दे दी थी ?

श्री जगनप्रसाद रावत––

जी नहीं ।

*४—श्री रामकिशोर त्रिपाठी—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उक्त सड़क को पक्का बनाने पर कितना धन व्यय होगा और उक्त सर्वेक्षण के पश्चात् सरकार ने इसके निर्माण की ओर क्या-क्या कदम उठाये हैं ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

जब तक इस सड़क का सर्वेक्षण न हो इसके निर्माण की लागत बताना संभव नहीं है। अतः किसी अन्य कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता।

भदरीकलां में पट्टों की मन्सूखी की कार्यवाही

*५—श्री भगवानदीन—

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिन पंचों ने ग्राम भदरीकलां, तहसील कुन्डा, जिला प्रतापगढ़ में बैठक करके अपने नाम पट्टे पर करा लिये हैं उनको खारिज किया जायगा या नहीं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

गांव सभा द्वारा दिये गये पट्टों की मंसूखी की कार्यवाही जमींदारी विनाश अधिनियम की धारा १९८ के अन्तर्गत परगनाधिकारी द्वारा की जाती है। इस ग्राम सभा के पट्टों की छानबीन जिलाधिकारी द्वारा की जा रही है। ऐसे पट्टों की मंसूखी की कार्यवाही धारा १९८ के अन्तर्गत की जावेगी जो नियम विरुद्ध होंगे और जिनमें धारा १९८ के अन्तर्गत कार्यवाही करने का समय अवशेष पाया जावेगा।

*६—श्री भगवान दीन—

क्या यह सही है कि जो लोग गांव समाज के पंच नहीं हैं और उन्होंने सीरदारी का पट्टा लिया है उनका भी पट्टा पंचों के साथ खारिज किया जा रहा है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

जी नहीं।

*७—श्री भगवान दीन—

[७वें बुधवार के लिये प्र० सं० ५३ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

*८-१०—श्री सूरजपाल सिंह यादव तथा श्री कमलासिंह यादव—

[८वें शुक्रवार के लिये स्थगित किये गये।]

*११-१२—श्री उमाशंकर—

[८वें शुक्रवार के लिये स्थगित किये गये।]

ग्राम बिसुनपुर में सीरदारी के मामले

*१३—श्री उमाशंकर—

क्या राजस्व मंत्री को ज्ञात है कि ग्राम बिसुनपुर उर्फ महाराजगंज कानूनगो सर्किल महारजगंज, परगना गोपालपुर, तहसील सगड़ी, जिला आजमगढ़ की ग्राम समाज की भू-संपत्ति नं० ७२२/१५-६५ कड़ी नं० ७८५, ४४ कड़ी नं० ७६४, ५६ कड़ी, ७६३,८७ कड़ी जो फसली सन् १३७१ तथा १३७२ में बंजर अंकित थी और मौके पर आज भी परती है उसे लेखपाल तथा कानूनगो को मिलाकर, कुछ स्थानीय प्रभावशाली व्यक्तियों ने वर्ग ४ और सीरदारी दर्ज करा लिया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उनको इस सार्वजनकि भूमि से देबखल करने की कार्यवाही का आदेश देगी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

न्यायालय के आदेश से दो व्यक्ति इन चारों भूखंडों के सीरदार घोषित किये जा चुके हैं। इस आदेश के विरुद्ध तजवीजसानी का प्रार्थना पत्र न्यायालय में विचाराधीन है।

अभी कोई अन्य कारवाई संभव नहीं है।

वाराणसी तहसील में सड़कों का निर्माण

*१४—श्री ऊदल—

क्या सार्वजनकि निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी जिले की तहसील, वाराणसी में बसनी से वरही से वादा व मीराशाह से कठिरांव, मोजूबीर से सिंदौरा तथा बावतपुर, बड़ा गांव होते हुये अनेई, तमाचाबाद कच्ची सड़कों को विभाग द्वारा लेने के लिये कोई सर्वे हो रहा है? और इन सड़कों के लिये जिला पी०डब्लू०डी० एडवाइजरी कमेटी ने भी प्रस्ताव दिसम्बर, १९६५ में पास कर के भेजा है? यदि हां, तो अब तक क्या कार्यवाही की गयी है?

श्री जगनप्रसाद रावत—

तमाचाबाद कालिकाधाम का ८ मील का टुकड़ा जनशक्ति योजना के अन्तर्गत स्वीकृत हुआ था जिसमें से ५ मील ४ फर्लांग भाग का निर्माण शुरू हो गया है। प्रश्नगत मार्गों में से शेष किसी पर भी अभी सर्वे नहीं हो रहा है।

इन सड़कों के निर्माण का पी० डब्लू० डी० एडवाइजरी कमेटी, वाराणसी ने भी प्रस्ताव किया है। जब तक चतुर्थ पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा निश्चित न हो जाय तब तक इस प्रस्ताव पर कोई विचार करना संभव नहीं है।

विद्यालयों में प्रत्येक सेक्शन में विद्यार्थी

*१५—श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली)—

क्या सरकार को ज्ञात है कि जिला विद्यालय निरीक्षकों द्वारा इन्टर कालेजों में कक्षा के प्रत्येक सेक्शन में ४० से अधिक विद्यार्थी भर्ती किये जाने की स्वीकृति देने से शिक्षण कार्य सुचारु रूप से नहीं हो पाता? यदि हां, तो क्या सरकार इस विषय में कठोर नियम बनायेगी?

श्री राममूर्ति—

शिक्षा संहिता के पैरा ९०(ग) के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त हायर सेकेन्डरी स्कूलों की विभिन्न कक्षाओं के प्रत्येक सेक्शन में विद्यार्थियों की संख्या निम्नवत् निर्धारित है:

कक्षा ६–८	३५
कक्षा ९–१०	४०
कक्षा ११–१२	५०

विशेष परिस्थिति में जिला विद्यालय निरीक्षक उपरोक्त सीमा से अधिक संख्या प्रवेश के आदेश दे सकते हैं। इस नियम के अनुसार कार्य करने में कोई असुविधा नहीं प्रतीत होती, अतएव किसी परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है।

*१६—श्री हरीशकुमार गंगवार—

[दबें शुक्रवार के लिये स्थगित किया गया।]

विधायक निवास कर्मचारियों की आवास व्यवस्था

*१७—श्री ऊदल—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि विधायक निवासों (लखनऊ) के कर्मचारियों एवं केयर टेकरों के आवास की व्यवस्था की गयी है या नहीं ? यदि की गयी है तो कितने कर्मचारियों को मकान तथा केयर टेकरों को कहां-कहां दिया गया है कितनों को नहीं दिया गया है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

चारो विधायक निवासों के केयरटेकरों को संबंधित निवासों में ही आवास दिये गये हैं फरवरी, १९६६ के अन्त तक इन निवासों में २०५ चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी कार्य कर रहे थे जिनमें ६८ सरकारी क्वार्टरों में रह रहे हैं।

*१८—श्री ऊदल—

[८वें बुधवार के लिये स्थगित किया गया ।]

*१९—श्री रामसुन्दर पांडेय तथा श्री झारखंडे राय—

[८वें शुक्रवार के लिये स्थगित किया गया ।]

विद्यान्त हिन्दू डिग्री कालेज, लखनऊ की एड बन्द होना

*२०—श्री कमला सिंह यादव तथा श्री मुमताज मुहम्मद खां (जिला बुलन्दशहर)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि विद्यान्त हिन्दू डिग्री कालेज, लखनऊ के डिग्री सेक्शन की एड बन्द कर दी गई है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री राममूर्ति—

जी हां। विद्यालय में प्रचलित आर्थिक एवं प्रशासकीय अनियमितताओं की शिकायतों के कारण ऐसा किया गया था।

*२१—श्री कमला सिंह यादव तथा श्री मुमताज मुहम्मद खां—

क्या सरकार वहां के अध्यापकों को इस एड के न मिलने से तनख्वाह समय से न मिलने के कारणों को ध्यान में रखते हुये उनको ग्रान्ट मंजूर करने की कृपा करेगी ?

श्री राम मूर्ति—

मंडलीय उप शिक्षा निदेशक, लखनऊ द्वारा अध्यापकों के वेतन वितरण की व्यवस्था कराई जा रही है।

*२२-२४—श्री रामकिशोर वर्मा—

[८ वें शुक्रवार के लिये स्थगित किये गये ।]

रेलवे की अतिरिक्त भूमि पर खेती

*२५—श्री सुखदेव प्रसाद (जिला गोंडा)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश में रेलवे लाइनों के किनारे की परती भूमि के केन्द्रीय रेलवे विभाग ने अभी हाल में उत्तर प्रदेश को समर्पित कर अधिक अन्न उपजाने के लिये आदेश दिया है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

जी हां। रेलवे की अतिरिक्त भूमि को अधिक अन्न उपजाने के लिये उपयोग किये जाने की योजना १९६३ से प्रदेश में चल रही है।

जायसवाल इण्टर कालेज, वाराणसी के अध्यापकों की वरीयता

*२६—श्री रघुनाथ सिंह—

क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उन्हें जायसवाल इण्टर कालेज, वाराणसी के शिक्षक संघ के मन्त्री द्वारा प्रेषित १६ अक्तूबर, १९६४ के तार और १७ अक्तूबर, १९६४ तथा ५ फरवरी, १९६५ के पत्र जिनमें जिला विद्यालय निरीक्षक वाराणसी द्वारा विद्यालय में वरीयता निर्धारण के एक मामले में किये गये निर्णय के सम्बन्ध में मन्त्री जी का ध्यान आकृष्ट किया गया था, मिले हैं ? यदि हां, तो मन्त्री जी ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की ?

श्री राममूर्ति—

वाराणसी माध्यमिक शिक्षा संघ के शाखा मंत्री द्वारा भेजा हुआ २६-१०-६४ का तार तथा १७-११-६४ और १०-२-६५ का पत्र शासन में प्राप्त हुआ था। जायसवाल इण्टर कालेज, वाराणसी के अध्यापकों की वरीयता के विषय में जांच की गई। यह पाया गया कि ऐसे मामलों में नियमानुसार जिला विद्यालय निरीक्षक का ही निर्णय अंतिम होता है। चूंकि इस विद्यालय के अध्यापकों की वरीयता के प्रश्न पर जिला विद्यालय निरीक्षक, वाराणसी ने अपना अंतिम निर्णय दे दिया था। शासन ने उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं किया।

कश्मीरी मुहल्ला कालेज, लखनऊ की प्रधानाचार्या की योग्यता

*२७—श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तर प्रदेश सरकार के एजूकेशन कैलेंडर तथा अन्य नियमों के अन्तर्गत नरगमहापालिका के कश्मीरी मुहल्ला कालेज, लखनऊ की प्रधानाचार्या पद की योग्यता रखती हैं या नहीं ? यदि नहीं, तोवह इस पद पर किस हैसियत से कार्य कर रही हैं और उनका वेतन किस नियम के आधार पर दिया जा रहा है ?

श्री राममर्ति—

प्रश्न में उल्लिखत विद्यालय, प्रधानाचार्य बी० ए०, बी० टी० हैं परन्तु उस पद के लिए निर्धारित न्यूनतम योग्यता से उन्हें १९४९ में मुक्ति प्रदान कर दी गई थी।

कोषागारों के कर्मचारियों की सेवा सुरक्षा

*२८—श्री सत्यनारायण पांडेय (जिला इलाहाबाद)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय, दिनांक ९ मार्च, १९६४ (जिसम उसने राजकीय कोषागारों में कार्य करने वाले कर्मचारी, तहसीलदार, मनी टेस्टर, स्टाम्प वेन्डर आदि को राज्य कर्मचारी स्वीकार कर लिया है) के अनुसार संबंधित कर्मचारियों को राज्य कर्मचारी होने की स्पष्ट घोषणा तथा उनके वेतन क्रम एवं पेंशन आदि का निर्धारण अभी तक क्यों नहीं किया गया ?

वित्त उप मंत्री (श्री जयराम वर्मा)—

सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार राजकीय कोषागारों में कार्य करने वाले कर्मचारी तहसीलदार, मनीटेस्टर, स्टाम्पवेन्डर, आदि को संविधान के केवल अनुच्छेद ३११ के अन्तर्गत सुरक्षा मिली है, जिससे अब उनकी सेवायें सरकारी कर्मचारियों की भांति ही बिना औपचारिक विभागीय कार्यवाही किये समाप्त नहीं की जा सकतीं, उनके वेतन क्रम एवं पेंशन आदि का उक्त निर्णय से कोई संबंध नहीं है और न ही अन्य किसी प्रकार की घोषणा किये जाने की आवश्यकता है।

*२९—श्री सत्यनारायण पांडेय—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि वर्तमान महंगाई को देखते हुये उक्त कर्मचारियों को तत्कालिक आर्थिक सहायता देने का निर्णय कब तक करेगी ?

श्री जयराम वर्मा—

उक्त कर्मचारियों को राज्य के अन्य कर्मचारियों के बराबर ही महंगाई भत्ता दिया जाता है। अतः उनको अलग से किसी प्रकार की तत्कालिक आर्थिक सहायता देने का प्रश्न नहीं उठता।

जिला बुलन्दशहर में चकबन्दी कर्मचारियों के खिलाफ शिकायत

*३०—श्री मुमताज मुहम्मद खां—

क्या राजस्व मंत्री बतायेंगे कि लगभग ६ महीने पूर्व श्री खजेडू सिंह तथा बहुत से कृषकों ने प्रश्नकर्ता के द्वारा ग्राम भड़काऊ, परगना आहार, जिला बुलन्दशहर ने जो शिकायती प्रार्थना-पत्र चकबन्दी अमले के विरुद्ध दिये थे उनके संबंध में उन्होंने क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं तो अब तक कार्यवाही न किये जाने के क्या कारण है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

शिकायती प्रार्थना पत्र पर जांच की गई तथा चकों की नाप और कुछ अन्य झगड़ों को मौके पर समझौते द्वारा तय करा दिया गया है। चकबन्दी अमलों के विरुद्ध आरोप सत्य नहीं पाये गये। प्रश्न का अन्तिम भाग नहीं उठता।

बीकापुर तहसील में लेखपाल

*३१—श्री मंगलदेव (जिला आजमगढ़)—

क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि तहसील बीकापुर, जिला फैजाबाद में १९६०–६१ तक तथा १९६१–६२ में कितने लेखपाल कार्य करते थे तथा उनमें से कितने स्थाई तथा कितने अस्थाई थे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

१९६०–६१ तक १३७ लेखपाल कार्य करते थे जिसमें से ९४ स्थायी तथा ४३ अस्थायी थे। १९६१–६२ में भी १३७ लेखपाल थे जिसमें से ९४ स्थायी, ४ परीक्षण पर तथा ३९ अस्थायी थे।

राजकीय इन्टर कालेज, इलाहाबाद के कर्मचारियों का वेतन

*३२—श्री कल्याणचन्द मोहिले—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि इलाहाबाद राजकीय इन्टर कालेज का अक्तबर, १९६५ का वेतन अभी तक अल्पवेतन भोगी कर्मचारियों को नहीं दिया गया ? यदि हां, तो अक्तूबर १९६५ का वेतन न देने का क्या कारण है ?

श्री राममूर्ति—

अक्तूबर १९६५ का वेतन, राजकीय इन्टर कालेज, इलाहाबाद के कर्मचारियों को समय से वितरित नहीं किया जा सका क्योंकि १ नवम्बर, १९६५ को वेतन का धन बैंक से लाते समय कालेज का हेड क्लर्क रास्ते में लूट लिया गया।

*३३—श्री कल्याणचन्द मोहिले—

क्या सरकार कृपया बतलायेगी कि राजकीय इन्टर कालेज के वेतन की मांग सरकार के पास आई है ? यदि हां, तो कितने समय से ?

श्री राममूर्ति--

जी हां, दिसम्बर, १९६५ के प्रथम सप्ताह से ।

*३४--श्री कल्याण चन्द मोहिले--

क्या सरकार कृपया बतलायेगी कि अक्तूबर, सन् १९६५ का वेतन कितने कर्मचारियों को दिया गया, कितनों को नहीं ?

श्री राममूर्ति--

अक्तूबर, १९६५ माह का वेतन १०० कर्मचारियों को नहीं दिया गया तथा केवल ६ कर्मचारियों को दिया गया ।

*३५-३७--श्री राजनारायण मिश्र (जिला कानपुर)--

[८वें शुक्रवार के लिये स्थगित किय गय ।]

*३८--श्री रघुनाथ सिंह--

[पुनरावृत्ति होने के कारण हटा दिया गया ।]

भारत सेवक समाज जूनियर हाई स्कूल, हथियर के अनुदान का अपव्यय

*३९--श्री रघुनाथ सिंह--

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत सेवक समाज जूनियर हाई स्कूल, हथियर, वाराणसी को प्राप्त सरकारी अनुदान के अपव्यय और अन्य कुछ भ्रष्टाचार के संबंध में जो शिकायती-पत्र शिक्षा मंत्री के वैयक्तिक सहायक के द्वारा २५ अगस्त, १९६५ को हस्ताक्षरित होकर प्राप्त हुआ, उस पर क्या कार्यवाही गई ?

श्री राममूर्ति--

प्रश्नगत शिकायती पत्र पर उप-शिक्षा निदेशक, पंचम मंडल, वाराणसी द्वारा जांच कराई गई है ।

राजकीय सिटी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, गाजीपुर का भवन

*४०--श्री कृष्णानन्द राय--

क्या शिक्षा मंत्री बतायेंगे कि राजकीय सिटी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, गाजीपुर का भवन जो दो सौ वर्ष पुराना तथा जीर्ण-शीर्ण है जिसमें छात्रावास का अभाव है ? क्या सरकार उसके क्रीड़ा-क्षेत्र के समीप उपलब्ध भूमि पर भवन निर्माण कराने की कृपा करेगी ?

श्री राममूर्ति--

जी हां, मुख्य भवन बहुत पुराना है जिसका कुछ भाग जीर्ण शीर्ण अवस्था में है ।

भवन निर्माण हेतु कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

*४१--श्री कृष्णानन्द राय--

[८वें शुक्रवार के लिये स्थगित किया गया ।]

*४२-४४--श्री सुखरामदास तथा श्री राजाराम मिश्र (जिला जौनपुर)--

[८वें शुक्रवार के लिये स्थगित किये गये ।]

*४५--श्री जगन्नाथ राव (जिला जौनपुर)--

[८वें शुक्रवार के लिये स्थगित किया गया ।]

*४६--श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी--

[८वें शुक्रवार के लिये स्थगित किया गया ।]

कन्हैयालाल रामशरण रस्तोगी इन्टर कालेज, फर्रुखाबाद की टीन

*४७—श्री रक्षपाल सिंह तथा श्री हिम्मत सिंह (जिला बुलन्दशहर)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि कन्हैया लाल राम शरण रस्तोगी इन्टर कालेज, फर्रुखबाद को कितनी टीन सरकारी कोटे से सन् ६१ में दी गई ?

श्री राममूर्ति—

तीन टन ।

*४८—श्री रक्षपाल सिंह तथा श्री हिम्मत सिंह—

क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि १९६२-६३ में सरकार ने कितना रुपया अनुदान में उपरोक्त इन्टर कालेज को दिया ?

श्री राममूर्ति—

आवर्तक अनुपालन अनुदान	२४,६४८
अनावर्तक अनुदान	२२,४५०

*४९—श्री बांकेलाल—

[८वें शुक्रवार के लिये स्थगित किया गया ।]

*५०-५१—श्री लखीसिंह—

[८वें शुक्रवार के लिये स्थगित किये गये ।]

*५२—श्री होरीलाल यादव—

[७वें शुक्रवार के लिये स्थगित किया गया ।]

*५३—श्री रियासत हुसैन तथा श्री सुखरामदास—

[७वें शुक्रवार के लिये स्थगित किया गया ।]

*५४-५५—श्री कल्पनाथ सिंह—

[८वें शुक्रवार के लिये स्थगित किये गये ।]

*५६-५७—श्री राम सुन्दर शास्त्री (जिला गाजीपुर)—

[८वें शुक्रवार के लिये स्थगित किये गये ।]

*५८-५९—श्री रामचन्द्र विकल—

[पुनरावृत्ति होने के कारण हटा दिये गये ।]

*६०—श्री उल्फत सिंह यादव (जिला बदायूं)—

[८वें शुक्रवार के लिये स्थगित किया गया ।]

*६१—श्री सुरेन्द्र विक्रम (जिला शाहजहांपुर) तथा श्री विक्रम शाह (जिला शाहजहांपुर)—

[८वें गुरूवार के लिये प्रश्न सं० ७९ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

आर्य कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, टांडा का अनुदान

*६२—श्रीमती रामरती (जिला फैजाबाद)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या यह सच है कि सरकार ने फैजाबाद की नगरपालिका टांडा को यह आदेश दिया है कि आर्य कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, टांडा, फैजाबाद

के प्राइमरी स्कूल को अनुदान न दिया जाय ? यदि हां, तो क्या उक्त विद्यालय को सरकार से अनुदान दिया जाता है ?

श्री राममूर्ति--

शासन द्वारा नगरपालिका, टांडा को ऐसा कोई आदेश नहीं दिया गया है कि प्रश्नगत प्राथमिक स्कल को अनुदान न दिया जाये ।

प्रश्नगत प्राथमिक कक्षाओं के हेतु शासन द्वारा अनुदान नहीं दिया जाता ।

*६३--श्रीमती रामरती--

क्या यह भी सच है कि सरकार ने यह आदेश दिया है कि जिन प्राइमरी स्कूलों को नगर पालिका सहायता नहीं देती उसको सरकार अनुदान के रूप में सहायता देगी ? यदि हां, तो वह आदेश क्या हैं ?

श्री राममूर्ति--

न कोई ऐसा आदेश दिया गया है और न कोई ऐसा नियम है जिसके अनुसार नगरपालिका क्षेत्रों के प्राथमिक स्कूलों को यदि नगरपालिका अनुदान न दे तो उन्हें शासन द्वारा अनुदान दिया जाय ?

रुड़की में नहर के पुल की मरम्मत

*६४--श्रीमती शकुन्तला देवी (जिला सहारनपुर)--

क्या निर्माण मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जिला सहारनपुर रुड़की में नहर का पुल ऐसे समय तोड़ कर मरम्मत क्यों की जा रही है जबकि अवर्षण के कारण खेत सूख रहे हैं ?

श्री जगनप्रसाद रावत--

इस पुल के पुनर्निर्माण के कारण नहर के बहाव में किसी प्रकार की बाधा नहीं पड़ी है और न नहर को बन्द करने की आवश्यकता पड़ी है ।

*६५--श्रीमती शकुन्तला देवी--

क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि यह कार्य कब तक पूरा हो जायगा ?

श्री जगनप्रसाद रावत--

मार्च, १९६७ तक पूर्ण हो जाने की आशा है ।

लखनऊ तथा गोरखपुर विश्वविद्यालयों में कथित अशान्त वातावरण

*६६--श्री झारखंडे राय--

क्या शिक्षा मन्त्री जी कृपया बतायेंगे कि राज्य के दो विश्वविद्यालय, लखनऊ और गोरखपुर में अरसे से छात्र असन्तोष चल रहा है, यूनिवर्सिटी प्रांगण में पी० ए० सी० नियुक्त है, विश्वविद्यालय आंशिक रूप से आज भी बन्द पड़े हैं ?

श्री राममूर्ति--

जी नहीं ।

*६७--श्री झारखंडे राय--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि दोनों विद्या मंदिरों में शांति स्थानार्थ वह क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री राममूर्ति--

प्रश्न नहीं उठता ।

अतारांकित प्रश्न

मैनपुरी रेलवे सड़क पर नालियों का निर्माण

१—श्री गणेशचन्द्र काछी (जिला मैनपुरी)—

क्या यह सत्य है कि मैनपुरी रेलवे रोड पर सार्वजनिक निर्माण विभाग ने जो नालियां १९६४–६५ में बनाई हैं वह अधूरी छोड़ दी ह इस कारण गन्दा व बरसाती पानी बहने का अब कोई रास्ता नहीं रहा है, बीमारी फैलने का अंदेशा भी पैदा हो गया है और बरसात में मकान डूब जाने का अन्देशा पैदा हो गया है ? यदि हां, तो अधूरी नालियां कब तक पूरी हो जावेंगी ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

कथित नालियों के निर्माण का कार्य १८,५०० रु० (अठारह हजार पांच सौ रुपये) की अनुमानित लागत पर जून, १९६२ में स्वीकृत किया गया था। नालियों के पानी के निकास का प्रबन्ध नगरपालिका को करना था जो नगरपालिका ने नहीं किया। नगरपालिका ने इस सम्बन्ध में कुछ सुझाव दिये और उन सुझावों के अनुसार कार्य का ४२,८०० रु० (बयालीस हजार आठ सौ रुपये) का संशोधित आगणन बनाया गया। अतिरिक्त धन का प्रबन्ध होने तक कार्य को स्थगित रक्खा गया। अब संशोधित आगणन स्वीकृत कर दिया गया है। आशा है कार्य दिसम्बर, १९६६ के अन्त तक पूरा हो जायगा।

सगड़ी तहसील में उपलवृष्टि से क्षति

२—श्री उमाशंकर—

क्या राजस्व मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि पिछली २६ जनवरी को आजमगढ़ जिले की सगड़ी तहसील के परगना गोपालपुर के ग्राम बैजुआपुर, लखेसर, बुढ़ावे, हेसामुद्दीनपुर, नगवा, इटौरा, मटौली में जोरदार उपलवृष्टि के कारण फसलों का भारी नुकसान हो गया है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

प्रश्न में उल्लिखित गांवों में २६–१–६६ को ओलावृष्टि हुई थी परन्तु फसलों को कोई विशेष क्षति नहीं पहुंची।

३—श्री उमाशंकर—

क्या राजस्व मन्त्री जांच कराकर सगड़ी तहसील के उन ग्रामों की एक सूची मेज पर रखेंगे जिसमें हानि की हर ग्राम की प्रतिशत दिखाई गई हो ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

सूची संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ १२०–१२१ पर)

४—श्री उमाशंकर—

क्या राजस्व मन्त्री यह बतायेंगे कि फिलहाल इस समय पीड़ित ग्रामों को क्या सहायता दी गई है ?

श्री हुकुम सिंह विसेन—

पीड़ित गांवों में किसी सहायता की आवश्यकता नहीं समझी गई।

बिहार–उत्तर प्रदेश सीमा विवाद

५—श्री मैनेजर सिंह—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बिहार उत्तर प्रदेश सीमा विवाद के सम्बन्ध भ श्री च० ला० त्रिवेदी के पंचनिर्णय को लागू करने के कार्य की प्रगति क्या है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

भारत सरकार द्वारा सीमा परिवर्तन सम्बन्धी विधेयक का आलेख्य तैयार किया जा रहा है ।

राज्य सरकार द्वारा आगे कार्यवाही तभी हो सकेगी जब सीमा परिवर्तन सम्बन्धी अधिनियम पारित हो जावेगा ।

प्रश्नों का गलत उत्तर दिए जाने के सम्बन्ध में आपत्ति

श्री भगवानदास यादवेन्दु (जिला आगरा)—

श्रीमन्, मैं व्यवस्था चाहता हूं कि प्रश्न २७, २८ के उत्तर में सार्वजनिक निर्माण मंत्री जी ने कहा है "जी नहीं ।" मेरा प्रश्न यह था कि वहां पर एक सड़क किसी सेठ के द्वार बनाई जा रही है । मंत्री जी ने उत्तर गलत दिया है और यह निराधार है । लिहाजा मैं विशेषाधिकार की अवहेलना का नोटिस देता हूं और लिखित में बाद को प्रस्तुत करूंगा ।

उत्तर प्रदेश वेतन अभिनवीकरण समिति का प्रतिवेदन (१९६४–६५) एवं शासकीय संकल्प†

वित्त उपमंत्री (श्री जयराम वर्मा)—

अध्यक्ष महोदय, मैं उत्तर प्रदेश वेतन अभिनवीकरण समिति का प्रतिवेदन (१९६४–६५) एवं दिनांक २८ फरवरी, १९६६ के शासकीय संकल्प को सदन की मेज पर रखता हूं ।

श्री कमला सिंह यादव (जिला गाजीपुर)—

श्रीमन्, इस पर बहस के लिये समय देंगे ?

श्री अध्यक्ष—

वह तो यहां शायद बातचीत हो चुकी है कि बजट सेशन के बाद व्यवस्था करेंगे ।

प्रश्नों का उत्तर न मिलने के सम्बन्ध में आपत्ति

श्री लखपतराम शर्मा (जिला झांसी)—

श्रीमन्, नत्थी (ङ) के प्रश्न ३६–३८ पिछले सत्र में भी रखे गये थे लेकिन बन्द हो जाने से उत्तर नहीं मिला । इससे पहले भी यह एजेंडे पर आये लेकिन सूचना नहीं मिली । श्रीमन्, अगर इस तरह से महीनों तक सूचना न आये और उत्तर न मिले तो हमारे पास कौन सा इलाज है ?

श्री अध्यक्ष—

इस सम्बन्ध में मैं निवेदन कर दूं । अगर इस प्रकार के उत्तर आयें, तो मेरे सदन में आने के पूर्व कृपा करके मेरे कमरे में आने का कष्ट करें, तो पत्रावली देख कर ठीक तरह से व्यवस्था दे सकूंगा ।

---

†छापा नहीं गया ।

उत्तर प्रदेश अभिनवीकरण समिति का प्रतिवेदन (१९६४-६५) पर विवाद क सम्बन्ध में जानकारी

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)---

वेतन अभिनवीकरण समिति की रिपोर्ट सदन की मेज पर रखी गयी है। पहले जब इसकी चर्चा हुई थी तो हमने मांग की थी इस पर विवाद हो और आपने भी कहा था विवाद होगा।

श्री अध्यक्ष---

मैंने अभी कहा कि बजट सेशन के बाद इसकी व्यवस्था की जायगी।

श्री उग्रसेन---

बजट सेशन के माने ३१ मार्च या ३० अप्रैल ?

उत्तर प्रदेश विधान सभा की आश्वासन समिति का उन्तीसवां प्रतिवेदन†

श्री अध्यक्ष---

सभापति, आश्वासन समिति।

श्री कृष्णपाल सिंह (जिला रायबरेली)---

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आश्वासन समिति के सभापति की हैसियत से समिति का २९ वां प्रतिवेदन सदन के समक्ष प्रस्तुत करता हूं।

इस प्रतिवेदन में उन १२४ आश्वासनों का समावेश है जो सदन में १३ अप्रैल से ९ सितम्बर, १९६४ की अवधि में दिये गये थे। उन आश्वासनों पर विचार करने की तिथि तक संबंधित विभागों से इनके सम्बन्ध में जो सूचनाएं प्राप्त हुईं, उनके आधार पर केवल ५० आश्वासन ही पूर्ण माने जा सके हैं। इस प्रकार पूर्ति का प्रतिशत ४०.३ है। समिति का मत है कि आश्वासनों से सम्बन्धित विभागों ने यदि अपने कार्य में तत्परता दिखलायी होती तो कोई कारण नहीं कि अधिक संख्या में आश्वासन पूर्ण न होते। अपने उपरोक्त कथन की पुष्टि में कुछ उदाहरण प्रस्तुत करना चाहता हूं:

१---कानपुर रोडवेज डिवीजन में बुकिंग क्लर्कस के अवशेष वेतन का शीघ्र ही भुगतान कर दिये जाने के सम्बन्ध में २८ जुलाई, १९६४ को आश्वासन दिया गया था।

२---आगरा मेडिकल कालेज की पी० एम० टी० परीक्षा, १९६४, के पर्चे आउट हो जाने के बारे में यद्यपि आश्वासन ४ अगस्त, १९६४ को दिया गया, परन्तु यह मामला उससे पूर्व का ही है और जांच भी पहले से ही की जा रही है।

३---सुरक्षा कोष के धन में बी० डी० ओ०, बहादुर ब्लाक, जिला बस्ती द्वारा किये गये गबन के सम्बन्ध में उनके विरुद्ध वैभागिक कार्यवाही करने का आश्वासन २६ अगस्त, १९६४ को दिया गया था।

---

†छापा नहीं गया।

उक्त अपूर्ण आश्वासनों के बारे में केवल अन्तरिम सूचनाएं ही प्राप्त हुई हैं, जिनसे स्पष्ट नहीं होता कि आश्वासनों की पूर्ति की दिशा में क्या कार्यवाही की गयी, यद्यपि यह आश्वासन अब तक पूर्ण हो सकते थे। प्रतिवेदन में ९ आश्वासन ऐसे भी हैं, जिनके सम्बन्ध में समिति को किसी प्रकार की सूचना उपलब्ध नहीं करायी गयी है। यह शासकीय विभागों की उदासीनता का ही द्योतक है, अतएव इस ओर दृढ़ पग उठाने की आवश्यकता है।

पूर्व इसके कि प्रतिवेदन को समाप्त करूं मैं समिति से संबंधित सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को उनके सहयोग, सद्भावना सहायता तथा कठिन परिश्रम के लिये धन्यवाद देता हूं।

इन शब्दों के साथ मैं इस प्रतिवेदन को प्रस्तुत करता हूं।

भदोही तथा मिर्जापुर क्षेत्र के कालीन बुनकरों आदि की मांगों के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष--

एक कार्य-स्थगन प्रस्ताव आया है। उसमें यह है कि ७० हजार बुनकर मजदूर दिनांक २१ मार्च, १९६६ से आम हड़ताल करेंगे। यह मिर्जापुर, भदोही के कालीन मजदूरों के सम्बन्ध में है। कहा जाता है कि वह २१ मार्च से आम हड़ताल करेंगे। अगर माननीय सदस्य नियम देखेंगे तो इसमें लिखा हुआ है कि किसी हाल की घटित घटना के सम्बन्ध में प्रस्ताव निर्दिष्ट रहेगा।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)--

उन्होंने नोटिस दिया है कि २१ दिन के अन्दर जो उन्होंने मांगें की हैं अगर उनको नहीं मानेंगे तो २१ तारीख से काम बन्द कर देंगे। तो पूरा काम बन्द हो जायगा। इसलिये सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं कि कम से कम इसको देखें। ५ लाख लोग इससे प्रभावित होंगे। उनकी मांगों पर जांच करने के लिये एक कमेटी बनी। ६-७ साल से उसकी रिपोर्ट पड़ी है।

श्री अध्यक्ष--

माननीय उग्रसेन जी, अब जो हमारे निर्णय हो चुके हैं, उसके अनुसार इसमें केवल सम्भावना है, स्थिति केवल संभाव्य है। इसलिये मैंने मंत्री जी के पास इसे विशेष ध्यान के लिये भेजा है।

श्री उग्रसेन--

वहां पर हड़ताल हो जायेगी। लाठी चार्ज हो जायगा और गोली चल जायेगी तो क्या आप उस पर ध्यान देंगे। यह आप से सें, तो मैं प्रश्न पूछ सकता सरकार से और शायद उससे स्थिति संभल जाती और यह नौबत न आने पाती तो अच्छा रहता।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)--

मान्यवर, यह परिस्थिति बड़ी कठिन हो जायेगी, यदि आप बयान नहीं दिलवायेंगे। इस स्थिति के आने से यहां पर जो नुकसान होगा वह होगा ही, उसके अतिरिक्त ५ करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा का, जो उससे देश को मिलती है, संकट पैदा हो जायेगा। इसलिये आप सरकार से बयान दिलवा दीजिये कम से कम।

श्री अध्यक्ष--

इसमें दोनों में बहुत विरोध है। जिन्होंने सचनाएं दी हैं, वह मुझ से मिल लें तो मैं बता दूंगा।

इलाहाबाद, वाराणसी तथा मिर्जापुर जिलों में अभाव की स्थिति के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव एवं नियम ५३ के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष--

हमारे पास इलाहाबाद, वाराणसी और मिर्जापुर के बारे में, राजस्व मंत्री जी, सूखे की स्थिति के बारे में सूचनाएं आयी हैं और इस सम्बन्ध में इस सदन में बड़ी शिकायत हुई है। इलाहाबाद की तहसीलों में अभाव के सम्बन्ध में, कुछ वाराणसी और मिर्जापुर--

श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)--

श्रीमन्, उसमें गाजीपुर का भी नाम है।

श्री अध्यक्ष--

हमारे पास जो सूचना आयी है, वही मैं बता रहा हूं। अब इसमें एक कामरोको प्रस्ताव है और एक नियम ५३ के अन्तर्गत है। मैं समझता हूं कि यह प्रश्न ऐसा गम्भीर है कि इसमें १०-५ मिनट में समाधान नहीं हो सकता। इसलिये इस पर सोमवार के दिन ५ बजे से ७ बजे तक विचार होगा।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय (जिला जौनपुर)--

मंत्री जी खुद इलाहाबाद की तरह वहां की स्थिति देख आयें।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)--

यह किसने-किसने दिया है, उनके जरा नाम पढ़ दें।

श्री अध्यक्ष--

माननीय सालिग्राम जायसवाल, माननीय सत्यनारायण पांडेय, माननीय कल्याण चन्द मोहिले, माननीय केशरी प्रसाद पांडेय और माननीय रामसुन्दर पांडेय जी का नाम है। जिसमें यह है कि "मुख्य मंत्री द्वारा १७ मार्च, सन् ६६ को विधान सभा में इलाहाबाद जिले में विशेषकर करछना एवं मेजा तहसील की अभाव की स्थिति के सम्बन्ध में दिये गये वक्तव्य से हम लोगों को असंतोष है।

अतः विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम ५३ के अन्तर्गत इस लोक महत्व के अविलम्बनीय प्रश्न पर वाद विवाद करने की अनुज्ञा प्रदान करने की कृपा करें।"

दूसरा मेरे पास माननीय ऋषि नारायण शास्त्री, हरीगैन राम, माननीय विश्वनाथ पांडेय, राजनारायण सिंह, माता प्रसाद, कमला सिंह यादव, वशिष्ठनारायण शर्मा, विजयसिंह आदि का आया है।

एक सदस्य--

श्रीमन्, मेरा नाम भी है।

श्री अध्यक्ष--

हां, माननीय विजयसिंह, रामप्यारे और कुछ ऐसे ही नाम और हैं जो कि पढ़े नहीं जा रहे हैं। बंशीलाल जी का भी नाम है। अब नाम सबके छाप दिये जायेंगे।

माल मंत्री (श्री हुकुम सिंह विसेन)--

इसकी एक कापी हमको भी दे दीजिये।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय--

श्रीमन्, हमारे यहां जौनपुर में एक छटांक भी धान नहीं हुआ है वहां पर परिस्थिति भी गम्भीर है।

श्री अध्यक्ष--

जो मेरे पास सूचनायें आयी हैं, उन्हीं को तो मैं देखूंगा।

(व्यवधान)

श्री चन्द्रबली सिंह द्वारा अभिसूचित कार्य-स्थगन प्रस्ताव

श्री चन्द्रबली सिंह (जिला देवरिया)--

श्रीमन्, मैंने एक कामरोको प्रस्ताव दिया था कि देवरिया, आजमगढ़, बलिया, गाजीपुर, गोरखपुर में करीब एक लाख मन ज्वार, सरकार द्वारा दाम निश्चित न होने के कारण सड़ रहा है और उसमें कीड़े लग गये हैं और इन अनाज को इस भीषण महंगाई और अभाव की बेला में इस तरह से जो बरबाद किया जा रहा है इस सिलसिले में वह था।

श्री अध्यक्ष--

उसको मैंने अस्वीकार कर दिया है।

इलाहाबाद, वाराणसी तथा मिर्जापुर जिलों में अभाव की स्थिति के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव एवं नियम ५३ के अन्तर्गत सूचनाएं (क्रमागत)

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)--

मैं आपको याद दिलाऊं, श्रीमन्, कि नियम ५३ के अन्तर्गत जो आपने विवाद स्वीकृत किया है वह इलाहाबाद जिले के मेजा और करछना तहसील के संबंध में है। वह तो अलग चीज है। आज कामरोको प्रस्ताव दिया था और नियम ५२ के अन्तर्गत भी कुछ लोगों ने सवाल दिया है इन दोनों प्रश्नों को आप एक में न मिलावें।

श्री अध्यक्ष--

उसमें इलाहाबाद ही है, वाराणसी नहीं है।

श्री रामसुन्दर पांडेय--

श्रीमन्, वाराणसी और गाजीपुर के संबंध में वक्तव्य नहीं हुआ था, इलाहाबाद के संबंध में वक्तव्य हुआ था और उसी पर आप नियम ५३ को लें। गाजीपुर और वाराणसी के सवाल को उससे अलग रखें। इलाहाबाद के साथ उनको मिलाना ठीक नहीं है।

श्री अध्यक्ष--

आप बैठ जायं। जो आपने कहा है उस पर मैं विचार करूंगा।

श्री चन्द्रबली सिंह (जिला देवरिया)--

मैंने एक कामरोको प्रस्ताव दिया था।

श्री अध्यक्ष--

मैंने कह दिया कि उसको मैंने अस्वीकार कर दिया है।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

श्रीमन्, इस विधान भवन के फाटक पर एक कांग्रेसी कार्यकर्त्ता अनशन कर रहा है और वह बेचारा भूखों मर रहा है। तो सरकार कम से कम उसकी मांग मान कर एक कांग्रेसी को तो जान बचावे।

नगीना, जिला बिजनौर में होली पर साम्प्रदायिक दंगा होने के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत मन्त्री का वक्तव्य

गृह उपमंत्री (श्री शिवप्रसाद गुप्त)—

प्राप्त सूचना के अनुसार ७-३-१९६६ को हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी होली खेलने वालों का जुलूस नगीना में अपने निर्धारित स्थान से आरम्भ होकर नियत रास्तों से होता हुआ लगभग डेढ़ बजे दिन फोड़ान की मस्जिद से कुछ पहले छतरी वाली पिलखन वृक्ष के पास पहुंचा। इस स्थान पर अकस्मात् होली के जुलूस पर पास की गली व छत तथा मस्जिद की ओर से ईंट के टुकड़े आने प्रारम्भ हो गये। इस पथराव से जुलूस में भगदड़ मच गई। पुलिस वालों ने, जो जुलूस के साथ थे, इन उपद्रवकारियों से शांति बनाये रखने व ईंट के टुकड़े न फेंकने को कहा पर इसका कोई प्रभाव नहीं हुआ।

२—इसी बीच सूचना मिलने पर एस० डी० एम०, नगीना घटनास्थल पर पहुंचे। स्थिति पर काबू पाने का प्रयत्न बराबर जारी रहा और उपद्रवकारियों ने गली में पीछे हटना आरम्भ कर दिया। इस उपद्रव में एस०डी०एम० तथा १२ पुलिस कर्मचारियों को चोटें आईं। इसी समय १० उपद्रवकारियों को पकड़ लिया गया। इनको पकड़ते ही उपद्रवकारियों में भगदड़ मच गई। जब इन व्यक्तियों को पकड़कर सड़क पर लाया गया तो यह देखा गया कि २ दूकानों में आग लगी हुई है। यह भी समाचार मिला कि बाजार में कई जगह मस्जिद के नीचे व बड़े मंदिर के निकट दूकानों में आग लगा दी गई है। तुरन्त ही जिला अधिकारी तथा पुलिस अधीक्षक को सूचना दी गई और मुरादाबाद से आग बुझाने वाले यंत्र के लिये प्रबन्ध किया गया।

३—लगभग पौने तीन बजे मध्यान्ह जिला अधिकारी तथा पुलिस अधीक्षक अतिरिक्त पुलिस फोर्स लेकर घटनास्थल पर पहुंचे। इसी समय बिजनौर से भी पुलिस फोर्स आ गई और स्थिति पर काबू पा लिया गया तथा तुरन्त ही करफ्यू लगा दिया गया। कुछ दूकानें लूटी गई और कुछ को आग लगा दी गई। जलायी गई दूकानों में १ दूकान मंदिर की तथा ६ दूकानें मस्जिद के नीचे की हैं।

४—करफ्यू ७-३-६६ को शाम के ४ बजे से ९-३-६६ को सुबह १० बजे तक बराबर लागू रहा। उसके बाद १० बजे से २ बजे दिन तक करफ्यू हटा दिया गया और फिर दूसरे दिन के लिये ८ बजे प्रातः तक लगा दिया गया। करफ्यू के हटने पर ९-३-६६ से ही बाजार की दूकानें खुलनी प्रारम्भ हो गई। १०-३-६६ को सुबह से करफ्यू बराबर हटा रहा परन्तु रात में लगा रहा। १४-३-६६ को सुबह से करफ्यू पूर्णतया हटा दिया गया परन्तु नगर की सड़क पर सुरक्षा हेतु पी० ए०सी० तथा पुलिस के सिपाहियों की गश्त जारी है। बाजार की दूकानें खुली हैं और स्थिति इस समय सर्वथा सामान्य है।

५—जिला अधिकारी बिजनौर को क्षतिग्रस्त लोगों को उचित मुआवजा देने के आदेश दे दिये गये हैं। इस संबंध में सरकार द्वारा २५,००० रु० भी स्वीकृत किया गया है।

६—क्षतिग्रस्त सम्पत्ति के विषय में पुलिस द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

श्री टम्बेश्वर प्रसाद (जिला सीतापुर)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि आक्रमणकारी प्रातःकाल से ही वहां इकट्ठे थे और उनकी संख्या सैकड़ों में थी ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

ऐसी कोई सूचना नहीं है। डेढ़ बजे जुलूस निकल रहा था और जब ईंट पथराव हुआ तब देखा गया।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

मैंने आक्रमणकारियों के बारे में पूछा है ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

वे सुबह से इकट्ठा थे इसकी कोई सूचना हमारे पास नहीं है।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि होली में निकलने से पहले लोग संकोच कर रहे थे और यह सूचना पुलिस को दी थी कि वहां आक्रमणकारी काफी हैं ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

ऐसी कोई सूचना पहले से नहीं थी कि झगड़ा होगा। होली का जुलूस हमेशा निकलता था इस साल भी निकला।

श्री यादवेंद्रदत्त (जिला जौनपुर)—

यह देखते हुये कि मसजिद की तरफ से पथराव हुआ और ईंट के टुकड़े वहां पर इकट्ठे किये गये और प्रिप्लांड मामला था क्या पुलिस को पहले से जानकारी नहीं थी ? यदि हां, तो क्या यह फेलियर आफ इंटेलिजेंस नहीं है और यदि जानकारी थी तो उन्होंने पहले से क्या कदम उठाया था जिससे यह घटना न घटती ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

पहले से इसकी जानकारी नहीं है। जब ईंट पत्थर आये तब जानकारी हुई कि किधर से आ रहे हैं। उसके बाद १० आदमियों को गिरफ्तार कर लिया गया।

श्री शराफत हुसेन रिजवी (जिला मुरादाबाद)—

नगीना में जो झगड़ा हुआ है उसके संबंध में यू० पी० कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी गोविन्द सहाय जी ने जो बयान दिया है और यह चार्ज किया है कि यदि जिले के आफिसर्स वक्त पर सावधान होते और स्थिति पर काबू रखते तो ऐसे वाकयात न घटते यदि वह बात सही है, तो उन्होंने ऐसे आफिसरान के खिलाफ क्या कदम उठाया है जिन्होंने लापरवाही बरती ?

गृह मंत्री (श्री हरगोविन्द सिंह)—

इसकी सूचना तो मुझे नहीं है कि कोई ऐसा वक्तव्य है।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)—

उसी दिन साढ़े १० बजे धामपुर में भी इसी तरह की घटना हुई और डेढ़ बजे नगीना में यह घटना हुई जिसमें तमाम दूकानें फूंकी गयीं। तो मैं जानना चाहता हूं कि धामपुर की घटना के बाद सरकार ने क्या सतर्कता बरती और क्या कदम उठाये जिससे वह घटना नगीने वाली न घटती और इस घटना में कितना नुक्सान हुआ ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

श्रीमन्, जब साढ़े १० बजे धामपुर में घटना हुई उसी वक्त कप्तान वहां गये और उन्होंने वहां इंतजाम किया और जब नगीने के झगड़े की खबर आयी तो वहां पुलिस फोर्स काफी थी,

[श्रीशिव प्रसाद गुप्त]

एक एस०ओ०, २ एस०आई०, ३ हेड कांस्टेबिल्स, २२ कांस्टेबिल्स और १ एस० पी० गार्ड वहां पर थे। जब यह खबर आयी कि नगीना में झगड़ा हो गया है तो एस० पी० और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट भी आ गये। वहां पर पहरा लगा हुआ था और जो कसूरवार थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। नुक्सान इसमें कुल ३,३२,३९३.८० रुपये का अनुमानित है

श्री बसंतसिंह (जिला बिजनौर)—

क्या माननीय मंत्री जी इस बात की जांच कराने की कृपा करेंगे कि जनता ने इस झगड़े की आशंका से पुलिस को अवगत करा दिया था और जुलूस जब उठ रहा था तो दारोगा ने आश्वासन भी दिया था कि कोई खतरा नहीं है, मैं साथ चल रहा हूं। जब एस० डी० एम० को सूचना दी गयी तो वह मौके पर आये, लेकिन जब झगड़ा हुआ तब वह भाग गये और टेलीफोन एक्सचेंज पर जाकर बैठ गये और घटनास्थल पर कोई उचित कार्यवाही नहीं हुई। ३ घंटे तक लूट होती रही, दूकानें जलती रहीं लेकिन पुलिस ने और एस० डी०एम० ने कोई कार्यवाही नहीं की ?

श्री हरगोविन्द सिंह —

इस बात की जांच हो रही है कि कोई तसावली पुलिस की तरफ से हुई या नहीं।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—

क्या माननीय गृह मंत्री को यह मालूम है कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद् के कोई सदस्य वहां पर गये और उन्होंने अपना दिया है कि आफिसर्स की लापरवाही के कारण यह झगड़ा, हुआ, क्या इसकी उनको सूचना है ?

श्री हरगोविन्द सिंह—

मेरे पास कोई ऐसी उनकी रिपार्ट नहीं आई है।

श्री श्रीराम (जिला बिजनौर)—

क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि हमारे जिले में, नगीना में जब दंगा हुआ तो वहां पर उपमंत्री भारत सरकार के आये थे और जैसा कहा जाता है कि लगभग १५ लाख के वहां पर नुक्सान हुआ है तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने भी वहां कोई आदमी भेजा ?

श्री हरगोविन्द सिंह—

वहां पर पुलिस जांच कर रही है।

श्री शराफत हुसैन रिजवी (जिला मुरादाबाद)—

क्या माननीय गृह मंत्री जी को पता है कि उनकी पार्टी के एक आदमी और उस हाउस के माननीय सदस्य कुंवर बलबीर जी वहां पर गये थे और उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार की है और वह रिपोर्ट उन्होंने माननीय मुख्य मंत्री और माननीय गृह मंत्री को दी है ? तो क्या उस रिपोर्ट को सदन की मेज पर रखने की कोशिश की जायगी ?

श्री हरगोविन्द सिंह —

मेरे पास कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं आई है।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

मैं यह जानना चाहता हूं कि नगीना, धामपुर और शिवहारा इन तीन जगहों में पहले भी कभी झगड़ा हुआ था जैसा कि यह ७ मार्च को होली के दिन झगड़ा हुआ ? पहले पुलिस में इसकी रपट रही है तो चौकसी रहती है तो वहां पर पी०ए०सी० को कब भेजा गया और वह कब वहां पहुंची ? पुलिस कप्तान कब गये ?

श्री हरगोविन्द सिंह--

जितना अवेलेबिल फोर्स था उसको बिजनौर के कई स्थानों में चूंकि एक ही रोज सब जगह जुलूस निकलने थे, डिस्ट्रिब्यूट कर दिया था और इसके अलावा बाहर से भी पी०ए०सी० बुलाई गई थी ।

कुंवर श्रीपाल सिंह (जिला जौनपुर)---

क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि उनके पास इस बात की भी सूचना है कि हेड कान्सटेबिल सज्जाद हुसैन, तौफीक अहमद चपरासी तहसील और चीनो पहलवान चपरासी ये तीनों सरकारी अधिकारी भी उन दंगों में थे, लूट में शरीक थे और लूटपाट कर रहे थे ? यदि हां, तो इनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई ?

श्री हरगोविन्द सिंह---

हमारे पास इसकी कोई सूचना नहीं है ।

श्री कुंवर सत्यवीर (जिला बिजनौर)---

११ तारीख की रात में मैं स्वयं नगीना गया । मुझे किसी ने भेजा नहीं था । मुझे यह अधिकार है कि अगर मेरे जिले में कोई मुसीबत हो तो मैं वहां जाऊं। इसलिये मैं गया और वहां जाकर मैंने पहले हिन्दुओं से बातें कीं, फिर मुसलमानों से बात की और फिर वहां एक पीस कमेटी कायम करायी जिस में १५ हिन्दू थे और १५ मुसलमान थे । इसके अलावा चन्दा भी इकट्ठा कराया जो ६००० रुपया हुआ । अब वहां पीस कायम हो गयी है । और वह सब प्रिप्लांड नहीं था ।

श्री ढम्बेश्वर प्रसाद---

मैं आप की आज्ञा से सत्यवीर जी से प्रश्न करना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष---

आप सत्यवीर जी, भाषण नहीं दे सकते । यदि प्रश्न करना हो तो कर सकते हैं ।

श्री कुंवर सत्यवीर---

मैंने सरकार को कोई रिपोर्ट नहीं दी ।

श्री रक्षपाल सिंह (जिला फतेहपुर)---

क्या माननीय मंत्री जी यह बतलायेंगे कि इन उपद्रवकारियों में से कितने आदमी किन विशेष धाराओं के अन्तर्गत गिरफ्तार किये गये और क्या यह सही है कि उन में से अधिकतर छोड़ दिये गये हैं कल या परसों ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त---

२११ आदमी १६ तारीख तक गिरफ्तार किये गये हैं, यह सूचना मेरे पास है ।

कुंवर श्रीपाल सिंह---

क्या मंत्री जी बतलायेंगे कि लूट हुई यह उन्होंने माना है तो लूट का जो सामान था वह किसी के यहां बरामद भी हुआ या नहीं ? यदि नहीं, तो पुलिस ने उसे बरामद क्यों नहीं किया ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त---

जिन लोगों ने सूचना दी कि फलां आदमी के यहां लूट का सामान है उनके यहां तलाशी लेने पर कुछ बरामद नहीं हो सका ।

श्री नेकराम शर्मा—

क्या मंत्री जी यह बतलाने का कष्ट करेंगे कि वहां के कांग्रेसी विधायकों ने, जिस में माननीय गोविन्द सहाय भी हैं, यह प्रार्थना की है कि वहां के डी०एम०को तुरन्त हटा देना चाहिये क्योंकि उन्हीं के कारण यह सारी घटना हुई है ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

उन्होंने क्या कहा इसकी कोई सूचना मुझे नहीं है ।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

क्या मंत्री जी यह बतलायेंगे कि होली के मौके पर दो, तीन दिन पहले से वहां रंग शुरू हो जाता है । तो प्रिकाशनरी मेजर्स शिवहारा, नगीना और रामपुर में क्या लिये गये और वहां कितनी पी० ए० सी० भेजी गयी ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

तारीख की सचना नहीं है, लेकिन यह सूचना है कि पार साल जो इन्तजाम था उससे ज्यादा इन्तजाम इस बार किया गया था ।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—

इसकी चर्चा की गयी कि माननीय गोविन्द सहाय और केन्द्र के मंत्री भी वहां आये थे और उन्होंने अफसरों पर इसका इल्जाम लगाया । तो क्या मंत्री जी ने इस बात की जांच की और उस दौरान में क्या उनको पता चला कि अगर अफसरों ने मुस्तैदी बरती होती तो इस प्रकार की घटना न घटी होती ? तो यह बात जांच से साबित हुई या नहीं ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

अभी तो इसकी देख भाल हो रही है । कमिश्नर होकर आये हैं । इस संबंध में अभी कुछ कहा नहीं जा सकता ।

श्री काशीनाथ मिश्र—

वहां की लूट का माल सिपाहियों के पास है या नहीं ?

(उत्तर के लिये मंत्री को पुकारा नहीं गया ।)

श्री सुरेन्द्र विक्रम (जिला शाहजहांपुर)—

जो कमिश्नर और डी०आई०जी० सरकार ने वहां भेजे थे, क्या मुख्य मंत्री जी बतलायेंगे कि उन्होंने क्या रिपोर्ट दी है ?

मुख्य मंत्री (श्रीमती सुचेता कृपालानी)—

उनकी रिपोर्ट आ गयी है और उस पर सोच विचार किया जा रहा है । क्योंकि और सारी इत्तिलाओं को भी हम देख रहे हैं, इसलिये इन सारी बातों को अभी कहना ठीक नहीं होगा ।

कुंवर श्रीपाल सिंह—

क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि जब केन्द्रीय गृह उप मंत्री, श्री शुक्ला नगीना में आये तो उनके साथ हमारे यहां के डी० आई० जी० भी थे और वहां के डी० एम० और कमिश्नर भी थे और उनके साथ माननीय प्रकाशवीर शास्त्री, जो एम० पी० हैं, वे भी थे । तो उनके सामने मुहम्मद फारुख, भूतपूर्व अध्यक्ष, नगरपालिका, नगीना ने यह बड़े जोरों के साथ गुस्से में कहा कि हर वर्ष हमारे ऊपर रंग पड़ता था । वही फोड़ा नासूर बनकर वहां फूटा है ? क्या इसकी इत्तिला आपको है कि आपके अफसरों के सामने उन्होंने यह कहा ? और यदि कहा, तो उनको पकड़ा क्यों नहीं गया ?

श्री हरगोविन्द सिंह---

वहां क्या बात हुई, किससे हुई, मेरे पास सूचना नहीं है।

श्री टम्बेश्वर प्रसाद---

क्या मंत्री जी बतलायेंगे कि सदा की भांति उस मस्जिद के ऊपर जो पुलिस फोर्स लगाया गया था वह इस वर्ष क्यों नहीं लगाया गया, तथा कितने पुलिस के अधिकारी थे और उन्होंने उस भागती हुई भीड़ को आक्रमणकारियों से बचाने के लिये क्या कार्यवाही की ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त---

मैं पहले बता चुका हूं ---एक एस० ओ०, २ एस० आई०, ३ हैड कांस्टेबिल, २२ कांस्टेबिल यह सूचना थी और जो पहले पुलिस लगायी जाती थी उससे ज्यादा लगायी गयी थी।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद---

मैं पूछ रहा हूं कि जुलूस के साथ कितनी पुलिस थी ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त---

यह जुलूस के साथ ही गयी।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद---

उस पुलिस ने क्या प्रयास किया शान्ति स्थापित करने के लिए ? क्या लाठी चार्ज किया, यह प्रयास था ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त---

प्रयास यह किया कि जो लोग पत्थर फेंक रहे थे उनमें से १० का गिरफ्तार कर लिया और बाकी भाग गये।

श्री शराफत हुसैन रिजवी---

कुल गिरफ्तारियां २११ हुई हैं, झगड़ा समाप्त हो चुका है, अमन कमेटी बन चुकी है और २११ में से ८८ रिहा कर दिये गये हैं या केसेज वापस ले लिये गये हैं। तो जो शेष बन्द हैं उन पर से मुकदमा विद्ड्रा करके उनको रिहा करेंगे मंत्री जी ?

श्री हरगोविन्द सिंह---

इस समय इनवेस्टीगेशन हो रहा है और कोई विचार ऐसा नहीं है कि आतताइयों के ऊपर से मुकदमें वापस लिये जायं।

श्री रियासत हुसैन---

जैसे कि पूरे प्रान्त में हर जिले के अन्दर दफा १४४ का निफाज कलेक्टर की तरफ से पहले ही किया जाता है, तो बिजनौर के कलेक्टर ने निफाज १४४ का किस तारीख को किया और उसमें इस झगड़े के बारे में कोई रेफरेंस दिया या नहीं ?

श्री हरगोविन्द सिंह---

१४४ तो झगड़ा होने के बाद लगी।

श्री रियासत हुसैन---

पूरे प्रदेश में होली, मुहर्रम के मौके पर धारा १४४ हर जिले में लगायी जाती है तो बिजनौर में न लगाने का क्या कारण है ?

श्री हरगोविन्द सिंह--

वहां चूंकि जुलूस निकलता है इसलिए १४४ की आवश्यकता नहीं समझी गयी ।

श्री श्रीराम--

मेरा सवाल यह है सरकार की अकर्मण्यता के कारण जो यह दंगा हुआ और जिन लोगों का नुकसान हुआ, क्या सरकार उन लोगों को कुछ कम्पेन्शेसन देगी ?

श्री हरगोविन्द सिंह--

वह तो वक्तव्य में ही बताया गया है कि सरकार ने इस काम के लिये २५ हजार रुपये दिये हैं । कुछ चन्दा लोकली भी लोग कर रहे हैं । कुछ हुआ भी है । उसके लिये कोशिश भी की जा रही है कि लोगों को कुछ दिया जाय ।

श्री यादवेन्द्र दत्त--

क्या मंत्री जी को इस बात की जानकारी है कि एस० डी० ओ० तथा कुछ अधिकारी टेलीफोन एक्सचेंज में छिप गये थे और टेलीफोन करने का प्रयास कर रहे थे, परन्तु वहां लोगों ने टेलीफोन के तार काट दिये और ईंटे पत्थर आने लगे ? यदि हां, तो क्या यह प्री-प्लान्ड नहीं था ?

श्री हरगोविन्द सिंह--

यह तो अपनी अपनी राय का सवाल है, हां यह बात सही है कि टेलीफोन के तार काट दिये गये थे ।

श्री यादवेन्द्र दत्त--

जहां पर इस प्रकार के दंगे होते हैं वहां पर प्युनिटिव टैक्स लगा करता है और उस टैक्स से जो पैसा आता है उससे लोगों को कम्पनसेशन दिया जता है । तो क्या सरकार यहां पर भी, नगीना और धामपुर में, प्युनिटिव टैक्स लगायेगी ?

श्री हरगोविन्द सिंह--

यह तो हाइपाथेटिकल प्रश्न है सरकार का अभी ऐसा कोई विचार नहीं है ।

(व्यवधान)

(अनेक सदस्यों के खड़े होने पर ।)

श्री अध्यक्ष--

करीब आधा घंटा हो चुका है इस पर चर्चा होते हुये, अब अगला आइटम लिया जायेगा .....(व्यवधान) ।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद--

हम माननीय गृह मंत्री के इस रवैइये तथा आपके इस रवैइये के कारण सदन का त्याग करते हैं ।

(जन संघ दल के सदस्य सदन त्याग कर चले गये ।)

जिला अलीगढ़ में सिंचाई अधिकारियों के विरुद्ध श्री सुखरामसिंह, पतरौल द्वारा अनशन के सम्बन्ध में वक्तव्य

विद्युत् उप मंत्री (श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा)--

श्री सुखराम सिंह पतरौल ने मार्च, ९, १९६६ को दिन के १२ बजे से सिकन्दराराव में जिलेदारी दफ्तर, अलीगढ़ डिवीजन द्वितीय उपखंड, गंगा कैनाल के सामने भूख हड़ताल शुरू की ।

यह सही नहीं कि जिला अलीगढ़ सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने श्री सुखराम सिंह, पतरौल या अन्य किसी कर्मचारी के साथ कोई जुल्म किया हो ।

सर्व श्री सुखराम सिंह तथा गनेश पाल सिंह के साथ अमीन पद के चुनाव में कोई अन्याय नहीं किया गया । यह चुनाव अक्तूबर, १९६५ में एक चुनाव समिति द्वारा, जिसमें तीन अधिशासी अभियन्ता थे, किया गया । इस समिति ने उक्त व्यक्तियों को अमीन के पद के योग्य नहीं पाया अतः उनका चुनाव नहीं किया गया ।

जहां तक कर्मचारियों के इस्तीफा दिये जाने का प्रश्न है केवल दो पतरौलों ने त्याग पत्र दिया । उनमें से एक ने घरेलू परिस्थितियों के कारण ऐसा किया और इसका उल्लेख उनके त्याग पत्र में है । दूसरे ने अपने त्याग पत्र में कोई कारण नहीं लिखा । यह सही नहीं है कि यह त्याग पत्र अधिकारियों के कारण दिये गये ।

जहां तक पतरौलों के निलम्बन का प्रश्न है, यह सत्य है कि दो पतरौल निलम्बित हैं । और इसका कारण उनके कार्य में गम्भीर त्रुटियों का पाया जाना है ।

श्री अब्दुल मजीद अमीन के पद पर प्रोबेशन पर कार्य कर रहे थे । इनके कार्य में गम्भीर त्रुटियां पायी गयीं । दो बार उनको चेतावनी दी गयी, परन्तु तीसरी बार १४-१-६४ को गम्भीर त्रुटि पायी गयी और इस बार उनके विरुद्ध "सी० सी० ए० रूल्स" के अन्तर्गत पूरी कार्यवाही करने के बाद इनको पदच्युत करके पतरौल बना दिया गया ।

यह असत्य है कि अधिकारीगण असभ्य व्यवहार करते हैं । यह भी ठीक नहीं है कि अधिकारी असिंचित क्षेत्र को सिंचित दिखाये जाने के लिये दबाव डालते हैं । यह अवश्य है कि श्री सुखराम सिंह ने जो पैमाइश की उसकी चेकिंग की गयी तो दो मर्तबे उस क्षेत्र को जिसे उन्होंने सिंचित दिखाया था, असिंचित पाया गया और इसके लिये उनको मौखिक तथा लिखित चेतावनी दी गयी ।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)--

श्रीमन्, मैं एक सवाल करना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष--

यह केवल वक्तव्य है । अगर नियम एक बार टूटेगा तो फिर टूट जायेगा हमेशा के लिये ।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)--

श्रीमन्, एक प्रश्न पर नियम टूटेगा । यहां तो पच्चीसों प्रश्न होते हैं ।

१९६६-६७ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान

अनुदान संख्या १७--शिक्षा

*वित्त मंत्री (श्री कैलाश प्रकाश)--

श्रीमन्, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या १७-शिक्षा के अन्तर्गत ४६,०१,२६,८०० रुपये की मांग वर्ष, १९६६-६७ के लिये स्वीकार जाय ।

श्री अध्यक्ष--

माननीय मंत्री जी, अगर आप बैठकर बोलना चाहें तो आप बैठकर बोल सकते हैं । आदरणीय सदन की आज्ञा से मैं यह कह रहा हूं ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री कैलाश प्रकाश—

श्रीमन्, जो अनुदान मैंने उपस्थित किया है उसमें इस प्रदेश की सामान्य शिक्षा सम्मिलित है और टैक्नीकल शिक्षा भी सम्मिलित है। इसमें कोई सन्देह नहीं है कि इस अनुदान के अन्तर्गत इस वर्ष जो बढ़ोत्तरी हुई है वह बहुत सन्तोषप्रद नहीं। किन्तु बजट उपस्थित करते समय माननीय सदस्यों केसमक्ष यह उपस्थित कर दिया गया था कि इस साल देश की संकटकालीन परिस्थितियों को देखते हुए तथा अन्न संकट को देखते हुए सामाजिक सेवाओं के अन्तर्गत बहुत धन नहीं जुटाया जा सकता है। यही कारण है कि इस शिक्षा के अनुदान में जितनी अधिक बढ़ोत्तरी होने की आवश्यकता थी उतनी नहीं हुई। आगामी वर्ष के लिये बहुत बल प्राविधिक शिक्षा पर दिया है। यह ज्ञात है कि हमारे प्रदेश में प्राविधिक शिक्षा की कमी है। इन्जीनियर्स मिलते नहीं। ओवरसीयर्स की कमी रहती है। फिटर इत्यादि जो इस प्रकार के लोग हैं उनकी भी बहुत कमी रहती है। अतः यह आवश्यक है कि अपने प्रदेश की प्रगति को देखते हुए जो आज कल टैक्नोलाजी पर आश्रित है, हमको प्राविधिक शिक्षा का पूरा प्रबन्ध करना पड़ेगा और इसी बात को देखते हुए यदि माननीय सदस्य बजट के नई मदों पर दृष्टि डालेंगे तो वे देखेंगे कि आगामी वर्ष में प्राविधिक शिक्षा की बढ़ोत्तरी के लिये बहुत से कदम उठाये गये हैं।

इस संबंध में माननीय सदस्यों को एक पुस्तिका वितरित की गई है जिसमें यह पूरी जानकारी कर दी है कि प्राविधिक शिक्षा में क्या प्रगति हुई। साथ ही एक दूसरी पुस्तिका भी दी गई है जिसमें यह जानकारी करा दी है कि सामान्य शिक्षा में क्या प्रगति हुई। मैं माननीय सदस्यों का और सदन का समय उन आंकड़ों के बताने में नहीं लेना चाहता हूं क्योंकि उन्होंने स्वयं वह देख लिये होंगे। मैं केवल उन दिशाओं की ओर संकेतमात्र चर्चा करूंगा जिनको हमने जरूरी समझ कर इस वर्ष में और पिछले वर्ष में लिया है। इसमें कोई सन्देह नहीं है कि हमारा प्रदेश शिक्षा के क्षेत्र में एक पिछड़ा हुआ प्रदेश है और इसमें भी सन्देह नहीं है कि प्राथमिक शिक्षा ही शिक्षा की बुनियाद है और उसी की नींव पर आगे की शिक्षा चल सकती है। तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत यह लक्ष्य रखा गया था कि योजना पूरी होने पर ८२ प्रतिशत ६ से ११ वर्ष तक आयु के बालक और ४२ प्रतिशत बालिका स्कूलों में चली जायगी। किन्तु ३ साल के बाद अपने साधनों की प्रगति को देखकर बालिकाओं के विषय में निर्धारित अपने लक्ष्य को हमें नीचे लाना पड़ा और यह लक्ष्य ४२ के बजाय ३८ प्रतिशत का कर दिया गया। परन्तु इसके पश्चात् भी तुलनात्मक दृष्टि से हमारा प्रदेश अन्य प्रदेशों से पीछे ही रहता है। इसलिये इस बात का विशेष प्रयास किया गया छात्रवृत्ति आन्दोलन की मारफत कि छात्रों की संख्या बढ़े और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि ६४–६५ केअन्त तक ६ से ११ वर्ष तक के बालकों की संख्या ९८ प्रतिशत और बालिकाओं की ३८ प्रतिशत हुई जो अब ५२ प्रतिशत हो गई है।

अभी इसमें थोड़ी और प्रगति होने की आवश्यकता है। मैं निवेदन करूं कि इस प्रगति को लाने में जहां सार्वजनिक कार्यकर्ताओं, छात्रवृत्ति आन्दोलन, विभाग के अधिकारियों तथा जिला परिषद् के कार्यकर्ताओं का हाथ रहा है वहां एक नई स्कीम जो स्वावलम्बी स्कीम के नाम से चलाई गई उसका भी बहुत हाथ रहा। मुझे स्वयं भी जाने का अवसर हुआ और मैंने भी स्वयं ऐसी पाठशालाओं को देखा और मैंने देखा गांव वालों के उत्साह को, उन्होंने जिस लगन के साथ इन पाठशालाओं को चलाया। वाराणसी क्षेत्र में मैं ऐसे दो स्थानों पर गया और मैंने वहां ऐसी पाठशालाओं को देखा, ऐसा मालूम होता है कि ग्रामीण जनता में शिक्षा के प्रति कितनी लगन है, कितनी इच्छा है बच्चों को शिक्षित करने की, वह सब कुछ करने को तैयार मालूम देते हैं और इस योजना से काफी हमारी प्रगति हुई है। मैं समझता हूं कि यह योजना प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में भी चलेगी और हमारी जो शिक्षा के क्षेत्र में कमी है उसको पूरा करने में यह सहायक होगी। हमारा प्रदेश बालिकाओं की शिक्षा में पहले से ही पिछड़ा हुआ था और है। हमारे लिये यह गिराने वाली बात है कि अभी हमारे यहां की महिलायें शिक्षित नहीं हैं, कोई समाज भी प्रगतिशील नहीं हो सकता और आगे प्रगति भी नहीं कर सकता जिस गति से उसे करना

चाहिये अगर महिलायें शिक्षित न हों। हम इस क्षेत्र में आरम्भ से, सदियों से सामाजिक रूप में जकड़े हुये और पिछड़े हुये रहे हैं और अगर महिलाओं की शिक्षा में प्रगति न हुई तो उस प्रगति और गति के साथ हम विकास करने में असमर्थ होंगे जिस की आवश्यकता है। अतएव यह आवश्यक समझा गया कि जहां बालकों की शिक्षा की आवश्यकता है, बालिकाओं की शिक्षा की भी कम आवश्यकता नहीं है। परन्तु जैसा कि मैं ने निवेदन किया कि बालिकाओं की शिक्षा के लिये भी हम ने कुछ कदम उठाये हैं जिससे बालिकाओं की शिक्षा की प्रगति हो। माननीय सदस्यों को विदित है कि वह कदम विशेषकर यह रहा है कि उनकी फीस दसवीं कक्षा तक माफ की गई है जबकि बालकों के लिये केवल छठी कक्षा तक ही माफ है। इसके अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्रों में अध्यापिकायें कम उपलब्ध होती हैं इसलिये उनको अधिक प्रोत्साहन देने के लिये उन्हें अप्रशिक्षित को दस रुपया और प्रशिक्षित को १५ रुपया ग्रामीण भत्ता दिया जाता है क्योंकि उन को ग्रामीण क्षेत्र में रहने की परेशानी होती है इसलिये यह इंतजाम किया गया है। अब बालिकाओं के स्कूलों के पास महिला अध्यापकों के रहने के लिये आवास स्थान बनाये जांयगे, बालकों के स्कूल में भी बालिकाओं के प्रवेश के लिये हमने इजाजत दी है और इसमें हमें कुछ सफलता भी उपलब्ध हुयी है। एक ही गांव में दो स्कूल का खोलना इतना आसान काम नहीं है और बालिकाओं को दूसरे गांवों में जाने में अत्यन्त कठिनाई होती है। इसलिये हमने यह आदेश दिए हैं कि जो १ से ५ वीं कक्षा तक के स्कूल हैं उनमें बालकों के साथ बालिकाएं भी प्रविष्ट हो सकें जिससे यह शिक्षा और सम्मिलित शिक्षा चल सके। इससे भी अच्छे परिणाम निकले हैं लेकिन इसलिये कि बालिकाओं को बालकों के विद्यालय में कुछ अजीब सा वातावरण न मिले इस बात का प्रयास किया गया है कि एक स्कूल–माता भी रहे जो स्कूल में रहते हुए बालिकाओं की देखभाल करती रहे और यदि आवश्यकता रहे तो उनको उनके घरों से भी बुला ले और अपने साथ ले आये। यह योजना भी अच्छी सिद्ध हुयी है।

माध्यमिक शिक्षालयों में जहां पर बालिकाओं के विद्यालय नहीं हैं और वे कम संख्या में हैं लेकिन माध्यमिक विद्यालय में भी बालिकायें पढ़ने आती हैं, उनको सुविधा देने के लिये अलग से एक कमरा बनाया जाय और अलग से उनके लिये एक शौचालय बनाया जाय, इसके लिये प्राविधान किया गया है कि उन विद्यालयों को इसके लिये अनुदान मिले और इस में भी हमें सफलता प्राप्त हुयी है।

ग्रामीण क्षेत्रों में बालिकाओं की शिक्षा, प्रसार और प्रचार पर भी आश्रित है। इसलिये महिला निरीक्षिका के पद में महिला को नियुक्त किया गया है। इसमें भी हमें कुछ सफलता मिली है और अब हमारा विचार यह भी है, प्रयोगात्मक रूप में कि महिला निरीक्षिका के क्षेत्र को और पुरुष निरीक्षक के क्षेत्रों को सम्मिलित करके अलग-अलग क्षेत्र उनको दे दिया ताकि महिला निरीक्षका अपने क्षेत्र में बालकों और बालिकाओं के जो विद्यालय हों उनको देख सके। इसी प्रकार से एस० टी० आई० पुरुष निरीक्षक, अपने क्षेत्र में देख सकें। इस समय महिला निरीक्षका के पास दो–दो ब्लाक हैं जब कि पुरुष निरीक्षक के पास एक–एक ब्लाक हैं। ग्रामीण क्षेत्र में आने जाने में महिलाओं को अधिक कठिनाई होती है और अगर हम इस बात के प्रयोग में सफल हो जाते हैं तो हम उनके क्षेत्र में कमी कर सकेंगे और वे अपने अपने क्षेत्र में अच्छी तरह से देख सकेंगे और हमारा काम भी अच्छी तरह से चल सकेगा।

माननीय सदस्यों को यह भी ज्ञात है कि महिलाओं की शिक्षा के लिये बस–अनुदान भी दिये गये हैं।

महिलाओं की शिक्षा बढ़ाने के लिये हमने एक योजना क्रमोत्तर कक्षाओं की जिसे कन्टीन्युएशन क्लासेज भी कहते हैं, चालू की है। जो हमारे प्राथमिक विद्यालय हैं जहां पर १ से ५ वीं कक्षा तक पढ़ाई होती है और बालिकाओं के विद्यालय हैं, वहां पर एक या दो और शिक्षक को रखकर जो बालिकायें ६ से ८ तक पढ़ना चाहती हैं, उनको शिक्षा की सुविधा दी जाय

[श्री कैलाशप्रकाश]

और वे वहां से ८ वीं की परीक्षा दे सकें। यह योजना ग्रामीण क्षेत्र में सफल हुयी है और जो बालिकायें घर से बाहर नहीं जा सकती हैं और उनके गांव में माध्यमिक स्कूल नहीं हैं, वे ८वीं कक्षा तक शिक्षा पा सकती हैं।

प्रसार के साथ स्तर की भी बहुत आवश्यकता है। केवल प्रसार से ही काम नहीं चलने वाला है। मेरी धारणा है कि शिक्षा न तो परीक्षा है और न शिक्षार्थी। शिक्षार्थी शिक्षा का एक छोटा सा अंग है। शिक्षा तो व्यक्ति का निर्माण करती है। शिक्षा बच्चे का निर्माण करती है और यदि उसमें स्तर नहीं हो तो वह शिक्षा हमारे प्रगतिशील जमाने के लिये, आज के विज्ञान और टैक्नालाजी के लिये बहुत सहायक नहीं हो सकती। इसलिये हमने शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने का भी प्रयास किया है और शिक्षा के स्तर को उठाने के लिये शिक्षा का मध्य बिन्दु शिक्षक है। मैं समझता हूं कि शिक्षक को और कोई साधन न हो तो शिक्षा दी जा सकती है लेकिन साधन तैयार हुए हों और शिक्षक न हो तो शिक्षा नहीं दी जा सकती, इसलिये शिक्षक शिक्षा का मध्य बिन्दु है। दुर्भाग्य से समाज में एक समय था जब शिक्षक का बड़ा ऊंचा पद था। आज वह नहीं है और इसके कारण शिक्षक का सामाजिक पद और सम्मान भी घट गया है और उसकी आर्थिक उपलब्धियां तो घटी हुई हैं ही जिसके कारण शिक्षा के क्षेत्र में वही व्यक्ति जाता है जिसको अन्यत्र कुछ अधिक उपलब्ध नहीं होता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि शिक्षक की उपलब्धियां आर्थिक क्षेत्र में तुलनात्मक दृष्टि से कम रहीं, विशेष कर प्राथमिक शिक्षक के स्तर पर।

माननीय सदस्यों को ज्ञात है कि किस तरह से पिछले वर्ष हमने इस बात का प्रयास किया कि शिक्षकों की कुछ उपलब्धियां बढ़ें। ३१ मार्च, १९६४ को प्राथमिक शिक्षक को जो शिक्षित था केवल ७० रु० मिलता था और अशिक्षित को ५९ या ६० रु० मिलता था। आप समझ सकते हैं कि कोई भी शिक्षक जो बालक का निर्माण कर सके कैसे उपलब्ध हो सकता है। यह चीज हमारे सामने सदा चिन्ता का विषय बनी रही। लेकिन चूंकि इसमें धन काफी लगता था, मैं कहना चाहता हूं कि प्राथमिक क्षेत्र में शिक्षक को यदि ५ रु० भी बढ़ाया जाता है तो १ करोड़ रु० का भार बजट पर पड़ जाता है। जब तक इतना रुपया न जुटाया जा सके तब तक प्राथमिक शिक्षकों का ५ रु० नहीं बढ़ाया जा सकता है। यह सब आर्थिक कठिनाई होते हुए भी इस चीज को आवश्यक समझते हुए १ अप्रैल, १९६४ से प्राथमिक शिक्षक का ५ रु० बढ़ाया गया। इसके पश्चात् १ अप्रैल, १९६५ से प्राथमिक शिक्षकों का ५ रु० और बढ़ाया और तत्पश्चात् १ अगस्त, १९६५ से प्राथमिक शिक्षकों का २० रु० बढ़ाया गया। परिणाम यह हुआ कि आज जो प्रशिक्षित अध्यापक है उसको कम से कम १०० रु० उपलब्ध होगा और अप्रशिक्षित को कम से कम ९० रु० उपलब्ध होगा, जिनको दो साल पूर्व ६० और ७० रु० मिलता था। इसी कारण शिक्षकों को कुछ और सुविधायें दी गई। १ अप्रैल, १९६५ से जो टीचर माध्यमिक विद्यालयों के मुख्याध्याक और प्रिंसिपल थे उनको कोई महंगाई भत्ता नहीं मिलता था जब कि अन्य शिक्षकों को २० रु० मिलता था। उनको भी महंगाई भत्ता स्वीकृत किया गया। डिग्री कालेजेज के अध्यापकों को कोई महंगाई भत्ता नहीं मिलता था अलबत्ता इसके जो विद्यालय उनको दिया करता था फीस लगा करके और बाकी कोई व्यवस्था नहीं थी। ३५० रु० तक वेतन पाने वालों को २० रु० का भत्ता स्वीकार किया गया। १ अप्रैल, १९६५ को इन सब को उसमें सम्मिलित कर लिया गया और ४० रु० मंहगाई ८५० रु० तक वेतन पाने वाले शिक्षकों को, कर्मचारियों को स्वीकृत किया। उसको सम्मिलित करके जो पहले दिया जा चुका था। इस तरह से शिक्षकों को जो प्राईवेट संस्थाओं में हैं, उनको लाभत्रयी योजना दी गई, अर्थात् प्रावीडेन्ट फंड, बीमा और पेंशन की सुविधादी गई। लाभत्रयी योजना अपने प्रदेश में २ अक्तूबर, १९६४ से लागू है। उसके नियम भी बन गये हैं, अन्तिम हो गये हैं और उसमें हमने खासतौर से इस बात का ध्यान रखा है क्योंकि इ नकी संख्या बहुत है। ए०

बी० साधारणतया पेंशन जब कर्मचारियों की मंजूर करते हैं तो उसमें काफी देर लगती है। इन शिक्षकों की पेंशन नियत करने में अगर शिक्षा विभाग में प्रारम्भिक स्तर पर इंस्पेक्टर और माध्यमिक स्तर पर डिप्टी डायरेक्टर कर दें तो उनको पेंशन वक्त पर मिल जायगी और वक्त पर उनको पेंशन की अदायगी हो सकेगी।

इसके साथ साथ शिक्षकों के लिये ग्रेचुटी का भी प्रबन्ध किया गया। किसी शिक्षक ने २५ वर्ष सेवा की और ३० वर्ष पहले उनका देहान्त हो गया तो उसकी फैमली को कोई सुविधा नहीं मिल सकती थी। इस ग्रेचुटी के द्वारा उनके परिवार को भी कुछ सुविधा मिल सकती है। निश्चित आंकड़े तो इसके नहीं हैं लेकिन मैं समझता हूं कि अगर अगले वर्ष यही वेतन रहे शिक्षा विभाग में यही अध्यापक और कर्मचारी रहे तो लगभग १० करोड़ का व्यय अतिरिक्त हुआ करेगा जिसका अर्थ यह हुआ कि जो शिक्षा में कार्य करने वाले हैं गैर सरकारी संस्थाओं में उनको जो आर्थिक कठिनाइयां थीं अब उनको १० करोड़ रुपया प्रति वर्ष अधिक मिला करेगा जिससे उनकी कुछ सुविधा बढ़ जायगी।

शिक्षकों के क्षेत्र में माननीय सदस्यों को ज्ञात है कि विज्ञान के शिक्षकों की बहुत कमी है। हमने इस दिशा में एक खास नया कदम उठाया है और वह यह है कि जो बी० एस०-सी० ट्रेन्ड अथवा अनट्रेन्ड हैं उनको कुछ अतिरिक्त इंक्रीमेंट दे कर वहां रखा जाय। इंटरमीडियेट कक्षाओं के लिये विधान के शिक्षक उपलब्ध नहीं हैं न महिलाओं में और न बालकों के विद्यालयों में क्योंकि एम० एस-सी० है उनको दूसरी जगहों पर काफी क्षेम उपलब्ध होते हैं और वे शिक्षक के क्षेत्र में आना पसन्द नहीं करते। इस कमी को दूर करने के लिये हमने विशेष कदम उठाये हैं और एक साल का कन्डेंस्ड कोर्स चालू किया है और हमारे प्रदेश में ९,१० कंडेंस्ड कोर्स चल रहे हैं जिनके द्वारा बी० एस-सी० शिक्षक जो कि काम कर रहे हैं एक साल में उस कोर्स को उपलब्ध करलें और इस कोर्स को पास करने के बाद उनको वही ग्रेड दे दिया जावेगा जो कि एम० एस-सी० को दिया जाता है। इस कदम को उठाने से हमको यह सुविधा होगी कि विज्ञान के शिक्षकों की कमी हो रही है उसमें सुविधा हो जायगी।

साथ ही साथ हमारे कालेजेज में और यूनिवर्सिटीज में कार्यक्षमता बढ़ाने की भी हमने चेष्टा की है और जिन कालेजेज में संभव हो सकता था वहां प्रवेश बढ़ाया जा सकता था उनको विशेष रूप से अनुदान दे कर प्रवेश बढ़ाया है और उनकी कार्यक्षमता को बढ़ाया है और इससे प्रतीत होता है कि आगे काफी लोग मिल जायेंगे। प्रशिक्षित अध्यापकों की विद्यालयों में कमी है। उसका भी प्रसार हुआ है। प्रशिक्षण में व्यवस्था की कमी थी... इस चीज को भी दूर करने के लिये हमने खास कदम उठाया है। माननीय सदस्यों को ज्ञात है कि अब तक एच० टी० सी० और जे० टी० सी० का कोर्स दो साल का था अब उसे घटा कर एक साल का कर दिया है और दोनों का नाम बी टी० सी० कर दिया गया है। उसमें कुछ हाई स्कूल और कुछ इन्टरमीडिएट होंगे। हाई स्कूल बी० टी० सी० प्राथमिक कक्षाओं को पढ़ायेंगे और उनको प्राथमिक टीचर्स का ग्रेड मिलेगा। इन्टर बी० टी० सी० जूनियर स्कूलों में पढ़ायेंगे और उनको जूनियर स्कूलों के टीचर्स वाला ग्रेड मिलेगा। अब एच०टी० सी० और जे० टी० सी० के बजाय केवल एक प्रमाण-पत्र होगा और उनको योग्यता के अनुसार ग्रेड दिया जायगा। इससे हमें आशा है कि जो हमारी जबर्दस्त प्रशिक्षण में कमी है वह पूरी होगी।

शिक्षकों के अतिरिक्त और दिशाओं में भी हमने कुछ स्तर सुधारने की कोशिश की है। इस चालू वर्ष में एक नई योजना में हमने एक नई एफीशियसी ग्रांट विद्यालयों को देने की शुरुआत की है। इसके अन्तर्गत एक लाख रुपया रखा गया है। उन विद्यालयों को जिनका परीक्षा फल अच्छा है और भी कुछ बातें रखीं गई हैं और उनका एक मापदंड बना दिया गया है। केवल परीक्षा फल ही नहीं रखा गया है बल्कि और चीज का भी उसमें समावेश किया गया है। उनमें हम

[श्री कैलाशप्रकाश]

तरह से ग्रांट देते हैं। इसकी तीन श्रेणियां हैं। १ श्रेणी में चार हजार रुपया विद्यालय को दिया गया, २ श्रेणी में तीन हजार रुपया ३ श्रेणी में दो हजार और ४ श्रेणी में एक हजार रुपया प्रति विद्यालय दिया गया है। हमें यह मालूम हुआ है कि इससे विद्यालयों में कुछ चेतनता आई है। जहां हमने कार्य कुशलता के लिये यह किया है वहां दूसरी ओर थोड़ी सी रोक भी लगाने की कोशिश की है। हमने देखा कि बहुत से विद्यालयों म २५ प्रतिशत से भी परीक्षाफल हाई स्कूल का कम रहता है और व मान्यता प्राप्त विद्यालय हैं और उनको अनुदान मिलता है तो उसका टैक्स पेयर के ऊपर भार पड़ता है जो उचित नहीं है। जिनका परीक्षाफल इतना कम है उनके लिये मैंने यह किया कि उनको जो अनुपाल व अनुदान दिया जाता था। उसमें से दस प्रतिशत काट लिया और उनको लिख दिया कि आपका परीक्षाफल २५ प्रतिशत से कम है इसलिये यह काटा जा रहा है।

श्रीमन्, स्कूल का स्तर बढ़ाने के लिये साइन्स, सज्जा, भवन, प्रयोगशाला, भवन प्लेग्राउन्ड के लिये विभिन्न अनुदान दिये गये। हमने एक विशेष योजना चलाई। हमने देखा कि कुछ स्कूल साइंस में हाई स्कूल और इन्टर के लिये मान्यता प्राप्त हैं लेकिन उनकी साइंस की प्रयोगशाला निम्न स्तर की भी नहीं हैं। इसलिये हमने प्रदेश के समस्त स्कूलों की प्रयोगशालाओं की जांच कराई कि किन किन चीजों की आवश्यकता है जिन्हें वे एक स्तर पर आसके और पूरा आंकड़ा लेकर हमने अन्दाजा लगाया कि उस विद्यालय को इतना रुपया चाहिये, इसको इतना चाहिये और विज्ञान की प्रयोगशालाओं को हाई स्कूल और इन्टर तक के स्तर पर लाने के लिये हमने १०० प्रतिशत की ग्रांट दी। इसमें कोई चीज नहीं रखी गई जो साधारणतया औरों में रखी जाती हैं।

(इस समय १ बजकर १४ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री जगदीशशरण अग्रवाल एडवोकेट, पीठासीन हुये।)

उसी तरह से हमें कृषि के संबंध में अनुभव हुआ कि उसमें जो चीज चाहिये वे साधन कृषि स्कूलों को उपलब्ध नहीं हैं। यहां भी कैश ग्रांट दी और एक कैश प्रोग्राम चलाया। यह जो ग्रांट दी है यह क्रमवार दी है। जिस साल में जो विद्यालय मान्यता प्राप्त हुआ उसको पहले दिया। इसके बाद अगले साल का और १९६१ तक प्रत्येक पंच वर्षीय योजना के अन्त तक जितने विज्ञान और कृषि के विद्यालय थे उनको इस तरह का अनुदान दिया है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह अनुदान इसलिये दिया जिससे ये विद्यालय अपने स्तर तक आ सकें। मैंने जांच नहीं कराई लेकिन मुझे ऐसा आभास हुआ कि यह अनुदान मिलने के बाद बजाय प्रयोगशाला के लिये सामान खरीदने के और स्तर तक लाने के उसको दृष्टि में इन्टर तक ही रखा। और इन्टरमीडिएट के लिये जो सज्जा सामान चाहिये वह खरीदा और हाई स्कूल का कार्यक्रम उसी स्तर पर रह गया जैसे पहले था। माननीय सदस्यों का काफी सम्पर्क विद्यालयों से रहता है। शिक्षा स्तर को ठीक करने के लिये आवश्यक है कि जो रुपया जिस स्थान के लिये दिया गया है, हाई स्कूल, इंटर, कृषि विज्ञान के लिये दिया गया है, उसी मद में खर्च किया जाय।

श्रीमन्, बार बार यह आता है कि प्रदेश में बहुत गरीब लोग भी हैं। शिक्षा हर एक के लिये आवश्यक है। प्रतिभा केवल पैसे वाले के पास नहीं है, केवल नगरों में नहीं, ग्रामीण क्षेत्रों में भी प्रतिभा होती है, गरीब घराने में भी पैदा हुये बच्चे में प्रतिभा होती है लेकिन साधनविहीन होने के कारण शिक्षा नहीं दे सकते। इसलिये इस बात का प्रयास किया गया। दो दृष्टिकोण हैं, एक तो यह कि शिक्षा को बिलकुल निःशुल्क कर दिया जाय। वह साधनों पर आश्रित है। यदि उसके लिये साधनों को जुटाया जा सकता हो तो उसका प्रयत्न किया जाय। यह अच्छी बात नहीं है कि कोई बालक या बालिका शिक्षा उपलब्ध न कर सके। अतः यह प्रयास किया गया कि छात्रों को उनकी प्रतिभा देख कर दूसरे उनकी आर्थिक दशा को देख कर अधिक से अधिक अनुदान, छात्रवृत्ति, किताबों की सहायता, फीस की छूट दी जाय। कई तरह से फीस की छूट दी जाती है।

छठे क्लास तक कोई फीस किसी के लिये है नहीं। दसवें क्लास तक बालिकाओं के लिये फीस माफ कर दी गयी है। एक विद्यालय में दस फीसदी बच्चों की फीस माफ होती है। १५ फीसदी बच्चों की आधी फीस माफ होती है। हरिजनों की फीस माफ होती है। स्वतन्त्रता संग्राम के सैनिकों की फीस माफ होती है। सौ रुपये से कम पाने वाले सरकारी कर्मचारियों के बच्चों की भी फीस माफ होती है। जो पाकिस्तान और चीन की लड़ाई में सैनिक हताहत हो गये, या अपंग हो गये उनके बच्चों की भी फीस माफ होती है। इस तरह से फीस माफी काफी संख्या में दी जाती है। यह सब जोड़ा जाय तो प्रदेश में जो बच्चे पढ़ते हैं उन में काफी प्रतिशत ऐसा होगा जिनकी फीस माफ हो जाती है। केवल फीस की माफी से काम नहीं चलता क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं जिनको फीस माफ करने मात्र से काम नहीं चल सकता। रहने के लिये और कामों के लिये सहायता चाहिये। इसलिये छात्रवृत्ति दी जाती है। मैं माननीय सदस्यों का समय उसमें नहीं लेना चाहता लेकिन इस बात का पूरा प्रयास किया जाता है कि छात्रवृत्तियों की संख्या बढ़ती जाय। एक तरीके की छात्रवृत्ति मेरिट के ऊपर, आर्थिक दशा के ऊपर दी जाया करती थी। पिछले दस एक साल से केन्द्रीय सरकार की सहायता से ऋण छात्रवृत्ति भी दी जाती है और वह छात्रवृत्ति काफी संख्या में उपलब्ध है। इसलिये इस दृष्टिकोण से छात्रों को आर्थिक अवस्था न अच्छी होने के कारण पढ़ने में कोई विशेष कठिनाई होने की बात नहीं है। हमने भी कुछ और ऐसा कदम उठाया है जिससे स्तर ठीक हो सके। हमें पता लगा कि हमारे डिग्री कालेज में जो कृषि शिक्षा दी जाती है उसका स्तर और उसके साधन अच्छा नहीं। बराबर विद्यालयों के द्वारा इस बात की मांग आया करती थी कृषि को मान्यता न दी जाय। एक कमेटी हमने मुकर्रर की जिस कमेटी के संयोजक कानपुर कृषि विद्यालय के प्रिंसिपल थे, जो प्रत्येक विद्यालय में गये। उन्होंने उस विद्यालय की दशा देखी और उन्होंने अपनी एक रिपोर्ट दी है। उस रिपोर्ट पर भी शनैः शनैः हमारा काम करने का इरादा है, जिससे हमारे प्रदेश में जो स्नातक कृषि के निकल सकें, उनका स्तर अच्छा हो और जो आजकल हमारे देश की महती आवश्यकता है कृषि के क्षेत्र में उसकी पूर्ति हो सके।

इसके अतिरिक्त माननीय सदस्यों की यह भी शिकायत रही है कि बी०ए०, बी० टी० की शिक्षा का स्तर भी खराब है वह स्तर गिर रहा है, क्योंकि उन कक्षाओं में प्रवेश की संख्या बहुत ज्यादा है। इसके लिये भी मैंने एक कमेटी बैठाई है, जो उस विद्यालय की दशा को देखेगी और अपनी रिपोर्ट देगी। आशा है कि वह रिपोर्ट शीघ्र ही हमारे पास आ जायगी। उन रिपोर्टों के आधार पर हम काम करके महाविद्यालयों का स्तर सुधारने का और ट्रेनिंग के स्तरों को सुधारने का प्रयास करेंगे।

माननीय सदस्य जानते हैं कि यह प्रदेश एक बहुत बड़ा प्रदेश है, जहां की लगभग ८ करोड़ आबादी है। इस प्रदेश में इस साल हाई स्कूल और इंटरमीडिएट बोर्ड की परीक्षाओं में साढ़े ५ लाख छात्र शामिल हुये हैं। ऐसा महसूस होता है कि शायद यह बोर्ड बढ़ते हुये परीक्षार्थियों का ठीक-ठीक संचालन न कर सके। आखिर संख्या का भी एक बहुत भारी असर प्रबन्ध संचालन पर पड़ता है। तो हम बोर्ड के कार्य को मैकेनाइज्ड करने जा रहे हैं। यह करने से भी शायद काम न बने, इसलिये इस पर भी रिपोर्ट करने के लिये एक कमेटी बिठाई गई है, जिसके चेयरमैन श्री राधाकृष्ण अग्रवाल थे। उनके भी सुझाव आ गये हैं जिसके अनुसार आशा है उन पर विचार करने के उपरान्त अधिनियमों में कुछ परिवर्तन करना पड़ेगा, उनमें अमेंडमेंट लाना पड़ेगा। इसलिये यदि उनके सुझावों को लागू करना पड़ा, यदि वह तैयार हुये और सदन बैठा तो वह संशोधन भी हम करने का प्रयास करेंगे।

एक सदस्य—

कुछ रूपरेखा उसकी बताइये।

श्री कैलाशप्रकाश--

उसमें तो बहुत देर लग जाएगी। साथ ही साथ यह भी सुझाव आया कि इंटरमीडियेट कालेजेज और हाईस्कूल विद्यालयों के जो मुख्य अध्यापक हैं उनकी सेवाओं को एक सेवा-रत कर दिया जाए, जो बोर्ड के अन्तर्गत हों यानी उनकी सेवाओं का प्रदेशीय स्तर प्रदान कर दिया जाए। अर्थात् एक सेवा ऐसी बनाई जाये जो बोर्ड के अन्तर्गत हो और हाईस्कूल तथा इंटरमीडियेट विद्यालयों के मुख्य अध्यापक उसके अन्तर्गत हों और उनका स्थानान्तरण भी समय-समय पर हो सके आवश्यकता होने पर। कई बार यह चर्चा हुई है कि एक प्राइवेट संस्था के मुख्य अध्यापक के दूसरी संस्थाओं में तबादले की व्यवस्था होनी चाहिये। इस पर विचार किया गया, चेष्टा भी की गयी लेकिन अभी तक यह संभव नहीं हो सका है यह सुझाव आया है और इस पर परीक्षण हो रहा है और यदि हो सका तो इस पर कोई कदम उठाने का प्रयास किया जाएगा।

श्रीमन्, चीजों में कुछ देर लगा करती हैं। लड़कों को छात्रवृत्ति देने में, अनुदान देने में, हमने इस बात का प्रयास किया है कि इस देर को काटा जाए, कम से कम किया जाए। इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम यह उठाया गया है कि इस व्यवस्था का विकेन्द्रीकरण किया गया है। पहले अनावर्तक अनुदान रेकरिंग ग्रांट, वह चाहे छोटी हो या बड़ी, चाहे १५ हजार की हो चाहे दो हजार की, वह सिर्फ निदेशालय द्वारा दी जाती थी। बढ़ती हुये शिक्षा और बढ़ते हुए छात्रों की संख्या और बढ़ती हुयी छात्रवृत्तियों का काम एक निदेशालय से चलना कठिन हो रहा था। इसलिये इसके लिये यह किया गया दो साल से, कि पांच हजार तक की जो अनावर्तक अनुदान हैं वह उप निदेशक दिया करते हैं और ५ हजार से अधिक की निदेशालय द्वारा दी जाती है। उप निदेशकों को विद्यालयों की जानकारी होती है, वह इन अनुदानों को अच्छी तरह और जल्द बांट सकते हैं। साथ ही साथ हमने यह भी किया कि अनुपालन अनुदान जो जूनियर हाईस्कूल के विद्यालयों को मिलती थी, उसमें भी देर हो जाती थी, आगे से उपनिदेशकों के द्वारा की है। यह स्कीम सफल हुई है इसलिये इसको और भी कुछ आगे बढ़ाने का विचार है जिस से वहां सहूलियत हो सके। इसी तरह से छात्रवृत्ति के सम्बन्ध में भी उपनिदेशक को और कुछ हद तक निरीक्षक को शक्ति दी गई है जिस से वे उन चीजों को देख सकें और अच्छी तरह से उस काम को कर सकें। मैं यह भी निवेदन कर दूं कि अनुपालन अनुदान के देने में और अंकन करने में भी परिवर्तन किया गया है और आज स्थिति यह है कि पिछले वर्ष और इस वर्ष भी माननीय सदस्य और कुछ विद्यालयों के मैनेजर्स आये। वे शिकायत करते थे कि हमारा अनुपालन अनुदान घट गया है। पिछले वर्ष जो हुआ वही इस वर्ष भी हुआ है। मैंने उनसे निवेदन किया कि पहले जो अनुपालन अनुदान का अंकन होता था वह बजट के ऊपर होता था। बजट कभी घट गया, कभी बढ़ गया क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि अनुमान जो पिछले साल साल था वह कम हो जाय या उससे बढ़ती हो जाय। अब हमने पिछले वर्ष यह कर दिया कि सन् ६३-६४ में जो ऐक्चुअल खर्चा था वह ६४-६५ में दिया जो कि स्वयं मैनेजर्स ने रेकार्ड्स भेजा है, उसके ऊपर हमने अंकन किया है जिससे स्वयं मैनेजर और विद्यालय वाले इस बात को देख सकें कि इतना हमारा पिछले साल खर्च हुआ और उसी के आधार पर अनुपालन अनुदान दिया गया है। इसका एक फार्मूला हमने बना दिया है। पिछले साल कुछ सज्जन मेरे पास आये, मैंने उनको निदेशालय में भेज दिया कि आप वहां चले जायं, अगर कोई गलती होगी तो उसे देख लिया जायगा। अगर अनुपालन अनुदान के अंकन में कोई गलती होगी तो उसे शुद्ध कर दिया जायगा या कोई भ्रम होगा तो उसे भी दूर कर दिया जायगा। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि जितने सज्जन मेरे पास आये और जो निदेशालय में गये, केवल एक के अतिरिक्त और कोई भी मेरे पास लौट कर नहीं आया यह कहने के लिये कि कोई गलती थी। यदि कोई आया भी तो उसकी गलती वहीं शुद्ध कर दी गयी क्योंकि निदेशालय ने स्वयं इस बात को देख लिया और उसे ठीक कर दिया। इस साल भी इसी तरीके से किया गया। बहुत दिनों से इस बात की मांग रही कि अनुपालन अनुदान का अंकन किस तरह से होता है और किस तरह से वह जमा

हुआ है, इसका पता चल सके। आहिस्ते आहिस्ते करके एक फार्मूला सेट किया गया है और अब यह ठीक हो जायगा। इससे स्वयं मैनेजर को तथा विद्यालयों के प्रिंसिपल्स को पता चल जाया करेगा कि हमारा पिछला अनुपालन अनुदान इतना था और इस साल इतना अनुपालन अनुदान रखा गया है।

श्रीमन्, और मुझे अधिक कुछ बात कहना नहीं है। इस साल प्रदेश में दो विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई है, एक मेरठ में और एक कानपुर में। उसके अधिनियम आपके द्वारा बन गये हैं। फिलहाल एक स्पेशल आफिसर हमने वहां मुकर्रर कर दिया है क्योंकि शुरू में छोटा मोटा काम ही रहता है, उनकी स्थापना करने का, दफ्तर लगाने आदि का और उसमें खर्चा कम होता है। इसलिये अभी ओ० एस० डी० मुकर्रर कर दिया है। जैसे ही आवश्यकता होगी वहां के लिये उप कुलपति मुकर्रर कर दिया जायेंगा तथा दोनों विश्वविद्यालय विधिवत् चालू हो जायेंगे। इन शब्दों के साथ मैं अपना प्रस्ताव उपस्थित करता हूं। माननीय सदस्यों के जो भी सुझाव होंगे, उनको बहुत ध्यानपूर्वक सुना जायगा और अगर कोई कमी रह गयी होगी—कमी तो रह ही गयी होगी—उस सम्बन्ध में जो भी सुझाव माननीय सदस्यों के आवेंगे उस सम्बन्ध में उत्तर देते वक्त कह दिया जायगा।

*श्री भानुप्रताप सिंह (जिला बस्ती)——

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी अनुमति से अपना कटौती का प्रस्ताव उपस्थित करता हूं कि "सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय।

कमी करने का उद्देश्य——विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।"

श्रीमन्, मैं प्रारम्भ में ही निवेदन कर देना चाहता हूं कि इस प्रकार के कटौती के प्रस्ताव उपस्थित करने की एक संसदीय परम्परा है जिसके द्वारा हम विभाग की आलोचना कर सकते हैं .....

श्री अधिष्ठाता——

माननीय भानु प्रताप सिंह जी, आप कितना समय लेंगे ?

श्री भानुप्रताप सिंह——

४०–४५ मिनट।

श्री अधिष्ठाता——

३० मिनट में खतम कर दें, तो अच्छा होगा।

श्री भानुप्रताप सिंह——

मैं कोशिश करूंगा लेकिन अगर समय बढ़ जाय तो आप बढ़ा देंगे? पिछले वर्ष मैंने सहकारिता विभाग पर कटौती का प्रस्ताव रखा था और कहा भी था कि केवल औपचारिक ढंग से नहीं कहता हूं कि इस मांग को १ रुपया कर देना चाहिये क्योंकि सहकारिता विभाग के लिये एक रुपये से ज्यादा सरकार को खर्च के लिये नहीं देना चाहिये क्योंकि उसको मैं जालसाजी का महकमा समझता हूं। लेकिन आज जो शिक्षा के विषय में मैंने कटौती का प्रस्ताव रखा है उसके विषय में केवल औपचारिक है और मेरा यह कहना है कि जो धन इस पर व्यय किया जा रहा है वह बहुत कम है और उससे बहुत ज्यादा उस पर होना चाहिये। श्रीमन्, इस अवसर पर राष्ट्रीय जीवन में शिक्षा का क्या महत्व है, इस पर प्रकाश डालने की कोई आवश्यकता नहीं होती यदि मैं संतुष्ट होता कि हम शिक्षा की दिशा में काफी तेजी से प्रगति कर रहे हैं परन्तु मुझे ऐसा मालूम होता

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री भानुप्रताप सिंह]

है कि जिस गति से शिक्षा का प्रसार इस देश में और कम से कम इस प्रदेश में हो रहा है उससे अभी कम से कम सौ वर्ष लगेंगे, तब यहां शत प्रतिशत लिटरेसी होगी। सन् १९५१ में हमारे प्रदेश में ११ प्रतिशत लिटरेसी थी और ६१ में केवल १७ प्रतिशत। १० वर्ष में केवल ६ प्रतिशत लिटरेसी बढ़ी है। यह गति इतनी धीमी है कि आप स्वयं हिसाब लगा सकते हैं कि यही रफ्तार यदि रही तो अगले सौ वर्षों में उत्तर प्रदेश का प्रत्येक नागरिक लिखा पढ़ा नहीं हो सकता। इसी गरज से मुझे शिक्षा के महत्व पर आज दो शब्द कहने की आवश्यकता मालूम होती है। आपको विदित है कि इस सदन में बार बार कृषि के विकास पर बल देता चला आया हूं। परन्तु यदि कोई विभाग ऐसा है जिस पर मैं कृषि से अधिक बल देने के लिये तैयार हूं और जब उस पर सरकार की ओर से बल नहीं दिया जाता तो असंतोष पैदा होता है, तो वह शिक्षा का विभाग है। मैं इसको अच्छी तरह से जानता और मानता हूं कि इस देश में कृषि का विकास भी संभव नहीं है जब तक कि हमारे किसान साक्षर न हों। मैं इधर बैठने वाले साथियों से कहना चाहता हूं कि जरा आंख उठा कर देखिये। संसार का क्या कोई ऐसा देश है जहां साक्षरता शत प्रतिशत न हो और वहां अच्छे ढंग से खेती होती हो? उन्नतिशील ढंग से खेती की विधि को अपनाने के लिये यह भी आवश्यक है कि हमारे प्रदेश में शतप्रतिशत साक्षरता हो। खेत के लिये ही नहीं, सभी प्रकार के आर्थिक विकास के लिये साक्षरता या उच्च शिक्षा या प्राविधिक शिक्षा की आवश्यकता है। अगर यह कहा जाय कि शिक्षा ही आर्थिक प्रगति की कुंजी है तो यह अतिशयोक्ति न होगी।

दूसरी बात सामाजिक न्याय की है। मैं समझ नहीं सकता कि जिस देश में शिक्षा न हो, उस देश में सामाजिक न्याय कैसे संभव है। हमारी सरकार अपने आप को सामाजिक न्याय का बहुत बड़ा हिमायती बतलाती है लेकिन ये कितने ही कानून बनायें, अगर उन कानूनों का पालन ठीक से नहीं होता तो जिनके हित में वह कानून बन रहे हैं उनको अगर उसकी कोई जानकारी नहीं है तो वह लाभ उठा नहीं सकते। उनके साथ अन्याय होता ही रहता है। उदाहरण के लिये, अभी-अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने यह घोषणा की है कि कृषि हीन मजदूरी की मजदूरी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में २ रुपये और पूर्वी उत्तर प्रदेश में १ रुपये ६२ पैसे से कम नहीं होगी। इस अधिकार को सरकार ने माना और उनको मानना चाहिये था लेकिन चूंकि उन खेतिहर मजदूरों को इसकी कोई जानकारी नहीं है वे अपने अधिकारों को जानते ही नहीं हैं। मैं अच्छी तरह से कह सकता हूं कि उनको वह मजदूरी नहीं मिलने वाली है। इसी प्रकार से सरकार अनेक कानून बनाती है। उनका लाभ जो मिलना चाहिये वह नहीं मिलता है। वह इसलिये कि वे साक्षर नहीं हैं, पढ़े-लिखे नहीं हैं, उनको उनकी जानकारी नहीं है। कितना ही भ्रष्टाचार हो, वह सब शिक्षा की कमी के कारण है। गांव में जाता हूं। लोग कहते हैं कि मुझ से तो अमीन ने इतना वसूल कर लिया। रसीद कम की दी और पैसा ज्यादा वसूल कर लिया। तो यह साक्षरता की कमी है। जितना भ्रष्टाचार इस देश में फैला है उसका कम से कम दो-तिहाई भाग कम हो सकता है यदि इस देश में साक्षरता हो। अन्त में मैं यह भी कह सकता हूं कि देश में जनतंत्र को जीवित रखने के लिये साक्षरता की आवश्यकता है। आज जो सारी गड़बड़ इस देश में फैल रही है, जो स्वार्थी लोग राजनीति में आकर लाभ उठा रहे हैं वह केवल इसलिये कि जनता अबोध है, जनता समझ नहीं सकती है समस्याओं को और ठीक निर्णय नहीं ले सकती है। इसलिये यदि इस देश में जनतंत्र को जीवित रखना है तो साक्षरता का प्रसार शीघ्र करना होगा। अन्यथा जनतंत्र जीवित नहीं रह सकता है। इन्हीं बातों को मानते हुये हमारे संविधान में इस बात का आश्वासन दिया गया था कि संविधान चालू होने के १० वर्ष के अन्दर सब बालक जिनकी अवस्था ६ से १४ वर्ष के बीच होगी उनके लिये फ्री और कम्पलसरी एजूकेशन की व्यवस्था की जायगी।

श्रीमन्, सब से बड़ी असफलता सरकार की शिक्षा के क्षेत्र में यह है कि जो संविधान में आश्वासन दिया गया था वह आज तक पूरा नहीं किया जा सका । हां, यह बात जरूर हुई कि कागज पर उसको पूरा करके दिखाया गया है । जिस समय वित्त मंत्री जी ने, जो शिक्षा मंत्री भी हैं उन्होंने अपना बजट भाषण पेश किया था उस समय उन्होंने कहा था कि इस देश म ९८.७ प्रतिशत बालक अब स्कूलों में जाते हैं, उनको शिक्षा दी जाती है । यह शिक्षा की प्रगति का दावा कर लिया गया । और यह आशा है कि ६५–६६ के अन्त तक ६ से ११ के आयु वर्ग के स्कूल जाने वाले बालकों की संख्या का प्रतिशत १०० और बालिकाओं का ५४ तथा कुल प्रतिशत ७८ हो जायगा । मैं इस जानकारी को इस सदन को धोखे में डालने वाली गलत जानकारी कहता हूं । मैं फिर दोहराता हूं कि यह जो सूचना दी गई है वह सरासर झूठ है और अगर इसके विषय में किसी को सन्देह हो तो सरकार हमारी चुनौती को स्वीकार करे । एक कमेटी बनाये जो यह देखे कि गांव में कुल कितने लड़के इस वय के गलियों में घूमते हैं । उनको कोई शिक्षा सुविधा नहीं है । आखिर इस प्रकार के आंकड़े पेश करके किसको धोखा देना चाहते हैं ? अगर अमेरिका या बाहर का कोई विशेषज्ञ आया हो जिससे अनुदान लेना हो तो उस विशेषज्ञ को आप धोखा दे सकते हैं परन्तु इस सदन में बैठे हुये इधर उधर के सदस्यों को इस प्रकार की बात कहना, जो कि म मानता हूं अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रों से आये हैं, हर एक अपने गांव की दशा को पूरी तरह से जानता है और उसको पूरी जानकारी है, उनको धोखा देना उचित नहीं है । मैं पूछना चाहता हूं कि कोई इस कथन को स्वीकार करने के लिये तैयार है । इस प्रकार के आंकड़े देकर अपने आपको धोखे में रखना है, इस सदन को धोखे में रखना है । मैं समझता हूं जो असफलता दिखाई है उससे भी बड़ा पाप है । मैं चाहता हूं शिक्षा मंत्री जी या राममूर्ति जी इसको नोट करें और इसका उत्तर दे कि क्यों इस प्रकार गलत आंकड़े पेश किये गये और इससे क्या लाभ है ।

यह कहा जा सकता है कि सरकार के पास जो सीमित साधन हैं उनके अन्दर रहते हुये जो कुछ भी सम्भव है सरकार कर रही है । यदि ऐसा होता तो मैं क्षमा कर सकता था इस सरकार को परन्तु मैं आपकी अनुमति से कुछ आंकड़े पेश करना चाहता हूं जिससे यह सदन स्वयं नर्ण करेगा कि क्या जो साधन उपलब्ध हैं उनके अनुसार यह प्रगति हुई है । पहली योजना में सरकार ने १९६० करोड़ रुपया कुल रखा । उसमें से शिक्षा के लिये १३३ करोड़ रुपया खर्च किया गया । यह प्रतिशत ६.८ होता है । दूसरी योजना में सरकार ने कुल रुपया ४६०० करोड़ रखा । उसमें से शिक्षा पर २२१ करोड़ रुपया व्यय हुआ जिसका प्रतिशत ४.८ होता है । इसी प्रकार से तीसरी योजना में ७५०० करोड़ रुपया सरकारी क्षेत्र में खर्च होगा । उसमें ४०८ करोड़ रुपया शिक्षा पर खर्च होने वाला है जो कि ५.४ प्रतिशत होता है । श्रीमन्, मैं यह मानता हूं कि प्लान के अतिरिक्त भी व्यय होता है लेकिन जो अतिरिक्त व्यय होता है वह दूसरे विषयों के लिये भी लागू है । यह योजनायें हमारे विशेष प्रयत्न का एक स्वरूप सामने रखती हैं । हम जिस प्रकार से चल रहे थे उस से कुछ आगे बढ़ कर अधिक करने की दिशा में हम कुछ करने के लिये प्लान की रचना करते हैं और इस में जो धन हम खर्च करते हैं उसमें शिक्षा का क्या अनुपात रखा गया है, वह मैंने आप के सामने रखा लगभग ५ प्रतिशत । उन देशों में भी, जो अधिक प्रगतिशील हैं शिक्षा पर व्यय होता है राष्ट्रीय बजट का लगभग १५ प्रतिशत, जबकि हमारे देश में होता है ४ अथवा ५ प्रतिशत, और उसके बाद यहां की सरकार कहे कि हमने जो कुछ भी सीमित साधनों में संभव था कर लिया तो कम से कम मुझे तो संतोष नहीं होता ।

श्रीमन्, यह तो भारत सरकार के आंकड़े मैंने दिये । अब जरा उत्तर प्रदेश की दिशा में देखने की आवश्यकता है । सारे प्रदेश में प्रति व्यक्ति ७.७ रुपया शिक्षा पर व्यय होता है, उत्तर प्रदेश में ५.४० रुपया प्रति व्यक्ति व्यय होता है । सारे देश का जो औसत है उसकी तुलना में केवल २/३ उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति शिक्षा पर व्यय होता है और वह दूसरे प्रदेशों की तुलना में केवल एक बिहार और उड़ीसा को छोड़ कर सभी प्रदेशों की तुलना में सब से कम है । कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश एक गरीब प्रदेश है । गरीब था नहीं, श्रीमन् । जब पहली योजना

[श्री भानुप्रतापसिंह]

चली है तो हम उत्तर प्रदेश के लोग दूसरे प्रदेशों की तुलना में गरीब नहीं माने जाते थे, मगर इस सरकार की बरकत है कि आज हमारी गणना गरीब प्रदेशों में होती है । लेकिन उस गरीबी में भी देखिये कि क्या दशा है । जो कुछ भी धन बजट में खर्च होता है उस का कौन सा अनुपात शिक्षा पर खर्च होता है ? केरल में ३३ फीसदी शिक्षा पर व्यय होता है, मध्य प्रदेश में २५ प्रतिशत, मद्रास में २२ प्रतिशत, राजस्थान में २१ प्रतिशत, मैसूर में २० प्रतिशत, आन्ध्र प्रदेश में १९.३ प्रतिशत और उत्तर प्रदेश में १६.५ प्रतिशत शिक्षा पर खर्च होता है । अगर गरीब हैं तो प्रतिशत तो कम नहीं होना चाहिये था । इसके केवल एक ही माने हैं साधनों की उतनी कमी नहीं है जितनी इच्छा की कमी है, उस के महत्व को समझने की कमी है । जो कुछ थोड़े बहुत साधन हैं वह किस प्रकार से प्रयोग में लाये जाते हैं, इस ओर भी मैं सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं ।

प्रत्येक बालक या बालिका जो प्रारम्भिक स्कूलों में जाती हैं उन में ५ में से केवल एक ऐसा होता है कि जिसको शिक्षा का कोई लाभ हो पाता है । बाकी चार वहां से निरक्षर ही लौट आते हैं और १२ में से केवल एक ऐसा हो पाता है कि जो हाई स्कूल स्टैन्डर्ड तक पहुंच पाता है । श्रीमन्, इतनी बड़ी दुर्व्यवस्था संसार की किसी भी शिक्षा प्रणाली में नहीं होगी कि १२ में से केवल एक ऐसा बालक निकल सके कि जो हाई स्कूल स्टैन्डर्ड तक पहुंच सके । सारे आंकड़े शिक्षा की प्रगति के लिये दिये गये, इतने स्कूल खोले गये, इतने शिक्षक रखे गये, इतने विद्यार्थी हैं, परन्तु मैं कह सकता हूं कि अगर १२ में से एक ही हाई स्कूल पर पहुंच पाता है तो ११/१२ धनराशि जो व्यय की जा रही है वह नष्ट हो रही है, उसका कोई लाभ और इस्तेमाल प्रदेश को नहीं मिल रहा है । क्यों नहीं मिल रहा है ? शिक्षा की दुर्दशा क्यों है, लड़के क्यों नहीं आगे बढ़ पाते, इस के लिये मैं दो तीन बातों की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं ।

पहले ग्रामीण छात्रों के विद्यालयों को ले लीजिये । मैं फिर बहुत ही स्पष्ट और जोरदार शब्दों में कहता हूं कि उत्तर प्रदेश में जितनी शिक्षा है—पश्चिमी जिलों का अनुभव नहीं है—लेकिन पूर्वी जिलों के लिए कह सकता हूं कि गांवों में जितने स्कूल हैं उनमें ७५ फीसदी या तो हैं नहीं—बिल्डिंग कोई नहीं है—या उनकी छत ऐसी नहीं है जिसके अन्दर बैठ कर लड़के बरसात में पढ़ सकें । जब ७५ फीसदी स्कूल इस दशा में हों उसके बाद भी आप इस नतीजे पर आश्चर्य करें ।

शिक्षक किस प्रकार से नियुक्त होते हैं, मैं आपकी अनुमति से एक छोटी सी घटना का वर्णन करके बताना चाहता हूं । एक दिन मैं किसी अन्य कार्य से शिक्षा उप मंत्री के कमरे में गया । १५–२० आदमी खड़े हुए थे । मैं ज्योंही चिक उठा कर अन्दर गया तो उन्होंने कहा कि "आइये, आइये ठाकुर साहब ! आप भी अपने बेवकूफ का नाम बता दीजिये ।" मैं यकायक भौचक्का रह गया । मैं समझ नहीं पाया कि यह किस "बेवकूफ" की बात कर रहे हैं, उनका क्या तात्पर्य है, मेरा बेवकूफ से क्या मतलब । उन्होंने कहा कि ये लोग जो बैठे हुए हैं वह एक एक नार्मल कैन्डीडेट की सिफारिश करने आये हैं और इनका ऐसा दबाव मेरे ऊपर है कि मैं यह भी नहीं देखता कि पास हैं या नहीं । मैं यह नहीं देखता कि ये सेकेन्ड डिवीजन पास हैं या फर्स्ट डिवीजन । मैंने मान लिया है कि इसके देखने की कोई आवश्यकता नहीं है । ये जिस बेवकूफ का नाम ले लेते हैं उसको मैं मंजूर कर लेता हूं नार्मल ट्रेनिंग के लिये । श्रीमन्, मुझको उस घटना से बहुत धक्का पहुंचा है । जब यहां सेक्रेटेरियट में बैठकर उत्तर प्रदेश के सरकार के एक उप मंत्री बेवकूफों का चुनाव करते हैं तो आप समझ सकते हैं कि जिला परिषद स्तर पर क्या होता होगा । वहां उस अध्यक्ष के ऊपर प्रमुखों के प्रतिनिधियों का, उसके राजनैतिक कार्यकर्त्ताओं का जो दबाव पड़ता है उसके कारण वह किस प्रकार के बेवकूफों का चुनाव करता होगा और जब मैं यह सोचता हूं कि यह सिफारिश करने वालों में सब ही कितने बेवकूफ हैं तो मैं इस नतीजे पर पहुंचता हूं कि इनके "बेवकूफों" के बेवकूफ हमारे गुरु बनाये जा रहे हैं । यह स्थिति है । जब तक अध्यापकों का चुनाव इस प्रकार से होगा तब तक आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से इस देश में शिक्षा की प्रगति हो सकती है अगर ये बेवकूफों के बेवकूफ गुरु हमारे बच्चों को पढ़ायें ।

श्रीमन्, शिक्षा के बाद में टेक्सट बुक्स की तरफ भी ध्यान दिलाना चाहता हूं। मैं भी कभी विद्यार्थी था। मुझको तो याद नहीं है कि कोई टैक्स्ट बुक मेरे सामने ऐसी भी आयी हो जिसमें इतनी त्रुटियां हों। कभी-कभी बच्चे आते हैं और कहते हैं कि यह देख लीजिये, इसके माने बता दीजिये, सवाल लगा दीजिये और उन पाठ्य पुस्तकों को देखकर इतना अफसोस होता है कि इस तरह की पाठ्य पुस्तकें इस देश प्रदेश में चल रही हैं। मैं इस सदन का समय नहीं लेना चाहता हूं। वैसे तो एक पुस्तिका बना दी गयी है कुछ प्रकाशकों की तरफ से, उसमें उन्होंने एक संकलन किया है गलतियों का सरकारी टैक्स्ट-बुक्स की, लेकिन उसके अलावा मैंने स्वयं कुछ रिसर्च की थी इस विषय में और मेरे पास ये पुस्तकें हैं और पूरी सूची है त्रुटियों की, जिसको शिक्षा मंत्री के पास भेज दूंगा। अगर उनको जरा भी ध्यान है विभाग का तो इस प्रकार की टैक्स्ट बुक्स के छापने पर उनको शर्म आना चाहिये।

श्रीमन्, एक नया कदम टेक्स्ट बुक्स के बारे में सरकार उठाने वाली है। पुस्तकों के प्रकाशन का सरकारीकरण किया जायगा—ऐसा संकेत मिला है। क्यों किया जायगा? क्या लाभ होंगे उसमें? कौन सी बात बिगड़ रही थी जो उससे बन जायगी? मैंने बहुत सोचा मगर मेरी समझ में नहीं आया। अब तक इस साल भी कक्षा ६ तक की किताबें या ऊपर भी लिखवाई जाती हैं और सरकार के ही निर्णय के अनुसार उनका प्रकाशन होता है। सरकार जिसको दे देती है परमिट छापने के लिये वह छप जाती हैं। मूल्य वही निश्चित करती है, मैटर वही निश्चित करती है। तो जब सारा काम पहले से ही सरकार अपने हाथ में लिये हुए है तो फिर यकायक सरकारीकरण करने की क्या आवश्यकता पड़ी इसका कारण मेरी समझ में नहीं आया। श्रीमन्, मैं समझता हूं कि अपने कृपा पात्रों को पूरी तरह यह सरकार खुश करने के लिये यह कदम उठा रही है। मैंने एक सूची तैयार की है ऐसे लोगों की कि जो प्रकाशक नहीं हैं, मगर किताबें छापने का एलाटमेन्ट आर्डर उनको दिया गया है। ऐसे ऐसे पान वाले और चाय वाले लोग हैं जिनको किताब छापने का आर्डर दिया गया है जिनका किताबें छापने से कोई संबंध ही नहीं रहा है। मैं कहता हूं सरकार एक जांच समिति इसकी जांच के लिये बिठाये, अगर यह बात गलत होगी तो मैं सदन से त्याग पत्र दे दूंगा। सरकार ने सोचा है कि पुस्तकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाय ताकि यह इनाम वह अपने अधिक से अधिक लोगों को दे सके।

मान्यवर, मैं समझता था कि माननीय शिक्षा मंत्री इस पर कुछ प्रकाश डालेंगे, मगर उन्होंने अपने भाषण में इस पर कुछ भी प्रकाश नहीं डाला। मैं नहीं समझता कि वे इसका क्या उत्तर देंगे। शायद यही कहेंगे कि पुस्तकें सस्ती होंगी, या सहकारी ढंग से छपेंगी तो बेहतर होंगी। सरकार ने कोई काम आज तक सस्ते ढंग से किया हो तो मैं समझ लूं कि वह सस्ती होंगी, मुझे इसकी आशा नहीं है। अगर सरकारी ढंग से सस्ती किताबें ठीक हो सकती हैं तो क्या कारण है कि जिन राज्यों ने इसको अपनाया है वहां उन किताबों की चोरबाजारी हो रही है? इसके अलावा बिहार में सरकारी किताबें इतनी छप गयीं कि वह बिकी नहीं। नकली किताबें बाजार में आ गयीं, वह बिकी और इस कारण सरकार को सवा करोड़ का घाटा हुआ। आज एलाटमेन्ट आर्डर क्यों बिकते हैं? इसलिये कि उसमें मार्जिन आफ प्राफिट ज्यादा है। मैं पूछता हूं कि जब मूल्य सरकार खुद निश्चित करती है तो सरकार यह कैसे समझती है कि प्रकाशक मूल्य ज्यादा ले लेंगे। दूसरे राज्यों का अनुभव, तथा जो काम अब तक हुए हैं, वे बताते हैं कि यह दावा निराधार है कि सरकारीकरण से मूल्य सस्ते हो जायेंगे।

मान्यवर, वह बात भी मैं नहीं समझता कि उससे क्वालिटी में भी कोई फर्क आयेगा, क्वालिटी इम्प्रूव होगी। क्वालिटी तब इम्प्रूव होती है जब कम्पटीशन होता गया है। मेरे पास यह पुस्तक है "हमारे पूर्वज" यह १७ वर्ष पहले छपी थी, आज तक उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। अगर किसी प्रकाशक की पुस्तक होती तो वह बदल जाती। मगर चूंकि वेस्टेड इन्टरेस्ट है इसलिये नहीं बदली। इसमें क्या लिखा है—राजपूताने के बारे में इसमें लिखा

[श्री भानुप्रताप सिंह]

है--"यहां राजपूतों का राज्य है।" मान्यवर, राजस्थान में कहां राजपूतों का राज्य है? इस तरह के एक नहीं अनेक उदाहरण मेरे पास हैं। इन पुस्तकों में जो मेरे पास हैं, अनेकों प्रकार की गलतियां हैं, और कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। वह सब इस बात का प्रमाण है कि इनमें वेस्टेड इन्टरेस्ट निहित है।

मान्यवर, मैं कभी भी वह स्वीकार नहीं कर सकता कि पाठ्य पुस्तकें जो बच्चों के दिमाग को बनाती हैं तथा बिगाड़ भी सकती हैं उनका प्रकाशन एक मात्र सरकार के अधिकार में हो। इस प्रकार की व्यवस्था केवल एक या दो फासिस्ट व कम्युनिस्ट देशों में प्रचलित है। कोई भी अपने आप जनतंत्रीय देश कहलाने वाला इस प्रकार से जनता के एकाधिकार प्राप्त करने का प्रयास नहीं कर सकता है और जहां कहीं हमारे प्रदेश में भी हुआ है उसका नमूना मौजूद है। काश्मीर में एक पुस्तक चल रही है जिसमें कम्युनिस्ट को बड़ी प्रशंसा की गई है जिसमें माउत्से तुंग और वियतनाम के जो नेता हैं उनका गुणगान किया गया है। यह राजनैतिक बिचार धारा से पाठ्य पुस्तकें प्रचालित करने का प्रयास जनतंत्र के लिये बहुत ही घातक है और मैं तो इसे देश के पढ़े लिखे लोगों के लिये एक चुनौती समझता हूं। आज से कुछ वर्ष पहिले कांग्रेस सरकार ने निर्णय लिया था कि इस देश में सहकारी खेती की स्थापना होगी वह भी एक घातक निर्णय था और वह इस देश के पढ़े लिखे और असंगठित किसानों के लिये एक चुनौती थी। और मुझे खुशी है कि वहां के किसानों ने उस चुनौती का डटकर मुकाबिला किया। उससे भी अधिक घातक है दूसरी दिशा में बालकों के मस्तिष्क को गलत रास्ते पर मोड़ने का दक और उनको गुलाम बनाने का प्रयास। वह पढ़े लिखे लोगों के लिये एक चुनौती है।

श्री अधिष्ठाता--

आप अब अपने भाषण का उपसंहार करिये। आप बीस मिनट बोल चुके हैं। समय चूंकि थोड़ा है इसलिये आप पांच सात मिनट और बोल लीजिये।

श्री भानु प्रताप सिंह--

श्रीमन्, मुझे यह भी भय है कि ये पाठ्य पुस्तकें चूंकि सरकारी ढंग से छपेंगी इसलिये उनका मूल्य भी बढ़ाकर रक्खा जायेगा। वह जनता पर एक टैक्स होगा क्योंकि इसमें सरकार का एकाधिकार होगा, इसलिये वे कोई भी मूल्य निश्चित करें, वह उनको देना ही पड़ेगा। जैसा मैंने कहा, वे मैटर और प्रोडक्शन में निम्न श्रेणी की होगी। बाजारों में जब उनकी आवश्यकता होगी तब वे नहीं पहुचेंगी। वे लालफीताशाही में बंधकर पड़ी रहेंगी। इससे अच्छे विद्यार्थियों का मार्ग अवरुद्ध हो जायेगा। क्योंकि वही एक टैक्स्ट बुक रहेगी एक विषय पर अच्छा विद्यार्थी एक ही विषय पर एक नहीं तो दूसरी या तीसरी टैक्स्ट बुक भी पढ़ सकता है। वह शिक्षा की दिशा में बहुत बड़ी बाधा होगी।

अन्त में मैं एक बात और कहना चाहता हूं। जब हम कहते हैं कि टैक्स कम करिये तो सरकार कहती है कि पैसे का अभाव है, कहां से साधन जुटाया जाय। हमने कहा कि साधन के लिये सवाई वापिस ले ली जाय तो सरकार ने कहा कि आप दूसरे साधन बता दीजिये। मैं कहता हूं कि जब साधनों की इतनी कमी है तो पुस्तकों को प्रकाशित कराने का काम अपनी पूंजी से जो लोग कर रहे थे उनको करने दीजिये। यह टैक्सपेयर का पैसा इतना इस काम में क्यों लगाया जाने वाला है? मैं यह अनुचित समझता हूं और इस दिशा में जो कदम उठाया है उसको मैं कहूंगा वह वापिस ले लें।

श्रीमन्, मैं कुछ माध्यमिक शिक्षकों के वेतन-क्रम के विषय में भी कहना चाहता हूं। अभी कुछ दिन पूर्व मुख्य मंत्री ने यह कहा कि हमारे सरकारी कर्मचारियों में असन्तोष है। कारण यह बतलाया कि केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के वेतन-क्रम ऊंचे

हैं। उन्होंने कहा कि आईये विरोधी दल के लोग सहयोग की लिये और हम भारत सरकार से मांग करेंगे कि नेशनल वेज पालिसी होनी चाहिये। मैं समझता हूं कि देश में एक प्रकार का वेतन-क्रम होना चाहिये। उन्होंने नेशनल वेज पालिसी की मांग की है और उसका हम समर्थन करते हैं। लेकिन इसके पहिले कि हम उसका समर्थन करें और इसका वहां भी कोई प्रभाव हो सके। पहले मैं यह मांग करता हूं कि स्टेट वाइज पालिसी एक यहीं पर आप की होनी चाहिये, एक सा काम करने वालों के लिये भिन्न भिन्न वेतन क्यों रखा जाय। जब घर में ही चिराग नहीं जलेगा तो फिर दिल्ली जाकर एक तरह का वेतन समान कार्य के लिये देने की बात हम क्या कर सकते है। आज यह स्पष्ट जाहिर है कि सरकारी स्कूलों के टीचर्स को अधिक वेतन मिलता है और प्राइवेट संस्थाओं के टीचर्स को कम मिलता है। मैं चाहता हूं कि आप एक स्टेट वेज पालिसी बनायें और फिर उसके आधार पर ही आप भारत सरकार से अपनी मांग मनवा सकते हैं। सरकार की ओर से दलील दी जाती है कि यह प्राइवेट संस्थाओं के टीचर्स तो राजनीति में भाग ले सकते है और सरकारी अध्यापक नहीं ले सकते, वह रिटायर जरा देर से होते है और यह जल्दी हो जाते है। यह बहानेबाजी है। इस चीज को दूर करने के लिये भी मैं कहूंगा कि जिस वक्त कोई टीचर स्कूल में आये तो उससे एक डिक्लेरेशन ले लिया जाय कि हम सरकारी उम्र के अनुसार ही रिटायर हो जायंगे और राजनीति में भाग न लेंगे तो क्या सरकार उन को वही वेतन क्रम देने को तैयार है? कितने टीचर आज राजनीति में भाग लेने की स्थिति में है और कितने लेते हैं मैं कहता हूं कि १००० में से ९९९ राजनीति में भाग नहीं लेते तो एक के लिये ९९९ को असुविधा में रखना कहां की दलील है? ठीक है जो राजनीति में भाग ले उसे आप कम वेतन दें। लेकिन जो राजनीति से बिलकुल अलग है उनको आप एक ही काम लेकर कम वेतन दिलाये यह कहां तक उचित है। आप २ प्रकार के अध्यापकों के वर्ग कर दें और जिनका राजनीति से सम्बन्ध नहीं है उनको आप सरकारी टीचर्स के अनुसार वेतन और सुविधायें दें।

एक निवेदन परीक्षाओं के विषय में भी करूंगा कि हमारे यहां बोर्ड आफ हाई स्कूल एन्ड इन्टर एजुकेशन का नतीजा ४५ प्रतिशत रहता है औसतन। इस तरह से ५५ प्रतिशत बच्चे निराश रहते हैं। यदि मैं बोर्ड के लिये यह कहूं कि वह बालकों के मानसिक विकास और उनके उत्साह के लिये एक कचड़ा है तो यह अतिशयोक्ति न होगी। कुछ थोड़े से बालक लापरवाह लफंगे हों या काम और मेहनत न करते हों वह फेल हो सकते है लेकिन इतनी बड़ी संख्या में फेल होना कितनी भारी क्षति है। फिर क्या कारण है। कि जो अच्छी तरह से चलाई जाने वाली संस्थायें है जैसे लामाटनियर है या कालविन कालेज है वहां ९० और ९५ प्रतिशत रिजल्ट रहता है। लेकिन जब इतना खराब नतीजा रहता है तो उसका परिणाम कितना बुरा होता है, कितना घातक होता है, कितना सामाजिक और पर्सनल वेस्टेज होता है? कितना मां बापों का खर्च होता है, कितना पैसा संस्थाओं पर व्यय होता है और नतीजा आता है कि १०० में से केवल ४५ पास हुये। इसके अलावा सबसे बड़ी क्षति उन विद्यार्थियों की होती है कि उनकी सेल्फ कानफिडेंस ही समाप्त हो जाती है। मैं आपनी बात बता दूं कि मैं फेल तो कभी नहीं हुआ लेकिन एक बार मेरी थर्ड डिवीजन आ गई तो उसके बाद अगले पूरे साल भर तक जब तक फिर मेरी डिवीजन नहीं सुधरी में अपने को मिट्टी का समझने लगा था और कोई उत्साह ही मन में नहीं रह गया था और मैं समझता था कि मैं अब किसी काम का नहीं रहा मेरा विचार है कि जिस बालक को दो तीन बार फेल किया जाता है उसकी शिक्षा ही खत्म हो जाती है और वह जीवन में कभी सफल नहीं हो सकता। जैसे कोई बेशर्म बच्चा हुआ तो फेल होने वालों को देखकर कहता है कि हम तो बहुमत में हैं, फेल हो गये तो क्या है हम बहुमत में हैं इस तरह से बहुमत की प्रतिष्ठा होती है और इस तरह से बालक बेशर्म होते हैं।

जैसा कि मंत्री जी ने कहा, शिक्षा का उद्देश्य केवल परीक्षा पास करना नहीं है बल्कि वह चरित्रनिर्माण है लेकिन जब इस तरह से लड़कों के मनोबल को गिराया जाता है, उनमें बेशर्मी पैदा की जाती है तो आप समझ सकते हैं कि उनका चरित्र कैसा बनगा।

[श्री भानुप्रताप सिंह]

प्राइमरी शिक्षा बुनियाद है शिक्षा की। उनको आपने स्थानीय निकायों को देकर बहुत बड़ी गलती की है। सरकार को उसे शीघ्र से शीघ्र समाप्त करना चाहिए। यह वैसे ही हुआ कि एक सेक्रेटेरियट जैसी बड़ी बिल्डिंग बनानी हो और उसके लिए अनभिज्ञ राजों (मैसन्स) को रखा जाय और कहा जाय कि जब बिल्डिंग बननी शुरू हो जायगी तो हम इंजीनियर को बुलायेंगे। आप चाहे जितना विकेन्द्रीकरण कर दें, चाहे जितनी ताकत आप पंचायतों को दे दें, मुझे कोई आपत्ति नहीं है लेकिन एक राज द्वारा निर्माण की गयी बुनियाद खोखली होगी और उस पर बिल्डिंग बनाना खतरे से खाली नहीं होगा। आपने प्रारम्भिक शिक्षा को जिला परिषदों और ब्लाक्स के प्रधानों के सुपुर्द कर दिया है, उससे पीछे हटने की आवश्यकता है।

दूसरा सुझाव जो मुझे देना है वह यह है कि गांवों में जो स्कूल बनते हैं, उनके लिए जितना रुपया बिल्डिंग के लिए जाता है, उसमें से आधा हिस्सा प्रधानों की जेबों में जाता है और इस प्रकार से टैक्स पेयर्स की मनी का अपव्यय होता है। अगर आप सचमुच में चाहते हैं कि अच्छे स्कूल बनें तो आपको ब्राजील देश का अनुकरण करना चाहिए, जहां पर प्रि-फैब्रिकेटेड तरीका है। ब्राजील देश में स्कूल बनाने के लिए जब निर्णय हो जाता है तो उसके एक सप्ताह के अन्दर स्कूल बन जाता है। वहां पर एक सेन्ट्रल आर्गेनाइजेशन है जो इस प्रकार से स्कूलों का निर्माण करता है। आप इस प्रकार से अनुदान देकर अपना फर्ज अदा कर दें, इससे कोई काम चलने-वाला नहीं है।

श्री अधिष्ठाता--

अब आपका समय समाप्त हो गया है।

श्री ए० सी० ग्राइस (नाम निर्देशित आंग्ल भारतीय)--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे शिक्षा के विषय पर बोलने का अवसर दिया।

मैं माननीय भानु प्रताप सिंह जी को भी धन्यवाद देता हूं कि जितने प्वाइंट्स मैंने अपने भाषण के लिए लिखे थे उन सबको उन्होंने कवर कर लिया है। जिस बात की ओर उनका ध्यान नहीं गया है, वह बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। इस मांग में ४१ करोड़ रुपया है और नान प्लान में ४ करोड़, ११ लाख और १६ हजार है। इसमें से २९ प्रतिशत इज आन एडमिनिस्ट्रेशन एण्ड ७१ परसेंट इज आन कैपिटल एक्सपेन्डिचर आफ दी स्कूल्स। इसमें ६० प्रतिशत इज आन प्राइमरी एजूकेशन। मैं तो माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करता हूं कि जो हमारे स्कूल्स आज देहात में हैं उनको जरा हमारे माननीय मंत्री जी जाकर देखें कि उनकी क्या हालत है। मुझे गांवों में जाने का मौका मिला है और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जिला परिषद् के जो हमारे स्कूल्स हैं वे बिल्कुल जाली हैं। टीचर कुछ पढ़ा नहीं पाता है। सब एप्वायंटमेंट्स पार्टीबाजी पर हुए हैं। पार्टीबाजी में आपके इंसपेक्टर्स बिल्कुल लाचार हो जाते हैं, वे कुछ कर नहीं पाते हैं। अगर वे रिपोर्ट करते हैं तो कहा जाता है कि यह इंसपेक्टर रद्दी है, निकाल दिया जाय।

मिस्टर चेयरमैन, मे आई स्पीक इन इंगलिश ?

श्री अधिष्ठाता--

आप तो हिन्दी कितनी बार बोल चुके हैं। अगर कोई कठिनाई हो तो अंग्रेजी के शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं।

श्री ए० सी० ग्राइस--

किसी चीज को ज्यादा इन्तजाम करना है, दैट इज दी विलेज टीचर। ज्यादा आबादी वलेज से आती है। विलेज एजूकेशन पर ज्यादा ध्यान दीजिये। शहरों में फ्री एजूकेशन

सिर्फ गरीब लड़कों को दीजिये। सेलेक्टिव स्कूल्स जितने अरबन एरियाज में हैं उनमें साइंस की पढ़ाई रखिये। उनको आप ग्रान्ट न दीजिये। शहर में फीस लगाइये। उनसे कह दीजिये कि १७.५ या २० परसेंट फ्रीशिप्स दें और उनको ३ रुपया ४ रुपया फीस लेने दीजिये। इससे आपकी शिक्षा बढ़ेगी। इससे सबको फायदा होगा।

टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स आपने बहुत बनाये हैं और अच्छे बनाये हैं। उनकी थ्योरी तो ठीक है लेकिन प्रैक्टिकल्स का कोई इन्तजाम ठीक नहीं है। स्कूल में प्यूपिल टीचर रेश्यो बहुत ज्यादा है। वे कुछ नहीं सिखा सकते हैं। एक टीचर बेचारा खुद बेवकूफ बन जाता है, जैसा भानुप्रताप सिंह जी ने कहा, अगर बेवकूफ की औलाद न हुए तो उनके चेले हुए। १८ साल के बाद यह नतीजा हो रहा है कि न वे हिन्दी लिख पाते हैं और न अंग्रेजी। मैं करीब ३ स्कूलों की मैनेजिंग कमेटीज पर हूं। तीन स्कूलों में मैनेजर था अब छोड़ दिया है। मैं आपसे दावे के साथ कहता हूं कि जब टीचर की वेकेंसी होती है और उनको इंटरव्यू के लिये बुलाया जाता है तो हम लोग सिर पकड़ कर रोते हैं कि क्या होगा जब पुराने टीचर चले जावेंगे। हर साल २ परसेंट, ३ परसेंट वेस्टेज है। १८ साल में ३६ परसेंट वेस्टेज हो गया। पुराने टीचर्स कितने रह गये हैं और नये कितने आ गये हैं। आप ज्यादा ध्यान दीजिये ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स पर। फ्री एजूकेशन देने का कसम फजूल है। आप इसको छोड़ दीजिये। शहरों के स्कूलों का हम वादा करते हैं कि २० परसेंट फ्रीशिप्स हम देंगे। टीचर्स ट्रेनिंग में आप पैसा दीजिये। ४ साल हो गया आज तक आपने टीचर्स ट्रेनिंग स्कूल्स के टीचर्स के प्रावीडेंट फंड के हिसाब नहीं बनाये हैं, उनको पैसा नहीं मिल रहा है। जब हम पूछते हैं तो कहा जाता है कि इट इज अन्डर कंसीडरेशन। शायद कभी कोई बन जाय और पुरानी फाइल निकल आये। तब टीचर्स से कहा जायगा कि ४ साल का अपना कंट्रीब्यूशन जमा करो। पता नहीं कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा, अल्लाह जाने।

आजकल शहरों में किसी स्कूल में चले जाइये प्यूपल-टीचर का रेशो १:६० मिलेगा, यानी १ टीचर पर ६० स्टूडेंट्स। उनके करेक्शन्स करने के लिये और उनको पेपर्स देने के लिये यह फिजीकली इम्पासीबुल है। जब एग्जामिनेशन्स या टैस्ट्स होते हैं तो एक लड़के की कापी दूसरे लड़की को दी जाती है और इस माफिक क्रास चेकिंग कराया जाता है। १:४० इज दी मैक्सिमम, आई वुड सजेस्ट।

सैकिन्डरी एजूकेशन में आप रुपया बहुत काफी देते हैं, फार साइंस लाइब्रेरीज एण्ड बिल्डिंग्स। मैं आपसे यह कहता हूं कि आप अपने डिपार्टमेंट वालों से वेरीफिकेशन सर्टीफिकेट्स मंगवाइये। मैं आथेंटीकली कह सकता हूं कि ८० परसेंट आफ दी मनी गिवेन फार दिस परपज इज मिसयूटीलाइज्ड। आपकी किताब में लाइब्रेरी के बारे में दिया है कि २००० प्राइवेट स्कूल्स हैं। आप ६०० स्कूल में लाइब्रेरी ग्रान्ट देते हैं। वह कितने साल में पूरा होगा? लाइब्रेरी ग्रान्ट इज एक्सोल्यूटली एसेंशल। आई एम पुटिंग विफोर यू दी प्रैक्टीकल डिफीकल्टीज एज ए प्रैक्टीकल परसन विदिन एजूकेशन। मुझे २० साल हो गया एजूकेशन में और हमारी वाइफ को ४० साल हो गया।

आखिर में मुझे यह कहना है कि प्राविंशलाइजेशन आफ प्रिंसीपल्स एण्ड हैडमास्टर्स इन हायर सेकेंडरी इंस्टीट्यूशन्स मत कीजिये। आपने सन् ५८ में जब से हाई स्कूल एंड इंटरमीडियेट बोर्ड का ऐक्ट अमेंड कराया, आप शायद जानते होंगे, मुझे खासी आपको याद कराना है, इतना इन्डिसिप्लिन बढ़ गया है टीचर्स में प्लस स्टूडेंट्स इंडिसिप्लिन, दी रिजल्ट इज टोटल कैओस। अगर हेडमास्टर्स को और प्रिंसीपिल्स को प्राविंशलाइज करेंगे तो वे बिल्कुल आजाद हो जावेंगे। ये आजादी इसलिये मांग रहे हैं कि जो थोड़ा सा उनके ऊपर कंट्रोल है वह भी न रहे। वे आजादी के बाद कोई टीचिंग नहीं करेंगे। आप उनको प्राविंशलाइज मत कीजिये। आप प्राविंशियेलाइजेशन करेंगे तो माइनारिटी स्कूल्स को प्राविंशियेलाइज न करिये।

श्री अधिष्ठाता--

आपका समय समाप्त हो गया।

श्री रघुनाथ सिंह (जिला वाराणसी)—

श्रीमन्, बोलने के लिये मैं निवेदन करूंगा कि मुझे १५ मिनट का समय दे दीजियेगा।

कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करते हुए मूल प्रस्तावक, माननीय श्री भानु प्रताप सिंह, के समान मैं भी बड़े संकोच का अनुभव कर रहा हूं कि शिक्षा जैसे विषय पर १ रु० की कटौती कर देने के बाद फिर आलोचना और सुझाव देने के लिये क्या रह जायगा। कभी-कभी हम परम्परायें बड़ी गलत डाल लेते हैं और वैसी ही एक परम्परा के शिकार इस समय हम लोग कटौती वाले भी हैं। विरोधी होने के नाते मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग जो कुछ कहते हैं ऐसा समझा जाता है कि चूंकि विरोधी हैं इसलिये खामख्वाह विरोध करते हैं। तो लगता है कभी कभी कुछ अच्छी बातें भी कह दी जातीं तो अच्छा था। और शिक्षा जैसे विषय में जहां पर विरोधी पक्ष के नाते हम को अच्छी बात कहनी चाहिये क्योंकि शिक्षा विद्या का विषय है—'सा विद्या या विमुक्तये।' लेकिन प्रशंसा करने के लायक बातें सचमुच कुछ हैं ही नहीं। यह मैं हठपूर्वक नहीं कह रहा हूं। और अगर कुछ बातें हैं तो इतनी छोटी हैं कि अगर कहूं तो बड़ी बड़ी विशाल भूलों को कहने का मौका नहीं मिलेगा।

जब से देश आजाद हुआ तब से वैज्ञानिक और जनतांत्रिक युग में परिस्थितियां, जनसमूह की आवश्यकतायें जिस तेजी से बदलती जा रही हैं, बढ़ती जा रही हैं उसके अनुरूप उसी क्रम के बदलाव के साथ हमारी शिक्षा का भी स्वरूप बदले, उसमें भी परिवर्तन आवे जिसमें शिक्षित लोग बदलते हुए जीवन के अनुरूप अपने जीवन-क्रम को ढाल सकें। इसकी चर्चा देश में, बहुत हुई, शिक्षा के ऊपर जितनी चर्चायें हुईं, क्योंकि हम, बकवादी तो ज्यादा हैं, अंश मात्र भी अधिष्ठाता महोदय, अगर उसके अनुरूप अपनी कथनी को व्यावहारिक रूप दिया गया होता तो भी शायद राष्ट्रपिता द्वारा छोड़ी हुई किश्ती ठिकाने से ही चलती। लेकिन हम कहते ही गये और करना कुछ नहीं सीखा।

सबसे पहले मैं शिक्षा के प्रति क्या उपेक्षा की नीति बरती जा रही है, इस सम्बन्ध में अपने शिक्षा के अधिकारियों और मंत्री महोदय के सामने बहुत आग्रहपूर्वक निवेदन करूंगा। यूनेस्को की ऐक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट जो हाल ही में प्रकाशित हुई है और जिसमें अध्यापकों की आर्थिक स्थिति के बारे में कुछ बहुत ही अच्छे सुझाव रखे गए हैं, उस को अधिकारी लोग जरूर देखें। यहां उसकी एक ही बात मैं कहूंगा और वह यह कि अध्यापकों का वेतन दूसरे जीविका कार्यों में लगे हुए लोगों की योग्यता और प्रशिक्षण वाले लोगों के वेतन के मेल में हो जिससे शिक्षण कार्य में बड़ी संख्या में योग्य लोगों के आने का आकर्षण प्राप्त हो सके। तो समान योग्यता और प्रशिक्षण वाले दूसरी जीविका में लगे हुए लोगों के मेल में शिक्षकों का वेतन हो। इस कमेटी की यह राय तो दूर रही, शिक्षण कार्य में ही लगे हुए समान योग्यता, प्रशिक्षण, अनुभव के लोगों के बीच में जिस प्रकार की असमानता है वह अंग्रेजी जमाने से आज तक बराबर चली आ रही है और जिसका असन्तोष शिक्षकों में शिक्षा के स्तर तथा परीक्षा फल के गिराने में अपनी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है और उधर हमारी सरकार का ध्यान न जाना बड़े दुख की बात होती है। सन् ४७ में उस समय के शिक्षा मन्त्री, डाक्टर सम्पूर्णानन्द जी ने प्रधानाचार्य, ट्रेन्ड ग्रेजुएट तथा सी० टी० के प्रारम्भिक वेतन-मान में समानता की घोषणा की थी और यह कहा था कि माध्यमिक विद्यालयों में जो सबसे कम वतन भोगी अध्यापक होगा वह ७५ से १७५ के ग्रेड में रहेगा लकिन पीछे एक नया ग्रेड जे० टी० सी० का चला दिया गया ६०–११० का। फिर ५९ में माननीय कमलापति जी जब आये तो उन्होंने तीन प्रमुख वेतनक्रमों के न्यूनतम तथा उच्चतम स्वरूप में समानता की घोषणा की उससे किसी तरह गैरसरकारी अध्यापकों में थोड़ी सन्तोष की भावना आई लेकिन जो भी असन्तोष की स्थिति अब तक थी वेतन अभिनवीकरण समिति की नई सिफारिशों से शासकीय विद्यालयों के अध्यापकों को जो नया वेतन क्रम दिया गया है उसके जरिए असमानता इतनी अधिक बढ़ गयी है कि वह असन्तोष और भी अधिक बढ़

गया है। यदि इस ओर सरकार का ध्यान नहीं गया तो मुझे डर है कि शिक्षकों में जो व्यापक असन्तोष बढ़ेगा उसके बड़े कुपरिणाम शिक्षा पर पड़ेंगे।

(इस समय २ बजकर २६ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री होतीलाल अग्रवाल, पीठासीन हुए।)

अब जे० टी० सी० में सरकारी अध्यापक १०० रुपये से आरम्भ करेगा जबकि गैरसरकारी अध्यापक ६० से आरम्भ करेगा और इस प्रकार आरम्भ में ४० रुपए कम पाएगा। अधिकतम रूप में सरकारी जे० टी० सी० अध्यापक १८० रुपये पाएगा और गैर सरकारी अध्यापक १२० रुपए तक जाएगा और इस प्रकार वह ६० रुपए कम पर अपनी नौकरी समाप्त करेगा। यही नहीं जे० टी० सी० गैर सरकारी अध्यापक १३ वर्ष के बाद उतना पाएगा जितना कि सरकारी अध्यापक प्रारम्भ में पाएगा। इससे बहुत असन्तोष बढ़ेगा। इसी प्रकार सी० टी० ग्रेड में सरकारी अध्यापक १२० से २५० पाएगा और गैर सरकारी अध्यापक ७५ से २०० पाएगा। यानी गैर सरकारी अध्यापक ४५ रुपए कम से आरम्भ करेगा और ५० रुपए कम पर अन्त करेगा और ९ वर्ष के बाद गैर सरकारी उतना पाएगा जितने पर सरकारी सी० टी० अध्यापक आरम्भ करेगा। इसी प्रकार ट्रेन्ड ग्रेजुएट सरकारी अध्यापक १५०–३५० पाएगा जबकि गैर सरकारी १२०–३०० पाएगा। गैर सरकारी अध्यापक ३० रुपए कम से आरम्भ करेगा, ५० रुपए कम पर समाप्त करेगा और ६ वर्ष के बाद उतना पाएगा जितने पर सरकारी अध्यापक आरम्भ करेगा। इसी तरह लेक्चरार, हेड मास्टर और प्रिन्सिपल के सरकारी तथा गैर सरकारी ग्रेड्स में विषमता है और वेतन-क्रमों में कहीं-कहीं तो डेढ़ गुने से पौने दो गुने तक सरकारी अध्यापक के वेतन अधिक हो गए हैं जब कि एक ही प्रशिक्षण के, एक ही योग्यता के और एक ही तरह के काम करने वाले ये सभी अध्यापक हैं। यह अन्तर बहुत ही घातक सिद्ध होगा।

एक बात यह निवेदन करना चाहता हूं कि गृह विभाग की एक रिपोर्ट निकली थी जिसमें जेल के कैदियों के बारे में कहा गया था कि उनके भोजन पर साढ़े ६७ रुपए खर्च होते हैं और दूसरी तरफ हमारे अध्यापक जे० टी० सी० उनके भी नीचे समझे जाते हैं और उनको ६० रुपए दिए जाते हैं एच० टी० सी० अध्यापक तो ६० रु० के भी नीचे रहेगा। विद्या पढ़ाने वाले, राष्ट्रीय जीवन के भविष्य निर्माता तथा उन्नति की सीढ़ी को ढालने वाले अध्यापक तो ६० रुपए या उससे भी कम महीने पाएगा और असामाजिक कार्य करके जेल जाने वाला कैदी ६७ रुपए ८ आने पाए, यह ध्यान देने योग्य बात है। गृह विभाग को पैसा देने का काम वही वित्त मन्त्री करते हैं जो संयोग से शिक्षा मन्त्री भी हैं।

दूसरी बात यह है कि अन्य देशों में नीचे स्तर पर के प्राइमरी अध्यापकों और विश्वविद्यालय के अध्यापकों के वेतन-क्रम में १:३ का अन्तर है और माध्यमिक स्कूलों के अध्यापक और विश्वविद्यालय के अध्यापकों के वेतन-क्रम में २:३ का अन्तर है। लेकिन हमारे यहां प्राइमरी अध्यापकों और विश्वविद्यालय अध्यापकों में १:७ और माध्यमिक स्कूलों के अध्यापकों और विश्वविद्यालय के अध्यापकों के वेतनक्रम में १:३ का अन्तर है। जबकि विश्वविद्यालय के अध्यापकों की भी योग्यता माध्यमिक स्कूलों के अध्यापकों के समान ही होती है। इसलिए इतना अन्तर नहीं होना चाहिए। यह स्थायी असन्तोष की स्थिति पैदा करके शिक्षा के भविष्य के साथ खिलवाड़ किए जाने को मैं बहुत ही घातक चीज समझता हूं। (लाल बत्ती होने पर) हमें तीन मिनट का समय और दे दें।

श्री उपाध्यक्ष—

जी नहीं, अब नहीं दे सकता।

श्री रघुनाथसिंह—

शिक्षा के प्रति जो उपेक्षा की नीति है उसको अध्यापक ही नहीं कह रहे हैं बल्कि दिल्ली से सो शन्डे स्टैंडर्ड निकलता है उसके ६ मार्च के सम्पादकीय में जो कुछ लिखा गया है उसको मैं आपकी आज्ञा से सदन में पढ़ देना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—

देखिए, आपने जिक्र कर दिया। सेन्स बता दें और आगे चलें।

श्री रघुनाथसिंह—

इसमें "Education As Investment" शीर्षक से यह बताया गया है कि सारी स्थिति का कारण यह है शिक्षा को समाज सेवा के अन्तर्गत डालकर सोचा जाता है कि यह तो खैराती विभाग है और इसको जो दिया जा रहा है वह बहुत है। लेकिन यह उत्पादक विषय है। इसको जब तक नहीं समझा जाएगा तब तक शिक्षा की वैसी उन्नति नहीं हो सकती जो होनी चाहिए। उससे एक भयानक कुपरिणाम यह हो रहा है कि अंग्रेजों के जमाने में यानी १९४६ में हाई स्कूल का परीक्षाफल ६२.९ प्रतिशत, १९५१ में ५९.१ प्रतिशत रहा और इधर पिछले पांच वर्षों से १९६४ को छोड़कर हमेशा ५० परसेन्ट से नीचे ४५.३ प्रतिशत तक रहा है। इसी प्रकार इन्टर का परीक्षाफल १९४६ में ६६ प्रतिशत, १९५१ में ५९.५ परसेन्ट और इसके बाद इधर पिछले पांच वर्ष में ४१.५ प्रतिशत से ४९.३ प्रतिशत रहा है। अब माध्यमिक शिक्षा पर उत्तरोत्तर आय-व्ययक में हो रही वृद्धि के मेल में परीक्षा की सफलता को देखिए:— हाई स्कूल और इन्टर में १९५१ की अपेक्षा १९६१ में १८५.३ प्रतिशत छात्र उत्तीर्ण हुए, जबकि ५०–५१ के माध्यमिक शिक्षा बजट के मेल में ६०–६१ में बजट २०१.०३ प्रतिशत रहा। इस प्रकार आनुपातिक उपलब्धि १६ प्रतिशत कम रही। इसी प्रकार १९५१ के मेल में १९६५ में २६९.४ प्रतिशत छात्र उत्तीर्ण हुए जबकि ५०–५१ के बजट मेल में ६४–६५ में ३२२.९ प्रतिशत रहा। इस प्रकार आनुपातिक उपलब्धि ५३.५ प्रतिशत कम रही। विभाग अधिक से अधिक पैसा खर्च करने की बात करता है, किन्तु पैसा खर्च करना बड़ी बात नहीं, बड़ी बात विकसित परिणाम में है। जो यह कह रहे हैं कि इतना पैसा लगा रहे हैं यह सनकी खजांची की तरह पैसा लुटा रहे हैं। देखना यह है कि उस पैसे से उपलब्धियां क्या हो रही हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

अब आप अपना भाषण समाप्त कीजिए। १५ मिनट हो गए।

*श्री केशभान (जिला गोरखपुर)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, कटौती का प्रस्ताव पेश करते हुए माननीय भानुप्रताप जी ने शिक्षा मन्त्री से नामिनेशन के सिलसिले में एक वाक्य कहा। उन्होंने पूछा आप भी किसी बेवकूफ का नाम लाए हैं। बात असल यह है कि आलोचना करते समय आप यह भूल गए कि कभी-कभी लोग कांस्टीट्यूशनल ट्रुथ बोलते हैं और कभी-कभी फैक्चुअल ट्रुथ बोलते हैं। आपने कटौती का प्रस्ताव पेश करते समय कांस्टीट्यूशनल ट्रुथ और फैक्टुअल ट्रुथ दोनों का उदाहरण पेश किया। आपने बतलाया, मैं कटौती का प्रस्ताव पेश कर रहा हूं रुपया कम करने का लेकिन असली मंतव्य है रुपया बढ़ाने का, शिक्षा में व्यय अधिक करना चाहिए। कहने के लिए विवशता थी कि कटौती का प्रस्ताव आए। ठीक इसी प्रकार अगर शिक्षा मन्त्री ने कह दिया तो उनकी मंशा नहीं थी कि कोई बेवकूफ भेजा जाय। न उन्होंने कभी किसी बेवकूफ का नामिनेशन किया। ऐसा कहने के पीछे उनका उद्देश्य माननीय सदस्य का सम्मान करने का था। हर माननीय सदस्य से आशा नहीं की जा सकती कि वह कायदा कानून जानते हों। ऐसे माननीय सदस्य आते हैं जो बार-बार कहते हैं जो नियम के विरुद्ध होता है, होना चाहिए। जब बार-बार कहा जाता है कि ऐसा नहीं हो सकता तो उनको नागवार गुजरता है। ऐसी स्थिति में जब माननीय मन्त्री जी ने कहा कि बेवकूफ का नाम लीजिए, उसका नामिनेशन करके भेज देंगे, लेकिन आम तौर से बेवकूफ प्रशिक्षण के लिए नहीं जा सकता। उसके लिए, जैसा कि नार्मल

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

प्रशिक्षण के लिए कानून में है, जूनियर हाई स्कूल पास लेकिन नामिनेशन का जब आदेश जाता है तो जिस किसी की भी योग्यता हाई स्कूल से कम है, नामिनेट करने के बावजूद जांच ली जाय उसकी न्यूनतम योग्यता तब प्रवेश किया जाय। हाई स्कूल में थर्ड डिवीजन से कम कोई डिवीजन नहीं होगा।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय (जिला जौनपुर)—

व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय केशभान राय, जो डिप्टी मिनिस्टर भी रह चुके हैं, कह रहे हैं कि नार्मल प्रशिक्षण के लिए जूनियर हाई स्कूल की योग्यता रखी है लेकिन आदेश जाता है कम से कम सेकन्ड क्लास हाई स्कूल लिए जायं। तो, श्रीमन्, जो नियम है उसके विरोध में जो आदेश जाता है वह कहां तक ठीक है?

श्री उपाध्यक्ष—

यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। जो यहां डिबेट हो रहा है उसमें कोई नुक्स हो तो बताइए।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय—

यहां पर अगर कोई बात कानून या विधान के विरुद्ध कही जाय तो आप को व्यवस्था देना चाहिए। यह दूसरी बात है कि आप अपनी असमर्थता प्रकट करें।

श्री उपाध्यक्ष—

सकड़ों गलत बातें इधर से भी कही जाती हैं, उधर से भी कही जाती हैं। इसका कौन जिम्मेदार बने?

श्री केशभान—

जिनके सिलसिले में जो कहा गया है कि सेकेन्ड डिवीजन वाले मिलें तो लें लेकिन नीचे के डिवीजन के नहीं लेने चाहिए। यह रूल तो है, लेकिन बहुत अच्छे पढ़ने वाले थर्ड डिवीजन में भी मिल जाते हैं इसलिए जब थर्ड डिवीजन वाले को यहां से नामजद कर दिया जाता है, तो इसीलिए उसको नामजद कर दिया जाता है कि उसकी प्रतिभा और बुद्धि के बारे में सरकार को व्यक्तिगत जानकारी रहती है और उसी के आधार पर उसको प्रतिभाशाली होने के कारण भेजा जाता है, हालांकि उसका डिवीजन थर्ड ही रहा है। इसलिए मैं, श्रीमन्, निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसा करके शिक्षा मन्त्री जी ने कोई भूल नहीं की है। उन्होंने ठीक किया है अपनी जानकारी के आधार पर।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बहुत ज्यादा कुछ इस विषय पर नहीं कहना है, क्योंकि अब हमारी प्राक्कलन समिति ने शिक्षा को अपना विषय चुन रखा है और उस पर अपनी रिपोर्ट देगी ही। लेकिन जो विषय हमारी समिति के विचारार्थ नहीं आते हैं, जिन पर चर्चा नहीं की गयी है, उन कुछ सीमित क्षेत्रों को मैं चर्चा के लिए चुन कर उन्हीं पर चर्चा करूंगा।

श्रीमन्, बड़े जोरदार ढंग पर कहा गया कि शिक्षा का स्तर गिर रहा है। बात यह है कि जब कभी मापदण्ड बदल जाता है तो मानांक भी बदल जाता है। जैसे कि किसी सेर से कोई किसी को चार सेर कहता है और कोई दूसरे सेर से किसी को पांच सेर कह सकता है। इस तरह से एक सेर से ४ सेर और दूसरे से पांच सेर भी हो सकता है। इसलिए एक तरह से यह हमारी प्रगति का द्योतक है। इसे हमें डार्क साइड से नहीं देखना चाहिए। इसके पीछे हमारा क्या तर्क है, वह यह है कि जैसे १० गांव के बीच १० साल पहले एक प्राइमरी स्कूल होता था जिसमें १०० लड़कों में से सिर्फ २०–२५ लड़के ही वहां पर पढ़ने जाते थे। जो कुशाग्र बुद्धि के होते थे, वही पढ़ने जाते थे और शेष या तो अपने खेती के काम में सहायता करते थे या बकरी चराते थे, कुछ भी काम करते थे। और उन लड़कों में से १–२ दर्जे के बाद कुछ ही लड़के आगे पढ़

[श्री केशभान राय]

पाते थे। तो जो पहले हर गांव से १–२ लड़के ही चुनकर अच्छे एक सेन्ट्रल स्कूल में पढ़ने आते थे उसमें अच्छे-अच्छे लड़के होते थे। तो उन २०–२५ लड़कों में जो लड़का तेज होता था वह पूरा १०–१२ गांवों में तेज लड़का होता था और बाकी लड़के कम अच्छे समझे जाते थे। लेकिन अब स्थिति यह है कि हर गांव में प्राइमरी स्कूल खुल गए हैं और जहां पर एक गांव से पहले एक ही दो लड़के पढ़ने आते थे वहां पर अब बहुत पढ़ने जाने लगे हैं। उस समय जो अपने स्कूल का सबसे कमजोर लड़का २०–२५ लड़कों में होता था वह अब अपने गांव में ही स्कूल खुल जाने के कारण अपने स्कूल का सबसे तेज लड़का हो गया। तो आप देखें कि अब स्कूलों की संख्या बढ़ने से छात्रों की संख्या बढ़ने से बहुत से ऐसे आने लगे जो पढ़ते ही नहीं, पढ़ने के योग्य ही नहीं; तो स्वाभाविक है उनका कमजोर रहना और शिक्षा का स्तर गिरना। इसलिए जब-जब लड़कों की संख्या बढ़ेगी तो स्तर गिरेगा ही। इसलिए मुझे यह कहना है कि आज स्थिति क्या है? पहले १०० लड़कों में से २० लड़के पढ़ते थे और आज १०० लड़कों में से ८० लड़के पढ़ते हैं। तो जो पहले बिलकुल पढ़ना लिखना नहीं जानता था, घुरहू भी नहीं जानता था और घुरहू कहने पर वह घुरहू की हूबहू मूर्ति सामने बना देता था और उसके मन में घुरहू की तस्वीर खिंच जाती थी, लेकिन वह आज पढ़ कर सिख गया है, निरक्षर से साक्षर हो गया है, लिखना सीख गया है तो वह घुरहू के स्थान पर खुरहू लिख देता है तो इसमें आपको उसकी बुराई नहीं करनी चाहिए शिक्षा स्तर गिरने का दोष नहीं देना चाहिए। बल्कि आपको तो उसकी प्रशंसा ही करनी चाहिए, कि जो पहले बिलकुल निरक्षर था, अक्षर उसके लिए काले भैंस के बराबर था अब वह लिखने लगा है, भले ही कुछ गलत लिखता हो। इसलिए वह हमारी प्रगति का ही द्योतक है।

अभी हम लड़कों की संख्या बढ़ाने की तरफ ध्यान दे रहे हैं और उसके बाद हम उनके विकास और शिक्षा के स्तर की तरफ भी ध्यान देंगे और उनके शिक्षा स्तर को उठाने का प्रयास किया जायगा। इसलिए मैं यह मानता हूं कि हमें अपनी शिक्षा का स्तर ऊंचा करना चाहिए, लेकिन इस बात को मैं नहीं मानता कि आज हमारी हालत बहुत खराब है। अगर शिक्षा का स्तर गिरते जाने की बात कही जाती है तो जहां हमने रमन जैसा विद्वान पहले पैदा किया वहां आज की पढ़ाई द्वारा ही नारलिकर जैसे विद्वान को पैदा किया। अगर विश्वविद्यालय शिक्षा की यही प्रगति रही तो हम हर गांव में जहां पहले घुरहू जैसे व्यक्ति को पैदा करते थे जो खर्च करके पढ़ नहीं सकते थे वहां आज गांव-गांव में लोगों को छात्रवृत्ति देकर, स्कूल खुलवा कर सैकड़ों नारलिकर पैदा कर सकते हैं और हमारी प्रगति बराबर होती रहेगी। इसलिए कोई गलत पिक्चर सामने रख कर सरकार को दोष नहीं देना चाहिए और न यही मान कर सन्तोष कर लेना चाहिए कि शिक्षा का स्तर सेन्ट पर सेन्ट ऊंचा हो गया है। शिक्षा के सम्बन्ध में हमेशा ज्ञानात्मक और भावनात्मक विकास करने का प्रयत्न करना चाहिए लेकिन इतने बड़े प्रयास के बाद जो उपलब्धियां हों, उनकी चर्चा भी करनी चाहिए ताकि उससे लोगों को उत्साह मिले और जो हमारी कमी है उसको हम पूरा कर सकें।

ऐसे ही कुछ लोगों ने अनुशासन के सम्बन्ध में चर्चा की। उस सम्बन्ध में मुझे कुछ नहीं कहना है। उसकी जिम्मेदारी सरकार के ऊपर न होकर जनता के ऊपर ही है इसको स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिए कि अनुशासन, नैतिक स्तर और आचरण सम्बन्धी बातें बहुत कठिन हैं। उसका सारा दोष सरकार के ऊपर थोप देने से काम नहीं चलेगा। अनुशासन तथा नैतिक स्तर को ऊंचा करने के लिए जहां कई पहलू हैं उनमें एक पहलू है ज्ञानात्मक और एक परिणामात्मक है। ज्ञानात्मक पहलू क्या होना चाहिए, इस पर अगर आप खयाल करें तो मैं एक उदाहरण की चर्चा करूंगा। जब जमींदारी उन्मूलन की चर्चा चल रही थी तो उसके बाद पढ़े लिखे जमींदार के ही एक लड़के ने एक बड़ा उपन्यास लिखा जिसमें जमींदारों द्वारा काश्तकारों पर किए जाने वाले अत्याचारों का चित्रण दिया हुआ है। उसे देख कर पढ़े लिखे लोग वाह-वाह करने लगे क्योंकि जितनी बातें थीं वे अनुभव के आधार पर लिखी गयी थीं। लेकिन परिणामात्मक

पहलू का जहां तक सम्बन्ध है, सरकार को एक वर्ग विशेष का खयाल न कर शिक्षा संस्थाओं में ज्ञानात्मक पुस्तिकायें पढ़ाने का प्रबन्ध करना चाहिए। जिसमें शिवाजी, राणा प्रताप, महात्मा और वीरों के उदाहरण तथा उनके जीवन चरित्र दिए हुए हों। इस प्रकार की पुस्तकें पढ़ने से ही शिक्षा का स्तर उठ सकता है और सरकार के प्रति जो लोगों के मन में भ्रम है उसे दूर किया जा सकता है। "महाजनो येन गतः सपंथ"—समाज के प्रतिष्ठित लोग समाज के सामने जो उदाहरण रखते हैं उसी उदाहरण पर और लोग चलते हैं। शिक्षा का सारा भार सरकार के ऊपर ही लाद देने से काम नहीं चलने वाला है, शिक्षी अच्छी हो इसलिए उसका भार सबको वहन करना चाहिए।

श्री जगन्नाथ राव (जिला जौनपुर)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस शिक्षा अनुदान पर माननीय भानुप्रताप सिंह ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, शिक्षा प्राप्त करना प्रत्येक व्यक्ति का मौलिक सामाजिक अधिकार है। शिक्षा पर इस सरकार ने जितना धन व्यय किया है और गत १८ वर्षों से जो व्यवस्था इन्होंने निर्मित की है उसका परिणाम यह है कि शिक्षा का स्तर पहले की अपेक्षा बहुत गिरा है अनुशासनहीनता बढ़ी है और राष्ट्रपति से लेकर केन्द्र के शिक्षा मन्त्री, राज्यों के शिक्षा मन्त्री सभी यह कहते हुए दिखाई देते हैं कि दिन प्रति दिन शिक्षा का स्तर गिर रहा है। मैं ही नहीं, सारे प्रदेश के लोग इसको स्वीकार करते हैं लेकिन कोई उपाय अभी तक वे निकाल नहीं सके हैं। १७ वर्षों से जिस शिक्षा का चलन है वह अंग्रेज अपने शासन को चलाने के लिए करता था, उसी शिक्षा का है। यद्यपि इस देश में अपने लोगों की सरकार आयी, स्वराज्य हुआ, लेकिन जो प्रकाश हमें अपने विद्वानों और मनीषियों से इस सम्बन्ध में मिलना चाहिए था वह शिक्षा के क्षेत्र में नहीं मिला।

प्रारम्भिक शिक्षा का सबसे अधिक महत्व शिक्षा के क्षेत्र में है क्योंकि उसी के आधार पर शिक्षा की सारी भित्ति का निर्माण होता है किन्तु इस सरकार ने प्राथमिक शिक्षा का उत्तर-दायित्व जो जिला परिषदों पर रखा है वह बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है और इन जिला परिषदों ने किस प्रकार सरस्वती के मन्दिरों को भ्रष्ट किया है उसके एक दो उदाहरण आपके सम्मुख प्रस्तुत करना चाहता हूं। विद्यालयों में अध्यापक जिस पार्टीबन्दी के आधार पर नियुक्त किया जाता है उससे हम कभी भी आशा नहीं कर सकते कि यह अध्यापक स्वस्थ मस्तिष्क से, स्वस्थ चित्त हो कर अध्यापन कार्य कर सकेगा। उसके ऊपर कितना राजनीतिक अंकुश रहता है इसका एक उदाहरण हमें एक उपविद्यालय निरीक्षक ने बताया। वे एक विद्यालय का निरीक्षण करने गए, तो वहां के प्रधानाचार्य जो उनके सामने बैठे हुए थे उनसे इन्होंने कहा कि हम आपके स्कूल का निरीक्षण करने आए हैं। न तो वह उठे, न और कोई बात की और कहा कि आप निरीक्षण करने आए हैं तो रजिस्टर मंगाए देता हूं। एक छोटी सी चारपाई पर वह बैठ गए और उस पर उनको वह रजिस्टर दे दिया गया। वह नाराज हो गए और लौटकर आकर उन्होंने अपनी रिपोर्ट दे दी। उसके बाद प्रधानाचार्य जी जिला परिषद् के अध्यक्ष से मिलते हैं और उनसे शिकायत करते हैं कि आपका फलां सहायक उपविद्यालय निरीक्षक बड़ा बदतमीज है और इसको क्या हक है कि हमारे जैसे प्रधानाध्यापक के खिलाफ जो १० साल से यहां कार्य कर रहा है कुछ लिखे। अन्ततः जिला परिषद् के अध्यक्ष ने उस सहायक उपविद्यालय निरीक्षक को डांटा और कहा कि तुम जाकर उस अध्यापक से माफी मांगो वरना तुम्हारी नौकरी खत्म समझी जावेगी। यह तो अध्यापक हैं जो विकास क्षेत्र के प्रमुखों और प्रधानों और जिला परिषदों के सदस्यों और अध्यक्षों की चापलूसियां करते फिरते हैं। यह तो स्थिति बिगड़ गयी है अध्यापकों की। वह हर समय उनकी चापलूसी में रहते हैं क्योंकि वह समझते हैं कि जब तक वह जिला परिषद् के सदस्यों की चापलूसी न करते रहें तब तक वह उस स्थान पर नहीं रह सकते। उसको पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। केवल राजनीतिक लोगों की चापलूसी करने में वह समय बिताते है। मैं यह जो कह रहा हूं वह उपनिदेशन से मिलने के बाद और जिला

[श्री जगन्नाथ राव]

विद्यालय निरीक्षक जिन निष्कर्षों पर पहुंचते हैं उनको देखने के बाद मैं कहता हूं कि प्राथमिक शिक्षा में जो गिरावट आयी है उसमें सबसे अधिक जिम्मेदारी अगर किसी की है तो वह जिला परिषदों की है। मैं मंत्री जी से आग्रह पूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रदेश की प्राथमिक शिक्षा को गर्त में जाने से रोकने का बिना निश्चय किये हुये अगर आप यह तय करें कि गिरावट को रोक दिया जाय तो प्राथमिक शिक्षा को जिला परिषदों और स्थानीय निकायों के हाथों से वापस ले लें।

थोड़ी-सी बात मैं भवन निर्माण के बारे में भी कहना चाहता हूं। सरकार ने १९६१-६२ से १९६३-६४ तक प्रदेश में १०,७३० भवन ग्रामीण क्षेत्र में निर्माण करने का निश्चय किया था लेकिन इन्होंने भवन जो निर्माण किये हैं वह १८९९ हैं। जो लक्ष्य निर्धारित किया था उसका केवल एक बटा तीन ही यह काम हुआ है। इतना लक्ष्य बनाया गया लेकिन ३ साल के बाद भी केवल इतने ही भवन बना पाये। बाकी जितने गांवों में भवन हैं उनकी ईंट भी नहीं रह गई है। अध्यापक लोग अपने विद्यार्थियों को लेकर पेड़ के नीचे बैठते हैं। बरसात के दिनों में उन भवनों की बुरी हालत हो जाती है जो अभी बनाये गये हैं। उनकी छत ठीक नहीं रह गई है। वह छतें टपकती हैं। अध्यापक अपने छात्रों को ले जाकर बाहर बैठते हैं। यह हालत सुल्तानपुर और आगर जिले में है। इस प्रकार से इन्होंने ५ हजार अध्यापिकाओं के लिये क्वार्टर बनाने का निश्चय किया था। जिसमें केवल २,५३०, १९६३-६४ में बनाने थे, लेकिन उनमें केवल २७७ ही बन पाये हैं। बालिका और बालकों के स्कूल चलाने के लिये ग्रामीण क्षेत्र में जो अध्यापिका रखी गयी हैं उनको ग्राम माता कहते हैं। ये ग्राम मातायें २०, २५ वर्ष आयु की होती हैं। इनके लिये रहने के लिये ग्रामीण स्तर पर कोई सुविधा नहीं होती है। न कोई इन्तजाम होता है। उनकी बहुत दुर्दशा है। इनका नाम ग्राम माता ले कर गांव के लोग हंसी करते हैं। इसलिये कृपा करके इनके नाम को बदला जाय तो अच्छा रहेगा। वह ग्राम माता नहीं हैं। वह २०, २५ साल की लड़कियां जब गांव में आती हैं तो कोई बहुत अच्छा आदर्श उपस्थित नहीं करती हैं। इनके बारे में सोचा जाय और इनका नाम बदलने का प्रयास किया जाय।

मैं कुछ निवेदन प्रारम्भिक शिक्षा के बारे में करना चाहता हूं। प्रिप्राइमरी एजुकेशनके सिलसिले में आप नर्सरी स्कूल खोलते हैं। सरकार की तरफ से नर्सरी शिक्षा दो स्थानों पर स्थापित है जिसमें बहुत रुपया व्यय होता है। एक इलाहाबाद में है और दूसरा आगरा में है, लेकिन यह पद्धति बहुत खर्चीलीहै। या तो प्रदेश की आर्थिक स्थिति ऐसी हो कि जो इस खर्चीली योजना को चला सके नहीं तो यह श्रेयस्कर नहीं साबित होगी। यह इतनी खर्चीली योजना है कि इसकी शिक्षा का प्रसार हमारे प्रदेश में नहीं हो सकता है। इसलिये इसको रोका जाय। जो नर्सरी की शिक्षा दे रहे हैं उन शिक्षा संस्थाओं को अनुदान दे कर सहायता करें। जो इसको प्रारम्भिक शिक्षा देते हैं। वह आंग्ल भाषा में दी जाती है। यह शिक्षा राष्ट्र भाषा में होनी चाहिये। आंग्ल भाषा में जो ये शिक्षा देते हैं उसकी पाठ्य पुस्तक ऐसी होती हैं जिनमें देश भक्ति भावना अधिक नहीं रहती है। वह देश भक्ति की बात न बता कर देश-द्रोहात्मक भावना पैदा करती है। इनके ऊपर नियंत्रण होना चाहिये। इसके साथ साथ यह जो नर्सरी शिक्षा दे रहे हैं इनकी दशा भी बड़ी दयनीय है और जो ये मांटेसरी की शिक्षा देते हैं इनकी दशा भी ऐसी ही है। यह देखने में आया है कि ये फीस बहुत चार्ज करते हैं। इनसे जनता नित्य प्रति त्रस्त रहती है। इसलिये उनका जो दृष्टिकोण है उसमें परिवर्तन होने की आवश्यकता है। इसलिये सरकार इस प्रि-प्राइमरी शिक्षा के बारे में विचार करे और एक अच्छा सा नक्शा आपके पास होना चाहिये जिसको समझ कर आगे बच्चे चल सकें। यदि आप ऐसा करेंगे तो प्रि-प्राइमरी एजूकेशन को अच्छी दिशा दे सकेंगे।

उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के बारे में भी दो शब्द निवेदन करना चाहता हूं। यह जो लाभत्रयी योजना है उसमें आप उनको बहुत सहायता देते हैं और सरकार कुछ मंहगाई भत्ता भी

उनको देती है, लेकिन इस लाभत्रयी योजना को कार्यान्वित करने में बड़ी कठिनाई सामने आ रही है। अभी एक प्रश्न के उत्तर में माननीय मंत्री जी ने बतलाया कि जौनपुर जिले में २८ उच्चतर माध्यमिक विद्यालय ऐसे हैं कि जो अपने अध्यापकों को न तो भविष्य निधि देते हैं और न पेंशन देते हैं और न मंहगाई भत्ता ही देते हैं। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि इस लाभत्रयी योजना को कार्यान्वित करने के लिये आप कदम आगे बढ़ायें और अपने उद्देश्य को पूरा करें।

संस्कृत विद्यालय के बारे में भी मैं दो शब्द कहना आवश्यक समझता हूं। यह जो संस्कृत पाठशालायें हैं उनमें भी आप लाभत्रयी योजना लागू कर दें। साथ ही साथ यह संस्कृत के जो शास्त्री और आचार्य हैं उनको जब आप बी० ए० और एम० ए० के समान मानते हैं, मान्यता देते हैं तो संस्कृत महाविद्यालय के अध्यापकों को भी इस प्रकार की विशेष सुविधायें प्रदान करने का आप निर्णय करें। आपने कहा है कि विशेष सुविधायें हम उनको देते हैं, परन्तु अभी वाराणसेय संस्कृत विद्यालय से जो सम्बन्धित विद्यालय हैं उनमें एक लक्ष्मण दास आयुर्वेदिक महाविद्यालय खुर्जा में है, इसके अध्यापकों को किसी प्रकार की सुविधा नहीं मिल रही है। इस सम्बन्ध में आवश्यक प्रबन्ध किया जाना चाहिये।

मान्यवर, एक राजकीय शिक्षा संस्थान आपने इलाहाबाद में खोला है प्रदेश की प्रारंभिक शिक्षा की उन्नति के लिये और यह एक अच्छी संस्था है, परन्तु इसके विषय में मैं यह चाहूंगा कि इसके द्वारा सरकार कम से कम हर विकास क्षेत्र में एक आदर्श विद्यालय स्थापित कराने की व्यवस्था करे और जो बहुसंख्यक शिक्षा के लिये स्कूल ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित किये जा रहे हैं छात्रवृद्धि आदि के कारण से उनमें अध्यापकों को दो-दो, तीन-तीन कक्षाओं में पढ़ाने के लिये जाना पड़ता है तो आप उन अध्यापकों को इस संस्थान में इस प्रकार से शिक्षित करें कि वे ग्रामीण विद्यालयों में जा कर वहां भी उसी प्रकार की शिक्षा का संचालन कर सकें।

स्कूलों की साज सज्जा का जहां तक सम्बन्ध है, राज्य की आर्थिक स्थिति देख कर उसके अनुसार सरकार को आवश्यक व्यवस्था करनी चाहिये।

अन्त में मैं आप से एक बात और कह कर अपनी बात समाप्त करूंगा। यह जो अंग्रेजी के शिक्षकों का प्रशिक्षण हो रहा है, और जो आपने प्रशिक्षण केन्द्र उनके लिये प्रयाग में बना रखा है और उसके लिये बड़ा भारी भवन ले लिया है और उसके पास ही राज्य का पुस्तकालय छोटी सी इमारत में पड़ा हुआ है। यह, मैं समझता हूं, उचित नहीं है। अंग्रेजी शिक्षा के प्रशिक्षण के लिये इतना बड़ा विद्यालय खड़ा करना और उसमें लाखों रुपया खर्च करना शोभाजनक नहीं है। इसको आप जल्द ही समाप्त कर दें वही अच्छा है।

*श्री जगदीश शरण अग्रवाल एडवोकेट (जिला बरेली)--

आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं ऐसा समझता हूं कि शिक्षा का अनुदान सारे अनुदानों में महत्वपूर्ण है और शिक्षा का स्थान भी एक विशेष महत्व रखता है। मान्यवर, यह हमारा दुर्भाग्य रहा है जब कभी कोई आपत्ति आती है या कोई मितव्ययिता की बात सोची जाती है तो सबसे पहले कटौती का बोझ शिक्षा पर पड़ता है। कदाचित् यह समझा जाता है कि शिक्षा में जो रुपया लगाया जाता है उसका रिटर्न हमको तत्काल नहीं मिलता देर में मिलता है, जब कि दूसरी मदों में हम इधर रुपया लगाते हैं और दूसरे साल ही हमको उसका रिटर्न मिल जाता है। मान्यवर, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह प्रवृत्ति सदा के लिये समाप्त हो और हम इस बात को एक तथ्य के रूप में मान लें कि शिक्षा का विस्तार और उसमें अधिक रुपया लगाना आवश्यक है, यह बहुत आवश्यक है। मान्यवर, मैं विरोधी दल के माननीय भानु प्रताप सिंह जी की इस बात से भी सहमत हूं कि हमारे प्रदेश में जो शिक्षा पर व्यय हो रहा है वह टोटल रिसीट्स के अनुपात

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री जगदीशशरण अग्रवाल एडवोकेट]

में हमारे देश के दूसरे प्रदेशों से कम है और संसार के दूसरे राज्यों से बहुत कम है। तो मान्यवर, संतोष है कि अबकी बजट में कोई घटोतरी नहीं हुई, कुछ बढ़ोतरी चाहे नगण्य हो, हुई। मान्यवर, १० मिनट में और चाहे ३–४ मिनट और दे दें उसमें शिक्षा की अनेक समस्याओं पर कुछ कहना संभव नहीं है। कुछ बातों की तरफ ध्यान दिलाऊंगा।

शिक्षा को मोटे तौर से प्रि-प्राइमरी ऐजूकेशन, प्राइमरी ऐजूकेशन, सेकेंडरी एजूकेशन और यूनिवर्सिटी एजूकेशन में विभाजित कर सकते हैं। एक बड़ी कमी यह है कि आज जो सेकेन्डरी ऐजूकेशन के स्टेज तक एक बच्चे की अवस्था होती है, १६–१७ वर्ष की परिपक्व अवस्था उस समय पर जो तीन स्तरों पर ऐजूकेशन दी जाती है प्रि-प्राइमरी, जूनियर, हाई स्कूल और इंटरमीडियेट, इसके प्रबन्धके लिये विभिन्न ऐजेन्सीज हैं और उनमें आपस में कोआर्डिनेशन नहीं है। उसका परिणाम यह होता है कि उस बच्चे की शिक्षा का लक्ष्य कोई अंकित नहीं हो पाता। शिक्षा में लक्ष्य होना परम आवश्यक है। बिना लक्ष्य की शिक्षा बिना पतवार की नाव के समान है और ऐसा लगता है कि आज ऐजूकेशन में दिशा है नहीं। यह परम आवश्यक है कि इस स्थिति को ठीक करने के लिये हम उसमें कोई कोआर्डिनेशन करें और कोई ऐसी कम्पोजिट होल एजेन्सी बनायें जिसका दायित्व हो सेकेन्डरी ऐजूकेशन के अन्त तक हर स्तर की शिक्षा में एक स्वरूप और लक्ष्य देने का है। उसका करीकुलम, उसका पाठ्यक्रम इत्यादि निर्धारित करने के लिये ऐसी एजेन्सी होनी चाहिये। मंत्री जी, जो शिक्षा के होते हैं शिक्षा की नीति निर्धारित करने का दायित्व उनके कंधों पर बहुत बड़ा हो जाता है और समय न मिलने और अन्य कठिनाइयों के कारण शिक्षा को कोई नीति और दिशा नहीं मिल पाती। तो मैं समझता हूं एक स्टेट बोर्ड आफ ऐजूकेशन कायम हो। मंत्री जी उसके चेयरमैन हों और वाइस-चेयरमैन एक उच्च कोटि का ऐजूकेशनिस्ट हो जो होलटाइम पेड हो। एक सेक्रेटरी हो और तमाम विश्वविद्यालयों के वाइस चान्सलर उसके मेम्बर्स हों। तमाम उत्तर प्रदेश के लिये सेकेन्डरी ऐजूकेशन के अन्त तक कम से कम एक नीति वह बोर्ड निर्धारित करदे और अगर डिग्री और सेकेन्डरी दोनों के लिये नीति में एक समन्वय हो सके तो और सुन्दर है।

श्री होरीलाल यादव (जिला इटावा)—

इंटरमीडियेट बोर्ड के अलावा और कोई बोर्ड चाहते हैं ?

श्री जगदीशशरण अग्रवाल एडवोकेट—

मैं इंटरमीडिएट बोर्ड पर आऊंगा। मेरा सम्बन्ध इंटरमीडिएट बोर्ड से १०–१२ साल से है। इंटरमीडिएट ऐजूकेशन बोर्ड का काम शिक्षा में कोई नीति निर्धारित करना नहीं है। उसका केवल एक मैकेनिकल काम है कि वह शिक्षा का सुप्रबन्ध करे . . .

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—

उसका भी विकेन्द्रीकरण कर दीजिये।

श्री जगदीशशरण अग्रवाल एडवोकेट—

परीक्षा उसका एक दायित्व है और दूसरा उसका कार्य है रिकाग्नीशन और पाठ्यपुस्तकों का निर्धारण। राधाकृष्ण जी की अध्यक्षता में एक कमेटी बैठी थी, उसने एक विस्तृत रिपोर्ट दी है जो सरकार के विचाराधीन है। मैं भी उसका सदस्य था। उसने इस विषय का अध्ययन किया है और अपनी राय दी। और विकेन्द्रीकरण का, जहां तक इंटरमिडियेट का सवाल है, मैं राम सुन्दर पांडेय जी से कहना चाहता हूं कि यह जो एक फिगरफोबिया है कि ६–७ लाख परीक्षार्थी होते हैं इसलिये कठिनाई हो जाती है यह कारण नहीं है, जो परीक्षा में देर की बात सुनते हैं या रिकाग्नीसन में कुछ समय लगता है, उसका मुख्य कारण यह है कि सन् १९२१–२२ में जो परीक्षार्थियों की संख्या थी और विद्यालयों की संख्या थी वह तो बढ़ कर ४० गुनी हो गई

लेकिन उस अनुपात में वहां शक्ति साधन और बिल्डिंग, ये बहुत पीछे हैं। एक और १०–१२ का अनुपात होगा। अगर इसको ठीक कर दिया जाय तो अधिक लाभ होगा।

मैं माननीय पांडेय जी की बात से यहां तक सहमत हूं कि एक केन्द्रीय बोर्ड रहे उसका विकेन्द्रीयकरण हो जाय, उसके अधीन २–३ छोटे बोर्ड बना दिये जायें, परीक्षा के लिये। इस प्रकार अगर विकेन्द्रीयकरण किया जाय तो अच्छा होगा। मगर सेन्ट्रल बोर्ड रहेगा, और बोर्ड उसी की अध्यक्षता में काम करेंगे। उनमें आपस में कोआर्डिनेशन होगा। आज इस वक्त हर क्षेत्र में कोआर्डिनेशन की बहुत आवश्यकता है।

मान्यवर, इसके अलावा एग्जामिनेशन सिस्टम में आमूल परिवर्तन करने की आवश्यकता है, वह बहुत आउट मोडेड हो गया है। उसका कैरिकुलम का भी जो सिस्टम है वह बहुत गलत है। दूसरे मुल्कों में कैरिकुलम में बहुत से परिवर्तन हुये हैं और उसके लिये उन्होंने उच्च स्तरीय कमेटी बना कर, उच्च कोटि के विद्वानों की राय जानकर, वैसा किया है। हमारे यहां उसके लिये अभी तक उस तरह का कोई उच्च स्तरीय प्रयत्न नहीं किया गया है। छठे दर्जे तक की पुस्तकों का राष्ट्रीयकरण करने की कुछ बात आयी है। इस सम्बन्ध में सिद्धान्त रूप में मैं माननीय भानु प्रताप सिंह जी की राय से सहमत नहीं हूं। राष्ट्रीयकरण होना चाहिये, मगर वह तब होना चाहिये जब कि सरकार के पास प्रिंटिंग के पूरे साधन उपलब्ध हों। जब तक आपके पास छापने के साधन न हों, तब तक इसे करना उचित नहीं होगा और यह एक भयंकर भूल होगी। म चाहता हूं कि जब उसके लिये अनुकूल अवस्थायें हों, तभी उसको किया जाय।

मान्यवर, एक बात मैं ग्रान्ट्स के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं। मैं वर्तमान शिक्षा मंत्री तथा स्थानापन्न शिक्षा मंत्री दोनों की भावनाओं को जानता हूं, उनको भी इससे बड़ा दुख: होगा यदि उनकी ग्रान्ट्स इन एड का दुरुपयोग हो, लेकिन मान्यवर, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ माननीय शिक्षा मंत्री जी से, आपके द्वारा, यह निवेदन करना चाहता हूं कि शिक्षा विभाग में ग्रान्ट्स के मामले में उसी तरह का करप्शन हो गया है और उसने अपनी जड़ पकड़ ली है जिस तरह का करप्शन पी० डब्लू० डी० में १० परसेन्ट तथा ५ परसेन्ट का है। अगर माननीय मंत्री जी को संदेह हो तो वे दो आदमियों को भेज कर इसकी जांच करा लें। उनको जानकारी हो जायगी। शिक्षा में करप्शन यदि इस हद तक शुरू हो गया तो यह बड़ी लज्जा की बात होगी और सभी को इससे बड़ा दुःख होगा। अगर वर्तमान शिक्षा मंत्री जी उसको नहीं रोक पाये, तो यह बड़ ही दुर्भाग्य की बात होगी।

माननीय शिक्षा मंत्री जी ने अपने भाषण में जिक्र किया कि मेन्टीनेन्स ग्रांट में कुछ नये फारमूले निकाले हैं, बड़ी अच्छी बात है। वह आपने जो वास्तविक आधार रखा है वह ठीक है। चाहे उसमें अपव्यय भी करना पड़े लेकिन उसकी अधिक से अधिक जानकारी कराइये संस्थाओं को, विधायकों को। उसके लिये निदेशालय में बुलाकर जो ठीक करने का काम आपने किया है वह खतरनाक है। उससे करप्शन की जड़ शुरू होती है। आप भी फूलप्रूफ क्राइटेरिया बना लीजिये और समय से पब्लिसिटी कीजिये जिससे सब लोग उसका लाभ उठा सकें।

मैं एक और निवेदन करूंगा कि जितना अनुदान दिया जाता है उसका चालीस पचास परसेन्ट अनुदान मार्च के महीने में दिया जाता है। उसका परिणाम यह होता है कि जांच में कठिनाई होती है विद्यालयों को यूटिलाइजेशन में दिक्कत होती है। मैं केवल संकेतमात्र इतना निवेदन करूंगा कि ६३–६४ में ३४.२८ करोड़ रुपये की ग्रांट मिली जिसमें १३.५१ करोड़ मार्च में मिला। इसी तरह से ७.९१ लाख ग्रांट में मिला जिसमें २.८४ लाख मार्च में मिला। यानी इसका प्रतिशत चालीस से पचास तक आ जाता है। यह भी बड़ी खराब प्रवृत्ति है। माननीय मंत्री जी कुछ ऐसा प्रबन्ध करें कि ये जो ग्रांट्स मिलती हैं ये समय से मिलें।

[श्री जगदीशशरण अग्रवाल एडवोकेट]

मैं एक बात और माननीय मंत्री जी की सेवा में निवेदन करना चाहता हूं और वह यह है कि जब उन्होंने बालिकाओं की शिक्षा को दसवें दर्जे तक मुक्त कर दिया है तो बहुत जिम्मेदारी के साथ देखना पड़ेगा कि उनको वे ग्रांट्स समय पर मिल जायं। आज हो यह रहा है कि समय पर ग्रांट्स न मिलने के कारण बालिका विद्यालयों की जो शिक्षिका हैं उनको तीन तीन चार-चार महीनों वेतन नहीं मिलता है। अगर इसकी जांच की जाय तो ७०-८० प्रतिशत स्कूलों में ऐसी स्थिति है। एक तरफ तो आप बच्चों को फीस माफ करते हैं और दूसरी तरफ अध्यापिकाओं को कष्ट पहुंचता है यह उचित नहीं है। मान्यवर, मैं एक बात को कई बार कह चुका हूं। और उसे फिर दोहराता हूं। छठे दर्जे से आगे फीस माफ करने की चीज आई तो ऐसी बात आपको ध्यान में रखनी चाहिये थी कि निर्धनों की फीस आप पहले माफ करते और बाद में धीरे धीरे बढ़ाते जाते। पर इसमें तो गरीब से गरीब की भी फीस माफ नहीं हुई वहां धनी से धनी की भी फीस माफ हो गई है। पहले आप सौ रुपये की आमदनी वालों की फीस माफ करिये। उसके बाद दो सौ से तीन सौ तक पाने वालों की करिये। इस तरह से जैसे जैसे आपके साधन बढ़ते जायं आप वैसे वैसे माफ करिये। परिणाम यह होगा कि इससे गरीब आदमी को रिलीफ मिलेगी जो बरदाश्त कर सकता है उसको नहीं मिलेगी। इस तरह से करने में धीरे धीरे नीचे से ऊपर वालों तक की भी फीस माफ करने में आप समर्थ हो गये होते।

रुहेलखंड के विषय में मैंने पहले भी निवेदन किया था। उसे मैं दोहरा रहा हूं क्योंकि वहां पर अभी तक कोई सूत्रपात नहीं हुआ है। इसलिये उसे भी मैं आपकी आज्ञा से दोहराता हूं। रुहेलखंड डिवीजन में यूनिवर्सिटी बनने की बात मान्यवर आज आप अखबारों में देख रहे हैं। खबरें आती हैं प्रदेश के विभाजन की कि प्रदेश के दो टुकड़े हों। इसकी जड़ में बात यह है कि अगर किसी अंचल को न्याय नहीं मिलता है तो इस प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलता है। वहां न मेडिकल कालेज है और न इंजीनियरिंग कालेज है। रुहेलखंड यूनीवर्सिटी की बात थी। उसके बारे में अभी कोई सूत्रपात तक नहीं है। मान्यवर, मैं माननीय शिक्षा मंत्री से प्रार्थना करना चाहता हूं कि रुहेलखंड की मांग है यह, रुहेलखंड के सारे जिलों में जागृति है वह बराबर....

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

कांग्रेस के सदस्य वहां लाबी में बोल रहे हैं, हंस रहे हैं। आप जरा उन्हें नियन्त्रित कीजिये।

श्री जगदीशशरण अग्रवाल एडवोकेट—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से शिक्षा मंत्री से निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी को इसकी जानकारी व्यक्तिगत है और वह ईश्वर के लिये उस बात का इन्तजार न करें जैसे कि आन्दोलन होते हैं और तब सरकार पर असर होता है, मैं पूरी शक्ति से और हाथ जोड़ कर उनसे प्रार्थना करता हूं कि वह इस जरूरत को समझें और रुहेलखंड की जनता की इस मांग को स्वीकार करें। हम लोग अपने क्षेत्र में जाते हैं तो हम से कहा जाता है कि आप यूनीवर्सिटी बनवाने में कुछ नहीं करते। अभी हमारे यहां माननीय चन्द्रभानु गुप्त गये थे तो वहां उन्होंने हमें खुद ही सर्टिफिकेट दे दिया कि यहां की जनता में जान नहीं है वर्ना कोई कारण नहीं था कि यहां रुहेलखंड यूनिवर्सिटी न होती। मैं फिर माननीय शिक्षा मंत्री जी से पूरी अपनी शक्ति के साथ प्रार्थना करूंगा कि वह बिना हमारे आन्दोलन खड़ा किये ही हमारी इस यूनीवर्सिटी की मांग को स्वीकार करने की कृपा करें।

श्री रामसुन्दर शास्त्री (जिला गाजीपुर)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं कटौती के प्रस्ताव के समर्थन में खड़ा हुआ हूं। अभी तक हमारे मित्रों ने इस अनुदान के सम्बन्ध में जो विचार व्यक्त किये हैं उनमें भी मुख्यतः केवल २ बातें उभर कर सामने आई हैं। पहली मुख्य बात यह है कि पूरे बजट में शिक्षा पर जो व्यय होता है वह बहुत कम होता है और दूसरी यह कि जब कभी संकटकालीन स्थिति आती है तो सबसे पहले

अगर किसी मद पर कुठाराघात होता है तो वह शिक्षा की मद ही है। अगर हम इन दोनों विचारों को अलग-अलग रूप में लें और दूसरी बातों को भी ऐड करें तो इन्हें फीगर के रूप में निम्न प्रकार कहा जा सकता है। शिक्षा की मद पर पूरे भारत के स्तर पर पूरे बजट का पहली योजना में ६.८ प्रतिशत, दूसरी योजना में ४.८ प्रतिशत और तीसरी योजना में ५.४ प्रतिशत व्यय किया गया। यही नहीं, बल्कि यह भी देखा गया कि ५.४ प्रतिशत जो शिक्षा की मद में खर्च किया गया है वह एक्चुअली शिक्षा की मद में खर्च न होकर दूसरी चीजों पर खर्च हुआ है और एक्चुअल खर्च ४.१ प्रतिशत के करीब ही हुआ है। माननीय शिक्षा मंत्री जी ने भी बजट पेश करते हुये कहा कि संकटकाल आने के कारण शिक्षा के बजट में जो बढ़ोत्तरी होनी चाहिये थी वह नहीं हो सकी।

श्रीमन्! शिक्षा के सम्बन्ध में मेरा एक बुनियादी दृष्टिकोण है, पिछली बार भी मैंने बताया था कि शिक्षा के सम्बन्ध में जब तक हमारी विचारधारा, हमारा लक्ष्य और हमारा दृष्टिकोण स्पष्ट नहीं हो जाता तब तक यह गतिरोध की स्थिति अवश्य रहेगी। एक शिक्षा शास्त्री ने शिक्षा के बारे में साफ कहा है और अपने विचार बताये हैं। मैं उस को यहां कोट करने के बाद अपने विचार बताऊंगा। वह कहते हैं कि "किसी भी देश की शिक्षा प्रणाली उस देश की सामाजिक व्यवस्था में निहित राजनैतिक एवं दार्शनिक सिद्धान्तों के अनुरूप परिचालित होती है। वस्तुतः शिक्षा का उद्देश्य होता है ऐसे नागरिक का निर्माण जो उस देश की सामाजिक एवं राजनैतिक आवश्यकता की पूर्ति कर सके। यदि देश पूंजीवादी व्यवस्था का हामी है तो उस देश की शिक्षा प्रणाली उस व्यवस्था की आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले उद्देश्यों एवं सिद्धान्तों से परिचालित होती है और यदि देश की सामाजिक व्यवस्था समाजवादी है तो उस देश की शिक्षा प्रणाली का उद्देश्य होगा उस व्यवस्था को विकसित और परिपुष्ट करने वाले नागरिकों का निर्माण।" मैं यह इसलिये कह रहा हूं कि जब किसी यूनिवर्सिटी में कोई आन्दोलन विद्यार्थियों का या टीचर्स का छिड़ता है तो सबसे पहले चार्ज लगाया जाता है अनुशासनहीनता का। आजादी के पहले जो आन्दोलन चला करते थे महात्मा गांधी के नेतृत्व में पीसफुल तरीके से वह चला करते थे और कहा जाता था कि यूनिवर्सिटीज और कालेजेज जो हैं वे गुलाम पैदा करते हैं, इनका बहिष्कार करो और कुछ विद्यापीठ भी निर्मित की गयीं। उस समय विद्यार्थी समुदाय के सामने शिक्षा के साथ देश की आजादी का लक्ष्य था। लेकिन आजादी के बाद विद्यार्थियों और हमारे टीचर्स के सामने कोई साफ लक्ष्य या उद्देश्य नहीं है। सरकार ने सोशलिज्म कबूल जरूर किया है लेकिन न तो शिक्षा और न उनके सामने कोई सोशलिज्म का ही उद्देश्य है। आज तो जो प्रोग्रेसिव ब्यूज के विद्यार्थी हैं अगर वे किसी आन्दोलन में हिस्सा लेते हैं उनके कैरेक्टर रोल में बैड इन्ट्री कर दी जाती है। पिछले जमाने में जो प्रतिभाशाली विद्यार्थी होते थे वे ही आगे बढ़ते थे। उन्होंने ही मुवमेंट्स को एक दिशा दी है और आज जब अच्छे विचार के विद्यार्थी इस प्रकार के प्रोग्रेसिव मूवमेंट करते हैं, या सोशलिज्म के लिये मूवमेंट करते हैं तो वे डरते हैं कि कल हमको नौकरी नहीं मिल पायेगी। इसका परिणाम यह होता है कि दूसरे टाइप के यानी सेकेंड या थर्ड रैंक के जो लोग मूवमेंट में आते हैं और वे सोचते हैं कि अगर फेल भी हो जायेंगे तो लीडरशिप तो कम से कम मिल ही जायगी। इसलिये किसी भी आन्दोलन और खासकर प्रोग्रेसिव आन्दोलन को सही दिशा नहीं मिली। इसलिए आपको अपनी एजूकेशन के बारे में विचार करना चाहिए। अगर देश को आपको समाजवादी ढांचे में ढालना है, देश को प्रगति की ओर ले जाना है तो उसके दो पहलू हैं। जहां तक स्कूलों में चरित्र का सवाल है उसमें कोई तुलनात्मक परिवर्तन नहीं हुआ है। जब आपकी नींव सोशलिज्म के आधार पर नहीं होगी तो कैसे हम सोशलिज्म की इमारत खड़ी कर सकते हैं।

देखिये क्यूबा एक छोटा सा देश है जिसकी जनसंख्या केवल ८० लाख है। वहां की सरकार ने अशिक्षा उन्मूलन का निश्चय किया। वहां पर पहाड़ी इलाकों में कुछ लोग, आदिम जाति के, निग्रो टाइप के लोग, वहां पर रहते थे। वहां पर एक नौजवान उन्हें शिक्षित करने के लिये

[श्री रामसुन्दर शास्त्री]

गया। उसको प्रतिक्रियावादियों ने मार डाला। श्रीमन्, आज वहीं पर उस शहीद के नाम पर केस्ट्रो ने वहां पर एक स्कूल खोला है। उसमें ८ हजार बच्चे बच्चियां पढ़ते हैं। जो ५ साल में शिक्षा समाप्त कर टीचर बन जायेंगे, नतीजा वह हुआ कि वहां की औरतें अगर ४ घंटे किसी स्कूल में या दफ्तर में काम करती हैं तो ४ घंटे वे चौराहे पर आफिस की ड्यूटी देती हैं। आज यही वजह है कि ८० लाख की आबादी वाला क्यूबा साम्राज्यवादी अमेरिका का सिर दर्द बना हुआ है। इस प्रकार क्यूबा की प्रोग्रेसिव सरकार के सामने शिक्षा का एक महालक्ष्य है।

अभी आपको लाल फीताशाही के बारे में मैं बता दूं कि गाजीपुर शहर में एक सिटी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय राजकीय हो जाने के बाद वहां के अध्यापकों को मूल वेतन में कमी करके वेतन दिया जा रहा है। सालों हो गये हैं लेकिन कोई मामला तय नहीं हुआ है। एक और मिसाल मैं देना चाहता हूं। एक लालचन्द यादव नाम का लड़का है पहले वह पर साल मरदह नामक स्कूल में प्रथम वर्ष में पढ़ता था और उसी साल में वह सैदपुर नार्मल स्कूल में ट्रांसफर कर दिया गया। उसको मरदह में स्टाइपेन्ड मिला लेकिन जब वह सैदपुर नार्मल में गया तब से अब तक कोई पेमेंट उसको नहीं हुआ और यदि वह ३१ मार्च तक न दिया गया तो लैप्स हो जायगा। लिखने के बाद में भी जवाब नहीं मिला कि क्यों स्टाइपैन्ड रोक दिया गया।

एक और बात कहनी है कि नगर महापालिका लखनऊ के अध्यापकों को वह २० रु० अन्तरिम सहायता जो सरकार द्वारा अगस्त में घोषित की गई थी अभी तक प्राप्त नहीं हो सकी है। यह नौकरशाही जिसको न शिक्षा के बारे में तमीज है, न जानकारी है, न आस्था है सोशलिज्म में, उसका तो एक तौर तरीका है उसी तरह का जिस प्रकार हर विभाग में काम किया जाता है। इसलिये मैं चाहता हूं, जैसा माननीय जगदीशशरण अग्रवाल ने कहा, कि एक आयोग बनाया जाय जो शिक्षा की नीति बनाये। माननीय होरीलाल यादव ने कहा कि इंटरमीडिएट बोर्ड बना हुआ है। मैं कहता हूं कि वह तो परीक्षा लेने वाली एक संस्था है। शिक्षा सम्बन्धी नीति देने वाली संस्था नहीं है। इसलिये आप अच्छे मनीषियों को लेकर बैठिये और शिक्षा सम्बन्धी उचित नीति बनायें। हमारे माननीय भानुप्रताप सिंह ने बेवकूफ का जिक्र किया है। मैं आपको भी बताना चाहता हूं कि १०० हमारे यहां अनट्रेन्ड रखे गये, जिनमें से ७० थर्ड डिवीजनर्स हैं और यह इसलिये है कि हमारे शिक्षा मंत्री थर्ड डिवीजनर्स और मिडिल पास लड़कों को गवर्नमेंट नामिनी के रूप में लेते हैं, तो जिला परिषद् के अध्यक्ष भी थर्ड डिवीजनर्स को लेते हैं। क्योंकि उन पर भी तरह-तरह के दबाव पड़ते हैं वे लाचार हो जाते हैं। भानु बाबू को आप जो गांव सभाओं और जिला परिषदों के स्कूल की बुनियाद डालने की जिम्मेदारी सरकार ने दी है उसके लिये आपने सुझाव दिया कि वह काम उन निकायों से वापस लेकर सरकार स्वयं करे; यह समझदारी की बात कही है। क्योंकि जहां आप बहुत ज्यादा जनतंत्र की बात करते हैं कम से कम इस तजुर्बे पर तो आयें कि कोई न कोई ऐसी संस्था होनी चाहिये जो पूरे देश की, पूरे जनजीवन की जिम्मेदारी लेकर एक महल को बनावे।

श्री उपाध्यक्ष—

आपका समय समाप्त।

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)—

एक बात श्रीमन्, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि गाजीपुर जिले में ३०० अनट्रेन्ड अध्यापक लिये गये हैं जिनमें से एक भी हाई स्कूल थर्ड डिवीजन नहीं हैं।

श्री चन्द्रसिंह रावत (जिला गढ़वाल)—

मेरा प्वाइंट आफ आर्डर है.....

श्री मैनेजरसिंह (जिला बलिया)—

उपाध्यक्ष महोदय, रावत जी कल से लगातार खड़े हो रहे हैं इन पर कृपा कीजिये।

श्री उपाध्यक्ष––

आप बोलने की बात कहेंगे और क्या कहेंगे ?

श्री चन्द्रसिंह रावत––

आप मेरी बात तो सुनें। आप की जो हाउस में व्यवस्था चल रही है उससे हम को बड़ा असन्तोष है। माननीय सदस्य आप के पास जाते हैं हर बार, हर रोज यहां दौड़ लगी रहती है। इसके अलावा आप के यहां जो व्यवस्था करने वाले हैं २५ बार आप के पास दौड़ते हैं। जब हाउस में आप व्यवस्था कायम नहीं कर सकते तो मुल्क में कैसे व्यवस्था कायम होगी।

श्री उपाध्यक्ष––

यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। यह तो चेयर को अधिकर है कि जिसको चाहेगी उस आदमी को बुलायेगी।

श्री चन्द्रसिंह रावत––

आप को कानून ने उपाध्यक्ष बनाया है, आप की रूलिंग को हम मानते हैं क्योंकि कानून कहता है इसलिये उस कानून...

श्री उपाध्यक्ष––

आप तो लेक्चर दे रहे हैं। आप कृपया बिराजिये।

श्री चन्द्रसिंह रावत––

आप यहां की व्यवस्था को ठीक कीजिये।

श्री उपाध्यक्ष––

माननीय रावत जी, आप अगर नहीं बैठते हैं तो सदन छोड़िये। चेयर उनको ही पहिले बुलवाती है जो कभी नहीं बोले।

श्री उग्रसेन––

५ मिनट का वक्त माननीय चन्द्रसिंह रावत को भी दे दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष––

आप क्यों वकालत करते हैं ?

(श्री सूबेदार सिंह का नाम पुकारे जाने पर ?)

श्री कुमार करुणाकृष्ण नायर (जिला बस्ती)––

मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं। जब माननीय सदस्य कोई बात कहते हैं तो उसमें कुछ बातें ऐसी होंगी जो किसी एक पार्टी को अच्छी न लगें और कुछ ऐसी होंगी जो आपको भी अच्छी न लगें। इसलिये आप किसी को वक्तव्य देने से क्यों रोकते हैं ?

श्री उपाध्यक्ष––

यह बात बिलकुल गलत है। सही बात यह है कि हम हर एक सदस्य को टाइम देना चाहते हैं। एक आदमी दस दफा बोले और एक आदमी एक दफा भी न बोले। सूबेदार सिंह इस सेशन में नहीं बोले हैं और रावत जी कई दफा बोल चुके हैं।

श्री चन्द्रसिंह रावत––

आप उन आदमियों को बुलाते हैं जो सरकार के चापलूस हैं।

(इसके पश्चात् श्री चन्द्रसिंह रावत सदन से चले गये।)

श्री सुखदेव प्रसाद (जिला गोंडा)--

मेरा भी एक व्यवस्था का प्रश्न है। आपने इस सदन में श्यामलाल जी से कहा था कि जब आप चले जाते हैं तभी बोलना चाहते हैं। इस नाते से वह आये तो बोलना चाहते थे और अब आप कहते हैं कि माननीय सदस्य अभी बोले नहीं हैं। तो हो सकता है कि वह आये न हों और बोलना न चाहते हों।

श्री उपाध्यक्ष--

यह बहस है। व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

*श्री सूबेदार सिंह (जिला मैनपुरी)--

उपाध्यक्ष महोदय, मैं जो अनुदान शिक्षा मंत्री ने पेश किया है उसका समर्थन करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं। शिक्षा विभाग की क्या उपलब्धियां रही हैं उनको भी दृष्टिकोण में रखते हुए हम अगर विभाग को प्रोत्साहन देते तो यह बहुत ही अच्छा होता। जब हम देखते हैं कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् शिक्षा के क्षेत्र में कितनी प्रगति हुई तो हमको महसूस करना पड़ेगा कि यह प्रशंसा का विषय रहा है सरकार के लिये। शिक्षा में बहुत ज्यादा प्रसार हुआ है। स्वतंत्रता के पूर्व हमारे ग्रामों में, कस्बों में और दूसरे क्षेत्रों में बहुत कम लोग ऐसे थे जो शिक्षित थे। इसलिये शिक्षा के क्षेत्र में हमारी सरकार का जो प्रयास है वह प्रशंसनीय है।

श्रीमन्, हम कभी कल्पना नहीं कर सकते थे कि प्राइवेट स्कूलों के अध्यापक पेंशन पायेंगे। वैसे बहुत से लोग लाभत्रयी योजना में दोष बताते हैं लेकिन क्या कभी कल्पना की जाती थी कि सरकार जो लाभ दे रही है वह कभी उपलब्ध हो सकेगा। हमारा कर्तव्य यह है कि हम सदन में आलोचना और प्रत्यालोचना के द्वारा सरकार का मार्ग दर्शन करें ताकि हमारी शिक्षा आगे बढ़ सके। मैं यह महसूस करता हूं कि शिक्षा विभाग में जो प्रशासक हैं और अध्यापक हैं उनमें समाज के प्रति हीनता की भावना जरूर है। हमारे प्रशासक वर्ग और अध्यापक वर्ग अपने को नीचे दर्जे का महसूस करते हैं। कारण कुछ भी हो लेकिन विभाग को ऐसा प्रबन्ध करना पड़ेगा और ऐसी नीति पर सोचना होगा कि अध्यापकों और इस विधान में कार्य करने वाले लोगों का समाज में आदर बढ़े। मैं इसके लिये आभारी हूं कि शिक्षा निदेशक के पद पर मंत्री जी ने ऐसे आदमी की नियुक्ति की है जो शिक्षा विभाग में पहले से कार्य कर रहा था। जो शिक्षा के सचिव होते हैं जिस पर आई० सी० एस० को रखा जाता है, इस पद पर भी शिक्षा विभाग में काम करने वालों को रखा जाये। इससे मैं समझता हूं कि शिक्षा के क्षेत्र में लोगों को प्रोत्साहन मिलेगा और बहुत से योग्य व्यक्ति शिक्षा के क्षेत्र में सेवा करना चाहेंगे।

जहां तक श्रीमन् प्रारंभिक शिक्षा का संबंध है उसमें बहुत अधिक विस्तार हुआ है। लेकिन जब से जिला परिषद् और ब्लाक के अन्तर्गत शिक्षा को दे दिया गया है तब से वहां पर अध्यापक वर्ग पार्टीबन्दी में फंसे रहते हैं और आपके डिप्टी इंस्पेक्टर या सब डिप्टी इंस्पेक्टर भी अच्छी तरह से कार्य नहीं कर सकते हैं। मैं चाहता हूं कि जिस तरह से माध्यमिक स्कूलों को जिला निरीक्षक के अन्तर्गत रखा जाता है उसी तरह से इनको भी रखा जाये और इसके लिये कोई एजेंसी बनाई जाय जिसको प्राइमरी और जूनियर शिक्षा का भार सौंपा जाये। जहां तक जूनियर हाई स्कूलों का प्रश्न है उनमें भी एकरूपता नहीं है। जिला परिषद् के जूनियर स्कूल के प्रधानाध्यापक की योग्यता अन्य जूनियर हाई स्कूलों के प्रधानाध्यापकों के मुकाबले में बहुत कम होती है। वहां के प्रधानाध्यापकों की योग्यता बी० ए०, बी० टी० या बी० ए० एल० टी० आदि होती है। जब कि दोनों का कोर्स एक ही है। इसलिये जिला परिषद् के विद्यालयों के भी प्रधानाध्यापक बी० ए० एल० टी० हों जिससे शिक्षा का स्तर समान रूप से आगे बढ़ सके। हायर सेकेंडरी शिक्षा बहुत आगे बढ़ी है। लेकिन जो रिकरिंग ग्रांट देते हैं, उसके सम्बन्ध में मैंने कई बार कहा और आज भी कहता हूं और वह अपनी जगह पर बिलकुल सत्य है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

और उसके लिये उन्हें प्रयास करना चाहिये। यह भी आवश्यक है कि शिक्षा संस्थाओं की एफीशिएंसी और उनके परिणाम को देखते हुए, यदि उन्हें ग्रान्ट्स मिले तो अच्छा हो।

श्रीमन्, शिक्षा का उद्देश्य हमारी समाजवादी समाज की रचना करने का है और उसी की प्राप्ति के लिये हम निरन्तर प्रयास कर रहे हैं। लेकिन आप देखेंगे कि इसमें भी एकरूपता नहीं है। हमारे देहाती स्कूलों में बेसिक, प्राइमरी स्कूल हैं और उसके विपरीत शहरों के अन्दर नर्सरी और मांटेसरी स्कूल्स हैं। इसके परिणाम यह होंगे कि हमारे प्रदेश और देश में दो वर्गों का निर्माण होगा और हमारा जो समाजवाद का लक्ष्य है वह पूरा नहीं हो सकेगा। मेरा सरकार से निवेदन है और हमें विश्वास है कि सरकार इस बात को सोचेगी कि जो हमारी प्राइमरी, प्री-प्राइमरी और उसके आगे की शिक्षा है उसमें समानता लाई जाए।

जहां तक पुस्तकों के नेशनलाइजेशन की बात है। मैं समझता हूं यह बिलकुल ही न्यायोचित व्यवस्था है। एक तरफ तो मांग की जाती है स्कूलों का नेशनलाइजेशन किया जाय, शिक्षा का नेशनलाइजेशन किया जाय और अध्यापकों और मुख्य अध्यापकों का नेशनलाइजेशन किया जाए, तो मैं नहीं समझता कि उनकी क्या आपत्ति है पाठ्य पुस्तकों का नेशनलाइजेशन किये जाने से। पिछले वर्षों में हमने एक अध्यापक के रूप में महसूस किया है कि हमारे जो विक्रेता लोग हैं वह समय पर पुस्तकें सप्लाई नहीं कर पाते हैं और उनकी कीमत भी बढ़ जाती है। मैं समझता हूं कि सरकार का यह कदम राष्ट्र और प्रदेश, छात्र और स्कूलों के हित में है कि सरकार पाठ्य पुस्तकों का राष्ट्रीयकरण कर रही है।

*श्री मेघनाथ सिंह शिशोदिया (जिला मेरठ)––

श्रीमन्, मैं इस कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं, चूंकि समय बहुत थोड़ा है, इसलिये संक्षेप में ही मैं अपने कुछ सुझाव आपके सामने निवेदन करना चाहता हूं। अभी माननीय शिक्षा मंत्री जी ने अपने भाषण में कहा कि हमने विज्ञान के अध्यापकों का एक कंडेंस्ड कोर्स चलाया है। ठीक है। बी० एस-सी० पास विज्ञान अध्यापकों को १८० रुपया मिलता है। परन्तु जो कि एक साल की ट्रेनिंग लेता है उसे इंटरमीडिएट क्लासेज पढ़ाने के लिये घोषित तो कर दिया गया है, लेकिन सरकार की तरफ से कोई जी० ओ० या आदेश इंटरमीडिएट का ग्रेड उन्हें दिये जाने के संबंध में नहीं निकला है। सरकार ने यह आदेश दिया है कि कंडेंस्ड ट्रेनिंग प्राप्त अध्यापकों को एम० एस०-सी० का ग्रेड नहीं दिया जायगा, यदि किसी स्कूल में ज्यादा दिया जा रहा है तो उनकी ग्रान्ट में से वह धन काट लिया जायगा। मेरा निवेदन है कि यह जो सरकुलर गया है उसको सरकार ठीक कर दे। जब सरकार ने कंडेंस्ड कोर्स पास को इन्टरमीडिएट क्लासेज के पढ़ाने के लिये क्वालीफाई घोषित किया है तो उन्हें इंटरमीडिएट क्लासेज पढ़ाने वालों का यानी एम० एस० सी० वालों का ग्रेड भी दिया जाना चाहिये।

दूसरी बात मुझे ट्रेनिंग संस्थाओं के बारे में कहना है। अभी अभी मंत्री जी ने कहा कि एच० टी० सी० और जे० टी० सी० ट्रेनिंगों को मिलाकर अब एक ट्रेनिंग बी० टी० सी० की कर दी गयी है और उसमें न्यूनतम योग्यता हाई स्कूल पास कर दी गयी है। मैं समझता हूं कि उनसे कार्य प्राइमरी स्कूलों में पढ़ाने का लिया जाना है। मेरी एक बात समझ में नहीं आती है कि जब आप जे० टी० सी० में दो साल का कोर्स और उसमें हाई स्कूल और इंटरमीडिएट पास भी जाते हैं। और उनसे जूनियर हाई स्कूलों में पढ़ाने का कार्य लिया जाता था तो उनसे अब भी जूनियर हाई स्कूल में पढ़ाने का काम लिया जाना चाहिये और उन्हें सी० टी० का ग्रेड मिलना चाहिये। यदि जो हाई स्कूल पास करके ट्रेनिंग में आए हैं उनको जूनियर हाई स्कूलों में पढ़ाने का काम नहीं दिया जायगा तो यह वहां पर शिक्षा के स्तर को गिराने वाली बात होगी। लिहाजा

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री मेघनाथसिंह शिशोदिया]

शिक्षा इस प्रकार की होनी चाहिये कि प्राइमरी स्कूलों में पढ़ाने के लिये बी०टी० सी० पास अध्यापक हों और उनकी ट्रेनिंग के लिये मिनिमम योग्यता हाई स्कूल पास होना चाहिये। इसके अतिरिक्त जूनियर स्कूलों में पढ़ाने के लिये कम से कम सी० टी० पास अध्यापक हों और सी० टी० में प्रवेश के लिये मिनिमम योग्यता इंटरमिडिएट पास होना चाहिये। इसके साथ ही साथ जितने भी जे० टी० सी० इंस्टीटयूशंस हैं वे सब सी० टी० कालेज के रूप में परिवर्तित कर दिये जायं। साथ ही सरकार को चाहिये कि जिस तरह से वह सरकारी इंस्टीटयूशंस में पढ़ने वाले लड़कों को स्टाइपेंड्स व तमाम सुविधायें देती है उसी तरह से वह, इन प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में पढ़ने वाले लड़कों को भी स्टाइपेंड्स दे और तमाम दूसरी सुविधायें दे जिससे अच्छे लड़के उधर आकृष्ट हो सकें।

तीसरी चीज यह है जिसकी ओर मैं माननीय शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि सौभाग्य से वही वित्त मंत्री भी हैं, कि उन्होंने इस मुहकमे को दूसरे विभागों की अपेक्षाकृत नीचा स्तर दिया है। जब कि दूसरे विभागों में ऊपर से नीचे तक अफसरों के पास मोटरगाड़ियां हैं इस विभाग में डाइरेक्टर और डिप्टी डाइरेक्टर के पास भी मोटर कार नहीं है, इस विभाग का ऐडीशनल डाइरेक्टर का ग्रेड सोलह सौ से अठारह सौ तक है जब कि सुपरिन्टेंडिंग इंजीनियर का अठारह सौ से दो हजार तक दिया गया है। यह भी बड़े आश्चर्य की बात है। सिंचाई विभाग अधिशासी अभियन्ता वही तनख्वाह पाता है जो एजूकेशन का डिप्टी डाइरेक्टर पाता है। सहायक इंजीनियर वही तनख्वाह पाता है जो फर्स्ट क्लास इंस्पेक्टर पाता है। एक शिक्षा विभाग में बड़ी भारी असमानता है जो किसी दूसरे विभाग में नहीं है। और विभागों में एक ही काम के लिये एक ग्रेड होता है लेकिन शिक्षा विभाग में ए क्लास और बी क्लास डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर्स हैं। यह डिस्टिंक्शन खत्म करना चाहिए। दोनों का समान कार्य है इसलिये समान वेतन मिलना चाहिये।

डिग्री कालेजेज के बारे में मैं और कहना चाहता हूं। डिग्री कालेजों को ग्रांट देने का सिस्टम बिलकुल अलग है। उनके लिये नियम बना रखा है कि नयी फैकल्टी खुलने पर तीन साल तक डिग्री कालेज की ग्रांट नहीं मिलेगी जब कि इंटरमीडिएट कालेजेज को और हाई स्कूल्स के लिये यह कायदा है कि किसी हाई स्कूल या इन्टरमीडिएट कालेज को एक ग्रांट मिल जाने के बाद अगर नयी साइड खुलती है तो उसको उसी साल ग्रांट मिल जाती है। लेकिन डिग्री कालेजेज का नियम है कि यदि कोई नयी फैकल्टी खुलती है तो तीन साल तक ग्रांट नहीं मिलती। यह डिग्री कालेजेज के साथ बड़ा भारी डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है। सरकार जल्द से जल्द इस विषमता को दूर करे।

यह कहा गया कि हमने एफीशेंसी ग्रांट बढ़ायी है जिससे रेजल्ट अच्छे हों और जिन इंस्टीट्यूशंस का रेजल्ट खराब हो उनके लिये डेफीशिएंसी ग्रांट भी कायम की है। यह बात ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ इतना निवेदन करूंगा कि ग्रांट काटने से मैनेजमेन्ट खराब होता है। गवर्नमेन्ट को यह नियम बना देना चाहिये कि जिन अध्यापकों का रेजल्ट ५० परसेंट से कम होगा उनको इन्क्रीमेन्ट नहीं देंगे। अगर यह चीज मैनेजमेंट पर जाती है तो अध्यापक मैनेजमेंट पर हावी हो जायेंगे और टीचर्स के आगे मैनेजमेन्ट को झुकना पड़ता है। इसलिए नियम बनाना चाहिए कि अगर ग्रांट कम हो जाय तो जिस टीचर का रेजल्ट ५० परसेन्ट से कम हो उसको उस साल इन्क्रीमेन्ट नहीं मिलेगा। जैसा कि कहा गया है कि ग्रांट की व्यवस्था कर दी गयी है। हर हाई स्कूल को ग्रांट मिल रही है। जितने भी जूनियर हाई स्कूल हैं उनको साइन्स ग्रान्ट नहीं मिलती है और न इन्टरमीडिएट कालेजों को साइन्स ग्रान्ट मिलती है। इसलिये मेरा निवेदन है कि जूनियर हाई स्कूलों को और इन्टरमीडिएट कालेज को फौरन साइन्स ग्रान्ट मिलने की व्यवस्था की जाय। अगर इस तरह से उनको तुरन्त ग्रान्ट मिल जाय तो इससे जनता का बहुत लाभ होगा।

श्री राम सुन्दर पान्डेय---

सदन का समय १ घंटा बढ़ा दिया जाय यह मैं प्रस्ताव करता हूं।

मुख्य मंत्री के सभा सचिव (श्री बंशीधर पान्डेय)---

६ बजे शिक्षा मंत्री जी को एक मीटिंग में जाना है। इसलिये वह चाहते हैं कि सदन का समय आधा घंटा बढ़ा दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि सदन का समय आधे घंटे के लिये और बढ़ा दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

डाक्टर राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी (जिला इलाहाबाद)--

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे इस अनुदान पर बोलने का समय दिया। आज हमारे प्रान्त का मुख्य प्रश्न यह है कि हम अपने सीमित साधनों से, जो शिक्षा की महत्वपूर्ण बड़ी बड़ी योजनायें हैं उनको किस तरह से लागू करें और आगे बढ़ायें। हमारे जो साधन हैं वह कम हैं और यह विषय ऐसा है कि जिस पर जितना ही अधिक खर्च किया जाय उतना ही कम जान पड़ता है। इसलिये मैं कटौती के प्रस्ताव का विरोध करती हूं। मैं यह समझती हूं कि जब भी देश के ऊपर राष्ट्रीय संकट आया पिछले वर्षों में १९६२ में या १९६५ में तब तब शिक्षा के बजट पर कटौती पहले की गई और अन्य विभागों पर बाद में की गई। मेरी समझ में यह बात नहीं आती है कि इतने महत्वपूर्ण विषय पर हम हमेशा कटौती करने की बात ही क्यों सोचें। आज भी हमारी चौथी योजना बहुत साफ नहीं बन पा रही है ऐसा सुनने में आया है। जहां हम करीब करीब वार्षिक १५ करोड़ रुपया खर्च करते वहां शायद ३ करोड़ एजूकेशन प्लान पर खर्च करेंगे। प्रति दिन जो हमारी आवश्यकतायें शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ती जा रही हैं उसके लिये भी ऐसा जान पड़ता है कि साधन कम हैं। इसलिये शिक्षा मंत्री जी ने जो ४६ करोड़ रुपये से कुछ अधिक का बजट पेश किया है मैं उसका समर्थन करती हूं।

देश के सामने आज जो विशेष परिस्थिति उपस्थित हुई है वह शिक्षा शास्त्रियों के लिये और शिक्षा संस्थाओं में काम करने वाले अध्यापिकों के लिये एक चुनौती है ऐसा मैं मानती हूं। आज सारे देश में आग लगी हुई है। कोई भी प्रश्न उपस्थित हो विद्यार्थियों को राजनैतिक पार्टियां एक्सप्लायट करके सड़कों पर ले आती हैं। फिर उसके बाद नारा लगा कर ऐसी स्थिति पैदा करती हैं जो आज भयंकर देश के कोने कोने में है। इससे स्पष्ट है कि कहीं पर शिक्षा नीति में, शिक्षा संस्थाओं में जहां पर हम शिक्षा दे रहे हैं उसमें कहीं न कहीं कमजोरी है हमने। शायद अभी तक पिछले १७ वर्षों में प्रजातंत्र के उन बुनियादी उसूलों का भी अपने भावी नागरिकों में पैदा नहीं किया है, उनके प्रति आस्था नहीं उत्पन्न की है, इसीलिये आज वे अस्थायें, वे सब आदर्श जिनको मान कर हम चल रहे थे, डगमगाते हुए जान पड़ते हैं। इसके लिये हमको गंभीरता से विचार करना चाहिये।

आज शिक्षा संस्थाओं में असंतोष है, अध्यापकों में असन्तोष है और विद्यार्थियों के पास न तो स्थान ही है और न पुस्तकें ही, न वे साधन ही हैं जिनके द्वारा व अपना विकास कर सकते हैं। इसलिये विद्यार्थी और शिक्षक के बीच में जो संबंध होना चाहिये वह भी नहीं रह पाता और इस कारण उनका चरित्र निर्माण नहीं हो पाता। इस कारण ही हम देखते हैं कि विद्यार्थियों में उच्छृंखलता है और उनमें हम देश भक्ति की भावना नहीं भर सके। इन बातों की ओर मैं सरकार का ध्यान दिलाना चाहती हूं। पिछले वर्षों में बहुत जोरों से एक आन्दोलन शिक्षकों की ओर से हुआ था, विशेषकर जो माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षक हैं और प्राइमरी स्कूलों के जो अध्यापक हैं उन्होंने उसमें हिस्सा लिया था। आशा की जाती थी कि उसके बाद जो परिणाम निकले

[डाक्टर राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी]

शायद वह कुछ सन्तोषजनक हों, लेकिन जो कुछ भी किया गया और शिक्षकों के जो ग्रेड निर्धारित किये गये हैं उससे मैं समझती हूं कि अध्यापकों में आज भी काफी असन्तोष है। तो क्या हम अपने शिक्षकों को ऐसा बना कर चलना चाहते हैं कि जो समाज के एक प्रमुख वर्ग हैं, जो समाज का निर्माण करने वाले हैं, जिसके चरित्र का असर पड़ता है विद्यार्थियों के ऊपर, वे सदा ही असन्तुष्ट रहें ? हमारी सरकार की निश्चित नीति है कि जो समानता का कार्य करने वाले हैं उनके लिये वेतन समान होना चाहिये और समय-समय पर इस प्रकार का आश्वासन भी माध्यमिक संघ के शिक्षकों को और उन विद्यालयों में काम करने वाले अध्यापकों को, जो सरकारी विद्यालयों में काम नहीं करते, दिये गये हैं। हमेशा एक पैरिटी की बात कही गयी, लेकिन पैरिटी तो दूर रही, जिन ग्रेड्स में १९६५ तक पैरिटी थी आज अगर हम आंकड़े उठा कर देखें तो वह पैरिटी भी खत्म कर दी गयी है और जो १९६५-६६ के आंकड़े हैं उसमें नीचे के जो हमारे जे० टी०सी० के ग्रेड है वह सरकारी स्कूलों में अगर १०० है और अधिकतम उसमें १८० है तो गैर सरकारी स्कूलों में ६० और अधिकतम १२० रखा गया है। इसी प्रकार न्यूनतम और अधिकतम अन्तर ४० और ६० का है। इसी प्रकार अन्डर ग्रेडुयेट्स में ४० और ५० का अन्तर है और ट्रेन्ड और अनट्रेन्ड ग्रेडुएट हुए में १०० और ३३५ का अन्तर है। मैं सरकार से नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहती हूं कि यह जो डिसपैरिटी है, उसे फिर से स्थापित कर दिया गया है। इसे आप जल्द से जल्द समाप्त करने का प्रयत्न करें।

मैं एक बात के लिये शिक्षा मंत्री महोदय को अवश्य धन्यवाद देती हूं। पिछले वर्ष मैंने एक सुझाव दिया था कि जे० टी० सी० और एच०टी० सी० और बी० टी० सी० आदि की एक ट्रेनिंग होनी चाहिये और इन सब को एक कर के एक ग्रेड उनके लिये निर्धारित होना चाहिये। उसको सरकार ने मान लिया है। इस तरह से हम लोगों को यह बिचार करना होगा कि जो आज शिक्षा की व्यवस्था चल रही है, जिसमें शिक्षा संस्थायें दिन प्रति दिन बढ़ती चली जा रही हैं उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उसमें जो अधिकारी हैं, जो उनके लिये नियम और कायदे बनाते हैं, उनको सरकार ने कितना बढ़ाया है। इलाहाबाद में बोर्ड आफ एजूकेशन का एक दफ्तर है। मुझे वहां जो कुछ थोड़ी बहुत जानकारी हुई उससे जान पड़ता है कि जहां एक ओर शिक्षा संस्थाओं के कार्यों में वृद्धि हुई है, विद्यार्थी बढ़ रहे हैं, लेकिन उसके साथ ही दूसरी ओर जो उनके ऊपर का शासन चलाने वाले लोग हैं उनमें कोई विशेष वृद्धि नहीं हुई। और उसका नतीजा यह है कि वहां के सारे आफिसर्स और सारे लोग ही प्रायः ओवर वर्क्ड रहते हैं। अभी हाल में एक बड़े अधिकारी को हार्ट अटैक हुआ। पता चला कि बहुत काम करने की वजह से कुछ ऐसी चीज हुई और इसी दृष्टि से वहां के जो एडीशनल डायरेक्टर हैं—श्री भाटिया, उनको जब टेलीफोन किया तो पता चलता है कि वह दफ्तर में बैठे हैं। छुट्टियों में भी दफ्तर में काम करते हैं, क्योंकि इतनी फाइल इकट्ठी हो जाती है कि काम को निपटाना पड़ता है। तो वास्तविकता यह है कि काम करने वाले अफसर हों और वह काम करना चाहते हैं तो ओवर वर्क्ड हो जाते हैं। तो हमें इस ओर भी ध्यान देना चाहिये कि जहां से हम सारे कार्य का संचालन प्रदेश में करते हैं, अगर वहां उचित स्टाफ की आवश्यकता हो तो अवश्य बढ़ाएं, न कि उसको घटायें। इकोनामी करने का अर्थ यह नहीं है कि हम एफिश्यंसी ही कम कर दें।

श्री उपाध्यक्ष—

बस, आपका समय समाप्त।

*श्री खेमचन्द (जिला आगरा)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं धन्यवाद करता हूं कि आपने समय देने की कृपा की। मान्यवर, शिक्षा मनुष्य के जीवन में सब से आवश्यक विषय है। बिना शिक्षा के मनुष्य अधूरा

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कहलाता है और इस विषय म सरकार की ओर से जितना प्रयत्न होना चाहिये, जो संभव है उसमें हमेशा कुछ कमी का आभास होता रहा है और साथ ही पक्षपात और उपेक्षा का भी आभास होता रहा है ।

सब से पहले तो जो वातावरण चल रहा है स्कूलों में, शिक्षा प्रदान करने में जो नये नये एक्सपेरिमेन्ट हर साल किये जाते हैं, हर साल नये नये कोर्सों का प्राविधान किया जाता है उस प्रकार की शिक्षण विधियों के द्वारा न तो विद्यार्थी लाभान्वित होते हैं और न शिक्षक वर्ग अच्छी प्रकार से काम करता है। तो एक ऐसी शिक्षा नीति को अपनाकर कार्य करना चाहिए ताकि शिक्षार्थियों को पूरा पूरा लाभ हो सके। आज का शिक्षार्थी किसी भी पहलू पर ऐसा आभास प्रकट नहीं करता है कि उसने अच्छी शिक्षा पायी है और किसी भी विषय में किसी हद तक पारंगत हो सका है। आज हर जगह पर हिन्दी की दुहाई दी जाती है सरकार की ओर से लेकिन शिक्षालयों में ज्यादातर विद्यार्थी हिन्दी में कमजोर पाये जाते हैं और प्रश्न पत्रों में अच्छे मार्क्स नहीं ला पाते और न अंग्रेजी में ही तरक्की कर पाते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले अंग्रेजी माध्यम था और हिन्दी उर्दू सेकेन्ड लैंगुएज के रूप में पढाई जाती थीं। लेकिन हिन्दी उर्दू के विद्यार्थी उस समय इन भाषाओं को अच्छी तरह से समझ सकते थे, लिख सकते थे। तीन भाषाओं का फार्मूला चलता था और तीनों भाषाओं में विद्यार्थी लोग काफी योग्यता प्राप्त कर लेते थे, लेकिन आज न किसी में हिन्दी की योग्यता है, न अंग्रजी की। आज भी तीन भाषाओं का फार्मूला लागू है। हिन्दी प्राथमिक विषय है, एक इंगलिश और एक कोई प्रादेशिक १३–१४ भाषाओं में से होनी चाहिये लेकिन उसको पढ़ाने के लिये नये नये एक्सपेरिमेन्ट के बल पर सारा काम गुड़ गोबर कर दिया जाता है ।

साथ ही साथ राजकीय विद्यालय और कृषि विद्यालयों का आधार बहुत चलता है। कृषि विद्यालयों, राजकीय विद्यालयों में अध्यापकगणों का जो भेद-भाव किया जाता है वह इतना चिन्ताजनक है जिसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। एक तो राज्य में अपने शिक्षालयों में आपने अध्यापकों का एक ऐसा वेतन-क्रम बना रखा है जो निश्चितरूप से प्राप्त कर लेते हैं और कोई कठिनाई नहीं आती। लेकिन साथ ही साथ सरकार उन प्राइवेट संस्थाओं को अनुदान भी देती है। जहां तक मैं समझता हूं ९० प्रतिशत तक सरकार इनको अनुदान देती है। ये संस्थाएं शिक्षकों से दस्तखत तो दो पौने दो सौ रुपए पर करा लेती हैं पर वेतन उनका बहुत कम हैं। शिक्षक राष्ट्र के निर्माता होते हैं, वे ही नवीन पद्धति को जन्म देते हैं। राष्ट्र के आने वाले नागरिक शिक्षा संस्थाओं से ही आते हैं। जब शिक्षकों को पूरी तन्ख्वाह नहीं मिलेगी तो क्या उसका परिणाम होगा? वे ट्यूशन करते हैं, ट्यूशन का सहारा लेते हैं, और वह उनका रेगुलर पेशा हो गया है। विद्यार्थी समझता है हम शिक्षक को पैसे देते हैं, वह उनका नौकर है। इसका नतीजा यह है कि आज शिक्षक अगर विद्यार्थी को ताड़ना देना चाहे तो वह नहीं दे सकता, और विद्यार्थियों में भी अनुशासन की भावना बिल्कुल नहीं आती। आज शिक्षकों का क्लासेज में ही अपमान होता है। मैं नहीं समझता कि इस तरह से कैसे शिक्षा आगे बढ़ेगी।

यह जो पुस्तिका मिली है इसमें कर्तव्य परायणता के विकास की बात कही गयी है। आज विद्यार्थी अपने में मस्त रहता है, वह सदैव नए-नए फैशन में लीन रहता है, सिनेमा में देखिए उनकी वहां भीड़ रहती है, जिससे उनमें अराजकता पैदा हो रही है। यह देश के लिए बड़ी ही घातक बात है। वह विद्यार्थी जो कल यहां असेम्बली में आकर बैठ सकता है, उच्च से उच्च आफिसर बन सकता है, अगर उसके चरित्र का निर्माण अच्छी तरह से स्कूलों में नहीं होगा तो उसका दुष्परिणाम देश को भुगतना होगा। इन पुस्तकों को छाप देने से ही काम नहीं चलेगा। काम चलेगा, शिक्षक वर्ग की समस्याओं को सुलझाने से। सरकार को शिक्षक वर्ग की कठिनाइयों पर ध्यान देना होगा। अभी शिक्षकों ने जो आन्दोलन किया था, इम्तिहान के समय में,

[श्री खेमचन्द]

आपने कहीं सिपाहियों से, कहीं दरोगा के जरिए कहीं किसी के जरिए, उसका क्या परिणाम हुआ, सारा का सारा रिजल्ट चौपट हो गया। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि सरकार शिक्षक-वर्ग की शिकायतों पर ध्यान दे।

एक निवेदन मैं पाठ्य पुस्तकों एवं कैरिकुलम के सम्बन्ध में करना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—

आप दो मिनट में समाप्त करें।

श्री खेमचन्द—

कुछ टाइम और दे दें। सरकार जूनियर हाई स्कूलों तथा प्रारम्भिक पाठ्यक्रम की पुस्तकों का राष्ट्रीयकरण करना चाहती है। जनमत आज इसके विरोध में है। जो उपयोगी पुस्तकें हैं उनको आप काम में लाइए। आज यूनिवर्सिटी की पुस्तकों पर कोई नियन्त्रण नहीं है, उन पर नियन्त्रण होना चाहिए। आज जो तरह-तरह के नोट्स निकल रहे हैं, उन पर नियन्त्रण होना चाहिए, उनको आपको बैन कर देना चाहिए। शिक्षक वर्ग नाना प्रकार से नए-नए नोट्स निकालकर विद्यार्थियों को लापरवाह बना रहे हैं। यह जो नोट्स या गाइड्स का निकलना है इन पर आप प्रतिबन्ध लगाएं ताकि विद्यार्थी अपनी ही योग्यता के आधार पर सफल हो सकें। इसी तरह से मैं और निवेदन कर दूं कि अनुदान देने के आधार पर पक्षपात का आश्रय लिया जाता है। जो संस्थायें किसी पार्टी या व्यक्ति विशेष के आधार पर चल रही हैं उनको फौरन अनुदान दे दिया जाता है। कोई पुस्तकालय या वाचनालय बनता है या विद्यालय बनता है अगर वह किसी व्यक्ति विशेष के नाम से है तो उसको तुरन्त अनुदान दे दिया जाता है। यह पक्षपात कहां तक चल सकता है ? इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए मैं निवेदन करूंगा कि इनको दूर करके एक स्वस्थ परम्परा कायम करें और इस प्रकार का भेदभाव नहीं चलना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष—

अब आपका समय समाप्त।

श्री योगेश्वरप्रसाद खंडूड़ी (जिला चमोली)—

उपाध्यक्ष महोदय, यह जो शिक्षा का अनुदान प्रस्तुत है और जिस पर पीढ़ियों से विवेचन होता रहा है, मैं इस महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का प्रयास और प्रयत्न करूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, मेरा ऐसा विचार है कि राजनैतिक नेतृत्व का एक प्रथम दायित्व है, चाहे वह शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र में हो, चाहे राजनैतिक क्षेत्र में हो, देश की, प्रान्त की और जनता की आवश्यकताओं तथा परिस्थितियों के अनुसार वह ऐसा क्रान्तिकारी परिवर्तन करे कि जनता का दृष्टिकोण और शिक्षा का दृष्टिकोण एक ठोस, स्वावलम्बी और वैज्ञानिक, तकनीकी और अपने पैरों के बल खड़े होने के योग्य हो। मुझे मैथिलीशरण जी की बात याद आती है, वह प्रणाली आज भी चल रही है— "शिक्षे, तुम्हारा नाश हो, तुम नौकरी के हित बनी"। मैं यह निवेदन करना चाह रहा था कि इस शिक्षा प्रणाली में क्रान्तिकारी परिवर्तन की आवश्यकता है। जब से स्वराज्य हुआ उसमें पाठशालाओं की संख्या में बहुत बड़ी तरक्की हुई है चाहे वह प्रारम्भिक हों, चाहे माध्यमिक हों, चाहे उच्च शिक्षा के क्षेत्र में हों या विश्वविद्यालय के क्षेत्र में हों लेकिन जहां तक इस शिक्षा में हमने अपनी राष्ट्रीय आकांक्षाओं के अनुरूप कैसा और कितना दृष्टिकोण उत्पन्न किया, अगर हम इस विषय में सोचें तो मेरा खयाल है कि इसमें बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं हुआ है।

हमारे स्वराज्य के बाद शिक्षा के विद्वानों की अध्यक्षता में अनेक कमेटियां बन चुकी हैं और सर्वोच्च श्रेणी के विद्वानों में वर्तमान राष्ट्रपति राधाकृष्णन हैं उनकी अध्यक्षता में भी एक कमेटी बन चुकी है और उसने भी कई सुझाव दिए। पर हमारे राजनैतिक नेता बाहर जिस दृष्टिकोण को मंचों पर व्याख्यानों में व्यक्त करते हैं उन्हें, मैं नहीं समझता शासन में आने पर कार्यरूप में परिणत करने में क्यों कठिनाई होती है। जो हम बाहर कहते हैं वह कार्य

रूप में हम परिणत नहीं कर सकते। मेरे खयाल से हम पुरानी घिसी पिटी व्यवस्था से बाहर निकलने में असमर्थ रहे हैं। मैं इसका दोष किस पर दूं? आफिस में जो सचिव होते हैं, जो सलाहकार होते हैं सरकार के, उनको दूं या सरकार को दूं? मेरा निश्चित मत है कि प्रजातन्त्र की सफलता के लिए सबसे बड़े क्रान्तिकारी ढंग से शिक्षा की प्रगति होना बहुत आवश्यक है। प्रजातन्त्र की सफलता शिक्षा पर ही निर्भर करती है। अभी भी उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र में प्रारम्भिक शिक्षा की बहुत बड़ी आवश्यकता है।

अब मैं कुछ अपने चमोली जिले की बात कहना चाहता हूं। उत्तराखंड का प्रशासन अलग ढंग से चल रहा है। वहां तीनों जिलों में जिला परिषद् नहीं हैं। जिला परिषदों ने दूसरे जिलों में प्राइमरी पाठशालाओं को बड़ी संख्या में खोला है। लेकिन वहां प्राइमरी पाठशालायें सरकार खोलती हैं। चमोली जिले में प्राइमरी स्कूलों की और जूनियर हाई स्कूलों की बहुत आवश्यकता है। मैंने एक टेक्निकल कालेज की चमोली जिले के लिए मांग की थी और कुछ टेक्निकल व औद्योगिक स्कूलों की। मैंने विश्वविद्यालय की भी मांग की थी। विश्वविद्यालय तो दूर रहा, मौजूदा बजट में मैं देखता हूं कि औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र भी चमोली जिले के लिए नहीं रखा गया है। मेरा विश्वास है कि यह प्रान्त अपनी रोटी-रोजी कमाने के लिए टेक्निकल व औद्योगिक शिक्षा द्वारा ही समर्थ हो सकता है। मेरे जिले चमोली के लिए सरकार बहुत बड़ी संख्या में प्राइमरी पाठशालाओं, जूनियर हाई स्कूल, टेक्निकल स्कूल तथा एक टेक्निकल विश्वविद्यालय देने की कृपा करे। इससे मेरे जिले की प्रगति होगी। उत्तराखंड सबसे अधिक पिछड़ा हुआ है। अधिक संख्या में सरकार यदि प्राइमरी व जूनियर हाई स्कूल नहीं खोल सकती है तो मेरी मांग है कि उत्तराखंड के तीनों जिलों में सरकार जिले परिषद् का चुनाव करावे। हमारे चमोली जिले में जिला अन्तरिम परिषद् के स्कूलों की इमारतें नष्ट होने जा रही हैं। एक सीनियर बेसिक स्कूल उज्जवलपुर में है, परगना चांदपुर में। उसका भवन कुछ वर्षों पहले गरीब जनता ने एक लाख का श्रमदान द्वारा तैयार किया। मेरे बड़े अनुरोध के बाद सरकार ने ५०,००० रुपया उसे विशेष अनुदान मरम्मत व नए निर्माण हेतु दिया। लेकिन उस स्कूल का भवन गिरने को है। मैंने कई बार मुख्य मन्त्री जी से कहा और उन्हें लिखा कि १ वर्ष हो गया, दूसरा आर्थिक वर्ष चलने वाला है, कृपया इस भवन को बनवाइए। मुख्य मन्त्री जी के ऊपर उत्तराखंड की विशेष जिम्मेदारी है क्योंकि वहां का प्रशासन एक विशेष ढंग से चल रहा है। उनके ऊपर चमोली जिले का दायित्व है, वह शीघ्र कृपा करें। मैं माननीय शिक्षा मन्त्री जी से भी प्रार्थना करता हूं। वह पी० डब्ल्यू० डी० को स्वीकृत लगभग ५०,००० रुपए की स्पेशल ग्रान्ट दिलाकर उसे वहां स्कूल भवन के निर्माण पर खर्च कराने की कृपा करें। चमोली जिले की अन्तरिम जिला परिषद् के पास न तो कोई इन्जीनियर है और नहीं ओवरसियर हैं। कहीं ऐसा न हो कि वह स्कूल का भवन गिर जाय और कहीं छात्रों और अध्यापकों के प्राणों की क्षति न हो। इन विचारों व सुझावों के साथ मैं इस अनुदान का समर्थन करता हूं।

श्री बसन्तसिंह (जिला बिजनौर)—

उपाध्यक्ष महोदय, समाज की प्रगति के लिए बालिकाओं की शिक्षा की अत्यन्त आवश्यकता है। मन्त्री जी ने भी यहां आज बालिकाओं की शिक्षा के विकास की चर्चा की है। उन के लिए हाई स्कूल तक निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था है लेकिन मैं कहूंगा कि बालिकाओं की शिक्षा की प्रगति केवल इतने मात्र से ही नहीं हो सकती क्योंकि सूबे की ८० प्रतिशत जनता ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है और वहां पर जब बालिकाओं के विद्यालय ही नहीं हैं तो फिर हाई स्कूल के स्तर तक बालिकाओं की शिक्षा की प्रगति नहीं हो सकती। हाई स्कूल तक निःशुल्क शिक्षा देने से केवल शहरी क्षेत्रों में ही लाभ हुआ है और सरकार जो रुपया देहात के लिए बचा सकती थी और देहातों में लगा सकती थी उसको बेकार खर्च किया है। अधिक आय वालों और गरीब लोगों को समान सुविधा दी गई है जब कि अमीर लोग आसानी से फीस दे सकते थे और केवल

[श्री बसन्तसिंह]

अगर गरीबों के ही बच्चों की फीस माफी होती तो उस बचे हुए रुपए को ग्रामीण क्षेत्रों में कन्याओं के नए स्कूलों में लगाया जा सकता था। ग्रामीण क्षेत्रों में लड़कियों की पढ़ाई की व्यवस्था के लिए राजकीय विद्यालयों की आवश्यकता है और वहां उन के लिए छात्रावास बनाए जायं और उन का पूरा व्यय राज्य वहन करे तब बालिकाओं की शिक्षा की उन्नति हो सकती है।

दूसरे मेरा निवेदन यह है कि शिक्षा विभाग में शिक्षा सेवाओं में पक्षपात और भेदभाव है और पुरुषों को स्त्रियों के मुकाबले में विशेष स्थान मिले हुए हैं जब कि हमारे संविधान में स्त्री और पुरुष के बराबर के अधिकार दिए हैं। जिस रफ्तार से पुरुषों के विद्यालय बढ़ रहे हैं स्त्रियों के विद्यालय भी लगभग उसी अनुपात से बढ़ रहे हैं। मुझे खेद है कि उनको स्टाफ में न तो निरीक्षक का काम दिया जाता है, न उन का वह वेतन स्तर है न उन को वह सुविधायें प्राप्त हैं जो कि पुरुषों को प्राप्त हैं। जिला विद्यालय निरीक्षक पुरुष ऐसे भी हैं जिन के अन्तर्गत केवल ६ हाई स्कूल हैं लेकिन जब यह मांग की जाती है कि जिला विद्यालय निरीक्षिकाओं के पद सृजित किये जायं तो कहा जाता है कि उन के पास काम नहीं है। उन का क्षेत्र बढ़ाया जा सकता है। वर्तमान स्थिति यह है कि हाई स्कूल १,७४० हैं और कुल १३ उपशिक्षा संचालक हैं और उनमें से केवल एक पद स्त्री के लिए है जब कि हिसाब से उन की संख्या ३ होनी चाहिए थी। मैं चाहता हूं कि इस तरह के भेदभाव को दूर करना चाहिए। मैं चाहता हूं कि केवल प्रवक्ता के पद तक तो स्त्री और पुरुष अपने-अपने क्षेत्र में रहें और इससे ऊपर समानता बरती जाय। निदेशक और उपनिदेशक के पदों पर स्त्रियों को भी अवसर मिलना चाहिए। यदि आज सामाजिक स्थिति ऐसी नहीं है तो स्त्रियों का और पुरुषों का अलग-अलग निदेशालय होना चाहिए, वह भी निदेशक और उपनिदेशिकाएं बनाई जायं। विद्यालय निरीक्षिकायें भी वह बनाई जा सकती हैं, हो सकता है कि कुछ जिलों में उन का काम कम हो लेकिन बहुत से ऐसे जिले हैं कि जहां उन के लिए काफी काम होगा।

मैं एक बात और कहूंगा। अनुदान देने के सम्बन्ध में बड़ी चर्चा की गयी। उसके बारे में कहा गया कि पक्षपात होता है, राजनीतिक प्रभाव का प्रयोग होता है। अतः मेरी प्रार्थना है कि यूनिवर्सिटी ग्रान्ट्स कमीशन की भांति इसके लिए भी एक आयोग नियुक्त किया जाना चाहिए।

इस समय सरकार का माध्यमिक विद्यालयों पर कोई नियन्त्रण नहीं है। जो विभागीय आदेश होते हैं, उनको विद्यालयों के प्रबन्धक नहीं मानते हैं। कोई ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि जिससे सरकार ने जो शिक्षकों को सुविधायें दी हैं, वे उनको मानें और सरकार उनको मनवाने में समर्थ हो सके।

वेतन अभिनवीकरण समिति की जो अभी रिपोर्ट निकली है उसमें गैर-सरकारी अध्यापकों के बारे में कोई विचार नहीं किया है। माध्यमिक शिक्षा संघ की मांग थी कि समान काम के लिए समान वेतन होना चाहिए। सरकारी शिक्षक और गैर-सरकारी शिक्षक एक ही समान कार्य करते हैं तो उनका वेतन भी समान होना चाहिए। इस मांग को न मानकर इनके वेतन क्रम में और अन्तर कर दिया गया है। इससे उनमें बड़ी बेचैनी है।

प्राथमिक शिक्षा का जहां तक सम्बन्ध है, जिला परिषद् के हाथ में देकर शिक्षा को एक खिलवाड़ बनाया हुआ है और उसमें राजनीति का प्रयोग होता है। चूंकि समय बहुत कम है, मैं उसकी विशुद्ध विवेचना नहीं कर सकूंगा, लेकिन केवल यह ही कहूंगा कि इसको परिषद् के हाथों से निकालना लेना चाहिए। अन्यथा चाहे हम माध्यमिक शिक्षा का स्तर ऊंचा करें, चाहे यूनिवर्सिटी की शिक्षा का ऊंचा करें, जब तक हम बुनियादी शिक्षा को मजबूत नहीं करेंगे, जब तक इसको परिषद् के हाथों से नहीं निकालेंगे, तब तक ऊपर की शिक्षा का स्तर ठीक नहीं होगा।

यह कहा जा सकता है कि शिक्षा को राज्य के नियन्त्रण में ले लेना चाहिए। इसके लिए मैं सुझाव देना चाहता हूं कि एक आयोग गठित करें जो एक स्वायत्त संस्था हो, जो राज्य के नियन्त्रण में न हो और जो स्वतन्त्र रूप से काम करे।

जहां तक हरिजनों के लड़कों को शिक्षा के वजीफे देने का सम्बन्ध है कक्षा ६ से ८ तक उन्हें बहुत कम वजीफे दिए जाते हैं। उनकी शिक्षा के लिए उन्हें रुपया दिया जाय जो अन्य विभागों से मिलता है और उसमें ऐसी शर्तें होती हैं कि जिनको गरीब आदमी पिछड़े लोग पूरा नहीं कर पाते हैं और वह बिना उपयोग के रह जाता है। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि उनके बच्चों को अधिक सुविधा दीजिए जिससे वे पढ़ लिखकर अपनी आर्थिक स्थिति सुधार सकें और अपनी प्रगति करने में समर्थ हो सकें।

सदन में यह चर्चा भी उठ चुकी है कि जब कभी भी कटौती की जाती है तो सबसे पहले वह शिक्षा के विभाग में की जाती है। मुझे इस बात की जानकारी मिली है कि सरकार ने मानव विज्ञान केन्द्रों को समाप्त कर दिया है। यह कार्य केवल कुछ लाख रुपए बचाने के लिए किया गया है लेकिन उन केन्द्रों से जो शिक्षा के लिए अनुसन्धान कार्य करते थे कितनी हानि हुई, इसका अनुमान माननीय मन्त्री जी ने नहीं लगाया। आचार्य नरेन्द्रदेव कमेटी की संस्तुति के आधार पर इन का निर्माण हुआ था। न केवल इनसे शिक्षा में ही उन्नति हुई है बल्कि इनसे सुरक्षा के लिए भी कुछ चीजें प्राप्त हुई हैं। इसलिए इनका पुनर्गठन किया जाना आवश्यक है।

दुर्भाग्य का विषय है कि हमने अपने प्रदेश में अंग्रेजी को कक्षा ३ से ही लागू कर दिया है जबकि गुजरात जैसे प्रदेश में इसको अनिवार्य विषय घोषित नहीं किया गया है और ८ वीं कक्षा से ही आरम्भ किया गया है। वहां पर इसको अनिवार्य विषय नहीं रखा जाता है। चाहे प्रारम्भिक स्तर पर हो चाहे माध्यमिक स्तर पर हो इसको ऐच्छिक विषय बना देना चाहिए। माध्यमिक परिषद् द्वारा हाई स्कूल व इन्टर में इसको ऐच्छिक बनाया गया है लेकिन ऐसा प्रतिबन्ध लगा दिया गया है कि विद्यार्थी को मजबूर होकर अंग्रेजी को लेना पड़ता है, ऐच्छिक होते हुए भी।

कहा गया कि एक निश्चित प्रतिशत रखा जाय जिससे कम प्रतिशत फल होने पर शिक्षक को दण्डित किया। यह व्यवस्था तभी लागू की जा सकती है जब नीचे की कक्षाओं में भी पास करने के वे ही नियम लागू किए जायं जो ऊपर की कक्षाओं में, अन्यथा प्रबन्धक शिक्षकों को दण्डित करने में मनमानी करेंगे। ऐसी भी संस्थाएं हैं जिनमें नीचे की कक्षाओं में कुछ विषयों में केवल जीरो प्रतिशत पर विद्यार्थियों को पास कर दिया जाता है। ऐसी दशा में अगली कक्षाओं के अध्यापकों से अच्छा परीक्षाफल कैसे मांगा जा सकता है।

आजकल माध्यमिक शिक्षा परिषद् के विकेन्द्रीयकरण की बड़ी चर्चा है। यदि परिषद् को कई भागों में बांट दिया गया और कई परिषदों का निर्माण कर दिया गया तो हाई स्कूल व इन्टर परीक्षाओं के स्तर की वही दुर्गति होगी जो जूनियर हाई स्कूल परीक्षा की हो रही है। माध्यमिक शिक्षा परिषद् के स्टाफ को यदि बढ़ा दिया जाय तो परिषद् के कार्य से कोई शिकायत नहीं रहेगी। दुर्भाग्य यह है कि हम स्टाफ तो पुराना रखे हुए हैं और छात्रों की संख्या हाई स्कूल और इन्टर में ६ लाख हो गई है और उसी स्टाफ से हम काम लेना चाहते हैं। एक बात मैं और कहना चाहता हूं और वह यह है कि आप विभाग में अगर पदोन्नति करना चाहते हैं तो योग्यता के आधार पर करें, दोस्ती के आधार पर न करें, तिकड़मों के आधार पर न करें। जब से मन्त्री जी ने इस विभाग को लिया है तब से यह विभाग गन्दा होता चला जा रहा है, भ्रष्ट होता जा रहा है। मैं कहना चाहूंगा कि आप प्रशासन के साथ खिलवाड़ न करें।

कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)—

मेरा श्रीमन्, व्यवस्था का प्रश्न है। नियम ११३ (३) के अन्तर्गत मैं यह कहना चाहता हूं कि कानपुर के सुरक्षित जंगल से कई नर भक्षी बाघ हमारे अरक्षित काउन्सिल के परिसर में घुस आए हैं। कृपया आप कुछ व्यवस्था करें, प्राण रक्षा करें नहीं तो पता नहीं कितनों को वे निगल जायंगे।

श्री उपाध्यक्ष—

प्राण रक्षा है।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय—

श्रीमन्, माननीय भानुप्रताप सिंह जी ने कटौती का प्रस्ताव पेश किया है और मैं उसका समर्थन करता हूं। उन्होंने बड़े संकोच और लज्जा के साथ १ रु० की कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत किया। मैं कहना चाहता हूं कि आज की स्थिति में इस विभाग को एक पैसा भी नहीं देना चाहिए, १८ वर्ष का शिक्षा विभाग एक ऐसा छकड़ा है जिसके पहिए टूट चुके हैं और जो ढालू सड़क की तरफ बिला किसी ड्राइवर के चला जा रहा है। "दिस इज ऐन ओल्ड रट, रैटलिंग डाउन दि स्ट्रीट"। १८ वर्ष में जितने मन्त्री यहां पर आए डाक्टर प्यारे लाल शर्मा से लेकर माननीय कैलाश प्रकाश तक उनमें से कुछ लोगों ने तो इस प्रदेश को शिक्षा का प्रयोग स्थल बनाया, डाक्टर सम्पूर्णानन्द ने अपने मन्त्रित्वकाल में जो भी प्रयोग किए उन का कोई प्रतिफल नहीं हुआ। उस के बाद दो मन्त्री आए माननीय कमलापति त्रिपाठी और आचार्य जुगल किशोर। मुझे कहना नहीं चाहिए, वह तो केवल रास-रंग में डूबे रहे और उन्होंने कोई ठोस कार्य नहीं किया। माननीय हरगोविन्द सिंह तशरीफ लाए। उन्होंने च्यवनप्राश खा कर के रियाज की और कोई काम उनके बस का न था। माननीय कैलाश प्रकाश डालडा को खिचड़ी में डाल कर खाया करते हैं। सिवाय इस के इस विभाग में कोई कार्य नहीं है। जैसा माननीय केशभान राय जी ने कहा है १८ वर्ष की जिन्दगी में इन्होंने घुरहू पैदा किया.....

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)—

श्रीमन्, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय कैलाश प्रकाश जी के काल में माननीय केशरी प्रसाद पांडेय जी ने लखनऊ यूनिवर्सिटी से एल-एल० बी० कर लिया।

श्री उपाध्यक्ष—

यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय—

मैं कह रहा था कि १८ वर्ष की शिक्षा विभाग की जिन्दगी में ये सफेद हाथी जो गैलरीज में बैठे हुए हैं, मुझे माफ किया जाय, इन्होंने सिवाय रातों दिन रातिब खाया है और कोई कार्य नहीं किया है। मुझे यह सुन कर बड़ा खेद हुआ, जब केशभान राय जी ने कहा कि हमने घुरहू पैदा किया। १८ वर्ष के अन्दर शिक्षा विभाग ने घुरहू पैदा किया और इसके लिये उसे गर्व हो तो यह विडम्बना है। उस पर गर्व नहीं होना चाहिये। जहां तक समाजवाद की ओर जाने का सवाल है, इस विभाग ने उस तरफ आंख उठा कर भी नहीं देखा है। लोकतांत्रिक शिक्षा साधारणतया समानता, विभेद- नाशक, सत्य एवं सद्भावनापूर्ण वातावरण का सृजन, सामाजिक और आर्थिक विकास में समन्वय स्थापित करने में जितना योगदान दे सकें उतना ही वह समाजवाद की ओर अग्रसर होती है। लेकिन दुःख है आज विज्ञान, इंजीनियरिंग तथा मेडिसिन में अपर क्लास की मानोपोली है और पिछड़े वर्ग के लोग जो गांव से आते हैं उनको अपनी प्रतिभा प्रस्फुटित करने का कोई अवसर नहीं मिलता है। आज इसी कारण से यह प्रदेश कंगाल होता जाता है, बुद्धि जीवियों से, मनीषियों से और विद्वानों से।

दूसरी स्थिति है पुस्तकों के राष्ट्रीयकरण की। आचार्य नरेन्द्र देव जी ने अपनी कमेटी की रिपोर्ट में यह कहा है "यह उचित नहीं है कि पूरे राज्य में एक ही पाठ्य पुस्तक लागू हो। प्रतियोगिता के अभाव में सरकारी प्रकाशनों का स्तर गिरने लगेगा। इन कारणों से हम वर्तमान परिस्थिति में इस दृष्टिकोण का समर्थन नहीं करेंगे कि राज्य पाठ्य-पुस्तकों का प्रधान प्रकाशक बन जाय। स्कूली पुस्तकों का प्रकाशन पूर्णरूपेण निजी प्रकाशन संस्थानों के हाथ में होना चाहिये।"

यह एक सिद्धान्त है जिसका आचार्य नरेन्द्र देव जी ने प्रतिपादन किया। पुस्तकों के बटवारे में जो बदमाशी और हरकतें की जा रही हैं मैं उसके ज्वलंत उदाहरण प्रस्तुत करता हूं और यदि आप उचित समझें तो जांच पड़ताल करनके उसका निराकरण करें। जूनियर स्कूलों के लिये प्रकाशित कराई जाने वाली जो पुस्तकें रंजना प्रकाशन, लखनऊ और बांगमय प्रकाशन, मेरठ को दी गई हैं। दोनों ही प्रकाशन बिलकुल फर्जी हैं और उनके पास कोई साधन नहीं हैं और उनका कोई अस्तित्व नहीं है। लोग इस विभाग के कतिपय भ्रष्ट लोगों से मिल कर गलत ढंग से इस पर हावी हो रहे हैं। बेसिक पुस्तकों के प्रकाशन में भी उपरोक्त दोनों प्रकाशक ही लगे हुए हैं और राष्ट्रीयकरण के नाम पर इस प्रदेश की जनता को धोखा दिया जा रहा है। इस प्रकार की नीति से आप निश्चित रूप से पुस्तकों का राष्ट्रीयकरण नहीं कर सकेंगे लेकिन विचारों का राष्ट्रीयकरण अवश्य करेंगे। 'रेजिमेंटेशन आफ थाट्स' की तरफ आप अग्रसर हो रहे हैं जो आप की विचारधारा का द्योतक नहीं है। यह टोटेलेटेरियन प्रवृत्ति का द्योतक है। यह बड़ी लज्जा और दुख की बात है।

मैं बेसिक शिक्षक के बारे में भी कुछ कहना चाहूंगा। शिक्षाशालाओं को नैशनलाइज करें और उनके अध्यापकों को सुव्यवस्थित, सुनियोजित एवं सुस्थिर ढंग से अध्ययन और अध्यापन करने का हक दें। प्रदेश के सारे प्राथमिक स्कूल रात भर में—ओवर नाइट—बुनियादी शालाओं में परिवर्तित कर दिये गये थे। यह एक दिमागी फितूर था। साज सज्जा तथा पाठ विधि का कोई ध्यान न रखकर ऐसा विकल्प उपस्थित कर देना शैक्षिक अयोग्यता तथा अदूरदर्शिता का द्योतक है। परिणाम है कि नीति और अमल में कोई सामंजस्य आज तक स्थापित नहीं हो सका है। सारा उपक्रम एक उपहास बन कर रह गया है। इन पाठशालाओं में अध्यापन करने वाले अध्यापक जिला परिषदों के हाथ में खेलते हैं और वे इनका उपयोग केवल चुनाव में किया करती हैं। मैं कहता हूं कि बुनियादी शिक्षा का राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिये और अच्छे ढंग से नये विद्वानों को उभाड़ने और उठाने का प्रयास सरकार को करना चाहिये। यह समाजवाद की तरफ एक निश्चित कदम होगा।

दूसरी तरफ संस्कृत शिक्षा की इतनी उपेक्षा की गई है जितनी शायद इन १८ सालों में कभी भी नहीं हुई होगी। इसके लिये केवल ५ लाख रुपया रखा गया है। प्रदेश में १४०० संस्कृत पाठशालायें हैं जिनमें से केवल ८८० को अनुदान दिया जाता है। अरबी की पहले ८९ पाठशालायें थीं जो अब बढ़कर ११९ हो गई हैं और उन सबको अनुदान दिया जाता है। मंत्री जी ऐसा बर्ताव न करें। संस्कृत के साथ सौतेला बर्ताव न करें। उनके अधिकारी फार्मूले की बात करते हैं। इलाहाबाद में १० प्रतिशत घूस लेकर अनुदान दिया जाता है। जो घूस देते हैं उनका अनुदान बढ़ जाता है घूस ने 'फार्मूले' का स्थान ले लिया है। डायरेक्टोरेट का लखनऊ आफिस तोड़ा जाय और उसको इलाहाबाद में ही रखा जाय। यहां पर विष कन्याओं का वपन होता है और उनका विकास होता है। लखनऊ जो नवाबों का घर ठहरा! नवाबी के अतिरिक्त और यहां हो भी क्या सकता है?

दूसरी बात यह है कि इलाहाबाद में जी० आई० सी० एक प्रतिष्ठित कालेज है। वहां का प्रिंसिपल जात-बिरादरी के नाम पर भ्रष्टाचार पनपा रहा है और लोगों को त्रस्त कर रहा है। लोगों को तंग कर रहा है। मंत्री जी को इस बात का खयाल करना चाहिये। आपके यहां

[श्री केशरीप्रसाद पाण्डेय]

जो डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन होता है उसको बन्द कर दीजिये। हाई स्कूल तथा इंटरमीडियेट बोर्ड भ्रष्टाचार का अड्डा है, एक बनिये की दूकान है। इसको खत्म कर दें। इन विषयों पर मैं कहूंगा कि आप गम्भीरतापूर्वक विचार करें।

(श्री भानुप्रतापसिंह का नाम पुकारे जाने पर)

श्री चन्द्रसिंह रावत--

श्रीमन्, हमें समय मिलना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष--

नहीं मिल सकता है।

श्री चन्द्रसिंहरावत--

यह बड़े अफसोस की बात है। आपको समय देना होगा। आप हमारे साथ अन्याय करते हैं। हम केवल ५ मिनट चाहते हैं।

श्री उपाध्यक्ष--

जी नहीं, आप कृपा करके बैठ जाइये या सदन छोड़िये।

श्री चन्द्रसिंह रावत--

क्यों सदन छोड़ें ?

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

मैंने माननीय भानु प्रताप सिंह जी को बुला लिया है। माननीय रावत जी आप कृपा करके बैठिये या सदन छोड़िये।

(व्यवधान)

श्री चन्द्रसिंह रावत--

नहीं छोड़ेंगे सदन। नानसेंस, आपके अन्याय के खिलाफ मैं वाक आउट करता हूं। आप इस कुर्सी पर बैठने के काबिल नहीं हैं।

(व्यवधान)

(श्री उपाध्यक्ष के आदेश देने पर भी माननीय सदस्य ने अपना स्थान ग्रहण नहीं किया और बराबर बोलते रहे। श्री उपाध्यक्ष ने तब उन्हें सदन से बाहर चले जाने की आज्ञा दी, किन्तु उन्होंने आज्ञा का पालन नहीं किया। तदुपरान्त श्री उपाध्यक्ष की आज्ञा से मार्शल की प्रार्थना पर श्री चन्द्रसिंह रावत सदन से बाहर चले गये।)

*श्री भानुप्रतापसिंह--

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा उन सब माननीय सदस्यों को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने मेरे कटौती के प्रस्ताव पर विचार व्यक्त किये हैं। धन्यवाद देते हुए भी मैं यह कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार का डिबेट हुआ मैंने काफी गम्भीर आरोप लगाये थे शिक्षा विभाग के विषय में, मैंने कहा था कि जो आंकड़े आपने दिये हैं ६ वर्ष से ११ वर्ष के बीच के करीब करीब शतप्रतिशत

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

बालकों को शिक्षा मिल रही है यह दावा निराधार है उसका कोई उत्तर नहीं मिला। मैंने कहा था कि उत्तर प्रदेश में अन्य प्रदेशों के मुकाबिले में शिक्षा की लगभग सबसे कम व्यवस्था होती है उसका उत्तर नहीं मिला। मैंने कहा था अन्य राज्यों की तुलना में जो बजट का अंश शिक्षा पर व्यय होता है वह उत्तर प्रदेश में बहुत कम है। मैंने यह भी कहा था कि, प्राइमरी स्कूलों में पांच में से केवल एक विद्यार्थी को ही लाभ होता है बाकी चार निरक्षर घर लौट आते हैं। मैंने कहा था कि ७५ फीसदी गांवों में ऐसे स्कूल हैं जिनकी छतें नहीं हैं या ऐसी हैं जिनके नीचे बैठकर लड़के पढ़ नहीं सकते, इसका कोई जवाब नहीं दिया गया। पाठ्य पुस्तकों की छपाई में धांधली होती है, इसका कोई उत्तर नहीं मिला। मैं चाहूंगा कि जब मंत्री जी बोलें तो वह इन बातों का जवाब देने की कृपा करें।

मैं दो चार बातें और कहना चाहता हूं। मैं जगदीशशरण अग्रवाल जी का बहुत आभारी हूं। उन्होंने उन बातों की ओर ध्यान दिलाया जो मयाभाव के कारण मुझसे छूट गयी थीं। उन्होंने बोर्ड आफ एजूकेशन बनाने की बात कही उसका मैं समर्थन करता हूं। उन्होंने यह कहा कि शिक्षा पर व्यय इस दृष्टि से किया जाता है जैसे बेकार का व्यय हो। शिक्षा पर व्यय सबसे ज्यादा लाभप्रद होता है। मैं एक हवाला देना चाहता हूं। कैनाडा में सर्वे हुआ। वहां भी कुछ दरिद्र लोग हैं यह देखने के लिए उनकी गरीबी का क्या कारण है। उन्होंने इसके लिए एक कमेटी बैठी। उसने अपनी रिपोर्ट में केवल इतना लिखा है कि इन लोगों को शिक्षा का उचित अवसर नहीं मिलता। और वहां गरीबी दूर करने के लिये शिक्षा पर अधिक बल दिया जाने वाला है। इसी तरह से अमेरिका में सरकार का जितना धन खर्च होता है उसका अधिकतम रिटर्न नेशनल इनकम के रूप में शिक्षा से मिलता है। मुझे आश्चर्य है कि पुस्तकों के सरकारीकरण के सम्बन्ध में जो कहा था सरकार की तरफ से कोई उत्तर नहीं मिला। उत्तर मिला कम्युनिस्ट सदस्यों की ओर। मैं समझता हूं कि स्वाभाविक ही है कि किताबों के राष्ट्रीयकरण की परम्परा कम्युनिस्ट देशों की ही परम्परा है। मैं इसका विरोध नहीं करता कि सरकार किताबें छापे लेकिन सरकार बिना एकाधिकार के कोई काम नहीं कर सकती। अगर सरकार किताबों को छापे तो फेयर कम्पेटीशन करे। फेयर कम्पेटीशन में आकर अपनी कार्यक्षमता दिखाये तो विरोध नहीं है। लेकिन यह बिल्कुल गलत है कि जो किताब सरकार छापे वही चले। इसलिए इस कदम को सरकार को वापस लेना चाहिए। एक ब्यूरो साइकालोजी को तोड़ना चाहते हैं। श्रीमन्, मैं खेतिहर हूं। इसलिए खेती का ही उदाहरण देना चाहता हूं। यह माना जाता है बिना जमीन को टेस्ट किये हुए उर्वरक डालने से उतना लाभ नहीं होता जितना कि स्वायल टेस्टिंग करने से होता है। उसी तरह से बालक बालिकाओं की बौद्धिक क्षमता को बिना जांच किये हुये, परख किये हुये, यदि उन्हें शिक्षा दी जाती है, तो वह लाभप्रद नहीं हो सकती है। इस तरह से ब्यूरो की स्थापना सरकार का एक सही कदम है, उसे तोड़ने का विचार मैं समझता हूं एक प्रतिक्रियावादी कदम है। इस पर केवल दो लाख रुपये का खर्च था और इतनी छोटी रकम के लिये इतने अच्छे मिशन को खत्म कर देना मैं अच्छा नहीं समझता हूं।

मैं एक बात इस समय जो याद आ गयी है पाठ्य-पुस्तकों के राष्ट्रीयकरण के बारे में और कहना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार द्वारा एक कोठारी कमीशन की नियुक्ति की गयी है, वह अपने कुछ सुझाव देने वाले हैं, तो जब तक उनके सुझाव नहीं आते हैं, तब तक उत्तर प्रदेश की सरकार को भी इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाना चाहिये।

श्रीमन, बहुत कम समय है, इसलिये मैं ज्यादा कुछ न कह कर केवल दो सच्ची घटनाओं का ही वर्णन कर देना चाहता हूं। वह दो ऐसे विभिन्न देशों की है, जैसे सोवियट रूस और अमेरिका। सोवियट रशा में एक व्यक्ति की तैनाती एक जंगल में हो गयी। उस जंगल के नजदीक कोई स्कूल नहीं था, इसलिये उसके बच्चे की शिक्षा व्यवस्था बिगड़ रही थी। इस कारण उसने अपने उच्चाधिकारियों को इस सम्बन्ध में एक पत्र लिखा कि मेरी तैनाती एक ऐसे जंगल में है जहां के

[श्री भानुप्रतापसिंह]

समीप कोई स्कूल नहीं है और जिससे हमारे बच्चे पढ़ाई नहीं कर सकते हैं, क्या आप चाहते हैं कि एक सोवियट बालक अशिक्षित रह जाए ? उसको शीघ्र ही उत्तर मिला। कहा गया कि इसके लिये व्यवस्था हो सकती है कि उस जंगल से जो एक मेल पास होती थी उसको उसके घर के पास रोक दिया जाय। तो उसके प्रार्थना-पत्र पर मेल जंगल में उसके घर के पास रोकी जाने लगी जहां पर कोई भी स्टेशन नहीं था। इसके अतिरिक्त उस मेल के समय में भी परिवर्तन कर दिया गया जिससे कि बच्चा समय पर स्कूल जा सके और वापस आ सके। तो कहने का तात्पर्य यह है कि एक बच्चे की शिक्षा सुविधा के लिये वहां कितना महान प्रयास किया गया।

दूसरी तरफ मैं आपको अमेरिका का एक उदाहरण देना चाहता हूं---

एक सदस्य---

खैर, आपको कम्युनिस्टों की एक बात तो पसन्द आयी।

श्री भानुप्रतापसिंह---

मैं कम्युनिस्टों की इस बात की प्रशंसा करता हूं कि उनके देश में शिक्षा की इतनी अच्छी व्यवस्था है, लेकिन वहां पर विचारों पर जो कन्ट्रोल है, उसको मैं बुरा मानता हूं। अमेरिका के एक छोटे से कस्बे में एक खेल के मैदान में कुछ अमेरिकी बच्चे खेला करते थे। उस खेल के मैदान को कुछ व्यवसाइयों या उद्योगपतियों ने खरीदकर वहां पर एक बिल्डिंग बनवाने की बात सोची वहां पर वही एकमात्र खेल का मैदान था जिसमें बच्चे खेला करते थे, जब बच्चों को यह दुखद समाचार मालूम हुआ तो उन्होंने प्रेसीडेंट कैनेडी को एक पत्र लिखा कि हमारा एकमात्र खेल का मैदान छिनने जा रहा है, इसकी आप कोई व्यवस्था करें। तो आपको आश्चर्य होगा प्रेसीडेंट कनेडी ने अपने पर्सनल असिस्टेंट को खजाने से बहुत बड़ी धनराशि देकर भेजा कि उनके लिये अन्यत्र खेल के मैदान की व्यवस्था कर दी जाय और यदि खेल का मैदान उनके हेतु न मिल सके तो वही बच्चों के लिये सुरक्षित रख लिया जाय। इस कहानी को मैंने इसलिये सुनाया कि इस प्रदेश के शिक्षा मंत्री इससे शिक्षा लें और जिस दिन शिक्षा मंत्री जी स्कूलों और बच्चों के लिये इतने चिंतित होंगे, उसी दिन इस देश की उन्नति हो सकेगी।

श्री मैनेजरसिंह---

श्रीमन्, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। अभी आपने जो रावत जी को समय नहीं दिया, तो उन्होंने कई अपमानजनक शब्द आपके लिये इस्तेमाल किये। उन्होंने कहा 'नानसेन्स' (* * *) मैं इसमें सदन का अपमान समझता हूं और आपसे निवेदन करता हूं कि आप प्रोसीडिंग से इन्हें निकलवा दें।

श्री उग्रसेन---

शिक्षा मंत्री जी के बोलने के पहले मैं उनसे एक स्पष्टीकरण चाहूंगा। प्राथमिक शिक्षा जो है उसमें कई प्रकार की असमानता है। तो क्या आप सभी स्थानों पर प्राथमिक शिक्षा एक सी देने की व्यवस्था करेंगे ?

श्री मुरलीधर कुरील---

जो शब्द मैनेजरसिंह जी ने कहे हैं उन्हें भी प्रोसीडिंग से निकलवा दिया जाय।

*श्री कैलाशप्रकाश---

उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों का बहुत आभारी हूं कि शिक्षा के इस अनुदान पर उन्होंने अपने विचार प्रकट किये। इस बात पर भी बहुत प्रसन्नता है कि कम से कम एक बात में इधर के बैठने वाले और उधर के बैठने वाले माननीय सदस्य एकमत हैं कि शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

** माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार हटा दिया गया।

है। शिक्षा से व्यक्ति का निर्माण होता है और जिस समाज के व्यक्ति का निर्माण नहीं है वह समाज प्रगति करने में अवरुद्ध रहता है और इसलिये शिक्षा के ऊपर धन पूंजीगत समझ कर लगाना चाहिये ।

श्रीमन्, माननीय भानु प्रताप सिंह जी ने कहा कि शिक्षा के ऊपर जो धन लगाया जाता है वह बहुत उपयोगी होता है। मैं प्रारम्भ में ही इस बात को कह चुका था कि इस वर्ष विशेष परिस्थिति उत्पन्न हुई और माननीय सदस्य भी उससे पूर्णतया अवगत है। पाकिस्तान का जो आक्रमण हुआ उस आक्रमण के दौरान जहां उसके कारण बहुत सा उत्तरदायित्व पैदा हो गया वहां अन्न की समस्या और भी संकटवाला बन गया। विशेषकर उस स्थिति में जब कि यह महसूस होने लगा और यह आभास होने लगा कि सम्भवतः जो बाहर से गेहूं आने का समझौता अमेरिका से हमारा था वह खत्म हो रहा था और उसके नवीनीकरण होने की आशा कुछ धूमिल सी प्रतीत होती थी। ऐसी स्थिति में प्रथम कर्त्तव्य हो जाता था कि हम अपनी पैदावार को बढ़ावें और विशेष कर अपने जैसे प्रदेश में जो कि कृषि प्रधान प्रदेश है। हमारा कृषि प्रधान प्रदेश होने के बावजूद जितना गल्ला हमें अपने खाने के लिये बाहर से मंगाना पड़ा, यह स्थिति बहुत सन्तोषजनक नहीं है। कुदरत का इस तरीके का व्यवहार हुआ और सम्भवतः इस संकटकाल में वह भी हमारी परीक्षा लेने लगा। माननीय सदस्य इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि वर्षा इस वर्ष में इतनी कम हुई है जिसको कहा जाता है कि हमारी याद में कभी इतनी कम नहीं हुई। दरिया सूख गया, नहरों में पानी नहीं गया और जो आबपाशी का इन्तजाम किया गया था तालाबों द्वारा, वे भी सूख गये। ऐसी स्थिति में यह आवश्यक था कि हम कोई योजना इस किस्म की बनावें और हम पूरी अपनी शक्ति जो भी हमारे पास हो, उसे अन्न के उत्पादन में लगावें और इसके लिये पानी का प्रबन्ध हो सके जिससे अन्न का उत्पादन हो और माननीय सदस्य इस बात को देखेंगे कि जो बजट उपस्थित किया गया है उस बजट के उपस्थित करने में हमने यह रखा है कि प्रथम और सर्वोच्च उन चीजों पर बल दें जिससे अन्न के उत्पादन में हमारा अधिक से अधिक सहयोग हो। जैसे बिजली, पानी, खाद और बीज। और उस उत्पादन के यातायात के लिये और उसके क्रय विक्रय के साधन हों।

श्री भगवान सहाय (जिला शाहजहांपुर)—

माननीय मंत्री जी मानसून के ऊपर बोल रहे हैं या एजूकेशन के ऊपर ?

श्री कैलाश प्रकाश—

मैं इसी बात पर बोल रहा हूं कि क्यों ऐसा किया गया। यह इच्छा होते हुए भी, इधर या उधर बैठने वाले माननीय सदस्यों की इच्छा होते हुए भी शिक्षा के ऊपर अधिक व्यय होने चाहिये, क्योंकि ऐसा हुआ कि शिक्षा के ऊपर जितना धन व्यय होना चाहिये और जितना आवश्यक था उतना नहीं रखा जा सका है। आप इस बात को जानते हैं कि जब किसी चीज की प्राथमिकता पर बल दिया जाता है तो प्राथमिकता पर अधिक बल देने के कारण ही सामाजिक सेवाओं में धन की कुछ कमी की गयी है।

श्रीमन्, दूसरा प्रश्न यह उठता है कि कई माननीय सदस्यों ने कहा है इधर के भी और उधर के भी कि पुस्तकों का राष्ट्रीयकरण नहीं होना चाहिये। मुझे थोड़ा सा आश्चर्य हुआ कि जो समाजवाद को चाहते हैं उनको भी यह कदम नापसन्द रहा। जहां तक आचार्य नरेन्द्र देव कमेटी की बात है मैं भी उसका सदस्य था जब वह कमेटी बैठी थी। आचार्य नरेन्द्र देव कमेटी ने जो विचार किया है वह माध्यमिक शिक्षा के संबंध में विचार किया है और उन्होंने जो पुस्तकों के बारे में मत दिया है वह उन पुस्तकों के बारे में मत दिया है। यह जो इस समय चीज सामने है वह माध्यमिक विद्यालयों की पुस्तकों को राष्ट्रीयकरण करने का मसला नहीं है। वह इन्टरमीडिएट बोर्ड करता है। हाई स्कूल का भी और इन्टरमीडियेट

[श्री कैलाशप्रकाश]

का भी। यह जो इस समय प्रश्न है वह प्राथमिक शिक्षा के बारे में प्रश्न है जो एक से लेकर आठवीं तक है। वास्तव में यह नीति शासन को बहुत पहले निश्चित हो चुकी थी और यह नीति थी कि इन दो पुस्तकों का राष्ट्रीयकरण कर लिया जाय जिससे पुस्तक अच्छी हों और उपलब्ध हों और सस्ते दाम पर भी बच्चों को मिल सकें। प्रारम्भ में एक से ५ तक की पुस्तकों का राष्ट्रीयकरण कर लिया गया। आज भी ६ से आठवीं तक जो पुस्तकें हैं उनमें दो पुस्तकों का राष्ट्रीयकरण किया है....

श्री भगवान सहाय--

यह जो पुस्तकों की ठेकेदारी हो रही है क्या यही राष्ट्रीयकरण है ?

श्री कैलाशप्रकाश--

प्रश्न यहां पर राष्ट्रीयकरण का उठा कि पुस्तकों का राष्ट्रीयकरण नहीं होना चाहिये। उसमें कोई ठेकेदारी नहीं है। माननीय सदस्य को इसमें शायद भ्रम पैदा हो गया है और वेस्टेड इन्टरेस्ट भी बहुत भ्रम पैदा किया करते हैं क्योंकि उनके पास बहुत से साधन होते हैं। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आज भी दो पुस्तकें उसके लिये हैं। श्रीमन्, पिछले १० साल से जो आज भी प्रकाशक हैं उनकी पुस्तकें चल रही हैं। दो वर्ष हुए मेरे पास शिकायत आई और इस सदन के माननीय सदस्यों ने भी शिकायत की कि छठीं क्लास से आठवीं तक पुस्तकें उपलब्ध नहीं हैं विशेषकर गणित की। इसकी मैंने जांच करने के लिये कहा कि पता लगाया जाय क्या कारण है ये पुस्तकें उचित मूल्य पर उपलब्ध नहीं हो पाती हैं। मुझे यह ज्ञात हुआ कि इन पुस्तकों के बारे में किन्हीं व्यक्तियों को मोनोपोली दे रखी है। जो प्रबन्ध हुआ यह हुआ कि कुछ पुस्तकों की मांग की गई। कुछ गणित की, बीज गणित की हिन्दी की और भी जो पुस्तकें मंगाई व उनके ४, ४ सेट मंगाये और उनमें एक एक व्यक्ति के मंजूर हुए ताकि ये ४ सेट प्रदेश में फैलें। उनमें एक व्यक्ति को १३ जिलों की मोनोपोली दी गई। किसी को १२ की किसी को ११ की और किसी को १३ जिलों की दी गई यानी एक व्यक्ति एक पुस्तक एक ही प्रकार की उन १२ जिलों में बेचेगा दूसरा ११ जिलों में बेचेगा और तीसरा १३ जिलों में बेचेगा। और उन जिलों में कोई और पुस्तक उस विषय की न पढ़ाई जायगी यह व्यवस्था पिछले दस साल से चल रही थी। साधारणतया दसवीं और बारहवीं क्लास के लिये पुस्तकें प्रेस्क्राइब करने की जो व्यवस्था है चार या ५ साल पश्चात उन पुस्तकों को देख लिया जाता है और एप्रूव कर लिया जाता है। किन्तु ये दस साल से इसी प्रकार इसलिये ही चलती रहीं कि यह नीति बिचार के अन्तर्गत थी कि कैसे इनका राष्ट्रीयकरण किया जायगा। इसलिये हमने इनके विषय को छेड़ा नहीं, बदला नहीं। अब यह भी अपनी जगह पर मुनासिब है कि गणित का विषय यद्यपि एक ही है, कुछ जिलों में उसमें भी एक पुस्तक पढ़ाई जाती है और दूसरे जिले में दूसरी पुस्तक पढ़ाई जाती है और तीसरे में तीसरी पुस्तक पढ़ाई जाती है। और इस माननीय सदन में इस बात की आलोचना भी हो चुकी है। इन सब चीजों को देखते हुए और पुरानी निर्धारित नीति को सामने रखते हुए यह मुनासिब समझा गया कि फिलहाल गणित जिसमें बीज गणित और अंक गणित दोनों सम्मिलित है और हिन्दी की पुस्तकें यूनिफार्म होनी चाहिये और इसलिये उनको जैसे कक्षा एक से पांच तक के लिये पुस्तकें छपती हैं, वैसे ही लिये जाने का निर्णय किया गया। इसमें कोई संदेह नहीं कि यह पहला साल था और इस काम में देरी भी हो गयी। देरी का कारण है कि मैं यह नहीं चाहता था कि जो अभी तक प्रकाशक रहे हैं उनको किसी तरह का नुकसान हो।

श्री उग्रसेन--

आप सरकारी प्रेस से क्यों नहीं छपवाना चाहते ? उसमें अगर ऐसा नहीं किया गया तो मंत्रियों के फोटो और जीवन चरित्र ही छापे जायेंगे।

श्री कैलाशप्रकाश––

सरकारी प्रेस की बात तो यह है कि जितना सरकारी काम भी होता है वह भी सरकारी प्रेस द्वारा पूरा नहीं हो पाता और उस काम को दूसरे प्रेसों को देना पड़ता है। जैसे जैसे प्रेस बढ़ेंगे तैसे तैसे सरकारी काम उनके द्वारा कराया जा सकता है। किन्तु आज स्थिति यह है कि जितना अतिरिक्त काम है उसे वह पूरा नहीं कर सकती और वह दूसरे बाहरी प्रेसों से कराना पड़ता है। अब प्रेसें बढ़ाने के लिये आवश्यक है कि उनमें पूंजी लगायी जाय और साफ बात है कि पूंजी लगाने में आपको प्राथमिकता का ध्यान रखना होता है। अब आप कुएं में धन लगाना चाहते हैं सिंचाई के लिये अथवा प्रेस में ? यह आप के निर्धारित करने की बात है। प्रेसों का काम दूसरी प्रकार से चल सकता है इसलिये यह जरूरी समझा गया कि वह काम बाहर से बिना पूंजी लगाये कराया जाय। इसके अतिरिक्त यह भी विचार दूर नहीं है कि अगर कोई इस तरह का संगठन प्रदेश के स्तर पर बन सके कि जो तमाम पाठ्य पुस्तकों को देखता भी रहे और उनकी तरक्की भी करता रहे और उनको छपवाता भी रहे और उनका क्या प्रभाव पड़ा यह भी देखता रहे तो बहुत अच्छा हो और मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह पाठ्य पुस्तकों का प्रश्न केवल यहां ही नहीं है। दिल्ली में जब शिक्षा मंत्रियों का सम्मेलन हुआ था तो वहां भी यह प्रश्न उपस्थित था। दिल्ली में एक संस्था इसी बात के लिये बनी हुई है कि वह सारी पाठ्य पुस्तकों का ठीक तरीके से अनुवाद करा कर छपवाये और देखे कि उनका स्तर ठीक है अथवा नहीं और वह बाहरी पुस्तकों के आधार पर अपनी पुस्तकें छपाने की व्यवस्था करती है। साथ ही मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि केवल छपाई के लिये यह पुस्तकें नहीं लिखी गयी हैं। यह जो आशंका है कि एक ठेकेदारी को जा रही है या पक्षपात किया जा रहा है यह बिलकुल निर्मूल और गलत धारणा है।

हमारे यहां इलाहाबाद में एक शिक्षा का संस्थान बना हुआ है जो दो तीन साल से है और उसका आशय यही है कि वह देखे कि शिक्षा जगत में जो चीजें हो रही हैं उनको देखते हुए कहां क्या आवश्यकता है उसकी वह पूर्ति करे। उसके द्वारा इस बात का प्रयास है कि जो पुस्तकें प्राइमरी कक्षाओं में या ६ से ८ तक की हैं उनका, क्या प्रभाव पड़ा है, शिक्षकों को उनको पढ़ाने में क्या परेशानी अनुभव होती है, उनमें क्या कमियां हैं और अगर कमियां हैं तो उनको कैसे दूर किया जा सकता है, इसको वह देखे और उनको दुरुस्त करने का वह प्रयास करे। जहां प्रकाशक व्यक्तिगत रूप से इस कार्य को करते हैं, उनमें भिन्न भिन्न तरीके के प्रकाशक हैं, वहां यह काम सीधे उन्हीं को करना पड़ता है, किन्तु उनके लिये यह सारे आस्पेक्ट्स देख पाना संभव नहीं हो पाता। इसलिये इस चीज को उठाया गया, इसको चलाया गया। मैं समझता हूं कि कुछ व्यक्तियों को इससे नुकसान पहुंचा होगा। नुकसान पहुंचने की भी आशंका है। लेकिन माननीय सदस्यों को देखने की बात यह है कि इस नीति में कोई दोष हो तो वास्तविकता यह है कि कोई काम एक दम पूर्ण नहीं होता। आहिस्ता आहिस्ता तरक्की होती है। मैं यह दावा नहीं करता कि बिलकुल पूर्ण है। जो लोग पूर्ण के चक्कर में रहते हैं वह काम पूरा नहीं कर सकते। मुझे विश्वास है कि यह कदम इस दृष्टिकोण से उठाया गया है कि जो काम शुरू करें उसका विकास करते जायं और पुस्तकों को ठीक से लिखने में अगर खर्च हो तो वह किया जाय। उसके लिये हमारे जो संस्थान बने हुए हैं, सी० डी० आई० बना हुआ है जिनका काम ही इन चीजों को देखना है। उनकी सहायता से इन पुस्तकों को इस स्थिति में लाने की हम आशा करते हैं जिससे वह वास्तव में उपयोगी सिद्ध हो सकें।

श्रीमन्, यह कहा गया कि १८ साल से शिक्षा में प्रयोग हो रहा है। समाज को बदलना है तो कुछ प्रयोग करने होंगे। आज तो उन उन देशों में भी प्रयोग हो रहे हैं जहां जमाना कुछ बदला नहीं है। आज राकेट का जमाना है, १७ हजार मील आदमी चला जाता है। तो इस जमाने से उस जमाने की बराबरी करना मुनासिब नहीं होगा, वह एक नहीं हो सकते। शिक्षा को हमें समाज के अनुकूल और जमाने के अनुकूल बनाना होगा। समाज में अगर

[श्री कैलाशप्रकाश]

परिवर्तन हो जाता है और जो चीज कल करते थे उसको आज करें तो उचित न होगा । मैं मानता हूं कि शिक्षा में जल्दी जल्दी प्रयोग नहीं होना चाहिए लेकिन साथ ही अगर कोई साल दो साल में किसी शिक्षा के प्रयोग का कोई नतीजा निकालना चाहे तो वह भी सही नहीं है । २१ साल में एक व्यक्ति बनता है । हमने अपना कानून पास कर रखा है कि २१ साल से पहले हम यह अधिकार नहीं देते हैं कि उसकी राय मान्य हो । २१ साल के बाद ही उसे मताधिकार प्राप्त होता है । क्योंकि वही उम्र समझी जाती है कि वह अपनी राय कायम कर सकता है और उसको अधिकार दिया जाता है । आज हमारा यह प्रयास है कि इस शिक्षा के द्वारा जो व्यक्ति निकलें वह समाज के अनुकूल हों । इस विषय में एक समय की, आब्जेक्टिविटी की, आवश्यकता है और प्रयोगों का परिणाम देखने के लिये उनको एक अच्छा समय देना चाहिये । (व्यवधान) यह जो विषयान्तर करते हैं उसमें आपको जरा दिलचस्पी मालूम होती है ।

एक सवाल यह किया गया कि प्रदेश में पूरी शिक्षा के लिये एक आयोग मुकर्रर किया जाय जो भिन्न स्तर की शिक्षा में एक सामंजस्य पैदा करे । यह सही है कि हमारे प्रदेश में १ से ८ तक की जो शिक्षा होती है उसका एक आकार है और ९ से १२ तक की शिक्षा का बोर्ड को अधिकार है, उससे ऊपर यूनिवर्सिटी को अधिकार है । लेकिन माननीय सदस्यों को मालूम है कि एक देश का आयोग बैठा हुआ है जिसमें न केवल इस देश के बल्कि विदेशों के भी शिक्षा शास्त्री मौजूद हैं और हमको आशा है कि उसकी रिपोर्ट शीघ्र ही आने वाली है । उसके टर्म्स आफ रेफरेंस में इस तरह के स्तरों की शिक्षा का जिक्र है । मैं ऐसा समझता हूं कि देश की समस्या और स्थिति को देखते हुए शिक्षा की आज की आवश्यकताओं को देखते हुए, आयोग की जो रिपोर्ट निकलने वाली है उसको देखते हुए, इस बात की आवश्यकता नहीं है कि अभी कोई और आयोग स्थापित किया जाय । जब आयोग की रिपोर्ट आ जाये, उस पर विचार करने के बाद यह देखा जा सकता है कि आगे क्या किया जाय । आज एक आयोग नियुक्त कर दिया, कल को बिना उसकी रिपोर्ट आये दूसरा कर दिया, इससे कोई लाभ होने वाला नहीं है ।

(व्यवधान)

यह बात कही गयी कि ब्यूरो आफ साइकोलाजी को तोड़ा जाय । मैं पूर्णतया इससे सहमत हूं । मैं यह मानता हूं कि यह एक महत्वपूर्ण विषय है । यह अच्छा हो कि पहले बच्चों की यह परीक्षा ली जाय कि उनकी रुचि किस दिशा में है । तभी वे अच्छे नागरिक बन सकते हैं । किन्तु धनाभाव के कारण हम इसका अधिक विस्तार नहीं कर सके, हम इसे उस सीमा तक नहीं ले जा सके जितना कि इसके लिये आवश्यक था । माननीय भानु प्रताप सिंह जी ने ठीक ही कहा कि यदि किसी जगह दाना और खाद दोनों ही कम मात्रा में डाली जाय तो वे सब बरबाद हो जाती है । इसलिये हम इसको समाप्त करने पर विचार कर रहे हैं । जिस उद्देश्य को लेकर हमने इसको शुरू किया था उसको हम प्राप्त नहीं कर सके हैं । शिक्षा के क्षेत्र में इसकी उप शाखाओं को तोड़ने का प्रश्न इसलिये विचाराधीन है । इनको तोड़ने का निश्चय किया गया है, किन्तु जो केन्द्र की प्रयोगशाला है इसको तोड़ना या खत्म करना अभी सम्भव नहीं है ।

श्रीमन्, एक सवाल उठाया गया शिक्षकों की समानता का। इसके विषय में मैं प्रातःकाल भी कुछ निवेदन कर चुका हूं । उससे मेरी भावनाओं का पता चल जाता है । मैं यह भी प्रातःकाल बता चुका हूं कि गैरसरकारी संस्थाओं को जो उपलब्धियां पिछले साल से मिली हैं उसके कारण १० करोड़ रुपये साल का खर्चा सरकार का बढ़ा है । पे रेशनलाइजेशन कमेटी की सिफारिशों के अनुसार राजकीय शिक्षकों का वेतन कुछ बढ़ा है और उसके कारण कुछ असमानता पैदा हो गयी है । आज जबकि हम समाजवादी समाज की रचना के सिद्धान्त को स्वीकार कर चुके हैं तो कोई यह पसन्द नहीं करेगा कि इस प्रकार की कोई असमानता हो । परन्तु

उसमें यह तो निहित होता ही है कि हम समाजवादी समाज की रचना करना चाहते हैं। उसकी व्यावहारिक बात दूसरी है। असमानता व्यावहारिक रूप में अभी है, वह केन्द्र तथा प्रदेश के कर्मचारियों के बीच में भी है। राजकीय अधिकारियों और कर्मचारियों में और जो गैरसरकारी संस्थाओं में काम कर रहे हैं उनमें असमानता है। मैं कुछ असमानता का पक्षपाती नहीं हूं, किन्तु यह माननीय सदस्य बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि असमानता को दूर करने के लिये, जो गुलामी के जमाने में हमारे रग रग में घुस चुकी है उसके लिये समय और साधनों की आवश्यकता है। हम शनैः शनैः साधनों को जुटाते जायं तभी वह चीज सम्भव हो सकती है जिसे हम चाहते हैं।

इन शब्दों के पश्चात् मैं माननीय सदस्यों का बहुत अनुग्रहीत हूं कि उन्होंने इस अनुदान के संबंध में अपने विचार रक्खे हैं। जिन माननीय सदस्यों के सुझावों के विषय में मैं कह नहीं सका हूं वह केवल इसलिये कि समय का अभाव है। लेकिन जो अच्छे और उपयोगी विचार माननीय सदस्यों के द्वारा आये हैं वे अवश्य ध्यान में रहेंगे, क्योंकि शिक्षा में सबकी रुचि है। शिक्षा के स्तर को सब ऊंचा चाहते हैं। अपने प्रदेश की भलाई हो, इसको भी सभी चाहते हैं। इन शब्दों के साथ मैं अपने इस अनुदान का समर्थन करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष––

प्रश्न यह है कि संपूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य––विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष––

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १७––शिक्षा––के अन्तर्गत ४६,०१,२६,८०० रुपये की मांग वर्ष १९६६–६७ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष––

अब हम उठते हैं और कल ११ बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन ५ बजकर २९ मिनट पर अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया)

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ;
१८ मार्च, १९६६।

नत्थी 'क'

(देखिये ११ मार्च, १९६६ के स्थगित तारांकित प्रश्न १५ का उत्तर पीछे पृष्ठ १३ पर)

उन व्यक्तियों की सूची जिनके विरुद्ध कुर्की की गई। जनवरी, १९६५—जनवरी, १९६६। तहसील सगड़ी, जिला आजमगढ़।

क्रमांक	नाम	ग्राम	मद	विवरण
१	श्री सूर्य नारायण सिंह पुत्र बंशीधर	भवनपुर	तकावी	
२	श्री विश्व नाथ पुत्र सत्य नारायन	भवनपुर	तकावी	
३	श्री राम स्वरूप पुत्र देव नरायन	भवनपुर	तकावी	
४	श्री कोदई तिवारी पुत्र रामकुमार	मालटाड़ी	तकावी	
५	श्री तेजू पुत्र अयोध्या	बोझिया	मालगुजारी	
६	श्री राज करन पुत्र राम नाथ	करनपुर सुरहिया	तकावी	
७	श्री परमहंस पुत्र राम सरन	जैगहा	मालगुजारी	
८	श्री कुद्रु पुत्र बेचू	शिवपुर	मालगुजारी	
९	श्री राम शब्द पुत्र सरजू	पचखौरा	तकावी	
१०	श्री राम चन्दर पुत्र बदरी	,,	,,	
११	श्री राम सागर पुत्र धर्मदेव	,,	,,	
१२	श्री श्याम नरायन पुत्र राम बरन	,,	,,	
१३	श्री बुनई पुत्र बोधन	शिवपुर	,,	
१४	श्री हरिश्चन्द्र पुत्र सालिक	महरु	,,	
१५	मु० तइवाखातून मिर्जा बदरुल हसन	अन्जान शहीद	मालगुजारी	

सूची उन व्यक्तियों की जो तकावी तथा मालगुजारी के बकाया में बन्द हुए, जनवरी, सन् १९६५ से १९६६ तक, तहसील सगड़ी, जिला आजमगढ़।

क्रमांक	नाम	ग्राम	मद	विवरण
१	श्री हीरामन पुत्र जगल	पडरीपुरानपुर	तकावी	
२	श्री किशन पुत्र नान्हू	वहावेपुर	मालगुजारी	
३	श्री निरन्जन पुत्र रितू	साल्हपुर	तकावी	
४	श्री जन्गी पुत्र बेचन	,,	,,	
५	श्री लक्ष्मी पुत्र गायत्री पान्डे	मानिकपुर	,,	
६	श्री झिंगुर पुत्र मुसई	बैलकुन्डा	,,	
७	श्री जयमंगल पुत्र राम बरन	बैजाबारी	,,	
८	श्री सुक्खू पुत्र बसन	देवाराहरसपुरा	,,	
९	श्री छान्गुर पुत्र काली	देवारात्रीपुरारपुर आईमा	,,	
१०	श्री काई पुत्र सकलदीप	देऊपुर	,,	
११	श्री कतवारू पुत्र नरायन	,,	,,	

क्रमांक	नाम	ग्राम	मद	विवरण
१२	श्री चन्द्र भानु पुत्र कवलू	.. सुकुलगढ़वा	,,	
१३	श्री लुस्सुर पुत्र बन्दू	.. सिवान ..	,,	
१४	श्री नैपाल पुत्र खुसी	.. कौहरी ..	,,	
१५	श्री कन्हई पुत्र राम लाल	.. पासूपार ..	,,	
१६	श्री सिरपत पुत्र झगरू	.. बगवार ..	मालगुजारी	
१७	श्री दल सिंगार पुत्र जयश्री	.. शिवपुर ..	,,	
१८	श्री पलटन पुत्र कल्लू	.. सवरूपुर	,,	
१९	श्री झगरू पुत्र मकदूम लाल	.. हरखपुर	,,	
२०	श्री राम दास पुत्र लक्ष्मी	.. ,,	,,	
२१	श्री बुद्धू पुत्र सुखराम	.. आराजीदेवारा करखिया	,,	
२२	श्री रामायन पुत्र रमादीन	.. नवबरार दे कि अव्वल	,,	
२३	श्री बल्देव सिंह पुत्र गंगा सिंह	.. मेधई ..	,,	
२४	श्री कमरुजमा पुत्र अलीरजा	.. सगड़ी ..	तकावी	
२५	श्री जगधर पुत्र शिवराज	.. बांसगांव ..	मालगुजारी	
२६	श्री फौजदार पुत्र दशरथ सिंह	.. आ० दे० करखिया	तकावी	
२७	श्री परसोत्तम पुत्र सत्य नरायन	.. बछऊर	तकावी	
२८	श्री देवदत्त पुत्र रघुबीर	.. छत्तरपुर ..	तकावी	
२९	श्री हरिद्वार पुत्र आदित्त कुमार	.. चकलालचन्द्र	मालगुजारी	
३०	श्री बलिकरन पुत्र बांके	.. सादौली ..	तकावी	
३१	श्री नौबत पुत्र एकादशी	.. करैला ..	,,	
३२	श्री नियाज अहमद पुत्र गु० अली	.. विन्दवल ..	,,	
३३	श्री लालसा पुत्र मंहगी	.. लाटघाट ..	,,	
३४	श्री बन्दू पुत्र खुनखुन	.. ,,	,,	
३५	श्री दीपचन्द पुत्र राय दवर	.. मसौना ..	,	
३६	श्री हरदेव पुत्र मंहगी	.. अमानी ..	,,	
३७	श्री राम लखन पुत्र दीगर	.. अजमतगढ़ ..	,,	
३८	श्री अंगद पुत्र कालीदेव	.. करैला ..	,,	
३९	श्री वृज मोहन पुत्र राम बरन	.. बैलकुन्डा ..	,,	
४०	श्री कालिका पुत्र तिलकधारी	.. सैवराकुन्ड ..	,,	
४१	श्री सीता पुत्र निरमल	.. अजमतगढ़ ..	,,	
४२	श्री सीतलदेव पुत्र चिखुर	.. जमीनखरखारी	,,	
४३	श्री राजेन्द्र पुत्र छटंकी	.. विशुनपुर ..	मालगुजारी	
४४	श्री चन्द्र बली पुत्र हरिदद्ध	.. कर्मनाथ पट्टी	तकावी	
४५	श्री अब्दुल शकूर पुत्र रतन अली	.. दारजीधवरेहरा	,,	

क्रमांक	नाम	ग्राम	मद	विवरण
४६	श्री अच्यूतानन्द पुत्र मुक्तिनाथ	पहलवानपुर	लगान	
४७	श्री परम् पुत्र खीमन	जियनपुर	मालगुजारी	
४८	श्री मुस्तफा पुत्र सुकुरुला	ऊंचाडिह	तकावी	
४९	श्री विश्वनाथ पुत्र शिवमंगल	महुलिपा	,,	
५०	श्री लेखन पुत्र सुखराज	बाकीपरसानहरिया	,,	
५१	श्री ईसा पुत्र इलाही	खैरुद्दीनपुर	,,	
५२	श्री मुहम्मद रफी पुत्र कबीर	धपमैड़	,,	
५३	श्री बलजीत पुत्र दर्लासिंगार	अजुवां	,,	
५४	श्री बजरंगी पुत्र राम सुभग	बछऊर	,,	
५५	श्री सेख राज सिंह पुत्र बलकरन	चंगईपुर	,,	
५६	श्री राम उग्रह सिंह पुत्र	रामपुर	,,	
५७	श्री ठाकुर पुत्र बदरी	बरडिहा	,,	
५८	श्री रामदवर पुत्र शिवमंगल	तुर्क चारा	मालगुजारी	
५९	श्रीरामधारी पुत्र पैका	हरैया	,,	
६०	श्री रामबली पुत्र रघुनाथ	सैदपुर	तकावी	
६१	श्री महादेव पुत्र सुकेली	,,	,,	
६२	श्री रामरूप पुत्र अन्बर	राशनगंज	,,	
६३	श्री राम बिहारी पुत्रसुन्दर लाल	कैथौली	,,	
६४	श्री हनुमान पुत्र बिन्देश्वरी	गढ़ारा	,,	
६५	श्री इशरी पुत्र महंगी	महूंला	,,	
६६	श्री तिरबेनी पुत्र अभिलाख	,,	,,	
६७	श्री स्वामीनाथ पुत्र मंगर	सगड़ी	,,	
६८	श्री सत्यनारायन लाल पुत्र रघुनाथ	जैयगहा	,,	
६९	श्री स्वामीनाथ पुत्र जयमंगल	गदनपुर	,,	
७०	श्री रामराजी पुत्र भरोशा	पोखरा	,,	
७१	श्री हीरा पुत्र नरेश	अजमतगढ़	,,	
७२	श्री बासू पुत्र पराहू	,,	,,	
७३	श्री रमजान पुत्र अब्दुल	,,	,,	
७४	श्री प्रहलाद पुत्र कवलेस्सर	,,	,,	
७५	श्री खुशद पुत्र रामस्वरूप	तेन्दूवा	,,	
७६	श्री छोटेकुल पुत्र जगेस्सर	हरैया	,,	
७७	श्री दर्लासिंगार पुत्र	कन्जरा	,,	
७८	श्री जमीन्दार पुत्र सुखदेव	चेवटा	,,	
७९	श्री राजाराम पुत्र रघुबीर	अकबरपुर	,,	
८०	श्री लक्ष्मीकान्त पुत्र सत्य नारायन	महेशपुर	,,	

विधान सभा

नत्थी 'ख'

(देखिये ११ मार्च, १९६६ के स्थगित तारांकित प्रश्न संख्या ४५ का उत्तर पीछे पृष्ठ १४ पर)

सर्वश्री रघुवीर राम, सुरजन एवं ऊदल, सदस्य, विधान सभा द्वारा वर्तमान सत्र के ५वें शुक्रवार के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न संख्या ४५ के उत्तर से सम्बन्धित विवरण-पत्र ।

१—विधायक निवास नं० १ (ए) ब्लाक ।	कमरा नं० १२९ व १३०	सन् १९५६ से निवास के अवधाता परिवार सहित रहते हैं ।
२—विधायक निवास नं० २ (बी ब्लाक)	कमरा नं० ४१ व ४२	कमरा नं० ४१ .. निवास के अवधाता सन् ५६ से परिवार सहित रह रहे हैं । कमरा नं० ४२ .. अप्रैल, सन् ५७ से निवास के अवधाता के पास यह कक्ष भी है, इसके पहले उसमें सदस्य रह रहे थे ।
३—विधायक निवास नं० ३ (पुराना विधायक निवास)	कमरा नं० ३० व ३१ (अब नं० २८ व २९)	सन् ५६ से निवास के अवधाता परिवार सहित रहते हैं ।
४—रायल होटल ..	कमरा नं० ७०	सन् ५६ से निवास के अवधाता परिवार सहित रहते हैं ।
५—रायल होटल ..	कमरा नं० ६८ ..	(१) स्टोर के रूप में १९५६ से १९६० तक । (२) ओवरसियर का कार्यालय १९६० के बाद — ये कमरे सबैव से कार्यालय के रूप में ही प्रयोग होते रहे हैं ।
५—रायल होटल ..	कमरा नं० ६९	(१) एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल का कार्यालय जो बाद में विजिलेंस कमीशन का कार्यालय हो गया (१९५६ से १९६५ तक) (२) भारत के सेवक समाज एवं पार्क्स कमेटी का कार्यालय (१९५६ से) — ये कमरे सबैव से कार्यालय के रूप में ही प्रयोग होते रहे हैं ।

हुकुम सिंह त्रिसेन,
राजस्व मंत्री ।

नत्थी 'ग'

[देखिये नियम ३९(२) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न संख्या ८ का उत्तर पीछे पृष्ठ २५ पर]

ग्राम	१९५२		१९५७		१९६२	
	बंजर	जंगल	बंजर	जंगल	बंजर	जंगल
१	२	३	४	५	६	७
भुतहिया ब्लाक जोगिया ..	बी० बि० वि० ७१–१७–१७	बी० बि० वि० ३१–११–१५	बी० बि० वि० ३–७–१६	बी० बि० वि० १०–२–१४	बी० बि० वि० १–१५–०	बी० बि० वि० १०–२–१४

१९६४		वर्तमान	
बंजर	जंगल	बंजर	जंगल
बी० बि० वि० ४–१२–१९	बी० वि० वि० १०–२–१४	बी० वि० वि० १–१०–३	बी० वि० वि० १०–२–१४

ग्राम	१९५२		१९५७		१९६२	
	बंजर	जंगल	बंजर	जंगल	बंजर	जंगल
१	२	३	४	५	६	७
गोनहा	बी० वि० वि० २०–१६–०	बी० वि० वि० ..	बी० वि० वि० २१–१७–९	बी० वि० वि०	बी० वि० वि० २१–१७–९	बी० वि० वि० ..

१९६४		वर्तमान	
बंजर	जंगल	बंजर	जंगल
	बी० वि० वि० २१–१७–९	बी० वि० वि० ..	बी० वि० वि० २१–१७–९	बी० वि० वि० ..

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'घ'

[देखिये नियम ३९ (२) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न संख्या ९ का उत्तर पीछे पृष्ठ २६ पर]

तारांकित प्रश्न संख्या ९ के उत्तर में उल्लिखित विवरण (१) ब्लाक जोगिया, जिला बस्ती से सम्बधित सूचना

		नाम		धन	सीमेंट		
१	२	३		४	५	६	७
१—प्रा० पा० असोगवा	..	असोगवा	..	२०००—००	२४ बोरा	पूर्ण	—
२— ,, जोगिया	..	जोगिया	..	३०००—००	१०२ बोरा	पूर्ण	—
३— ,, पिपरी बाजार	..	महंजिदिया	..	५००—००	२७ बोरा	पूर्ण	—
४— ,, लखनपारा	..	लखनपारा	..	५००—००	३० बोरा	पूर्ण	—
५— ,, चैतिया	..	चैतिया	..	१५००—००	१२७ बोरा	पूर्ण	—
६— ,, पकड़ी लाला	..	पकड़ीलाला	..	१५००—००	५५ बोरा	पूर्ण	—
७— ,, नगपरा	..	नगपरा	..	१०००—००	—	लगभग तैयार	—
८— ,, भगवतापुरा	..	भगवतापुरा	..	५००—००	३० बोरा	केवल बरामदा बाकी है	प्रधान की अरुचि धनाभाव।
९— ,, पकड़ीलाल	..	बभनीबाजार	..	५००—००	४० बोरा	उक्त	उक्त
१०— ,, सिरसियाराजा	..	सिरसियाराजा	..	१०००—००	४० बोरा	छत बाकी है	उक्त
११— ,, करीदा मसिना	..	करीदा मसिना	..	१५००—००	७० बोरा	छत बरामदा बाकी	धनाभाव
१२— ,, बिहरा	..	बिहरा	..	५००—००	—	तैयार नहीं है। कार्य चल रहा है।	धनाभाव के कारण

उत्तर प्रदेश विधान सभा

१	२	नाम ३	धन ४	सीमेंट ५	६	७
१३—	,, सेहुड़ा ..	सेहुड़ा ..	१५००—००	—	उक्त	—
१४—	,, कटहना ..	कटहना ..	३५००—००	—	बन रहा है	
१५—	,, जखौलिया ..	जखौलिया ..	१०००—००	—	तैयार नहीं है	धनाभाव तथा प्रधान की अरुचि ।
१६—	,, जम्हिरिया ..	जम्हिरिया ..	२०००—००	—	तैयार नहीं है	प्रधान की अरुचि
१७—	,, मेंहदौली ..	मेंहदौली ..	५००—००	—	उक्त	उक्त
१८—	,, अहड़ी ..	अंहड़ी ..	५००—००	—	उक्त ..	उक्त
१९—	,, नेउरी ..	नेउरी ..	१०००—००	—	उक्त	उक्त
२०—	,, कोणरी ..	कौड़री ..	१५००—००	—	नहीं	प्रधान की अरुचि
२१—	कन्या प्रा० पा० छपिया ..	जांदगढ़िया ..	२५००—००	—	नहीं	उक्त
२२—	प्रा० पा० देवरांवाबाजार ..	देवराबाजार ..	१०००—००	—	नहीं	उक्त
२३—	,, महला ..	महला ..	५००—००	—	—	भवन नहीं है, अतिरिक्त कक्षा नहीं बन सकती
२४—	,, मजगंवा ..	मजगंवा ..	—	६६ बोरा	अपूर्ण	प्रधान की अरुचि
२५—	,, खेतवल मिश्र ..	खेतवल मिश्र ..	—	४० बोरा	अपूर्ण	धनाभाव के कारण
२६—	,, हरैया ..	हरैया ..	—	४२ बोरा	पूर्ण	—
२७—	,, कड़जहवा ..	कड़जहवा ..	—	७ बोरा	पूर्ण	—
		योग:—	२९,५००.००	७००		

उत्तर प्रदेश विधान सभा

(२) ब्लाक बांसी से संबंधित सूचना ।

वर्ष १९६४–६५ में प्राथमिक पाठशाला भवन निर्माण हेतु किये गये धनराशि एवं सीमेन्ट का विवरण ब्लाक–बांसी

विधान सभा के तारांकित प्रश्न संख्या ३१ के संबंध में

क्रमांक	पाठशाला का नाम	ग्राम सभा का नाम	१९६४–६५ में ग्राम प्रधान को दिया गया		क्या भवन बनकर तैयार है	यदि नहीं, तो कारण
			धन	सीमेंट		
१	२	३	४	५	६	७
१	मिश्रित जू० ब० स्कूल हाटा ..	हाटा ..	२०००–००	—	केवल नीव पड़ी है	सामान का अभाव
२	मिश्रित जू० बे० स्कूल, फूलपुर ..	फुलपुर ..	१०००–००	—	अभी निर्माण प्रारम्भ नहीं हुआ है।	धन का अभाव
३	,, ,, पिपरा ..	पिपरा ..	१०००–००	—	,, ,,	,, ,,
४	,, ,, पिपराहिया ..	केबिनगर ..	१०००–००	—	,, ,,	प्रधान की निष्क्रयता
५	,, ,, कालहुई ..	कोल्हूइबुफुर्ग ..	१०००–००	—	,, ,,	धन का अभाव
६	,, ,, हरैया ..	हरैयानानकर ..	२०००–००	—	केवल नीव पड़ी है	समान का अभाव
७	,, ,, बरदही नानकर ..	बरदही ..	१०००–००	—	अभी बनना प्रारम्भ नहीं हुआ।	प्रधान की निष्क्रयता
८	,, ,, महुआ कलां ..	कहुआकलां ..	२०००–००	—	केवल छत शेष है	धन का अभाव
९	कन्या जू० ब० स्कूल, डंडुवा घाट	मेचुका ..	३५००–००	—	,, ,,	सामान का अभाव
१०	,, ,, जमलाजीत ..	जमला जीत ..	२५००–००	—	अभी बनाना प्रारम्भ नहीं हुआ।	भूमि प्राप्त नहीं है
		योग ..	१६०००–००			

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ङ'

[देखिये नियम ३९(२) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न संख्या १० का उत्तर पीछे पृष्ठ २६ पर]

राजकीय दीक्षा विद्यालय, सैदपुर, गाजीपुर की कृषि फार्म के वार्षिक पैदावार एवं आय सम्बन्धी तालिका।

उत्पादित वस्तु का नाम		मात्रा		खजाने में जमा की गई धनराशि एवं विवरण	विशेष विवरण
१		२		३	४
१९६१-६२					
हरा चारा	..	८१ मन पांच सेर	..	२० रुपया चालान नं० १	
मूली	..	७ मन	..		
टामटर	..	३२ सेर	..		
आलू	..	८ मन	..	९३ रुपया ६० पैसा	
चना	..	३० सेर	..	चालान संख्या ८।	
मटर	..	२५ सेर	..		
जौ	..	६ मन दस सेर	..	५५ रुपया ५० पैसा।	
गेहूं	..	१२ सेर ८ छटांक	..	चालान नं० ५	
तीसी सरसों	..	१ मन पांच सेर	..		
बररय	..	१७ सेर			
गेहूं	..	२३ सेर १८ छटांक			
सौंफर	..	१५ सेर			
मटर	..	१ मन			
अरहर	..	१ मन			
चना	..	१ मन			
१९६२-६३					
मक्के का डंठल हरा		३० मन	..	२६ रुपया चालान नं० ४	
चना	..	२ मन	..	१ रुपया ५० पैसा	
आलू	..	१० सेर	..	चालान नं० ३	
बाजरे का डंठल तथा		१७ मन	..	६७ रुपया ६३ पैसा	
मूंग का चारा			..	चालान सं० नं० १०	
बाजरे का डंठल	..	५ मन १५ सेर	..		
जौ	..	१ क्विंटल ६७ किलोग्राम ९५९ ग्राम			
मटर	..	५८ किलोग्राम ७१८ ग्राम			
चना	..	१ क्विंटल ४९ किलोग्राम २९६ ग्राम			
अरहर	..	१ क्विंटल १८ किलोग्राम ९७० ग्राम			
तीसी	..	३० किलोग्राम ३२५ ग्राम			
सरसों		९ किलोग्राम ३३१ ग्राम			
बररय		२४ किलोग्राम २६१ ग्राम			
भूसा		११ क्विंटल १९ किलोग्राम २६ ग्राम			

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

उत्पादित वस्तु का नाम	मात्रा	खजाने में जमा की गई धनराशि एवं विवरण	विशेष विवरण
१	२	३	४
१९६३–६४		१२ रु० ५० पैसे	
बाजरा तथा मूंग का हरा डंठल	८० मन १० सेर	. चालान नं० १३	
बाजरा का सूखी डंठल	३८ मन २० सेर	.. २०७ रुपया	
चना मटर बर्रा का हरा चारा	२९ मन २० सेर	.. चालान नं० १६।	
भूसा ..	१४ क्विंटल ९२ किलोग्राम ९६८ ग्राम		
जौ ..	१ क्विंटल ७७ किलोग्राम २८९ ग्राम		
चना ..	१ क्विंटल ११ किलोग्राम ९७२ ग्राम		
अरहर ..	७९ किलोग्राम ३१४ ग्राम		
तीसी ..	३७ किलोग्राम ३२४ ग्राम		
मटर ..	५१ किलोग्राम ३२१ ग्राम		
बररय ..	८ किलोग्राम ३९८ ग्राम		
बाजरा ..	४५ क्विंटल ७२२ ग्राम		
उर्द ..	२३ क्विंटल ३२८ ग्राम		
मूंग ..	१३ क्विंटल ९९७ ग्राम		
१९६४–६५			
चरी मूंग बाजरा चारा	८० मन ३० सेर		
सन ..	१० सेर		
बाजरा ..	३८ सेर		
सनई का बीज ..	३५ सेर		
बाजरा का सूखा डंठल	५६ मन २३ सेर ४ छटाक		
मटर बर्रे का हरा चारा	६० मन		
भूसा ..	२ मन ५ सेर		
मटर ..	४ मन		
बैंझर जौ चना तिलहन	१६ मन ३५ सेर		
अरहर ..	१६ मन ३५ सेर	.. २५७ रुपया ८२ पैसा	
डंठल ..	७६ बोझ	चालान सं० १३	
		५२१ रुपया ५० पैसा	
		चालान नं० ५	
		३८ रुपया	
		चालान नं०	
१९६५–६६			
हरा चारा	१९ मन	.. १९६ रुपया २४ पैसा	
बाजरा उर्द ..	८ मन १ सेर		
बाजरा का सूखा चारा	२५ मन	चालन नं० ३	
उर्द का भूसा ..	२५ मन		
हरा चरा सरसों वर्रे	१२ मन ८ सेर		

नत्थी 'च'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या ३ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४६ पर)

आजमगढ़ जिले की सगड़ी तहसील के ओला प्रभावित गांवों की क्षति सहित सूची

क्रम-संख्या	गांव का नाम		विभिन्न फसल की क्षति (पैसे में)				
			जौ	मटर	चना	अरहर	आलू
१	२		३	४	५	६	७
१	भगवानपुर	..	०.२५	०.२५			
२	बारिआरपुर	..	०.२५	०.२५			
३	घुरहूपुर	..	०.२५	०.२५			
४	अरहरिया पारसन	..	०.२५	०.२५			
५	अरहरिया निरबिन	..	०.२५	०.२५			
६	अरहरिया खानुराम	..	०.२५	०.२५			
७	सरदहा	..	०.१२	०.१२			
८	मेउरिया	..	०.१२	०.१२			
९	बहरुपुर	..	०.१२	०.१२			
१०	ओसमापुर	..	०.१२	०.१२			
११	कहुकना परशोत्तम	..	०.१२	०.१२			
१२	चक जुलेखान	..	०.१२	०.१२			
१३	अहानकरिपुर	..	०.१२	०.१२			
१४	गोपालपुर	..	०.१२	०.१२			
१५	बलरामपुर	..	०.१२	०.१२			
१६	अकबालपुर	..	०.१२	०.१२			
१७	सिकन्दरपुर एमा	..	०.१२	०.१२			
१८	महुई खास	..	०.१२	०.१२	०.२५	०.२५	
१९	खलिसा	..	०.१२	०.१२	०.२५	०.२५	
२०	खेमकरपुर	..	०.१२	०.१२	०.२५	०.२५	
२१	चक कलवारिया	..	०.१२	०.१२	०.२५	०.२५	
२२	बरोही चौबे	..	०.१२	०.१२	०.२५	०.२५	
२३	महाजी पम्जरिया	..	०.१२	०.१२	०.२५	०.२५	
२४	महाजी सिंघवारा	..	०.१२	०.१२	०.२५	०.२५	
२५	बंजरिया खास	..	०.१२	०.१२	०.२५	०.२५	

विधान सभा प्रदेश

क्रम-संख्या	गांव का नाम		विभिन्न फसल की क्षति (पैसे में)				
			जौ	मटर	चना	अरहर	आलू
१	२		३	४	५	६	७
२६	गोंडापुर	..	०.१२	०.१२	०.२५	०.२५	
२७	रुकुनुद्दीनपुर	..	०.१२	०.१२	०.२५	०.२५	
२८	माधौपुर	..	०.१२	०.१२	०.२५	०.२५	
२९	मिसिरपुर खूर्जा	..	०.१२	०.१२	०.२५	०.२५	
३०	करम्पूर	..	०.१२	०.१२	०.२५	०.२५	
३१	रुद्रपुर	..	०.१२	०.१२	०.२५	०.२५	
३२	बुढावे हुसु मुद्दीनपुर	..	०.१२	०.१२			०.२५
३३	सिधवारा खास	..	०.१२	०.१२			०.२५
३४	महुवी शेरपुर	..	०.१२	०.१२			०.२५
३५	बैजुआपुर	..	०.१९	०.१९			०.१९
३६	इटौरा खास	..	०.१९	०.१९			०.१९
३७	भटौली	..	०.१९	०.१९			०.१९
३८	लखेसर	..	०.१९	०.१९			०.१९
३९	बन्दपुर	..	०.१९	०.१९			०.१
४०	चक बुधावे	..	०.१९	०.१९			०.१९
४१	नकवा बहाउद्दीनपुर	..	०.१९	०.१९			

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० २१ एल० ए०—१९६६—८६२ ।